खण्ड-362, अंक-3
मंगलवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1905
(22 मार्च, 1983 ई0)

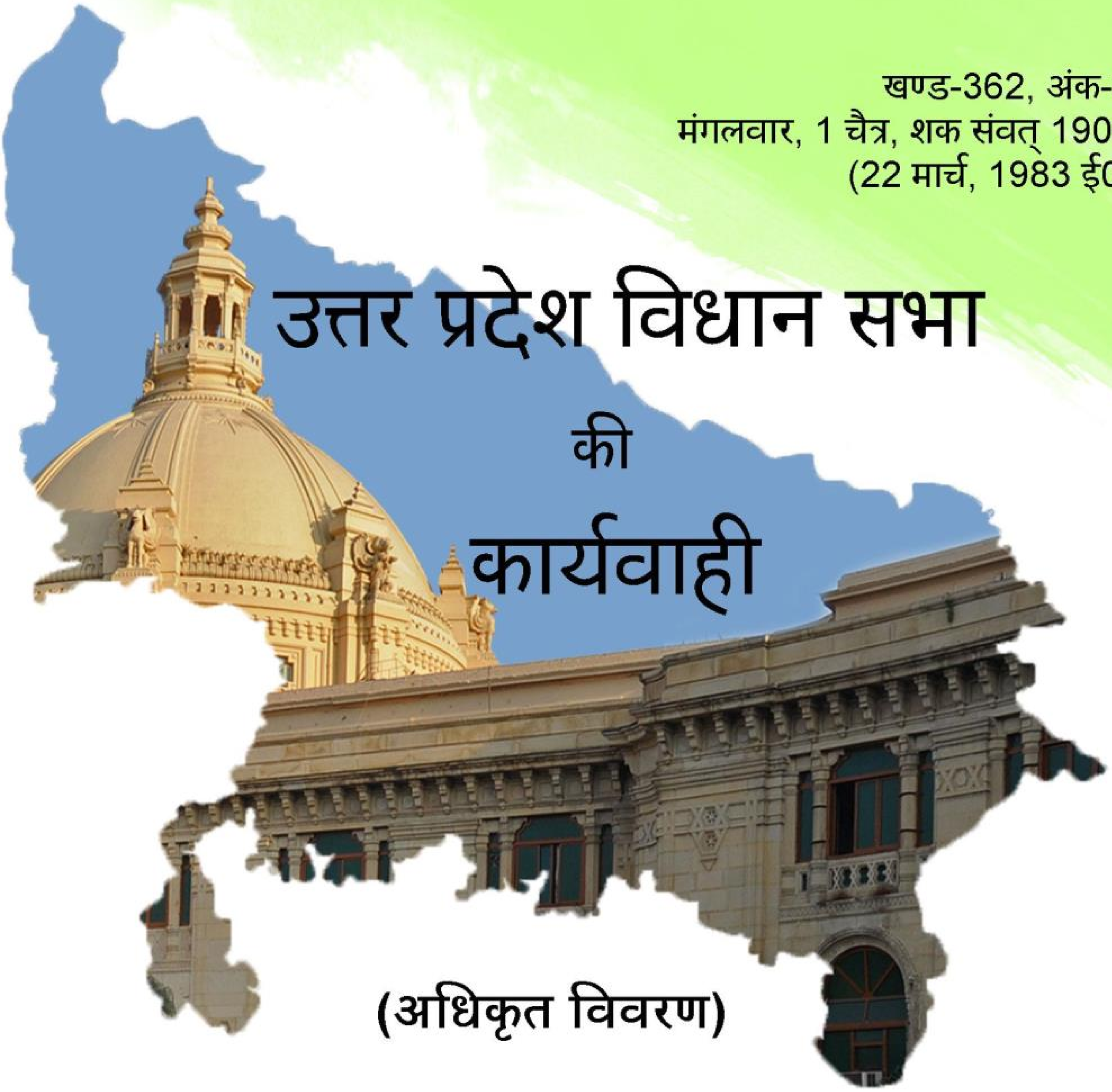

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 362 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	....	333--337
प्रश्नोत्तर	....	339—410
सदन के सत्र काल में जिला स्तर की समितियों की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	....	410–412
तहसीलदार, बिल्हौर (कानपुर) द्वारा गृह अनुदान वितरण में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	412–413
शारदा नहर के पानी को सिर्फ रायबरेली जनपद को भेजे जाने से हरदोई आदि जनपदों को पानी न मिलने से फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	413
गोरखपुर मण्डल में हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों को बढ़े हुये मंहगाई भत्ते आदि की अवशेष धनराशि के भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	413
जनपद फर्रुखाबाद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को माह फरवरी, 1983 का वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	414
ग्राम गजियापुर (आजमगढ़) में हुये अग्निकाण्ड से कई घरों के जल जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	414
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा 15 मार्च, 83 को श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कतिपय अध्यादेशों के सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णय	....	415–418
25 फरवरी 1983 को संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा सचिवालय अनेक्सी काण्ड के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	....	418–420
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	....	420–426
वित्तीय वर्ष 1983–84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग स्वीकृत	....	426–464
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	....	464

विषय (II) पृष्ठ संख्या

जनपद बहराइच की जरवल रोड चीनी मिल के एक हरिजन कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 465–471

राजकीय परिवहन निगम के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से निगम की बसों द्वारा भारी पैमाने पर हो रही कथित स्मगलिंग के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 471–475

प्रदेश के ड्रग कन्ट्रोल विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 475–479

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा 5 अन्य निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक 14-3-83 को घोषित कार्यक्रम में संशोधन 479

प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा 479–500

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति द्वारा जातीयता, भ्रष्टाचार तथा घोटाला सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं से विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा .... 500–500(xiv)

गोरखपुर के विधायक द्वारा चीनी मिल घुघली के रिसीवर के विरुद्ध अनशन करने की सूचना विषयक दिनांक 25 फरवरी, 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या लगातार रहेगा 1 (नत्थी "क") के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा .... 500 (xiv) –501

नत्थियाँ 502–506

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मगंलवार, दिनांक 22 मार्च 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—362

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फरूखाबाद)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिलसिंह) फतेहपुर
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)

गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल,
विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डा० (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी,
श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)

पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरूषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बब्बन पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फरुंखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फरूंखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसूफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खाँ, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)

मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, एडवोकेट श्री(गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रेवती रमण सिंह,
(उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)

विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बाँदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्येद्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खाँ नवाब, श्री (शाहजहाँपुर)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बाँदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

सत्यमेव जयते

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 22 मार्च, 1983 ई०

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न]

गाजीपुर जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने पर कृषकों को विद्युत-कर से मुक्त किये जाने की मांग

*1--श्री राम नारायण सिंह---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में वर्ष 1982 में बाढ़ के दौरान कृषकों के पम्पिंग सेटों में लगभग एक माह तक विद्युत की आपूर्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित कृषकों को बाढ़ के दौरान विद्युत बिल के धनराशि से मुक्त करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) –

गाजीपुर जनपद के गंगा तटीय बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वर्ष 1982 में बाढ़ के दौरान कृषकों के पम्पिंग सेटों में लगभग एक माह तक बाढ़ के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही ।

प्रभावित कृषकों को बाढ़ के कारण विद्युत आपूर्ति न किये जाने की वजह से विद्युत देयों की धनराशि से मुक्त करना विद्युत परिषद् के नियमानुसार सम्भव नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत नलकूप/पम्पसेट के लिये विद्युत दर का निर्धारण करते समय इन सभी दैवीय आपदाओं को ध्यान में रखा जाता है ।

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और किसानों के पम्पिंग सेटों को उस समय बिजली नहीं मिलती है । मैंने गाजीपुर के पूरे जनपद के सम्बन्ध में प्रश्न किया था, परन्तु मा० मंत्री जी ने केवल गाजीपुर जनपद के गंगा तटीय बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों के पम्पिंग सेटों में विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में उत्तर दिया है । गाजीपुर जनपद में गंगा के अतिरिक्त गोमती, बासो, मगई, टोंस आदि भी नदियां है जिनके द्वारा यह जिला बाढ़ से प्रभावित होता है । क्या मा० मन्त्री जी मेरी सूचना सही मानकर कि गंगा नदी के अलावा और भी नदियों से बाढ़ होती है जिससे किसानों को विद्युत आपूर्ति नहीं मिलती है, क्या इसकी भी जांच करायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, यह प्रश्न बाढ़ से सम्बन्धित नहीं है । गंगा से प्रभावित क्षेत्रों में जो सुविधा मिलती है वही सुविधा दूसरे क्षेत्र पर भी लागू होती है ।

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, बाढ़ से प्रभावित जो किसान हैं उनको विद्युत शुल्क से छूट देने का कोई प्राविधान नहीं है । तो क्या मा० मंत्री जी सम्बन्धित कृषकों को बाढ़ के दौरान विद्युत बिल की धनराशि से मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सामान्यतया बाढ़ के समय में पम्पिंग सेट चलाने की जरूरत नहीं होती । इसलिये इसका औचित्य नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह देखते हुए कि समय-समय पर दैवी आपदाओं या किसी दूसरे अनकंट्रोलेबुल रीजन्स के कारण दो-दो साल तक कुछ उत्पादन नहीं हो सकता जैसा कि मुरादाबाद में दो साल तक कारखाने बन्द रहे और आपने आश्वासन दिया कि ऐसे मौके पर कोई वसूलियाबी नहीं होगी लेकिन चूँकि आपने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है तो क्या इसको देखते हुये आप नियमों में कोई परिवर्तन करने पर विचार करेंगे ताकि वहां बिजली के बिलों के भुगतान में छूट मिल सके ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, इसमें जिले का सवाल नहीं है। पम्पिग सेट और उद्योगों के लिये बिजली दी जाती है। उद्योगों के लिये तो बिजली मीटर्ड है जितनी बिजली चलेगी, उतना देना पड़ता है, लेकिन जहां तक पंपिग सेट का सवाल है उसके लिये फ्लैट रेट है इसलिये नियमों में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।.....(व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

थाना इब्राहिमपुर, फैजाबाद के सब-इन्सपेक्टर श्री जगन्नाथ व कान्सटेबिल श्री जयराम वर्मा के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

*1--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना इब्राहिमपुर, जनपद फैजाबाद के सब-इन्सपेक्टर, श्री जगन्नाथ एवं पुलिस कांस्टेबिल श्री जगदम्बा सिंह द्वारा श्री ओम प्रकाश, ग्राम नारायनपुर, थाना इब्राहिमपुर टांडा, फैजाबाद से बलपूर्वक 400 रु० लेने तथा ग्रामवासियों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा 16-3-82 को कोई शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्बन्ध में जांच की गयी, जांच के दौरान श्री ओम प्रकाश तथा ग्रामवासियों से पूछताछ की गयी ? सम्पूर्ण जांच का विवरण क्या है तथा जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित मामले का दिनांक 16-3-82 का नहीं वरन दिनांक 16-2-82 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। इसकी जांच परगना मजिस्ट्रेट टांडा द्वारा की जा रही है। जांच जारी है।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि उक्त मामले में सब-इन्सपेक्टर और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध ऐक्शन लेने की बात थी जिसकी जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की गयी थी। उसमें सब-इन्सपेक्टर को दोषी पाया गया था और उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी जो कि अपराध संख्या 161/83 के अन्तर्गत करायी गई। मैं जानना चाहता हूँ कि जब इसकी जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से करायी गई तो फिर परगना अधिकारी से इसकी जांच कराने की क्या आवश्यकता थी ? क्या उनको गिरफ्तार भी किया गया था और वे जमानत पर छूट गये या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि अपराध निरोधक समिति से इसकी जाँच करायी गई। हमने एस० डी० एम० से इन्क्वायरी इस मामले में फिक्स कर दी है।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, आपने मेरे आज के ही अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर में बताया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार कथित मामले की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की गई है। उनकी जांच से थाना इब्राहिमपुर के उप-निरीक्षक श्री जगन्नाथ, कांस्टिबुल जगदम्बा सिंह तथा कांस्टिबुल जयराम वर्मा के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्य अपराध धारा 161/342/304/506 भा० द० वि० तथा 5 (2) पी०सी० ऐक्ट का किया जाना पाया गया है। अतः उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध थाना इब्राहिमपुर में एक अपराध संख्या 161/83 उक्त धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है। और आज के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में आप कहते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह द्वितरफा उत्तर क्यों दिया जा रहा है ? एक तरफ आप कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि इस सम्बन्ध में यह कार्यवाही की गई। तो इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, हो सकता है कि किसी दूसरी शिकायत पर अपराध निरोधक समिति ने किया हो और कोई केस उसके सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ हो। मैंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आपके प्रार्थना-पत्र पर हमने एस० डी० एम० को इन्क्वायरी फिक्स कर दी है।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न साफ है। वह प्रश्न अतारांकित में था। दोनों प्रश्नों को मान्यवर, आप देख लें। यह 29वां सवाल है और तारांकित प्रश्न संख्या 1 है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा निवेदन है कि एक प्रश्न स्पष्ट होने के बाद भी माननीय मन्त्री जी उत्तर क्यों नहीं देना चाहते हैं। मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना देता हूँ कि उन्होंने जो उत्तर दिया है वह सदन को गुमराह करने के लिये दिया है और मामले को पूर्णतया छिपाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये। क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री गोपीनाथ वर्मा—

जब उनके खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया तो क्या उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं और न्यायालय में मामला गया या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने निवेदन किया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। किसी और अपराध में भ्रष्टाचार निवारण समिति में जांच हुई। मैंने कहा इस केस में आपके प्रार्थना पत्र को मानकर एक इन्क्वायरी एस० डी० एम० द्वारा करा दी गयी। जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ कहाँ भिन्नता है, मैं समझा नहीं।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मैं साफ जानना चाहता हूँ.....

श्री अध्यक्ष--

आपने विशेषाधिकार अवहेलना की नोटिस दे दी है या नहीं ?

श्री गोपीनाथ वर्मा--

हाँ, दे दी है।

श्री अध्यक्ष--

तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।

*2--श्रीमती गौरी देवी--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, तथा

श्री भीखालाल

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]

प्रदेश के अधिकारियों द्वारा उद्घाटन शिलान्यास आदि करने से सम्बन्धित शिकायती पत्र पर जारी राजाज्ञा

*3--श्री नरेश अग्रवाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-8-82 को प्रश्नकर्त्ता ने मुख्य मन्त्री को प्रदेश के अधिकारीगण द्वारा उद्घाटन, शिलान्यास, जन सभाएँ एवं प्रेस कान्फ्रेन्स करने के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर आपके दिये हुये आदेशों का पालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हाँ,

उक्त उल्लिखित शिकायती पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये आदेश दिनाँक 10-12-1982 तथा 14-2-1983 को जारी कर दिये गये हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं जानना चाहता हूँ कि 10-12-82 और 14-2-83 को क्या-क्या आदेश जारी हुए। जो 10-12-82 को आदेश जारी हुए उनका पालन नहीं हो रहा है क्योंकि जब माननीय मंत्री जी का बजट था उस पर जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की थी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही दी गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह आदेश जो 10-12-82 को जारी हुए उसको अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा अंश पढ़ दूँ उसमें कहा गया है कि "वर्णित परिस्थितियों में शासन की उपरोक्त नीति के संबंध

में पुनः बल देते हुए मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गयी है कि समस्त अधिकारियों को शासन की उक्त नीति को–मान्यवर, उक्त नीति बहुत डिटेल में बताई गयी है जिसमें ऐसे समारोह हों जहां उद्घाटन करना आदि हों-स्पष्ट करते हुए यह बता दिया जाय कि अधिकारीगण कोई भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास न करें।"

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

10–12-82 का तो बता दिया लेकिन 14 फरवरी का नहीं बताया। जो जी० ओ० इश्यू हुआ है उसमें कहा है कि अधिकारियों द्वारा जो उद्घाटन या शिलान्यास किया जाता है वह शासन की नीति के अनुरूप नहीं है उसके पैरा 3 में दिया हुआ है कि समस्त अधिकारियों को शासन की उक्त नीति स्पष्ट करते हुए बता दिया जाय कि अधिकारीगण कोई उद्घाटन अथवा शिलान्यास नहीं करेंगे। आज कानपुर के जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आर० डी० सिंह हैं, वह आज ही एक उद्घाटन कर रहे हैं उसके कार्ड विधायकों और मंत्रियों के पास आये हैं। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मंत्री जी सदन में घोषणा करेंगे कि क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था वह 24–8–82 को रिसीव हुआ है। सम्मानित सदस्य ने जो पत्र लिखा है उसमें कोई तारीख नहीं डाली है और उसमें किसी अधिकारी विशेष या जिलाधिकारी का नाम नहीं दिया गया है। एक सामान्य नीति का जिक्र हुआ है.....

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं यह नहीं कह रहा हूँ.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, उत्तर आने दें।

श्री अम्मार रिजवी--

जिस पत्र पर आधारित उनका प्रश्न है वह सामान्य नीति से संबंधित है एक प्रकार से उन्होंने इंगित किया है कि कौन-कौन से अधिकारी हैं उस पर एक आदेश जारी कर दिया गया है कि ऐसे अधिकारी जो अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तो जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मा० अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न मेरा यह है कि दिनांक 10–12–82 को जी० ओ० जारी हुआ उसके बाद जितने उद्घाटन किये गये हैं उनके संबंध में क्या मंत्री जी यहाँ हाउस में घोषणा करेंगे कि वह उद्घाटन अवैध हुए हैं और दूसरी बात आदेशों की अवहेलना जो किया है और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किया है और क्या करेंगे उसकी घोषणा स्पष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो प्रश्न पहला किया है 24–2–83 को जी० ओ० किया गया था।

मान्यवर, यह प्रश्न दो हिस्सों में है। एक तो उद्घाटन और दूसरा प्रेस कांफ्रेन्स। उद्घाटन से सम्बन्धित जी० ओ० 10-12-82 को इश्यू हुआ है जिसका हवाला पहले दिया है। प्रेस कांफ्रेन्स से संबंधित 14-2-83 को जी० ओ० इश्यू हुआ है और उसके अंदर है कि समाचार पत्रों को प्रदेश एवं जनपदों के समाचारों तथा विकास कार्यक्रमों की सूचना समय-समय पर आप द्वारा की जाने वाली प्रेस कांफ्रेंसों के माध्यम से दी जाती है। इस संबंध में आपसे अनुरोध करना है कि राज्य सरकार द्वारा यदि किसी महत्वपूर्ण नीति के विषय में निर्णय लिया जाय तो उसकी घोषणा इस प्रकार आयोजित प्रेस कांफ्रेन्स में न की जाये, वरन् उस निर्णय की घोषणा संबंधित विभागीय मंत्री जी द्वारा ही की जायेगी। तो मान्यवर, नीति विषयक घोषणा जी० ओ० के अनुसार अधिकारी नहीं करेगा। मान्यवर, जिन लोगों ने शिलान्यास किये हैं और जिसने आदेशों की अवहेलना किया है उसकी जांच कर रहे हैं और भविष्य में जो अवहेलना करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, जो मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है उससे प्रश्नकर्त्ता का आशय स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, और आपका संरक्षण चाहता हूँ, कि एक सामाजिक व्यक्ति या जनप्रतिनिधि गली-कूचों की ठोकरें खाकर, धूल खाकर, यह पद प्राप्त हुआ है और दूसरी ओर वह अधिकारी जो रुतबे के साथ सरकारी साधनों का भोग करते हैं, लेकिन जो सम्मान जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिये फूलों को पहनने का, वह अधिकारी प्राप्त कर रहा है, इसलिये क्या मंत्री जी आज की तारीख से स्पष्ट घोषणा करेंगे कि कोई कलेक्टर या कमिश्नर या सेक्रेटरी यह किसी तरह की प्रेस कांफ्रेन्स, उद्घाटन, शिलान्यास या जन सभायें नहीं करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो भावना माननीय सदस्य श्री श्यामलाल बाजपेयी ने व्यक्त किया है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। जो आदेश दिये गये हैं प्रेस कांफ्रेन्स के बारे में और शिलान्यास के बारे में, उनका आज की तिथि से सख्ती से पालन होगा।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न पूछ कर एक उचित काम किया है क्योंकि कुछ अधिकारी उद्घाटन ही नहीं राजनीतिक भाषण भी करते हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि, आपने जो राजाज्ञा जिस तिथि को प्रसारित किया है और ऐसी राजाज्ञा इसके पहले भी प्रसारित हो चुकी हैं, इस राजाज्ञा के प्रसारण के बाद जिन अधिकारियों ने उसका अतिक्रमण अथवा उल्लंघन किया है, यह बात शासन के संज्ञान में यदि आये तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने पर क्या मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि शासनादेश में या नियमों में कहीं भी यह निर्देश क्या दिये गये हैं कि दंडात्मक कार्यवाही होगी वह किस प्रकार की होगी, क्या होगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो भी कार्यवाही और जो भी प्रक्रिया जिसका प्राविधान किया गया है वह की जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो घटना कल सदन में हुई है, उसका सम्बन्ध भी ऐसी ही बात से है कि जिलाधिकारी देवरिया ने एक गोडाउन का उद्घाटन किया था, तो क्या उस संबंध में भी उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने का आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, मैं मंत्री जी की स्पष्ट घोषणा चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी इन आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

जब शिकायत होगी तभी तो कार्यवाही होगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल --

मैंने जिलाधिकारी, हरदोई और कमिश्नर, लखनऊ के खिलाफ शिकायत की है । इस आदेश के बाद, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो पत्र है वह मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ और मान्यवर, चाहें तो दे भी सकता हूँ, इसमें किसी अधिकारी विशेष का माननीय सदस्य ने जिक्र नहीं किया है, वह इस बारे में अलग से प्रश्न कर सकते हैं, उसकी सूचना उनको दे दी जाएगी ।

वाराणसी के ग्राम पगुइया निवासी श्री नकछेद भारतीय का आमरण अनशन

*1--श्री गोपीनाथ वर्मा --

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि श्री नकछेद भारतीय पुत्र श्री अर्जुन राम हरिजन ग्राम पगुइया, थाना चन्दौसी, जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा विधान सभा के सामने अपनी मांगों को लेकर 30-1-82 से 3-2-82 तक आमरण अनशन किया गया तथा अनशन के दौरान 3-2-82 को गृह विभाग से सम्बन्धित मांगों को पूरा किये जाने का आश्वासन देकर अनशन समाप्त कराया गया था ? यदि हाँ, तो माँगें क्या हैं तथा मांगों के आधार पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, यह जिस व्यक्ति का मामला है, यह बड़ा विवादित मामला है । जितना भी

उसके खिलाफ उत्पीड़न हो सकता था, वह वहाँ के लोगों और पुलिस ने मिलकर उसके साथ किया है। इसके बारे में रियासत हुसैन ने नियम 51 में भी दिया था, तो आप इसकी जाँच किससे करा रहे हैं ? क्या इस मामले की जाँच आप सी० आई० डी० द्वारा करवायेंगे ? और इसमें सचिवालय से ही जानकारी लेने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना आने के बाद ही देखा जाएगा।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को आवास आबंटित किये जाने की प्रक्रिया

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के आवासों के आबंटन की क्या प्रक्रिया है ? क्या यह सत्य है कि एक ही वेतनमान के कर्मचारियों को कहीं पर एक कमरे का, कहीं पर दो कमरे का, कहीं पर तीन कमरे का आवास आबंटित किये गये हैं एवं उन्हें अलग-अलग सुविधायें दी गयी हैं ? यदि हां, तो इस असंगति का आधार क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

आवासों के आबंटन की प्रक्रिया सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आबंटन नियमावली, 1980 में निर्धारित है।

जी हां। आवास की श्रेणी के अनुरूप ही सुविधायें उपलब्ध हैं।

सम्बन्धित कर्मचारियों की अनुमान्यता के आवासों की कमी के कारण उनसे नीची श्रेणी के आवास आबंटित किये गये हैं, जिनके लिये कर्मचारियों ने भी अपनी सहमति दी है।

श्री रामआसरे वर्मा --

कर्मचारियों की दो श्रेणियाँ हैं। एक कर्मचारी ऐसे हैं जो विवश होकर अपने ग्रेड से नीचे की श्रेणी के आवासों में रह रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नीचे के ग्रेड में थे और उनकी पदोन्नति हो गई और पदोन्नति होकर वह ऊँचे ग्रेड में चले गये, फिर भी अपने पहले वाले नीचे श्रेणी के आवासों में रह रहे हैं, तो जो पदोन्नति होकर ऊँचे ग्रेड में पहुँच गये हैं, और नीचे के आवासों में रह रहे हैं, उनसे आवास खाली कराने के बारे में क्या कोई व्यवस्था करने को सरकार तैयार है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव --

जी नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा--

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुभाग-8 द्वारा क्या कोई इस तरह की विज्ञप्ति जारी की गई है कि कर्मचारियों के आवास की, उनके ग्रेड के अनुसार, प्लिन्थ एरिया, एकोमोडेशन और कास्ट निर्धारित की गई हो ? यदि इस तरह की कोई राजाज्ञा जारी की गई हो तो मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं ? नहीं किया गया है तो उसका क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

किया गया है, श्रीमन् ।

गोरखपुर जनपद में बोकटा-सेवई बाजार मार्ग का निर्माण

*3—श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय राज मार्ग 28 के बोकटा नामक स्थान से पिपरौली बाजार विकास खन्ड मुख्यालय होते हुये जैतपुर बाजार से सेवई बाजार जो राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर स्थित है, को एक सड़क द्वारा जोड़ने पर विचार करेगी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जी हाँ । धन उपलब्ध होने पर ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, बोकटा-सेवई मार्ग दो राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ता है तथा अति महत्वपूर्ण है । तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुये इसके निर्माण करवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, धन उपलब्ध होने पर जरूर बनेगा ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, धन कब तक उपलब्ध हो जायेगा, क्या माननीय मन्त्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, अगले बजट की प्रतीक्षा करें ।

कप्तानगंज चीनी मिल देवरिया में कार्य करते हुये मृत श्री विश्वनाथ की लाश का पंचनामा तथा उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी आदि का भुगतान

*4--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कप्तानगंज, चीनी मिल (देवरिया) में कार्यरत एक श्रमिक (श्री विश्वनाथ) की मृत्यु मिल के अन्दर बिजली मोटर पर कार्य करते करेंट लगने से गत 6 अगस्त, 1982 को हो गयी जिसकी लाश बिना शव परीक्षण कराये पंचनामा के आधार पर जलवा दी गयी ? यदि हां, तो कैसे और क्यों ?

श्रमराज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जी हाँ, कप्तानगंज चीनी मिल (देवरिया) में कार्यरत एक श्रमिक (श्री विश्वनाथ) की मृत्यु मिल के अन्दर बिजली के मोटर पर कार्य करते समय करेन्ट लगने से दिनांक 6 अगस्त, 1982 को हुई थी ।

राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर यूनियन, शंकर मजदूर संघ तथा मृतक की पत्नी के आग्रह पर पुलिस अधिकारियों द्वारा शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया बल्कि पंचनामा के आधार पर शव को दाह संस्कार हेतु मृतक की पत्नी को सौंप दिया गया था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, श्री विश्वनाथ की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई, उन तथ्यों को छिपाया गया है। श्रीमन्, यह एक मिस्टेरियस डेथ है, उसमें उसका पोस्टमार्टम होना था, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि किसी यूनियन के कहने से, किसी व्यक्ति के कहने से, कानून के खिलाफ कैसे कार्यवाही हो सकती है ? तो किन परिस्थितियों में और क्यों उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इस मिल में दो यूनियन हैं, राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर यूनियन और शक्कर मजदूर संघ। इन दोनों यूनियनों ने पंचनामा पर हस्ताक्षर किया और कहा कि बिजली के करेंट से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और साथ ही साथ मृतक की पत्नी ने भी इस पर हस्ताक्षर किया और उसने कहा कि हमें शव दे दी जाय, जिससे कि हम दाह-संस्कार कर दें और शक्कर मिल के जो प्रबन्धक थे उन्होंने भी इस पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद शव को पुलिस ने मृतक की पत्नी को दे दिया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जिस श्रमिक की मृत्यु हुई थी, नियमानुसार उसकी ग्रेच्युटी, प्राविडेन्ट फंड वगैरह उसके आश्रित को देना चाहिये था, लेकिन ऐसा श्रीमन् कुछ नहीं किया गया था, उसे आफ दि रिकार्ड रखा गया, मिल के रिकार्ड में, इस व्यक्ति की मृत्यु का कुछ अंकित नहीं है। मान्यवर, जब मैंने शिकायत किया, तब उसको क्षतिपूर्ति की गयी। मान्यवर, इस मामले को सुनियोजित ढंग से छिपाने के सम्बन्ध में क्या माननीय मन्त्री जी इसकी पुनः जांच करवायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जो क्षतिपूर्ति थी 23,100 रुपया उसको दे दिया गया। ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई है, वह यह है कि वह दी जा चुकी है। जहाँ पर प्रावीडेंट फंड की बात है वह जो रीजनल प्रावीडेंट फंड कमिश्नर, कानपुर होते हैं, उनको लिखा गया है, आशा है कि उसका भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा। जहाँ तक अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का सवाल है, हमारा श्रम विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है और जल्द से जल्द जिस वारिस को वह कहेंगे, जल्द से जल्द वहाँ से उसको नौकरी दिलवाने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, क्षतिपूर्ति हो गयी, उसको कम्पेन्सेशन मिल गया, 6 महीने के बाद जब मैंने माननीय मन्त्री जी को पत्र लिखा है, तो 6 महीने तक उस प्रबन्धक ने कोई कार्यवाही नहीं किया। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसके सम्बन्ध में जाँच कराकर कौन सी कार्यवाही माननीय मन्त्री जी करने जा रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, अब चूँकि सब भुगतान हो चुका है और थोड़ा इसमें विलम्ब जरूर हुआ है।

इस मामले को हमारे उप श्रमायुक्त, गोरखपुर देख लेंगे लेकिन मैं माननीय सदस्य की भावना को समझते हुये अब समझता हूँ कि इस पर अधिक कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

*5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 14-2-83 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 द्वारा उत्तरित]

अलकनन्दा नदी में बाढ़ से आई० आई० टी० के असेम्बली हाल, श्रीनगर गढ़वाल का निर्माण कर रहे ठेकेदार को क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

*6—श्री रियासत हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 में अलकनन्दा नदी की बाढ़ के प्रकोप से आई० आई० टी० के असेम्बली हाल, गढ़वाल श्रीनगर के निर्माण कार्य में व्यस्त अधिकृत ठेकेदार की क्षतिपूर्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

जी नहीं।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति देय नहीं थी।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, क्या ठेकेदार ने कोई दरख्वास्त दी थी कि शैलाब से उसका इतना नुकसान हुआ है ? यदि दी थी, तो जिस तरह से और लोगों को कंपेन्सेशन शैलाब वगैरह की वजह से दिया गया है, तो इस ठेकेदार को कंपेन्सेशन न देने का क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, ठेकेदार से पूरी हमदर्दी है, बाढ़ आ गयी थी और उसका सामान बह गया था। उन्होंने 34,584 रुपये का दिया था। तो जहां तक पी० डब्लू० डी० का प्रश्न है, प्रमुख अभियंता ने स्वीकृति दे दी थी कि इनका पेमेंट कर दिया जाय। प्रमुख अभियंता की स्वीकृति के बाद यह मामला न्याय विभाग में गया तो न्याय विभाग ने लिख दिया कि इनकी कोई क्षतिपूर्ति की शर्त नहीं थी। इसके बाद यह फाइल के कैबिनेट में गयी तो कैबिनेट में जाकर टर्न डाउन कर दिया गया।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, अनुबन्ध में यह बात नहीं थी लेकिन नेचुरल कैलामिटीज में, बाढ़ वगैरह में, उसका नुकसान हुआ है। यह स्वीकार किया जा रहा है कि शैलाब आया। तो क्या इस विषय पर पुनर्विचार करेंगे कि जो नुकसान हुआ है उसकी रिकमेन्डेशन इंजीनियर इन चीफ वगैरह ने की ? तो इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे कि जो नुकसान हुआ है उसका कुछ मुआवजा दिया जाय ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, ऐसे पहले उदाहरण आये हैं जहां हमने दैवी आपदा पर दिया है। क्योंकि

यह मामला कैबिनेट से टर्न डाउन हो चुका है इसलिये अब हम लोग और कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ।

*7—श्री मित्रसेन यादव--

[16वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*8--श्री यदुनाथ सिंह--

[दिनांक 15-3-83 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 द्वारा उत्तरित]

देवरिया जिलान्तर्गत रुद्रपुर देवरिया मार्ग की विभागीय अधिकारियों तथा सतर्कता सेल द्वारा पृथक-पृथक जांच और उस पर कार्यवाही की जाने की मांग

*9—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत रुद्रपुर देवरिया मार्ग की जांच सन् 1979 में विभागीय अधिकारियों तथा सर्तकता सेल ने अलग-अलग किया था ? यदि हां, तो दोनों की रिपोर्ट क्या अलग-अलग नहीं है ? यदि हां, तो गलत जांच कर रिपोर्ट करने वाले अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुराना हिस्ट्रीशीटर रफी अहमद पुत्र श्री अब्दुल हमीद कस्बा न्योतनी, थाना हसनगंज, उन्नाव को सरकारी संरक्षण दिये जाने की शिकायत

*10—श्री राम सागर तथा श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1982 में रफी अहमद पुत्र अब्दुल हमीद, कस्बा न्योतनी, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव की सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव का पुराना हिस्ट्री-शीटर है ? यदि हां, तो ऐसे अपराधशील व्यक्ति की सुरक्षा कराने का क्या औचित्य है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सुभाष चन्द्र रत्ना, तत्कालीन पुलिस इन्सपेक्टर थाना श्यामदेउरवा के द्वारा ग्राम कतरारी के सामूहिक पिटाई के विरुद्ध शिकायती पत्र

*11--श्री केदारनाथ सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 जून, 1978 को श्री सुभाष चन्द्र रत्ना, तत्कालीन पुलिस इन्सपेक्टर थाना श्यामदेउरवा के द्वारा उक्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कतरारी के निवासियों की सामूहिक पिटाई के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 मई, 1978 को ग्रामवासियों द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्राप्त सूचना एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ग्राम कतरारी के निवासियों का कोई शिकायती पत्र दिनांक 23-6-78 का प्राप्त होना नहीं पाया जाता। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, यह घटना हमारे गांव के पास के गांव की है। मान्यवर, एक ट्रक से उस गांव का एक लड़का कुचल गया था। सड़क के किनारे उसका घर था। वह ट्रक मालिक थानेदार का परिचित था। गांव वाले जो बाजार जा रहे थे तो उन लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। ट्रक मालिक थानेदार को बुलाकर ले गया तो जिस तरह से डाका पड़ता है तो उसी तरह से रात को रत्ना दरोगा 4-6 पुलिस के सिपाहियों को लेकर गांव जाता है और सामूहिक रूप से लोगों की पिटाई की जाती है। यह सन् 78 की घटना है। आज तक वह आदमी हिल नहीं पा रहे हैं, 10-15 आदमी इस तरह से प्रभावित हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो सामूहिक पिटाई हुयी है उसके विरुद्ध क्या आप पुनः जांच करायेंगे? दूसरी बात इसकी कापी जो मुख्य मन्त्री को दिया था और जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो वह कापी और रजिस्ट्री की रसीद को आपकी सेवा में प्रेषित करूँगा तो क्या उस पर भी विचार करेंगे?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य प्रार्थना-पत्र देंगे तो उस पर विचार कर लेंगे।

थाना ईसानगर जनपद लखीमपुर के ग्राम सिरसी में सवर्णों द्वारा हरिजनों पर किये गये अत्याचार के मामले पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

*12--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 17/18 जुलाई, 1982 को जनपद लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाने के अन्तर्गत सिरसी गांव के सवर्णों द्वारा हरिजनों के लगभग एक दर्जन घरों को लूटकर जला देने तथा उनकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने से सम्बन्धित कोई ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को दिनांक 21 जुलाई, सन् 82 अथवा उसके आस-पास दिया गया था? यदि हां, तो घटना के विवरण क्या हैं और सम्बन्धित मामले में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गुलाब सेहरा--

इस मामले में ग्राम सिरसी थाना ईसानगर जिला लखीमपुर खीरी के हरिजनों का एक संयुक्त प्रार्थना पत्र पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में दिनांक 24-8-82 को प्राप्त हुआ।

दिनांक 17-7-82 को श्री काली पुत्र रघुवर पासी निवासी ग्राम सिरसी जिला लखीमपुर खीरी ने थाना ईसानगर पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि उसी दिन 12 नामजद व्यक्ति गांव के अशर्फी नामक व्यक्ति के मकान का सामान एक ट्राली में भरने लगे एवं उसके बच्चों तथा औरतों को मारने लगे। इनमें में कुछ व्यक्ति अशर्फी को पूछते हुये वादी के घर

में घुस गये एवं माचिस से आग लगा दी, जिससे वादी के घर-गृहस्थी का सामान, खटिया, गल्ला आदि सभी जल गया। इन व्यक्तियों ने वादी के परिवार वालों को भी मारा एवं औरतों की भी बेइज्जती की। उक्त सूचना के आधार पर थाना ईसानगर पर अभियोग अंतर्गत धारा 147/148/149/452/436/307/324/323 भा०दं०वि० पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से अपराध धारा 147/148/352/504/506 भा०दं०वि० का ही पाया गया। दिनांक 23-7-82 को आठ अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। शेष चार अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

(श्री काशीनाथ मिश्र के आपस में जोर से बातें करने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशी नाथ जी, आपकी आवाज यहां तक आ रही है, कृपया शान्त बैठें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि उक्त सूचना के आधार पर थाना ईसानगर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/452/436/307/324/323 भा० दं० वि० पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। आगे कहा है कि विवेचना से अपराध धारा 147/148/352/504/506 भा०दं०वि० का पाया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो 436 और 307 की दफायें निकाली गयी हैं, इस सम्बन्ध में किन-किन के बयान लिये गये और दफाओं को निकालने के लिये आधार क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन् विवेचना करने के बाद जो दफायें वाजिब मानी गयी हैं, उसके आधार पर केस न्यायालाय में विचाराधीन है। इस वक्त वह न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं तो पूछ रहा था कि किन-किन के स्टेटमेंट हुये, जिससे यह साबित हुआ कि 436 का वाकिया नहीं हुआ, यह माननीय मन्त्री जी बता नहीं रहे हैं। माननीय मन्त्री जी निश्चित तौर पर यह बतायेंगे कि 436 वगैरह का मुकदमा किस आधार पर नहीं बना ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, चार्जशीट न्यायालय को दी गयी। विवेचनाधिकारी ने विवेचना करके चार्जशीट सम्मिट कर दी है, यह पूरा वाकिया, इस आशय का न्यायालय में इस वक्त विचाराधीन है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र आई० जी० पुलिस को मुद्दई तथा और लोगों ने दिया था, और इस चीज को माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 24-8-82 को प्राप्त हुआ था। मान्यवर, यह जो प्रार्थना पत्र इन्हें मिला था, इस प्रार्थना पत्र में सम्बन्धित लोगों ने यह आरोप लगाया था कि सम्बन्धित

मामले का जो मुल्जिम है, उसके एक रिश्तेदार इनकम टैक्स के बरेली डिवीजन के कमिश्नर हैं, इस वजह से वे अधिकारियों आदि पर दबाव डाल रहे हैं कि 436 वगैरह का मुकदमा न चलाया जाय। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो सम्बन्धित प्रार्थना पत्र आई० जी० को दिया गया था, क्या उस सम्बन्धित प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच करायी गयी ? यदि जांच करायी गयी, तो यह जांच किसने की और क्या तथ्य पाये गये ? यदि यह नहीं करायी गयी, तो क्यों नहीं करायी गयी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, जब न्यायालय में सारा मामला मौजूद है, तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे ?

*13--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[दिनांक 1-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-115 द्वारा उत्तरित]

*14--श्री मंजूर अहमद--

[दिनांक 24-2-83 को सदन में चर्चा होने के कारण निरस्त]

*15--श्री ऊदल--

[दिनांक 8-2-83 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 द्वारा उत्तरित]

ग्रामीण विद्युत फीडरों पर सीलबन्द आवर मीटर लगाने की मांग

*16--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार ग्रामीण विद्युत फीडरों में नियमानुसार दी जाने वाली सप्लाई के समय का सही रिकार्ड हो सके, इन विद्युत फीडरों पर सीलबन्द आवर मीटर जिन्हें विद्युत विभाग से भिन्न किसी विभाग के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिमाह एक बार चेक किया जाय, लगाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

विद्युत गृह से निकलने वाले प्रत्येक ग्रामीण विद्युत फीडर पर किलोवाट आवर मीटर एवं एम्पियर मीटर पहले से ही लगे हुये हैं। इसमें एम्पियर मीटर की प्रति घन्टे रीडिंग सम्बन्धित विद्युत उपकेन्द्रों पर विद्युत उपगृह संचालक द्वारा लागबुक में दर्ज की जाती है। साथ ही इन फीडरों पर दी जाने वाली सप्लाई में हुये व्यवधान का विवरण भी लाग-बुक में दर्ज किया जाता है, जिससे इन फीडरों पर दी जाने वाली सप्लाई के समय को किसी भी समय चेक किया जा सकता है।

वर्तमान व्यवस्था को देखते हुये आवर मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मन्त्री जी ने खुद बताया कि इस समय विद्युत संचालक केन्द्र जो है उन पर एम्पियर मीटर लगे हैं जो लाइन में कितनी विद्युत जा रही है इसका हिसाब रखता है और यह भी कहा कि विद्युत फीडरों पर किलोवाट आवर मीटर लगे हैं जो विद्युत की खपत

का हिसाब रखता है। परन्तु ऐसे मीटर नहीं लगे हैं कि कितने घण्टे उस लाइन में बिजली गई इसका हिसाब रखे। इसके लिये लाग-बुक में दर्ज किया जाता है जो वहां पर व्यक्ति बैठा है वह दर्ज करता है। मान्यवर, विवाद का विषय आज यही है कि वह कहते हैं कि विद्युत दी जा रही है और उन लोगों का कहना है कि विद्युत नहीं मिल रही है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए इन जगहों पर आवर मीटर लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

आवर मीटर की जरूरत नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैंने मन्त्री जी से निवेदन किया कि विवाद इसी विषय का है। लागबुक सही नहीं मेन्टेन होती है। वह कहते हैं कि 10 घंटे बिजली दी जा रही है जबकि मिलती 6 घंटे भी नहीं है। इनकी संख्या भी बहुत कम है, बरेली में 42 फीडर हैं। इन मीटरों की कास्ट 2-3 सौ है, उसको लगाने के बाद यह विवाद समाप्त हो जायेगा। तो इसको लगवाने में क्या कठिनाई है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जिस चीज की आवश्यकता नहीं है विकल्प मौजूद है उसमें कठिनाई की कोई बात ही नहीं है।

*17--श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़ के मऊनाथ भंजन औद्योगिक नगर में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाने की मांग

*18--श्री खैरुल बशर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, जो आजमगढ़, केन्द्र से 48 कि०मी० दूरी पर स्थित है, तथा जिसमें अक्सर आग लगा करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मऊनगर की आवश्यकताओं को देखते हुये एक फायर ब्रिगेड स्टेशन वहां बनाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री गुलाब सेहरा—

मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है जो आजमगढ़ से लगभग 42 कि०मी० की दूरी पर स्थित है और यहां यदाकदा आग लगा करती है।

मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ में फायर स्टेशन स्थापित करने का मामला विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो फायर

नोट— तारांकित प्रश्न संख्या 18 श्री राम आसरे वर्मा की रुचि पर लिया गया।

स्टेशन कायम करने का मामला शासन के विचाराधीन है इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, इसका जिले से प्रस्ताव आया था। इसमें कुछ सूचनायें जनवरी, 1983 में माँगी गयी थीं। जैसे ही वह सूचनायें आ जायेंगी तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ जनसंख्या में सबसे बड़ा है। वहां पर कई बार आग लग जाने से लाखों रुपये की सम्पत्ति विनष्ट हो गई है। तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये माननीय मन्त्री जी सदन में इस बात का आश्वासन देंगे कि वहां पर फायर स्टेशन स्थापित किया जायेगा एक निश्चित समय में ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने कहा कि कुछ सूचनायें जनवरी, 1983 में मांगी गई हैं। उनके आते ही इस पर विचार किया जायेगा।

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि इसके लिये एक समय निश्चित कर दें कि 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने लग जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो माननीय मन्त्री जी ने दे दिया है।

ईंट भट्टों पर पथाई करने वाले मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग

*19— श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न ईंट-भट्टों पर ईंट की पथाई करने वाले श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण भट्टा मालिक और दलाल कर रहे हैं तथा इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो इनकी दयनीय दशा में सुधार के लिये शासन क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

पथेरों के शोषण की सूचना शासन के पास नहीं है। न्यूनतम मजदूरी दिलाने के उद्देश्य से दिनांक 16 मई, 1981 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके अन्तर्गत ईंट भट्ठों पर कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। शासन श्रम निरीक्षकों के माध्यम से यह सुनिश्चित कराता है कि उक्त प्रकार से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को दी जाती है।

ईंट भट्ठों के श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिये शासन द्वारा अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के अधीन नियमावली प्रख्यापित की जा रही है जिसके अन्तर्गत बाहर के श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों को लाइसेंस लेना व प्रवासी श्रमिकों को चिकित्सीय, आवासीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध किये जाने का प्राविधान है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूँगा कि अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि पथेरों के शोषण की सूचना शासन के पास नहीं है। मान्यवर, पथेरों का शोषण आज बड़े पैमाने पर हो रहा है और उनकी हैसियत बन्धुआ मजदूर से कम नहीं है। शासन को इसकी जानकारी न हो यह आश्चर्य की बात है। क्या मन्त्री जी विधायकों की एक समिति बनाने का कष्ट करेंगे जो पथेरों की स्थिति के बारे में तत्काल जानकारी करके इनको उस शोषणकर्त्ता के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास करें ?

श्री सुनील शास्त्री--

शासन को अवगत करायें कि विशेष स्थान पर ऐसा हो रहा है तो शासन उस पर उचित कार्यवाही शीघ्र करेगा और अगर माननीय सदस्य कोई विशेष स्थान की बात बताना चाहें कि जहां ईंट बनता है ऐसा किया जा रहा है तो मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूँगा कि किसी प्रकार की ढील नहीं दी जायेगी, उस पर कार्यवाही शीघ्र करेंगे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

उत्तर से कोई बात स्पष्ट नहीं है। किसी एक स्थान की बात नहीं है। सम्पूर्ण प्रदेश में यह हो रहा है दलाल उनका शोषण कर रहे हैं। भट्ठा मालिक शोषण कर रहे हैं।....और सीतापुर में तो रेप की घटना तक हुई और मन्त्री जी कह रहे हैं कि मैं किसी विशेष स्थान की सूचना दूं इसीलिये निवेदन कर रहा हूँ कि क्या वे कोई समिति बनायेंगे जो तत्काल समस्त भट्ठों के पथेरों की जांच करके शासन को रिपोर्ट दे ?

श्री सुनील शास्त्री--

जहां तक शोषण का प्रश्न है, मैं बताना चाहूँगा कि श्रम विभाग इस सम्बन्ध में, हमारे जितने भी श्रम निरीक्षक हैं, उन्हें कड़े से कड़ा निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें और जा कर देखें कि कहीं शोषण तो नहीं हो रहा है। ईंट भट्ठों के बारे में विशेष रूप से निर्देश दिये गये हैं। मैं इस दिशा में बताना चाहूँगा कि 1960 निरीक्षण हमने कुछ माह पहले करवाये और इसमें 340 में उल्लंघन मिला। इसमें यह देखा कि कितनी गिरफ्तारी, कितना प्रासीक्यूशन करना चाहिये, कितना डाइरेक्शन इशू करना चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रदेश के किसी भी कोने में भी अगर उनकी जानकारी में आये कि पथेरों के साथ शोषण हो रहा है, बतायें, शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री काशी नाथ मिश्र--

विमल प्रसाद जी जाने कहां का सवाल ले आये। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या शासन को इसकी सूचना है कि कई भट्ठों पर पथेरे 10- 10 हजार रुपया लेकर के, भट्ठा मालिकों का अगवानी, भाग गये हैं और वे नजर नहीं आ रहे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मन्त्रीं जी के उत्तर से सम्बन्धित, गोरखपुर जहां से मन्त्री जी आते हैं, मध्य प्रदेश और

उड़ीसा के मजदूर जो बंधुआ मजदूर के रूप में लाये गये हैं, जबरदस्ती भट्ठों पर काम कर रहे हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवस्था किया जा रहा है। क्या इसकी जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, अधिनियम जो हमारा है, इन्टर स्टेट माइग्रेन्ट वर्कमेन (रेगूलेशन) आर इम्प्लायमेन्ट आफ दि कण्डीशन आफ सर्विस ऐक्ट, 1979, पब्लिश कर दिया गया है, उसकी जो आपत्तियां थीं प्राप्त कर ली गयी हैं और बहुत शीघ्र ही इसके जो रेगुलेशन्स हैं, गाइडेंस हैं, रूल्स हैं, निकाल दिये जायेंगे और सब ठेकेदारों को उसके लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

अभी काशी नाथ मिश्र ने एक पक्ष रखा कि भट्टा मालिकों का रुपया लेकर भाग गये.....

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसकी आज्ञा नहीं दी है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

उसी के सन्दर्भ में मैं पूछ रहा हूँ। रुपया लेकर भाग गये लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि उनका शोषण बड़े पैमाने पर भट्टा मालिक कर रहे हैं तो मन्त्री जी कोई समिति बनाने की कृपा करेंगे जो सारे मामले की जांच कर शासन को रिपोर्ट दे ?

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय सदस्य इसको बता दें। अगर कोई विशेष ईंट भट्टा बतायेंगे तो उसकी जानकारी करा ली जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जैतली--

मान्यवर, धन्यवाद। इनके विभाग के इन्स्पेक्टर को आदेश दिये गये हैं कि इस किस्म की शिकायत अगर कहीं हो तो जानकारी करके उसके खिलाफ कार्यवाही करें। तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में थाना अकबरपुर, में मध्य प्रदेश से आ करके मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ, मध्य प्रदेश के लोगों ने रिपोर्ट लिखायी थी कि.... उनकी लड़कियों को फलां फलां ठेकेदारों ने डिटेन कर रखा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, ठेकेदार बन्द हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात की जांच करायेंगे कि विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो उस अधिकारी को दंडित करेंगे जिसके द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। उन्होंने कहा कि इन्सपेक्टर नियुक्त कर

दिये गये हैं जो इस बात की जांच करते रहते हैं कि कहीं लेबर का शोषण तो नहीं हो रहा है ? यह कब आदेश किये गये तथा कितने इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये ?

श्री सुनील शास्त्री—

समय-समय पर आदेश दिये जाते हैं। जितने इन्सपेक्टर हैं सभी को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी होती है।

श्री हीरा सिंह थापा ठेकेदार ग्राम बरलगांव पत्रालय गनाई जनपद अल्मोड़ा को दिये गये चेक का भुगतान न किया जाना

*20—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हीरा सिंह थापा ठेकेदार ग्राम बरलगांव पत्रालय गनाई जनपद अल्मोड़ा का सा०नि०वि०, अस्थायी खंड, रानीखेत के अन्तर्गत गनाई—जौरासी मोटर मार्ग में जाब नं० 27/29, गनाई—तड़ाकताल में जाब नं० 9/11/13 में ठेका था और उन जौबों के कार्य का भुगतान हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा रु० 40,000 चालीस हजार का व 17 अप्रैल को रु० 15,000 पन्द्रह हजार का चेक दिया गया ? क्या यह सच है कि 3 मई को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्टेट बैंक रानीखेत को चेकों को कैश न करने की सूचना भेजी गयी ? यदि हां, तो सरकार उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच कर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्री हीरा सिंह थापा, ठेकेदार का अस्थाई खंड, सा०नि०वि०, रानीखेत के अन्तर्गत गनाई—जौरासी मार्ग के जाब नं० 27 तथा 29 एवं चौखुटिया—तड़ागताल जो गनाई—तड़ागताल नाम से भी जानी जाती है मोटर मार्ग के जाब नं० 7 ए, 9,11 तथा 13 का ठेका था। गनाई—जौरासी मार्ग के जाब नं० 27 तथा 29 के कार्य के सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त करने हेतु ठेकेदार ने दिनांक 14 अप्रैल, 1982 को खण्ड कार्यालय के प्रांगण में आमरण अनशन किया। विषम परिस्थिति में तथा हिंसक कार्यवाही की सम्भावना के फलस्वरूप अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक चेक रु० 40,000 का अन्डर ड्यूरेश इस्यू करके ठेकेदार को देना पड़ा। इसके अतिरिक्त चौखुटिया-तड़ागताल मार्ग के जाब नं० 7ए तथा 11 के सम्बन्ध में दिनांक 17-4-82 को दो चेक क्रमशः रु० 10,216.25 एवं रु० 3,981.00 ठेकेदार को दिये गये। रु० 15,000 का कोई चेक दिनांक 17-4-82 को नहीं दिया गया।

दिनांक 21 अप्रैल, 1982 (न कि 3 मई, जैसा कि प्रश्न में है) को केवल रु० 40,000 वाला चेक का भुगतान न करने के लिये स्टेट बैंक रानीखेत को लिखा गया क्योंकि यह चेक अन्डर-ड्यूरेस इश्यू करना पड़ा था तथा यदि स्टेट बैंक इसको कैश कर देता तो ठेकेदार को काफी ओवर पेमेन्ट हो जाता। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा काफी जांच कर ली गयी है और यह पाया गया कि इस 40,000 रु. के चेक का भुगतान जो बैंक द्वारा रुकवाया गया वह अत्यन्त आवश्यक था, अन्यथा ठेकेदार को काफी ओवर पेमेन्ट हो जाता। चूंकि सम्बन्धित अधिकारी ने इस चेक का भुगतान रुकवा कर कर्तव्य निभाया अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो डेढ़ पेज का खर्रा लिखकर भेजा है उसी से पता चल जायेगा कि इनका विभाग पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह का शोषण कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

प्रश्न ही कर रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ठेकेदारों को आमरण अनशन करने की जरूरत क्यों पड़ी ? दूसरी बात माननीय मन्त्री जी यह कहते हैं कि वहां पर हिंसक कार्यवाही होने की सम्भावना थी इसलिये मजबूरन चेक दे दिया गया। ऐसी कौन सी स्थिति थी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव --

बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो प्रश्न कर रहे हैं, उन विधायक का पत्र है मेरे पास। इसमें दस्तखत हैं। लिखकर दिया है कि हिंसा को रोकने के लिये पेमेंट शीघ्र करना पड़ेगा। काफी भीड़ थी, विधायक जी वहां पहुँच गये। उनके पत्र की फोटो स्टेट कापी है मेरे पास। इसमें लिखा है कि हिंसा को रोकने के लिये पेमेंट अभी कर देना चाहिये। जान खतरे में थी। 40 हजार का पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद बैंक को पत्र लिख दिया कि पेमेंट न किया जाय।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा पत्र मंगवा लिया है। मान्यवर, एक तो यह कि मैंने जो पत्र में लिखा है वह यह है कि किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट रूप में यह जानना चाहता हूँ कि उस ठेकेदार का कितने रुपये का ठेका था और कब से वह उस भुगतान हेतु मांग कर रहा था और उसे उस भुगतान के लिये अनशन क्यों करना पड़ा ? क्या इससे पहले भी मैंने कोई पत्र उसके भुगतान हेतु लिखा है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, इस ठेकेदार का ठेका 40 हजार रुपये से कम ही रकम का था। उसका पेमेंट होता लेकिन माननीय सदस्य ने जो पत्र लिखा है उस धमकी के आधार पर उसको पेमेंट किया गया है।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

मान्यवर, एक गम्भीर प्रश्न है कि इन्जीनियर साहब दबाव में आकर फर्जी चेक दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि उक्त ठेकेदार को गनाई-जौरासी मार्ग में जाब नम्बर 27 व 29 के बारे में जो चेक दिया गया है तो उस ठेकेदार का कितने रुपये का ठेका था ? और ठेकेदार ने कितने रुपये का कार्य करा दिया था ? और उसे कितने रुपये का पेमेंट होना था ? दूसरा, इन्जीनियर ने दबाव में आकर

चेक काट दिया तो क्या इसकी सूचना उस इन्जीनियर ने जिला प्रशासन और पुलिस को दी कि उनको खतरा हो गया है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, उन्होंने एक खबर मुख्यालय पर भेजी कि मैंने इतने-इतने रुपये का चेक दबाव में आकर काट दिया है। उसके बाद उसने इसकी सूचना बैंक को भी दे दी थी कि इस चेक पर पेमेंट न किया जाय। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह ठेकेदार बड़ा होशियार निकला कि उसने स्टेट बैंक से चेक न भुना कर उसका भुगतान कोआपरैटिव बैंक से कर लिया। इस प्रकार पेमेंट तो ले ही लिया है।

[अल्पसूचित तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश सचिवलय सेवा, नियमों व सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करने की मांग तथा 58 से अधिक आयु वालों की सेवा निवृत्त करने की मांग

* *1—श्री सूबेदार सिंह—

(क) क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा या अन्य विभागों से निगमों एवं सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों को भेजे जाने के लिए कितनी अधिकतम समय अवधि निर्धारित है ? क्या तीन वर्ष से अधिक समय तक चली आ रही प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

ख) क्या निगमों एव सहकारी संस्थाओं में सरकारी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा बनाये रखा जा सकता है ? जो लोग 58 वर्ष से अधिक की आयु के निगमों एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं क्या उनकी सेवाएं सरकार समाप्त करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

(क) शासन की वर्तमान नीति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यता अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित रखने का प्राविधान है। केवल आपवादित स्थितियों में यह अवधि पांच वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है।

शासनादेश दिनांक 14-12-82 द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रतिनियुक्ति पर आधारित कार्मिक जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर रहते हुये पांच वर्ष हो चुके हैं और अवधि नहीं बढ़ाई गई है, उन्हें मूल विभाग में वापस बुला लिया जाय। पांच वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति बिना वित्त विभाग की सहमति के स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(ख) सरकारी सेवाओं के समान ही निगमों/सहकारी संस्थाओं में भी जहां अधिवर्षता की आयु 58 वर्ष निर्धारित है। अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा-विस्तार/पुनर्नियुक्ति पर पाबन्दी है।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के बाद तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(2) विशिष्ट मामलों को संज्ञान में लाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं मा० मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकारी प्रतिष्ठानों में और निगमों में कुल कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जो यहां से डेपुटेशन पर भेजे गये हैं ? और उसमें 3 साल कितनों के पूरे हो गये हैं ? और कितने ऐसे हैं जिनको आपवादिक कारणों से 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह अलग से प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि इसमें अलग से प्रश्न करें। वैसे भी इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री सूबेदार सिंह--

नहीं मान्यवर, यह प्रश्न अलग से नहीं है। मैं आपके माध्यम से मा० मन्त्री जी पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि यह मामले को छिपा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि ऐसे अनेकों लोग हैं, जिनको 5 वर्ष से भी ज्यादा हो गया है, सात-सात, आठ-आठ साल हो गये हैं, ऐसे भी मामले हैं जो 58 वर्ष पार कर गये हैं, जिनको 60 वर्ष हो गये हैं, फिर भी प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में एक मामला लाना चाहता हूँ--श्री जगपाल सिंह, अनुभाग अधिकारी, सहकारी चीनी मिल संघ, निदेशक कार्यालय में 7 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। शासन द्वारा लिखा गया, आदेश जारी किये गये, फिर भी वापस नहीं आ रहे हैं। आप स्पेसिफिक रूप से इनके विषय में बतायें ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सामूहिक तरीके से पी० डब्लू० डी० के बहुत से ओवरसीयर, इन्जीनियर, जल निगम में और सिंचाई विभाग के बहुत से कर्मचारी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग में हैं। क्या इसकी समीक्षा करा लेंगे कि 3 वर्ष से ऊपर कितने अधिकारी भेजे गये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

इन्हीं परिस्थितियों के तहत 14-12-82 को आदेश किये गये कि किसी तरह यह अवधि 5 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ायी जायगी और जो अधिकारी इससे ज्यादा रह चुके हैं उनको उनके पैरेण्ट डिपार्टमेण्ट में वापस भेजा जायगा ?

श्री मुईद अहमद--

जो सरकारी अधिकारी रिटायर हो जाते हैं 58 वर्ष में और सरकार उनको यह समझकर रिटायर करती है कि अब यह काम करने के योग्य नहीं हैं न दिमागी तौर पर और न फिजिकली, इसीलिये उनको रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद अपने

विभाग से बड़े निगम में चौगुना काम सम्भालते हैं तो क्या मा० मन्त्री जी रिटायरमेण्ट के बाद निगम में न लिये जाने का प्राविधान बनायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

पहले तो इनसे निवेदन है कि 58 साल की बात जो कही गयी है कि उसके बाद दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है, इसको न कहें नहीं तो इसी सदन में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा ।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष--

वह बात सरकारी अधिकारियों पर लागू है, आपके लिये नहीं है ।

(हँसी)

श्री अम्मार रिजवी--

मेरा इशारा आपकी तरफ है भी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं हूँ भी नहीं ।

(हँसी)

श्री अम्मार रिजवी--

जो जी० ओ० इशू हुआ, उसमें यह है कि 58 साल के बाद नहीं दिया जायगा लेकिन बहुत से ऐसे मामलों में जिसमें टैक्नीकलिटी या एक्सपीरियेन्स की बात हो, अपवाद तो हर मामले में होते हैं, तो अगर उनकी जरूरत है तो ऐसी स्थिति में 58 साल के बाद भी उनको लिया जा सकता है । लेकिन सामान्यतया यह जो पालिसी है, इसके ऊपर पूरी तरह से अमल किया जायेगा और जो माननीय सदस्य ने कहा, वही होना चाहिए ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ऐसे जो निगम हैं, उनमें ऐसे कितने सेवा निवृत्त अधिकारी हैं जो अध्यक्षों पर विराजमान हैं । नम्बर दो इस संबंधित विषय को लेकर प्रभावशाली ढंग से अब तक कितने शासनादेश जारी किये गये हैं और उनमें मुख्य-मुख्य लोगों के नाम कृपया बतावें ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा 14-12-82 को शासनादेश भेजा है कि जिनके पांच साल हो गये हैं, उन्हें उनके संबंधित विभाग से वापस कर दिया जायेगा और जो लोग इस शासनादेश का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो शासनादेश 14 दिसम्बर, 82 को जारी किया गया है, उसमें यह दिया हुआ है कि 31-3-83 तक उनको उनके पैतृक विभाग में बुला लिया जायेगा। और अभी 31-3-83 में समय बाकी है इसलिए उसके बाद ही कार्यवाही इसके ऊपर करेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

डेपुटेशन 3 साल का होता है और अधिकतम 5 साल का, लेकिन इलाहाबाद प्रतिगणना कार्यालय में एक अधिकारी है जो वहां पर 8 साल से कार्यरत हैं, वह वहां से जा नहीं रहे हैं परन्तु इस प्रकार के आपके जी० ओ० भेजने के बावजूद वहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। क्या माननीय मन्त्री जी इस शासनादेश के पालन के लिये कोई कड़ाई से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

31-3-83 के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जैतली--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि चपरासी से लेकर अधिकारी तक इन निगमों में डिपुटेशन के लोग हैं। जो अपने वेतन से 20 प्रतिशत अधिक वेतन भी पाते हैं और काम कुछ होता नहीं है, परन्तु इसी तरह दिल्ली कारपोरेशन्स में होता है, यदि कोई अधिकारी वहां जाना चाहता है और वह अपनी सर्विसेज को यदि आफर करना चाहता है तो वहां पर एक सेलेक्शन कमेटी है, जो उन अधिकारियों में से व्यक्तियों को चुनती है और तब चयनित अधिकारी स्थायी रूप से भेजे जाते हैं, ताकि वह नफे और नुकसान के जिम्मेदार बनाये जा सकें। इसी प्रकार की व्यवस्था को क्या माननीय मन्त्री जी यहाँ पर भी लागू करेंगे कि बजाए आम डेपुटेशन रखने के इस व्यवस्था के तहत रखा जायेगा ताकि वह नफे और नुकसान के जिम्मेदार रहें। वैसे अगर निगम की संधि की जाए तो निगम यानी कोई गम नहीं और गम बेगम को नहीं रहता है तो माननीय मन्त्री जी क्या इन बेगमात पर कोई कार्यवाही करेंगे, इन्हें हटाने के सिलसिले में ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता।

श्री रियासत हुसैन--

आज मान्यवर, 22-3-83 तो हो गयी है और 31-3-83 तक इन डेपुटेशन पर कार्यवाही मा० मन्त्री को करनी है कि उनको उनके पैरेन्ट डिपार्टमेंट भेज दिया जाए तो क्या माननीय मन्त्री जी ने इस संबंध में अब तक ऐसी कोई सूची बनवाई है ? यदि हाँ, तो उसमें ऐसे कितने अधिकारी हैं जो इस प्रक्रिया में आते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक उस सूची के बारे में कहना है जिन अधिकारियों के पांच साल पूरे हो चुके हैं उनके नाम सूची में हैं, वे कौन हैं, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सूबेदार सिंह--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित कि मन्त्री जी क्या इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए कि भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने निर्णय लिया है कि 60 वर्ष की आयु के बाद सामान्यतया किसी को आगे सेवा में वृद्धि न की जाय या उसे डेपुटेशन पर न भेजा जाय। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्टली इस बात का आश्वासन देंगे कि भविष्य में इन नियमों के पालन में हमारी प्रदेश की सरकार सतर्क रहेगी और आगे अधिकारियों की सेवा में वृद्धि नहीं करेगी और न उनकी सेवा को विस्तीर्ण किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सामान्यतया नहीं किया जायेगा।

सब-इन्सपेक्टर पुलिस को ट्रेनिंग के समय से ही वेतन दिये जाने की मांग

**2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल, डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट, सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को ट्रेनिंग शुरू होने के दिनांक से ही वेतन दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो सब-इन्सपेक्टर पुलिस को इस लाभ से क्यों वंचित रखा गया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

कान्सटेबिल को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की दिनांक से रु० 165/- नियत वेतन तथा हैड कान्सटेबिल, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की दिनांक से वेतन दिया जाता है।

सब-इन्सपेक्टर पुलिस को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की दिनांक से रु० 145/- प्रतिमाह स्टाइपेन्ड दिया जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कान्सटेबुल का प्रशिक्षण होता है 6 महीने का और उसका वेतन नियत किया गया है रु० 165/- और आई० पी० एस० का प्रशिक्षण दो साल का होता है, उसको भी वेतन दिया जाता है, उसका वेतन निश्चित है। इन दोनों श्रेणियों का प्रशिक्षण काल भी सेवा अवधि में जोड़ा जाता है जबकि सब-इन्सपेक्टर्स का प्रशिक्षण काल एक वर्ष का होता है और उन्हें केवल रु० 145/- प्रति माह स्टाइपेन्ड दिया जाता है जिसमें कि तमाम तरह की कटौतियां हो जाती हैं यूनीफार्म वगैरह की। तो मैं चाहूँगा मन्त्री जी से कि जब कान्सटेबुलों की और आई० पी० एस० के प्रशिक्षण काल की अवधि उनकी सेवा अवधि में जोड़ दी जाती है और उन्हें वेतन दिया जाता है। सब-इन्सपेक्टरों को वेतन न देकर स्टाईपेन्ड दिया जाता है और उनके प्रशिक्षण काल की अवधि भी नहीं जोड़ी जाती, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इसमें 165/- रु० के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता और कई तरह के अनुमन्य भत्तों का भुगतान किया जाता है। जहाँ तक सब-इन्सपेक्टर्स का प्रश्न है, उनको पहले केवल 80/ रु० दिये जाते थे लेकिन अब 2-11-77 से उन्हें रु० 80/- के स्थान पर रु० 145/- दिया जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

प्रश्न यह नहीं है कि उन्हें अब रु० 80/- के स्थान पर क्यों रु० 145/- दिया जाता है। प्रश्न तो यह है कि सब-इन्सपेक्टर्स को जो स्टाईपेन्ड के रूप में पैसा दिया जाता है, उसको पे के रूप में बदल देने में मन्त्री जी को क्या परेशानी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

ट्रेनिंग के बाद अनुभव के लिये वे थाने पर जाते हैं, इसलिये उनको स्टाईपेन्ड देने की व्यवस्था है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, इस पर विचार कर लेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पुलिस की तीन सेवायें हैं कांन्सटेबुल, सब-इन्सपेक्टर तथा आई० पी० एस० तो इन तीनों पर एक ही नियम न लागू किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने कहा ना कि उन्हें रु० 145/- के अतिरिक्त और भत्ते तथा मंहगाई भत्ता आदि भी दिये जाते हैं जो कि वेतन के बराबर ही हो जाते हैं। सब-इन्सपेक्टर्स के साथ विसंगतियां देखीं तो उनका रु० 80/- के स्थान पर अब रु० 145/- कर दिया गया है। मान्यवर, संवर्ग (4) जो है इसे समरूपता पर लाने के लिये हम विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

[अतारांकित प्रश्न]

सपही जंगल चकिया जिला वाराणसी में सागौन काटकर बेचने से सम्बन्धित शिकायत पर कार्यवाही

1- श्री ऊदल--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सपही जंगल चकिया, जिला वाराणसी में रेंजर तथा वनविदों द्वारा चार सौ सागौन काटने एवं उसे दो टुकड़ों में करके आधा बेच देने के बारे में श्री गुप्तनाथ सिंह, मन्त्री, चकिया तहसील किसान सभा की दरख्वास्त को प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ वन राज्य मन्त्री को 8-7-82 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

वन एवं पशुधन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह)--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

2--श्री ऊदल--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सपही, जंगल चकिया, जिला वाराणसी में

नोट :--प्रश्न संख्या 2 के बाद अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

400 पेड़ सागौन का आधा हिस्सा नीलाम करने के लिए रेंजर ने रखा था ? क्या वह नीलाम कर दिया गया ? यदि हां, तो कितने में और 400 पेड़ काटने का कारण क्या था ?

श्री संजय सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्राम नेमडाढ़, तहसील धोसी, जिला आजमगढ़ के उपभोक्ताओं को विद्युत सम्बन्ध दिये जाने की मांग

3—श्री राजकुमार राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नेमडाढ़, तहसील धोसी, जिला आजमगढ़ में उपभोक्ताओं ने दिनांक 11-9-72 को बुक नं० 217526 के रसीद नं० 12, 13, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 से रु० 25 प्रत्येक में विद्युत सम्बन्ध प्राप्त करने के लिए जमा किया था तथा नेमडाढ़ के प्रधान ने दिनांक 4-9-73 को उपरोक्त उपभोक्ताओं को विद्युत सम्बन्ध देने के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (श्री जी० डी० पन्त) को लिखा था तथा प्रश्नकर्त्ता ने भी अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, आजमगढ़ को दिनांक 2-10-82 के पत्र द्वारा नेमडाढ़ गांव के निवासियों जैसे भवानी, कन्ता आदि को विद्युत सम्बन्ध दिलाने के बारे में अनुरोध किया था ? यदि हां, तो अब तक विद्युत सम्बन्ध न दिए जाने का क्या कारण है, उन्हें विद्युत सम्बन्ध कब तक दिया जायेगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

4—श्री राजकुमार राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, आजमगढ़ को प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 2-10-82 जो हरिजन बस्ती नेमडाढ़ जनपद आजमगढ़ में बिजली लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें विद्युतीकरण की क्या कठिनाई है और कब तक विद्युतीकरण होने की सम्भावना है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जुगुल किशोर निवासी नेवादा मंसूरपुर, जिला सीतापुर द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जुगुल किशोर, निवासी नेवादा मंसूरपुर, जिला सीतापुर द्वारा सीतापुर थाने में कोई रिपोर्ट दिनांक 17-7-1982 को दर्ज कराई गयी जिसमें उनके लड़के छैल बिहारी की हत्या करने की शिकायत है ? यदि हां, तो अभी तक शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री जुगुल किशोर निवासी ग्राम नेवादा मंसूरपुर जिला सीतापुर द्वारा दिनांक

17-7-82 को नहीं, अपितु 18-7-79 को अपने पुत्र छैलबिहारी के लापता हो जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली सीतापुर पर लिखित रिपोर्ट दी गयी। इस पर दरयाफ्तहाल कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई। बाद में ट्रेन के डिब्बे में श्री छैलबिहारी की लाश मिलने पर एवं थाना जी० आर० पी० सीतापुर से मामले से सम्बन्धित कागजात प्राप्त होने पर थाना कोतवाली सीतापुर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 364/302/201 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया। काफी प्रयासों के उपरान्त भी अभियुक्तों का पता न चल सका। अतः विवेचना दिनांक 21-5-82 को अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई।

थाना मछरेहटा, जिला सीतापुर में श्री राम पुत्र लोकई द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मछरेहटा, जिला सीतापुर में श्री राम पुत्र लोकई द्वारा दिनांक 25-6-82 को ऐसी रिपोर्ट लिखाई गयी है जिसमें उसकी औरत को मारने तथा उसकी सुतिया निकालने की सूचना दी गयी थी? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रश्नगत रिपोर्ट के आधार पर थाना मछरेहटा जिला सीतापुर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 394 भा०दं०वि० पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से प्रथम सूचना में नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 452/323 भा०दं०वि० का अपराध बनना पाया गया एवं उनके विरुद्ध आरोप पत्र 24-7-82 को न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

स्वर्गीय श्री योगेश चन्द्र दीक्षित, आर० जी०सी०, विद्युत खण्ड, उन्नाव की विधवा की सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान

7- श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत खण्ड, उन्नाव में कार्यरत आर०जी०सी० श्री योगेश चन्द्र दीक्षित (अब स्वर्गीय) की पत्नी को सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान कर दिया गया हैं? यदि नहीं, तो हरदोई के सत्र न्यायालय श्री जी० पी० श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 15-2-1982 को उनकी पत्नी श्रीमती शशि दीक्षित को उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी कर देने के उपरांत भी जिसकी प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव को मार्च, 1982 में मिल गई है, भुगतान न करने का क्या कारण है?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। शेष भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[दिनांक 16-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 74 द्वारा उत्तरित]

9--श्री रियासत हुसैन--

[6ठें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा में छाता अजीजपुर बाई पास पर किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान

10--श्री चन्दन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में बने शेषासुरी मार्ग पर छाता अजीजपुर बाई पास पर किसानों की जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी उसको मुआविजे का भुगतान शासन द्वारा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

मथुरा जनपद में शेषापुरी मार्ग पर 2 बाई पास (अजीजपुर बाई पास तथा छाता बाई पास) बने हैं। इनमें से अजीजपुर बाई पास से सम्बन्धित ग्राम अजीजपुर तथा ग्राम दौताना की अध्याप्ति की गई 6-13 एकड़ तथा 8-80 एकड़ भूमि के मुआवजे की धनराशि रु० 68,926-55 दिनांक 28 फरवरी 1983 को 71 कृषकों को भुगतान कर दी गई है। केवल 8 कृषकों को 3154-49 रु० प्रतिकर भुगतान अवशेष हैं, जिसका वितरण शीघ्र ही सम्भावित है। छाता बाई पास से सम्बन्धित ग्राम छाता के किसानों की अध्याप्ति की गई 20-70 एकड़ भूमि के प्रतिकर का भुगतान उसका अभिनिर्णय (एवार्ड) घोषित होने के बाद हो सकेगा। अभिनिर्णय प्रतीक्षित है।

स्वर्गीय सैफ अली, कांस्टेबुल हरदोई की विधवा को पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान

11- श्री जंगबहादुर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वर्गीय सैफ अली, कांस्टेबुल थाना अतरौली, जनपद हरदोई की मृत्यु डाकुओं के मुटभेड़ में 29-11-81 को हुई थी ? मृतक की पेंशन व ग्रेच्युटी उनकी बेवा एवं बच्चों को अब तक नहीं मिली है ? क्या सरकार शीघ्र उसका भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। स्वर्गीय कान्स० श्री सैफ अली की मृत्यु डाकुओं के मुठभेड़ में दिनांक 29-11-81 को हुई थी। उसकी विधवा को निम्नलिखित धनराशि का भुगतान किया जा चुका है--

	रुपये
1-जीवन बीमा	25,000
2-पुलिस वेनिवेलेन्ड फन्ड	1,000
3-तात्कालिक सहायता	2,000
4-भविष्य निर्वाह निधि	8,642

इसके अतिरिक्त स्वर्गीय कान्सटेबुल श्री सैफ अली के आश्रितों को देय पारिवारिक पेंशन का प्रस्ताव महालेखाकार को 22-2-83 को और असाधारण पेंशन तथा उपादान का प्रस्ताव महालेखाकार को दिनांक 26-2-83 को पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजा जा चुका है। पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में महालेखाकार का भुगतानादेश अपेक्षित है। महालेखाकार से असाधारण पेंशन/उपादान का प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करके देयों के आकलन में समय लगता है।

उत्तर प्रदेश शासन के भूतपूर्व खाद्य तथा रसद सचिव श्री मनोहर सुब्रह्मणयम के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत पर कार्यवाही

12--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के अनेक विधायकों ने उत्तर प्रदेश शासन के भू०पू० खाद्य तथा रसद सचिव श्री मनोहर सुब्रह्मणयम के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के आरोपों एवं शिकायतों के पृथक-पृथक दो पत्रक क्रमशः दिनांक 31 मार्च, 1981 तथा 16 नवम्बर, 1981 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री को प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया जो प्राप्त हो गया है। इस मामले में छानबीन की जा रही है।

13—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[दिनांक 15-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 77 द्वारा उत्तरित]

14--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि० लखनऊ द्वारा स्टाक मैन पद पर नियुक्ति

15--श्री रामआसरे वर्मा—

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि०, लखनऊ द्वारा स्टाक मैन पद हेतु 15 फरवरी, 1982 को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार किया गया था ? यदि हां, तो उसके परिणाम घोषित कर नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री संजय सिंह—

जी हां।

परिणाम को अन्तिम रूप दिया गया है। वर्तमान दो रिक्तियों को भरे जाने हेतु नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं।

16—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 8-2-83 को अतारांकित प्रश्न 108 द्वारा उत्तरित]

थाना माल, लखनऊ में दर्ज मुकदमे की मांग पर कृत कार्यवाही

17—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना माल में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 20-82 धारा 332/504/506 भा० दं० संहिता में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अभियोग में विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

कौड़ीराम गोलामार्ग हेतु सड़कों के निर्माण की मांग

18—श्रीमती गौरी देवी—

प्रश्नकर्त्ता को दिनांक 7-9-82 को लिखे अपने पत्र संख्या 3586 ई-123-सा० नि० अनु०-11 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कौड़ीराम गोला मार्ग कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र संख्या 182 में 2 कि० मी० लम्बा ही स्वीकृत है जबकि इस क्षेत्र में जिला परिषद की सबसे अधिक 17 कि० मी० सड़कें हैं जिनकी हालत दयनीय है ? यदि हां, तो प्रत्येक योजना में 182 कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र की उपेक्षा व सड़कें न निर्मित कराने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

महाबीर छपरा-कुस्मौला मार्ग के शेष भाग का निर्माण

19—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि महाबीर छपरा-कुस्मौला मार्ग के सम्बन्ध में प्रान्तीय खण्ड सा० नि० वि० गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक 1348/9/यातायात दिनांक 30-4-82 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता, सा० नि० वि० को बताया कि उक्त मार्ग की लम्बाई 8 कि० मी० है तथा इस पर अनुमानित लागत 31 लाख रुपये बताई है ? यदि हां, तो अब तक उक्त मार्ग के निर्माण की स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाये गये ? क्या यह सच है कि इस मार्ग का कुछ हिस्सा बना दिया गया है ? यदि हां, तो शेष भाग कब तक निर्मित होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम गोयली थाना चान्दपुर, जनपद बिजनौर में हुए गोली काण्ड की सी० आई० डी० रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने की मांग

20—श्री थम्मन सिंह गहलौत—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोयली, थाना चान्दपुर, जनपद बिजनौर के शिया समुदाय के दो गुटों में वर्ष 1980 में चली गोली की सी० आई० डी० द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सी० आई० डी० रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। इस संबंध में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रेषित आरोप-पत्र न्यायालय के निर्णयाधीन है। न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात् यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

सीतापुर जंक्शन स्टेशन पर बोगी में प्राप्त लाश की जांच तथा कृत कार्यवाही

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19-7-82 को सीतापुर जंक्शन स्टेशन पर एक बोगी नं० 733865 में कोई लाश बन्द (ताले लगी हुई) बोगी में मिली ? यदि हां, तो वह लाश किसकी है तथा शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासन को उसकी हत्या करने वालों का पता लगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 19-7-82 को सीतापुर जंक्शन स्टेशन पर कथित बोगी में कोई लाश नहीं मिली।

प्रश्न नहीं उठता है।

मथुरा जनपद के छाता क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में सड़कों पर कंकरीट व तारकोल डलवाने की मांग

22—श्री चन्दन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में छाता क्षेत्र में पलसों ग्राम से महरौली, मुड़सेरस व जानू व बखैन से कामर लालपुर गांव तक सा० नि० विभाग के द्वारा सड़कों पर दो साल पहले मोटी कंकरीट डाल दी गयी है ? यदि हां, तो इन सभी मार्गों पर तारकोल व छोटी कंकरीट कब तक करा दी जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद बरेली की चौकी कपूलड़िया को थाना बनाए जाने की मांग

23—श्री चेतराम गंगवार—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, गृह विभाग श्री भूपेन्द्र सिंह ने दिनांक 30 अप्रैल, 1982 को प्रश्नकर्त्ता को अपने पत्र संख्या 5833 पी/आठ–6–81–300 (125)/80 के द्वारा जिला बरेली की चौकी कपूलड़िया को थाना बनाए जाने के बारे में लिखा है कि औचित्य नहीं पाया गया ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि थाना बनाए जाने के लिए क्या औचित्य होना आवश्यक है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। तत्कालीन संयुक्त सचिव गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपने पत्र दिनांक 30–4–82 के अन्तर्गत प्रश्नकर्त्ता को यह सूचित किया था कि चौकी कपूलड़िया को थाना बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

थाने की स्थापना के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किया गया है :—

ग्रामीण क्षेत्र :—70,000 से 90,000 की जनसंख्या–113 वर्गमील क्षेत्रफल
शहरी क्षेत्र 50,000 की जनसंख्या।

जिला बरेली के भदपुरा ब्लाक के ग्राम कमांलडिया से मौआ बाजार तक सड़क निर्माण की मांग

24—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बरेली के सर्किट हाउस में 29 अक्टूबर, 1981 को हुई बैठक में भदपुरा ब्लाक के मुख्यालय ग्राम कमांलडिया के परसरामपुर होकर ग्राम मौआ बाजार तक सड़क बनवाने का निर्णय लिया गया था और इसको 3 लाख 50 हजार रुपया आबंटित किया गया था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हो जावेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

मार्ग की कुल 13.00 किलो मीटर लम्बाई में से केवल 1.00 किलो मीटर लम्बाई के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3.00 लाख रुपये होगी। धन उपलब्ध होने तथा मार्ग की स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

तहसील नवाबगंज जिला बरेली के रिवाल्वर व पिस्टल के लाइसेन्सधारी अपराधियों के लाइसेन्स को निरस्त करने की मांग

25—श्री चेतराम गंगवार—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में कुल

कितने रिवाल्वर, पिस्टल के लाइसेन्सी हैं तथा इनमें से किस-किस के खिलाफ चोरी, डकैती और कत्ल के मुकदमे चल चुके हैं ? क्या इस प्रकार के लोगों के लाइसेन्स निरस्त करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में रिवाल्वर के 30 तथा पिस्टल के 23 अनुज्ञापी हैं। उपरोक्त में से केवल एक अनुज्ञापी के विरुद्ध वर्ष 1974 में धारा 395 भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचना के जुर्म साबित न होने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी। इसी आधार पर उक्त अनुज्ञापी की लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी।

ग्राम बरौली जनपद मथुरा में बन रहे विद्युत केन्द्र की अनुमानित लागत

26—श्री सरदार सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ग्राम बरौली में कोई विद्युत केन्द्र निर्मित हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक बनकर तैयार हो जायगा और उसकी कुल लागत क्या होगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। उक्त विद्युत उपकेन्द्र को मार्च, 1983 के अन्त तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है तथा इस विद्युत उपकेन्द्र की अनुमानित लागत रु० 14.17 लाख है।

जनपद फैजाबाद के टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित कृषकों द्वारा अनशन तथा उनकी मांगें

27--श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित किसान परिवारों द्वारा 14 मांगों को लेकर परियोजना के मुख्य गेट पर दिनांक 7 अक्तूबर, 1982 से क्रमिक अनशन चल रहा रहा है ? यदि हां, तो प्रभावित अनशनकारियों की मांगों का विवरण क्या है ? क्या 14 मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो क्या स्वीकार मांगों पर शासन द्वारा कोई आदेश जारी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

क्रमिक अनशन दिनांक 29-9-1982 से दिनांक 28-12-1982 तक चल रहा था। यह दिनांक 28-12-1982 को समाप्त हो गया है। अनशनकारियों की जो मांगें थीं उनका विवरण संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ.....5.0.2.....पर।)

टाण्डा तापीय परियोजना, फैजाबाद हेतु अधिगृहीत भूमि से प्रभावित कृषकों को अर्जित कराये गये पम्पिग सेट तथा उनकी निर्धारित प्रति सेट धनराशि

28—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद के निर्माण से प्रभावित किसानों के कितने पम्पिग सेट (इंजन) अर्जित किए गये तथा क्या उक्त पम्पिग सेटों को परियोजना से अपने कब्जे में ले रखा है ? क्या उक्त इंजनों का प्रयोग परियोजना निर्माण में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अर्जित किए गये सेटों की खरीददारी किस अधिकारी की संस्तुति पर किया गया तथा किस तिथि व प्रति सेट की धनराशि क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । टांडा तापीय परियोजना के लिये अधिग्रहीत भूमि से प्रभावित किसानों के आठ पम्पिग सेट (इंजन) अर्जित किये गये हैं तथा उनको अपने अधिकार में रखकर उनका प्रयोग उक्त परियोजना में किया जा रहा है ।

उक्त पम्पिग सेटों का अधिग्रहण भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद के माध्यम से किया गया है तथा उक्त सेटों के अधिग्रहण की तिथि तथा प्रतिसेट की निर्धारित धनराशि निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	तिथि	प्रतिकर की धनराशि (रु० में)
1.	31-5-1979	5868-45
2.	22-8-1979	3861-70
3.	12-12-1979	2779-55
4.	8-2-1980	6429-51
5.	8-2-1980	4484-95
6.	8-2-1980	4822-14
7.	18-6-1980	5750-00
8.	18-7-1980	7733-75

श्री जगन्नाथ पाण्डे, पूर्व सब-इंस्पेक्टर थाना इब्राहिम फैजाबाद के विरुद्ध घूस लेने की शिकायत की जांच

29—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन्नाथ पाण्डे, पूर्व सब-इंस्पेक्टर थाना इब्राहिम परगना टांडा जनपद फैजाबाद के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश ग्राम नरायनपुर थाना इब्राहिमपुर से 300 रु० घूस लेने की शिकायत पर 1981-82 में सी०आई०डी० जांच हेतु आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो सी० आई० डी० जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? जांच का पूर्ण विवरण क्या है ? और उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित मामले की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की गई है। उनकी जांच से थाना इब्राहिमपुर के उप निरीक्षक श्री जगन्नाथ पाण्डे, कान्सटेबिल जगदम्बा सिंह तथा का० जयराम वर्मा के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 161/342/304/506 भा० दं० वि० तथा 5 (2) पी० सी० एक्ट का किया जाना पाया गया है। अतः उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध थाना इब्राहिमपुर में एक अपराध संख्या 161/83 उक्त धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है।

ग्राम भूसौली (फैजाबाद) निवासी श्री लालबहादुर की मृत्यु के मामले की जांच

30—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में थाना मालीपुर के अन्तर्गत ग्राम भूसौली निवासी श्री लाल बहादुर हत्या काण्ड को लेकर लोकदल अकबरपुर द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 1982 को तहसील अकबरपुर पर प्रदर्शन किया गया ? यदि हां, तो प्रदर्शन के पश्चात् लोकदल की तरफ से कोई ज्ञापन परगना अधिकारी, अकबरपुर को दिया गया ? यदि हां, तो ज्ञापन के आधार पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रदर्शनोपरान्त ज्ञापन दिया गया। श्री लाल बहादुर वर्मा निवासी ग्राम भूसौली थाना मालीपुर की मृत्यु के मामले की जांच परगना मजिस्ट्रेट थाना अकबरपुर द्वारा की जा रही है।

श्री बिजई पुत्र श्री राम नाथ ग्राम गदनपुर थाना जहांगीरगंज, फैजाबाद द्वारा मुख्य मन्त्री को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

31—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में श्री बिजई पुत्र श्री राम नाथ ग्राम गदनपुर, थाना जहांगीरगंज, परगना टाण्डा, फैजाबाद द्वारा मुख्य मन्त्री को सम्बोधित कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 19—8—82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर मुख्य मन्त्री द्वारा दिनांक 19—8—82 को सी०आई०डी० जांच हेतु आदेश दिया गया ? यदि हां, तो जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो दोषी पाये गये कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, कथित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। मामले में अपराध अनुसंधान विभाग से नहीं वरन् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० से जांच कराने के आदेश हुये थे। तद्नुसार जांच कराई गई। जांच से किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है।

राजकीय आवास लालबाग काम्पलेक्स लखनऊ के सम्बन्ध में शिकायत पर कृत कार्यवाही

32—श्री अकबर हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आवास लालबाग काम्पलेक्स, लखनऊ

के फ्लैट संख्या 503 के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 23-8-82 एवं 20-9-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

मामले की जांच की गई। लालबाग काम्पलेक्स का आवास संख्या ए-503 श्री विसर्जन राम मुख्य लेखाधिकारी, खाद्य विभाग को आबंटित है। जांच के अनुसार उनके साथ उनके भतीजे, श्री हृदय नारायण राम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं जिन्हें वे अपने संयुक्त परिवार का सदस्य बताते हैं और कोई किराया नहीं लेते हैं।

उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ के आरोप में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या के मुकदमे

33--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 1980 और 1982 के बीच फर्जी मुठभेड़ के नाम पर लोगों को जान से मारने के आरोप में कितने पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या के मुकदमे शासन की ओर से दाखिल किये गये ? उन सब-इन्सपेक्टरों के नाम क्या हैं और वह घटनायें कहां-कहां की हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मथुरा जनपद में यमुना नदी पर वृन्दावन व शेरगढ़ में पुल निर्माण की मांग

34--श्री सरदार सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में वृन्दावन व शेरगढ़ में यमुना नदी पर पुल बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब से शुरू करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

धनाभाव के कारण।

35--श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी--

[दिनांक 21-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-123 द्वारा उत्तरित]

36--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[दिनांक 11-3--83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 57 द्वारा उत्तरित]

श्री राम स्वरूप निम, ई० एस० आई० हाइडिल विजिलेंस, मैनपुरी के विरुद्ध शिकायत एवं जांच

37—श्री राजपाल सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि श्री राम स्वरूप निम, ई०एस०आई० हाइडिल विजिलेंस, मैनपुरी के विरुद्ध स्टाफ द्वारा प्रेषित कितने प्रार्थना-पत्र उनकी नियुक्ति तिथि से अब तक एस० पी०/डिप्टी एस०पी० एवं डी०आई०जी० उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ को प्राप्त हुये और उनमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री राम स्वरूप निम, ई० एस० आई० हाइडिल विजलेंस, मैनपुरी के विरुद्ध उनकी नियुक्ति से अब तक इस सेल में दो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे जिसकी जांच पुलिस उपाधीक्षक, राज्य विद्युत परिषद्, आगरा द्वारा की गयी। जांचोपरान्त श्री निम को चेतावनी देने की संस्तुति की गयी तथा उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 580 धारा 392 भारतीय दण्ड विधान थाना हाथरस में पंजीकृत किया जा चुका है।

श्री नरेश चन्द्र तिवारी, एकाउन्टेंट, विद्युत परीक्षण खण्ड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, मैनपुरी के स्थानान्तरण की मांग

38—श्री राजपाल सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री नरेशचन्द्र तिवारी, एकाउन्टेंट, विद्युत परीक्षण खण्ड, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद्, मैनपुरी विगत पांच वर्षों से अधिक समय से उसी स्थान पर कार्यरत हैं ? अब तक श्री तिवारी का स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार श्री तिवारी का स्थानान्तरण तुरन्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। सामान्यतया राज्य विद्युत परिषद् में सहायक लेखाकारों का स्थानान्तरण, उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर एवं स्वयं उनकी प्रार्थना पर ही किया जाता है। चूंकि यह दोनों बातें श्री नरेशचन्द्र तिवारी पर लागू नहीं होती हैं, अतः श्री तिवारी अभी स्थानांतरण के पात्र नहीं हैं।

श्री सन्तोष पुत्र श्री राधेमोहन तिवारी, हरिहरपुर, फर्रुखाबाद की तार से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में मुआवजे की मांग

39—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-1-82 को श्री सन्तोष पुत्र श्री राधेमोहन, तिवारी ग्राम हरिहरपुर, थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद की मृत्यु विद्युत परिषद् के टूटे तार से चिपक जाने के कारण हुई थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, मृतक के आश्रितों को रु० एक हजार की अन्तरिम अनुग्रह धनराशि का

भुगतान किया जा चुका है तथा शेष रु० 4000–00 (चार हजार) के भुगतान के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

नगर क्षेत्र एवं नगरपालिकाओं को जनगणना के आधार पर विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश

40—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या यह सही है कि उ०प्र० के नगर क्षेत्र एवं नगरपालिकाओं को बिजली देने का आधार वर्ष 1971 की जनगणना है ? यदि हां, तो सरकार कब तक वर्ष 81 की जनगणना को आधार मान कर विद्युत सप्लाई करने सम्बन्धी नये निर्देश पारित कर देगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माह सितम्बर, 1982 से 1981 की जनगणना के आधार मानकर विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी आदेश पारित कर दिये गये हैं, जिसके अनुसार 25,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 24 घन्टे बिजली देने की व्यवस्था है। 15000 से 25000 की जनसंख्या वाले नगरों में शाम के 5 बजे से दूसरे दिन प्रात: 5 बजे तक दो फेज बिजली बत्ती एवं पंखा के लिये इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिये निर्धारित घंटों में 3 फेज बिजली सभी कार्यों के लिये दी जाती है।

इसके साथ यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि 1971 की जनगणना के अनुसार जिन नगरों को इस प्रकार की सुविधा मिलती थी वह भी मिलती रहे।

41—श्रीमती गौरी देवी—

[दिनांक 14-3–83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 96 द्वारा उत्तरित]

थाना वृन्दावन, जनपद मथुरा की पुलिस की दविश में एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा तथा कृत कार्यवाही

42—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 नवम्बर, 1982 को रात थाना वृन्दावन जिला मथुरा के हेड कांस्टेबुल तथा पांच सिपाहियों ने एक घर में अनाधिकृत रूप में छापा मारा था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया ? अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उसका विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री कन्हैया लाल गौतम पुत्र श्री हर प्रसाद गौतम निवासी गौतम पाड़ा, बृन्दावन ने दिनांक 19–11–82 को थाना कोतवाली, बृन्दावन, जिला मथुरा पर इस आशय की लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट दी कि उनके कार ड्राइवर ने उन्हें 18/19–11–1982 के लगभग 12 बजे यह सूचना दी कि उनका लड़का जगदीश गौतम, श्री चतुर्भुज सिंह के मकान पर, उनके भतीजों से मिलने गया था जहां पर कुछ लोग ताश खेल रहे थे। उसी समय पुलिस ने उस मकान पर दविश दी और 4 लोगों को पकड़ ले गई तथा उनका लड़का जगदीश गौतम, बनखांडी के

तिराहे पर मृत पड़ा है। इस सूचना पर थाना बृन्दावन पर धारा 302 भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रारम्भिक विवेचना के उपरांत धारा 302 भा० दं० वि० का अभियोग, धारा 304/384/147/161 भा० दं० वि० एवं धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अभियोग में परिवर्तित किया गया। विवेचना से एक हेड कान्सटेबुल तथा 5 कान्सटेबुलों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध पाये जाने पर उनके विरुद्ध दिनांक 14-2-83 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

थाना धीना, जिला वाराणसी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

43.—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना धीना, जिला वाराणसी का थानाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिसके ऊपर विजिलेंस द्वारा जांच चल रही थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

थाना, धीना जिला वाराणसी पर जो थानाध्यक्ष तैनात हैं उनके विरुद्ध विजिलेन्स द्वारा कोई जांच नहीं की गई। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के थानों में डकैती की योजना के दर्ज मुकदमों के सम्बन्ध में जानकारी

44.—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के प्रत्येक थानों में कितने मुकदमे डकैती डालने की योजना के सन् 81 व अक्तूबर, 1982 तक रजिस्टर्ड किए गये हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न के स्वरूप, विषय तथा प्रश्नगत ब्योरे के विस्तार और इसे तैयार करने में लगने वाले समय, श्रम तथा व्यय को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न का उत्तर दिया जाना जनहित में नहीं है।

श्री बच्चू लाल, निवासी ग्राम गदनपुर थाना जहांगीर गंज, फैजाबाद द्वारा कायम कराये गये मामले की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी तथा श्री राम आधार का बन्दूक लाइसेन्स की जांच

45.—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के श्री बच्चू लाल पुत्र श्री महादेव ग्राम गदनपुर, थाना जहांगीरगंज द्वारा दिनांक 7-4-81 को थाना जहांगीरगंज में भा० दं० वि० की धारा 306, 147/148 के तहत मुकदमा कायम कराया गया ? क्या

उक्त मामले की जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? जाँच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बच्चू लाल ने थाना जहांगीरगंज में धारा 147/148/307 भा० दं० वि० का अपराध दिनांक 7-4-81 को नहीं वरन 6-5-81 को पंजीकृत कराया है मामले में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

46—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त मामले के अभियुक्त श्री राम अधार पुत्र श्री राम दुलारे ग्राम गदनपुर थाना जहाँगीरगंज फैजाबाद के बन्दूक लायसेन्स को निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार (एस०डी०एम०) द्वारा जिलाधिकारी को लिखा गया ? यदि हां, तो उनके द्वारा जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या उक्त व्यक्ति का लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित श्री राम आधार के बन्दूक लाइसेन्स को निरस्त किये जाने के बारे में जिलाधिकारी को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। अतएव कथित रिपोर्ट पर जाँच और उसके आधार पर लाइसेन्स निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जनपद में रुधौली बांसी मार्ग पर असनहरापुल का निर्माण

47—श्रीमती कमला साहनी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में रुधौली बांसी मार्ग के बीच असनहरापुल जो माह जनवरी और फरवरी, 82 के प्रथम सप्ताह में ही तोड़ दिया गया था और जो 31 मार्च, 82 तक बनना था उस समय से नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसे देर से बनाए जाने हेतु कौन उत्तरदायी है ? क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

निर्माण कार्य के लिये प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण पुल का निर्माण समय से नहीं किया जा सका जिसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौहर शाहअली काश्मीरी वाया खासपुर जहांगीरगंज जन सम्पर्क मार्ग, टांडा, फैजाबाद पर हुए व्यय व निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

48—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गौहर शाहअली काश्मीरी वाया खासपुर, जहांगीरगंज जन सम्पर्क मार्ग, टाण्डा, फैजाबाद का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 14-10-82 को

उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त जन सम्पर्क मार्ग. पर कितना धन व्यय किया गया तथा निर्माण की स्थिति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

यह कार्य जिला सेक्टर योजना का है। जिला सेक्टर योजना में विचार कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी को लिखा गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के स्थानांतरण के सम्बन्ध में विधायकों के पत्र तथा उनका स्थानान्तरण

49--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के विरुद्ध जनपद के किन-किन राजनैतिक दलों ने तथा उनके पदाधिकारियों ने पारित प्रस्तावों एवं पत्रों के माध्यम से उनके स्थानान्तरण सम्बन्धी पत्र शासन को प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो उक्त के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

वर्ष 1982 में कांग्रेस (आई) के तीन विधायकों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-9-82 प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य अधिकारियों के साथ-साथ फैजाबाद जिले के तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण की मांग की गयी थी। प्रश्नकर्ता का भी एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, बार एसोसियेशन, उद्योग व्यापार मण्डल फैजाबाद ने प्रस्ताव पास कर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण की मांग की है।

तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक स्थानान्तरित हो चुके हैं।

श्री अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा थानाध्यक्षों के स्थानान्तरण में बरती गयी कथित अनियमितता

50--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक, उन्नाव ने 28 जुलाई, 82 से 25-11-82 तक कितनी बार थानाधिकारियों के तबादले किए ? क्या यह सत्य है कि गंगाघाट जैसे महत्वपूर्ण थाने की नियुक्ति में भारी अनियमितता बरती गयी है ? यदि हां, तो श्री अजय सिंह पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत अवधि में पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा जनपद में थानाध्यक्षों के स्थानान्तरण के पांच आदेश जारी किये गये। इनमें से गंगाघाट थाना के थानाध्यक्षों के स्थानान्तरण केवल दो बार किये गये। थाना गंगाघाट पर नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। अतः श्री अजय सिंह के विरुद्ध किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परिषद् जिला वाराणसी को तार तथा मोटर ट्रॉंसफार्मर आदि सामान की आपूर्ति

51—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् जिला वाराणसी में तार तथा मोटर ट्रांसफार्मर एवं अन्य सामानों के न होने से करीब एक हजार कनेक्शन बी०एल०एड० फार्म जमा करने तथा एग्रीमेंट होने के बाद भी नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार हर प्रकार के सामान काफी मात्रा में वाराणसी विद्युत परिषद् को तुरन्त देगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला वाराणसी में किसी भी स्टोर सामग्री का अभाव नहीं है तथा निरन्तर प्रक्रिया के अन्तर्गत क्रमवार कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

सीतापुर में ब्लाक हरगांव मुद्रासन से महादेव अटरा जाने वाली सड़क पर पुल टूटने से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता तथा पुल का पुनर्निर्माण

52—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद सीतापुर ब्लाक हरगांव मुद्रासन से महादेव अटरा जाने वाली सड़क पर (जो कच्ची है) सन् 1980 की बारिस में बना हुआ पुल टूट गया ? यदि हां, तो क्या उस पुल के बनाने की योजना सरकार ने बनाई ? यदि हां, तो पुल कब तक बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

53— श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पुल टूटने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई (कितने व्यक्ति और कितने जानवर मरे) और उनके परिवार और संरक्षक को क्या मुआवजा भी दिया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सीतापुर में लहरपुर क्षेत्र में तालगांव-मानपुर-जीतामऊ मार्ग की स्वीकृति तथा निर्माण

54—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में लोकदल की सरकार के समय में क्षेत्र लहरपुर में तालगांव-मानपुर-जीतामऊ सड़क पास हुई थी ? यदि हां, तो उस पर कितने कि०मी० पर मिट्टी पई गई है, कितने कि०मी० खड़ंजा बिछ गया है,

कितने पुल और पुलिया बने हैं और क्या वह सड़क सन् 1978 से 1982 तक बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली, ठेलिया चल पाने के लायक हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

तालगांव मानपुर-जोतामऊ मार्ग पूरी लम्बाई में स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता । धन के अभाव में स्वीकृत नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर के चुनार राजगढ़ मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

55—श्री राम चरण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में चुनार राजगढ़ मार्ग की कुल कितनी लम्बाई है ? कितना मार्ग पूर्ण हो चुका है और कितना मार्ग अधूरा है ? अधूरे मार्ग को कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? अब तक पूर्ण न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद मिर्जापुर में चुनार राजगढ़ मार्ग की कुल लम्बाई 30.5 कि०मी० है जिसमें से 28.5 कि०मी० निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति है ।

स्वीकृत योजनाओं के अनुसार मार्ग में से 16.00 किलोमीटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 12.5 कि०मी० अधूरा है ।

मार्ग को पूरा करना धन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । अप्राप्त धन एवं संसाधनों के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका ।

41वां वृत्त आगरा अस्थाई खण्ड सा०नि०वि० मथुरा के सहायक अभियंता श्री सुभाष शर्मा के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच

56—श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर०सी० मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता 41वां वृत्त आगरा, अस्थाई खण्ड सा०नि० विभाग मथुरा के सहायक अभियंता श्री सुभाष शर्मा के विरुद्ध श्री गौरी सिंह निवासी ग्राम डेरा जिला मथुरा द्वारा की गई शिकायतों की जांच कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त जांच की प्रगति क्या है और जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जांच प्रगति में है । जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्त्ता से जांच के लिए आवश्यक सूचना एवं अभिलेख प्राप्त कर लिये गये हैं । शिकायत से सम्बन्धित अभिलेख व सम्बन्धित कुछ कर्मचारियों के बयान आंशिक रूप से लिये जा चुके हैं । जांच शीघ्र पूरी किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

*57—श्री सरदार सिंह –

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर के पकड़ी रेंज के भूतपूर्व रेंजर श्री रामनारायण के विरुद्ध शिकायतों की जांच के दौरान शिकायतकर्त्ताओं को उपस्थित रहने का अवसर, तथा जांच की एक तिथि में जांच अधिकारी की अनुपस्थिति

58—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के पकड़ी रेंज के भूतपूर्व रेंजर (श्री राम नारायण सिंह) के विरुद्ध वन मार्गों पर कम मिट्टी या अधूरा काम कराकर भुगतान लेने, फर्जी बोरिंग कराकर धन कमाने, वन वृक्षों को कटवाकर बेचवाने आदि गलत कार्यों की जांच फरेंदा के एस० डी० ओ० द्वारा माह मार्च, 82 से माह जुलाई, 82 में भिन्न-भिन्न दिनांकों में की गई ? यदि हां, तो जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह—

यह जांच 30 सितम्बर, 1981 से 25 अप्रैल, 1982 के मध्य की गयी। केवल वृक्षों के गलत कटान विषयक शिकायत की पुष्टि हुई। रेंजर सहित अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

मिट्टी के कार्य, फर्जी बोरिंग विषयक तथा अन्य शिकायतें जांच के फलस्वरूप सही नहीं पाई गयी।

59—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच में शिकायतकर्त्ताओं में से किन-किन लोगों को सूचित करके जांच की गई तथा किन-किन लोगों को नहीं बुलाया गया और क्यों ?

श्री संजय सिंह—

शिकायतकर्त्ताओं सर्वश्री चन्द्रिका मिश्र, फेरई तथा जमुना यादव को जांच के समय उपस्थित होने का अवसर दिया गया था। वे तीनों दिनांक 27 मार्च, 1982 को उपस्थित हुए थे और मजदूरों के बयान उनके सामने ही लिये गये थे।

60—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले में नियुक्त जांच अधिकारी एस० डी० ओ० फरेंदा, गोरखपुर ने उक्त अवधि के बीच कई जांच की तिथि दिया परन्तु स्वयं न जाकर साक्ष्य देने वालों का समय नष्ट किया एवं जांच अधूरी रक्खी ? यदि हां, तो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री संजय सिंह—

जांच के लिये कुल 6 तिथियाँ निर्धारित की गयी थीं। तीन तिथियों में शिकायतकर्त्ता

उपस्थित नहीं हुए। एक तिथि को एस० डी० ओ० नहीं जा सके। अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम समुझ शुक्ला, सी० पी० नं० 99 तथा श्री बीरबल सिंह, सी० पी० नं० 113 को लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अन्तर्गत सेवा में बहाल करने तथा भत्ते आदि के भुगतान के सम्बन्ध में श्री राम आसरे वर्मा, विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

61--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-11-82 को श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा का एक पत्र गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को श्री राम समुझ शुक्ला, सी० पी० नं० 99 तथा श्री बीरबल सिंह, सी० पी० नं०-113 को लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अन्तर्गत सेवा में बहाल (री-इस्टेट) करने तथा बकाया, भत्ते आदि के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त को सेवा में बहाल कर दिया गया है तथा भत्ते आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा का प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 12-11-82 का कोई पत्र गृह सचिव को नहीं मिला। किन्तु उक्त प्रसंग के सन्दर्भ में उनका एक पत्र दिनांक 4 नवम्बर, 1982 गृह सचिव को दिनांक 12-11-82 को प्राप्त हुआ था।

प्रश्नगत व्यक्तियों के सम्बन्ध में लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के समक्ष शासन की ओर से अपील दायर की गयी है, जो विचाराधीन है। अतएव लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही पर विचार उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही किया जा सकेगा।

गृह मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता द्वारा भेजी गयी शिकायत पर की गयी कार्यवाही

62--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 5-10-1981 का पत्र जिसकी प्राप्ति गृह मन्त्री के पत्रांक एम 79 दिनांक 17 अक्टूबर, 1982 कार्यालय विधान भवन लखनऊ द्वारा स्वीकार करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु गृह सचिव को भेजे जाने की सूचना दी गयी थी कि शिकायत पर अब तक कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत उपभोक्ताओं सम्बन्धी राजाज्ञा का उल्लंघन मुरादाबाद के विद्युत अधिकारी द्वारा अनुबन्ध निरस्त किये जाने के कारण

63--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजाज्ञा सं० 349/ई० एल० सी०/सी०

ई० बी०/16/1980 दिनांक 25 नवम्बर, 1980 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने लघु मध्यम तथा निजी नलकूप उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान की थी कि यदि वह अनुबन्धित विद्युत भार से अधिक भार उपयोग कर रहे हैं और यदि वह अपने अधिक भार की घोषणा स्वेच्छा से दिनांक 30-11-82 तक कर दें तो बिना किसी दण्ड के उन्हें पूरे भार की स्वीकृति दे दी जायेगी ? यदि हां, तो मुरादाबाद नगर के जिन उपभोक्ताओं ने नियमानुसार घोषणा करके तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त करके अनुबन्ध एवं लाईन आर्डर प्राप्त कर लिये थे अगले अधिकारी द्वारा उन्हें निरस्त करने के क्या कारण थे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

परिषदाज्ञा संख्या-341/ई० एल० सी०/ एस० ई० बी०-XVI/1980 दिनांक 25 नवम्बर, 1980 के द्वारा राज्य विद्युत परिषद् ने लघु, मध्यम तथा निजी नलकूप उपभोक्ताओं को अनुबन्धित विद्युत भार से अधिक उपभोग कर रहे भार को स्वेच्छा से घोषित करने पर बिना दंड पूरे भार की स्वीकृति की सुविधा दिनांक 31-1-81 तक ही प्रदान की थी ।

उपरोक्त परिषदाज्ञा के अन्तर्गत मुरादाबाद नगर के 43 उपभोक्ताओं ने घोषित अतिरिक्त भार की स्वीकृति प्राप्त करके अनुबन्ध कर लाईन आर्डर प्राप्त किया था, इनमें से किसी भी उपभोक्ता का अनुबन्ध या लाईन आर्डर अगले अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ।

मथुरा जनपद के सा०नि० विभाग के सहायक व अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

64—श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में सा०नि० विभाग में कितने ऐसे सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता हैं जो पिछले 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष से इसी जिले में काम करते आ रहे हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इन कर्मचारियों के इस अवधि में कितने-कितने बार और कब-कब स्थानान्तरण हुये और रोके गये अथवा स्थानान्तरण होने के बाद पुनः इसी जनपद में इनका स्थानान्तरण किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

मथुरा जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई भी सहायक अभियन्ता प्रश्नकर्ता के प्रश्न के माह तक, पिछले 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक उसी जिले मे कार्यरत नहीं है ।

अवर अभियन्ताओं में 30-6-1982 के पश्चात् 5 वर्ष से अधिक कार्यरत 2 अवर अभियन्ता हैं । 5 वर्ष से 8 वर्ष की अवधि के 10 अवर अभियन्ता हैं । मथुरा जिलों में पुनः तैनाती के पूर्व ये अवर अभियन्ता अन्य जनपदों में कार्यरत रहे । उन अवर अभियन्ताओं में से एक का स्थानान्तरण मई, 1982 में किया गया था तथा अगस्त, 1982 में निरस्त किया गया ।

मुख्य मन्त्री को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजी गयी शिकायत पर की गयी कार्यवाही

*65—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का 27 मई, 82 का पत्र जिसकी प्राप्ति मुख्य मन्त्री के पत्रांक एम०/596/सी०एम०-2/82 विधान भवन लखनऊ द्वारा यथो-

चित कार्यवाही किये जाने की सूचना के साथ की गयी थी, कि शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

66--श्री हरगोविन्द वर्मा--

[10वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर के मानपुर-जीतमऊ रोड पर बने पुल के टूटने की शिकायत तथा उसमें कार्यरत ओवरसियर और इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत एवं जांच

67--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में मानपुर, जीतमऊ रोड पर एक कि०मी० पर कोई पुल बनाया गया है ? यदि हां, तो वह पुल सन् 1978 और 82 के बीच कितने बार बना और कितने बार टूटा और उस पर कुल खर्चा कितना आया ? पुल पानी की बाढ़ को क्यों नहीं रोक पाता है ? क्या यह सही है कि सीतापुर में पी० डब्लू०डी० के जो ओवरसियर और इंजीनियर लगाये गये हैं उनको यह जानकारी नहीं है कि पुल किस तरह से बनाया जाय और कैसे मजबूत बनेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के ऊपर जवाब-तलब करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

जनपद सीतापुर में मानपुर-जीतामऊ रोड पर कोई पुल (20 फिट से आधी स्पैन) का नहीं बनाया गया । पुल के टूटने तथा सम्बन्धित अधिकारियों से जवाब-तलब करने का प्रश्न नहीं उठता ।

68--श्री शंकर सिंह--

[दिनांक 16-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 75 द्वारा उत्तरित]

ग्राम अल्लीपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद निवासी श्री मोती पुत्र श्री जोखू के बैल की मृत्यु बिजली के तार से हुई जिसकी जांच व सहायता तथा कृत कार्यवाही

69--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेरबहादुर सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अल्लीपुर, कोडरा तहसील अकबरपुर,

जिला फैजाबाद में बिजली के तार से उक्त ग्राम के निवासी श्री मोती पुत्र जोखू का एक बैल जलकर मर जाने के कारण उसकी जांच तथा सहायता के लिये प्रार्थना पत्र माह जून से सितम्बर, 1982 की अवधि में दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री द्वारा सहायता देने व जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रश्नकर्त्ता को सम्बोधित पत्रों के परिपालन में कृत कार्यवाही तथा छिबरामऊ राघोपुर लाइन का जीर्णोद्धार करने की मांग

70—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन विद्युत् (1) अनुभाग द्वारा प्रश्नकर्त्ता को सम्बोधित अर्धशासकीय पत्र संख्या 1551 पी/79–23–पी-1–94 (ए० क्यू० पी०) 78 दिनांक 24 मार्च, 1979 तथा विद्युत् (3) अनुभाग के पत्र संख्या 4231/पी–3/79-23–दिनांक 16 जुलाई, 1979 जो विद्युत् मन्त्री द्वारा हस्ताक्षरित है, के परिपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि छिबरामऊ राघोपुर लाइन से सम्बन्धित अनेकों उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन सम्बन्धी वांछित धनराशि जमा कर रखी गयी है ? यदि हां, तो लाइन के जीर्णोद्धार अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

71—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त संदर्भित पत्रों में छिबरामऊ–राघोपुर लाइन को 31 मार्च, 1979 तक विद्युतीकरण किये जाने के निर्णय से प्रश्नकर्त्ता को अवगत कराया गया था ? यदि हां, तो यह निर्णय लागू न किये जाने के क्या कारण रहे और इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शासन द्वारा घोषित सहभागीदारी की नीति को सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में पालन कराने की मांग

72—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा घोषित सहभागीदारी की नीति के परिपालन में अब तक कितने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सहभागिता योजना राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की 39 उत्पादन इकाइयों पर लागू है जिसमें कुल 244 शाप काउन्सिलों तथा 56 संयुक्त प्रबन्ध परिषदों का गठन होना है। 216 शाप काउन्सिलों तथा 27 संयुक्त प्रबन्ध परिषदों का चुनाव हो गया है तथा शेष के चुनाव के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

73--श्री विजय सिंह--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

जनपद मिर्जापुर में रेनूकूट (दुद्धी) वन प्रभाग में प्लान्टेशन में रेंजर द्वारा की गयी धांधली के विरुद्ध शिकायत एवं कार्यवाही

74--श्री विजय सिंह--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में रेनूकूट (दुद्धी) वन प्रभाग के विन्ढमगंज रेन्ज के घूमा और सुखड़ा प्लांटेशन में कब और किस प्रजाति के पौधे लगाये गये थे ? क्या यह सही है कि उक्त प्लांटेशन में मौके पर एक भी पौधे नहीं हैं ? उसके स्थान पर प्लांटेशन की भूमि पर स्थानीय काश्तकार खेती करते हैं ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब और किस वन रेन्जर के कार्यकाल में हुआ ? उस वन रेन्जर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर के बभनी रेन्ज में वन कर्मचारियों द्वारा साखू कटवाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

75--श्री विजयसिंह--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में रेनूकूट वन प्रभाग के बभनी रेन्ज में लगभग 200 ट्रक इमारती साखू की लकड़ी 1981 में स्थानीय ठेकेदारों से वन कर्मचारियों ने मिलकर कटवाया था जिसे 16 मार्च, 1982 को तत्कालीन वन उप मन्त्री श्री सुरेन्द्रसिंह ने मौके पर जाकर जांच भी किये थे ? यदि हां, तो उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

एक किरायेदार को निकाल कर कब्जा किए जाने सम्बन्धी थाना नाका हिंडोला लखनऊ में लिखाई गयी रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

76--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 29 नवम्बर, 1982 को मकान नम्बर 136/131 दुर्विजयगंज सराय, लखनऊ में रह रहे किरायेदार की गैरमौजूदगी में उसकी पत्नी को कुछ लोगों द्वारा डरा-धमका कर सारा सामान मकान के बाहर फेंक कर तथा उसकी पत्नी

से संदिग्धपूर्ण कागज पर अंगूठा लेकर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 29 नवम्बर, 1982 को थाना नाका हिंडोला पर दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है तथा शासन ने इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में श्री रूप नरायन पाठक जो मकान नं० 136/131 दुर्विजयगंज सराय में सपरिवार किरायेदार के रूप में रहते थे, द्वारा दिनांक 29–11–82 को थाना नाका हिंडोला, लखनऊ पर लिखायी गई रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/448/384 भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक अभियोग श्री शम्भू दयाल (मकान मालिक) व चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया । विवेचना से वादी द्वारा रिपोर्ट में अंकित कराए गये तथ्य प्रमाणित नहीं हुए । अत: अभियोग की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई । विवेचना से ज्ञात हुआ कि वादी श्री पाठक एवं श्री शम्भू दयाल (मकान मालिक) के मध्य एक वाद न्यायालय में चल रहा था जिसमें श्री पाठक हार गए । अत: न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के अमीन द्वारा उक्त मकान खाली कराया गया था । मकान खाली कराने के उपरान्त मकान मालिक श्री शम्भू दयाल के कब्जे में दिया गया और तामीला रिपोर्ट पर वादी (श्री पाठक) की पत्नी का निशानी अंगूठा लगवा लिया गया ।

श्री निगम बाबू पुत्र श्री छेदो लाल की झांसी पुलिस द्वारा की गई हत्या की जांच एवं अभियुक्तों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

77—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 1 अक्टूबर, 1982, जो श्री निगम बाबू पुत्र श्री छेदीलाल, झांसी की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में हैं, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री निगम बाबू की मृत्यु के मामले में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांकित 1–9–82 (न कि दिनांकित 1–10–82) शासन को प्राप्त हुआ ।

इस मामले में थानाध्यक्ष प्रेमनगर द्वारा श्री निगम बाबू की मृत्यु के दिनांक अर्थात् 25–7–82 को ही थाना प्रेमनगर जनपद झांसी पर पाँच पुलिस अपराधियों के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 304 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया गया । विवेचना के उपरान्त उक्त पाँचों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र 30–11–82 को न्यायालय प्रेषित किया गया है । अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद सीतापुर में कसरैया–परसेन्डी-तालगांव-मानपुर सड़क को डामर कराये जाने की मांग

78—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में 1978–

79 में कसरैया से परसेन्डी, परसेन्डी से ताल गांव और तालगांव से मानपुर सड़क पास हुई थी, उस पर कितना डामर हो गया है, कितना खड़ंजा है और कितनी कच्ची है, जिस पर खड़न्जा लगा हुआ है, उनको कितने समय में डामर कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

कसरैया से परसेन्डी मार्ग 3.5 कि० मी० लम्बाई में डामर स्तर तक स्वीकृत है जिस पर कार्य पूरा किया जा चुका है। परसेन्डी-तालगाँव मार्ग 4 कि० मी० लम्बाई में खड़न्जा स्तर तक स्वीकृत है जिस पर कार्य पूरा किया जा चुका है। तालगांव-मानपुर मार्ग केवल 4.5 कि० मी० की लम्बाई में खड़न्जा स्तर तक स्वीकृत है जिसमें से 3 कि० मी० लम्बाई में खड़न्जा स्तर तक कार्य पूरा हो गया है तथा शेष मार्ग कच्चा है।

परसेन्डी–तालगांव एवं तालगांव–मानपुर मार्गों को डामर स्तर तक बनाने का कार्य धन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

लखनऊ से सीतापुर हाईवे रोड की मरम्मत में हुए व्यय एवं नव-निर्मित सड़क के टूट जाने की जाँच की मांग

79- –श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से महोली जनपद सीतापुर हाईवे रोड कितने कि० मी० है और सन् 1980 की बाढ़ में कितनी सड़क टूट गई थी उस पर लखनऊ अधिशासी अभियन्ता और सीतापुर अधिशासी अभियन्ता सीतापुर हाईवे कितनी-कितनी सड़क बनाये थे और उस पर क्या खर्चा प्रति कि० मी० आया था और क्या कारण है कि डेढ़ ही वर्ष के अन्दर 80–81 की बनी सड़क 81–82 में उखड़ गई ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

लखनऊ से महोली, जनपद सीतापुर तक रा० मा० 24 की लम्बाई 111 कि० मी० है। वर्ष 1981 की बाढ़ में कि० मी० 450.00 से 453.50 तक 3.5 कि० मी० तथा कि0 मी0 377 से 446.00 तक विभिन्न छोटी-छोटी लम्बाइयों में सड़क टूट गई थी। अधिशासी अभियन्ता लखनऊ ने कि० मी० 450.00 से 453.50 तक की सड़क बनवाई थी और उस पर 15.63 लाख रु० प्रति कि० मी० व्यय हुआ था। अधिशासी अभियंता सीतापुर ने कि० मी० 377 से 446 तक कुल 69 कि० मी० की लम्बाई में जगह-जगह पाट होल्स, पंच तथा दबकों की मरम्मत करायी थी जिसपर लगभग 15,290.00 रु० प्रति कि० मी० की दर से कुल 10.54 लाख रु० व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त कि० मी० 446 का पुनर्निर्माण सीतापुर खण्ड द्वारा किया गया जिस पर 5.433 लाख रु० व्यय हुआ। वर्ष 80–81 में बनी सड़क वर्ष 81–82 में नहीं उखड़ी अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) द्वारा एम्बेसेडर खरीदने व इलाहाबाद में एयर कन्डीशन मकान बनाने में लगे धन की जांच की मांग

80—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के अतिरिक्त जिलाधिकारी

(आपूर्ति) ने अवैध रूप से एक एम्बेसडर कार जिसका नं० यू० टी० ए० 7530 है अपने सम्बन्धी के नाम खरीदा है तथा इलाहाबाद जनपद में एक एयर कन्डीशन युक्त भवन निर्माण कराया है जिसकी लागत इस समय करीब 8 लाख रु० है ? यदि हां, तो यह रुपये कहां से और किस माध्यम से इन्होंने प्राप्त किया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र –

प्रश्नगत दोनों प्रकरण अभी जांचान्तर्गत हैं ।

मैनपुरी के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण

81--श्री लल्लूसिंह चौहान—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 तथा 81-82 में प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मैनपुरी के अधिशासी अभियन्ता से दस्यु प्रभावित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सड़कों के एस्टीमेट्स मँगाये थे ? यदि हां, तो वे सड़कें कौन-कौन सी थीं और उनकी लम्बाई कितनी-कितनी थी ? इन महत्वपूर्ण सड़कों को बनाये जाने की दिशा में शासन व विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी जिलान्तर्गत बाराबंकी तहसील फतेहपुर मार्ग से ग्राम मझगवां शरीफ को जोड़ने वाली सड़क को पक्का कराने की मांग

82—श्री जमुना प्रसाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी–जिलान्तर्गत बाराबंकी–तहसील फतेहपुर मार्ग से ग्राम मझगवां शरीफ को जोड़ने वाली सड़क को (कुतलूपुर से मझगवां शरीफ) पक्का कराये जाने की कोई योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को कब तक पक्का करा दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बहराइच के नानपारा के क्षेत्राधिकारी डी-वाई०एस०पी० श्री बिपिन बिहारी चौबे के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर जांच

83--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता 8 जून, 1982 अथवा उसके आस-पास पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश के समक्ष जनपद बहराइच के नानपारा पुलिस क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्राधिकारी डी-वाई०एस०पी० श्री बिपिन बिहारी चौबे के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये आरोप पत्र पर संस्थापित भ्रष्टाचार निवारण विभाग (एण्टीकरप्सन) द्वारा जांच पूर्ण करके जांच आख्या प्रस्तुत कर दी गयी ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्न में उल्लिखित माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 8 जून, 1982 पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० को प्राप्त हुआ।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच आख्या उन्हें अभी प्राप्त नहीं हुई है।

84—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर के महाराजगंज से चौक तक सड़क निर्माण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

85—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के बीच से होकर जाने वाली सड़क महाराजगंज से चौक तक के निर्माण के विषय में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6-11-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सड़क का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या इसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा कराते हुए आगे निचलौल तक लेकर पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विभिन्न संस्थानों के पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन का निर्धारण

86--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ऐसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जहां पुस्तकालयाध्यक्ष पद सृजित है, के पुस्तकालय, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में स्थित पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय सेवा योजना सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों में स्थित पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग द्वारा वर्गीकृत पुस्तकालयों की कोटि चार की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं ? यदि हां, तो क्या उनमें नियुक्त ऐसे पुस्तकालयाध्यक्ष जो कोटि चार के पुस्तकालय के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं, को 515-860 एवं अन्य जो स्नातक उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र भारित करते हैं, को 470-735 वेतनमान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आयोजित सीनियर आफिसर्स कोर्स के प्रशिक्षण हेतु नामित करने के बाद आदेश रद्द किये जाने का कारण

87—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि पुलिस अधीक्षक, उन्नाव (श्री अजय सिंह) को शासन

ने हैदराबाद में विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करने का निर्णय अक्टूबर, नवम्बर 82 में लिया था ? यदि हां, तो वह कौन से विशेष कारण थे जिससे शासन को अपना निर्णय रद्द करना पड़ा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

पुलिस अधीक्षक, उन्नाव (श्री अजय सिंह) को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में दिनांक 22-11-82 से 26-2-83 तक आयोजित 'सीनियर आफिसर्स कोर्स' के प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया था परन्तु उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को देखते हुए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया।

जनपद मुरादाबाद में अमरोहा कांठ राजकीय मार्ग के निर्माण के लिए ग्राम उमरीकलां के कतिपय निवासियों की कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहीत किये जाने पर उन्हें प्रतिकर भुगतान

88--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद से अमरोहा-कांठ राजकीय मार्ग के निर्माण में ग्राम उमरीकलां के श्री मुख्तार हुसैन पुत्र श्री मकबूल हुसैन की खसरा संख्या 371 डहरा, श्रीमती अमीना खातून पत्नी श्री मुख्तार हुसैन की खसरा संख्या 370 डहरा, श्री मुश्ताक हुसैन पुत्र श्री इम्तियाज हुसैन की खसरा संख्या 378 उमरीकलां एवं ग्राम मोहम्मदपुर भगवानदास के लगभग 50 व्यक्तियों की कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहीत किया गया था जिसका प्रतिकर (मुआवजा) अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो प्रतिकर न देने का क्या कारण है और कब तक दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद मुरादाबाद में अमरोहा कांठ राजकीय मार्ग के निर्माण के लिये ग्राम उमरीकला के निवासीगणों श्री मुख्तार हुसैन के खसरा सं० 371 की 0.10 एकड़ तथा श्रीमती अमीना खातून के खसरा सं० 370 की 0.04 एकड़ भूमि का विभाग द्वारा अर्जन किया गया था जिसके प्रतिकर का भुगतान विज्ञप्तियों के गजट में प्रकाशन होने के बाद किया जावेगा तथा श्री मुस्ताक हुसैन के खसरा सं० 378 से विभाग ने भूमि का अर्जन नहीं किया है। ग्राम उमरीकलां के कुल 59 कृषकों में से 30 कृषकों तथा ग्राम मोहम्मदपुर भगवानदास के कुल 75 कृषकों में से 43 कृषकों को उनकी ली गई भूमि के प्रतिकर की धनराशि का 2/3 भाग क्रमशः रु० 66,015.48 तथा रु० 85,471.72 का भुगतान दिनांक 22 फरवरी 1983 को कर दिया है तथा ग्राम उमरीकलां के शेष 29 कृषकों तथा ग्राम मोहम्मदपुर भगवानदास के शेष 32 कृषकों की उनकी ली गई भूमि के प्रतिकर का 2/3 भाग क्रमशः रु० 36,971.44 तथा रु० 19,351.58 का भुगतान मार्च 1983 के अन्तिम सप्ताह तक कर दिय जाना सम्भावित है। जहां तक शेष बचे प्रतिकर के 1/3 भाग का प्रश्न है उसका भुगतान भी शीघ्र ही एवार्ड की स्वीकृति के उपरान्त कर दिया जावेगा।

सार्वजनिक निर्माण अन्वेषणालय के अधीन लखनऊ के स्थायी गैंग में 11 व्यक्तियों को सेवा में नियमित किया जाना

89--श्री सन्त बख्श रावत तथा श्री राम स्वरूप निम--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सा०नि०वि०, अन्वेषणालय के

अधीन लखनऊ के स्थायी गैंग में 11 व्यक्ति करीब 10–15 वर्ष से कार्यरत होने के बावजूद नियमित सेवा में नहीं लाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें नियमित करने हेतु आदेश प्रसारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

शासन से अब तक केवल उन्हीं कार्य प्रभारित व्यक्तियों को नियमित किये जाने हेतु पदों का सृजन किया है, जो 1–3–1977 तक 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक कार्य प्रभारित रूप में कार्य कर चुके थे । प्रश्नगत अन्वेषणालय के अधीन तथा कथित स्थाई गैंग में कुल 4 बेलदार ऐसे हैं जिनको कार्य करते हुये 1–3–77 को 3 वर्ष या इससे अधिक समय पूरा हुआ और उन्हें नियमित किये जाये हेतु पदों का आबंटन कर दिया गया है ।

उप निदेशक पशुपालन, वाराणसी श्री अशोक कुमार सिंह को गृह जनपद से स्थानान्तरित करने की मांग

90--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक पशुपालन वाराणसी (श्री अशोक कुमार सिंह) के ग्राम हथिवार, तहसील वाराणसी के निवासी होते हुये क्या उन्हें गृह जनपद में नियमानुसार रखा जा सकता है ? यदि नहीं तो उन्हें तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री संजय सिंह--

शासन की सामान्य नीति के अनुसार समूह "क" के अधिकारी को उसके गृह जनपद को छोड़कर समस्त जनपदों में स्थानान्तरित किया जा सकता है । अप्रैल, 1983 तक स्थानान्तरणों पर सामान्य रूप से प्रतिबन्ध है ।

जनपद बहराइच में 4 मासों में 4 पुलिस निरीक्षकों को नियुक्त करने का कारण

91—श्री जटाशंकर सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद बहराइच में केवल तीन कोतवालियां क्रमशः बहराइच, नगर बहराइच देहात एवं नानपारा है और तदनुरूप केवल 3 ही नागरिक पुलिस अधीक्षकों के पद सृजित हैं ? यदि हां, तो लगभग 4 मासों में 4 पुलिस निरीक्षकों की नियुक्ति करने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । जनपद बहराइच में नियुक्त निरीक्षक श्री पी० सी० अग्निहोत्री के जनपद गोन्डा में स्थानान्तरित किये गये आदेशों के कार्यान्वयन न किये जाने के कारण लगभग 4 मास से अधिक अवधि तक एक पुलिस निरीक्षक स्वीकृत नियतन से अधिक इस जनपद में नियुक्त रहा है ।

सम्प्रति बहराइच में केवल 3 निरीक्षक नागरिक पुलिस नियुक्त हैं ।

थाना मोहम्मदी जिला खीरी के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी तथा
थानाध्यक्ष के विरुद्ध विवेचना रिपोर्ट पर कार्यवाही

92—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मोहम्मदी जिला खीरी में दिनांक 10-7-80 को श्री कामेश्वर दयाल रस्तोगी द्वारा थाना मोहम्मदी के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी तथा थानाध्यक्ष आदि के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 147, 325, 330, 342, 504 तथा 506 के अधीन लिखाई गई प्रथम सूचना की विवेचना किसने की तथा विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में कब प्रस्तुत की थी तथा रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कोतवाली जिला लखीमपुर खीरी द्वारा प्रारम्भ की गई। इस प्रकरण के सम्बन्ध में मेजिस्टीरियल जाँच भी प्रचलित है। मजिस्टीरियल जांच के निष्कर्ष के अभाव में पंजीकृत अभियोग की विवेचना स्थगित है। मजिस्टीरियल जांच पूर्ण होने पर अभियोग की विवेचना पूर्ण की जायेगी।

श्री बी० एस० चन्द्रशेखर, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेकनिक, गोण्डा
को स्थायी एवं दक्षता रोक पार कराने की मांग

93—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें बी० एल० चन्द्रशेखर, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेकनिक, गोण्डा का कोई प्रार्थना पत्र सचिव, प्राविधिक शिक्षा के माध्यम से 25 अक्टूबर, 1982 से अब तक इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उन्हें स्थायी घोषित नहीं किया गया तथा दक्षता रोक पार नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

श्री बी० एस० चन्द्रशेखर, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेकनिक, गोण्डा (न कि बी० एल० चन्द्रशेखर) को उनकी चरित्र पंजिका में दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण फिलहाल उन्हें न तो स्थायी घोषित किया जा सकता है न ही उन्हें दक्षता रोक पार कराया जा सकता है।

94—श्री मित्रसेन—

[दिनांक 2-3-83 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

95—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[दिनांक 16-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 76 द्वारा उत्तरित]

गढ़वाल संसदीय उपचुनाव के दौरान हेलीकाप्टरों का प्रयोग और
उन पर किराया सम्बन्धी व्यय

96—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल संसदीय उपचुनाव के दौरान 3

मई, 1982 से लेकर 22 मई, 82 तक इस चुनाव क्षेत्र में प्रदेश सरकार के कितने हेलीकाप्टरों का कितनी बार इस्तेमाल किया गया ? इन हेलीकाप्टरों का प्रयोग किसने किया तथा इनके किराये की कितनी राशि भुगतान की गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र— -

गढ़वाल संसदीय उपचुनाव के दौरान 3 मई, 1982 से लेकर 22 मई, 1982 तक इस चुनाव क्षेत्र में प्रदेश सरकार के दो हेलीकाप्टर, विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान हेतु, सात बार आवागमन में इस्तेमाल किये गये। इन हेलीकाप्टरों का प्रयोग मुख्य मन्त्री जी द्वारा चुनाव कार्य से तथा राज्य मंत्री संसदीय कार्य तथा राज्य मन्त्री गृह द्वारा सरकारी कार्य से किया गया। चुनाव कार्य से प्रयोग किये गये हेलीकाप्टरों के किराये की धनराशि रु० 2,72,666.67 की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद रामपुर में जाटवों द्वारा भूख हड़ताल

97— श्री मोहम्मद आजम खां—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर में जाटवों द्वारा अम्बेदकर पार्क में लगभग 10 रोज तक की जाने वाली भूख हड़ताल जिसकी समाप्ति 1 दिसम्बर, 1982 को हुई का क्या कारण था तथा यह भूख हड़ताल किन शर्तों पर समाप्त हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

थाना गंज जनपद रामपुर में पंजीकृत अ० सं० 389 अन्तर्गत धारा 147/322/342 भा०दं०वि० में अन्तर्ग्रस्त अभियुक्तगण ने पेशबंदी में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अ० सं० 389-ए अन्तर्गत धारा 147/352/323 भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत कराया। संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही को बल देने हेतु जाटवों द्वारा स्थानीय अम्बेडकर पार्क में दिनांक 25-11-82 को 4 बजे से क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया गया जिसमें प्रति-दिन दो व्यक्ति 24 घंटे के लिये क्रमिक अनशन पर बैठे।

दिनांक 2-12-82 को आन्दोलनकारियों के एक शिष्ट मंडल को पुलिस अधीक्षक द्वारा निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिये जाने पर क्रमिक अनशन उसी दिन लगभग 2 बजे बिना शर्त समाप्त कर दिया गया।

ग्राम दरियापुर, मोतिगरपुर, तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

98 श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दरियापुर ब्लाक व परगना तहसील टाण्डा जनपद फैजाबाद की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 4 अक्टूबर, 1982 का पत्र संलग्नक सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त बस्ती के विद्युतीकरण हेतु सर्वे एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण कराकर विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो अब तक उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण रहा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

ग्राम दरियापुर को हरिजन बस्ती का सर्वे किया गया परन्तु विद्युतीकरण नहीं किया गया है क्योंकि परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत एक हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय के विपरीत ग्राम दरियापुर की हरिजन बस्ती पर आने वाला खर्च अधिक होने की स्थिति में उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अभी संभव नहीं है।

99—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मोतिगरपुर, ब्लाक बसखारी, परगना व तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 4 अक्टूबर, 82 का पत्र संलग्नक सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब तक विद्युतीकरण न कराने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। ग्राम मोतिगरपुर की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण राज्य विद्युत परिषद के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत अभी संभव नहीं है।

100—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[दिनांक 18-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 103 द्वारा उत्तरित]

ग्राम डुहिया, फैजाबाद की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

101—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डुहिया, ब्लाक व परगना व तहसील टाण्डा फैजाबाद में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र संलग्नक सहित दिनांक 4-10-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब तक विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण रहा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। ग्राम डुहिया की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण दिनांक 14 जून, 1982 को किया जा चुका है।

श्री आई० सिंह अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम लि०, कर्मना प्रोजेक्ट टाण्डा, जनपद फैजाबाद का स्थानान्तरण एवं जांच

102—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आई० सिंह, अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम लि०, कर्मना प्रोजेक्ट, टांडा जनपद फैजाबाद को स्थाना-

न्तरित करके जांच कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 9–9–82 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

उक्त पत्र में श्री सिंह को स्थानान्तरित कर उचित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस बीच श्री सिंह का स्थानान्तरण टांडा से नैनी (इलाहाबाद) हो चुका था और उन्होंने 8–10–82 को नैनी (इलाहाबाद) में कार्य-भार ग्रहण कर लिया है। उक्त पत्र में उठाये गए विन्दुओं पर निगम के अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही हेतु जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस० ओ० थाना बेबाना द्वारा श्री राममूर्ति वर्मा, फैजाबाद को फर्जी मामले में फंसाने की धमकी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

103—श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राममूर्ति वर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ वर्मा, ग्राम इटरौरा, थाना बेबाना, जनपद फैजाबाद को एस० ओ० बेबाना द्वारा मारने-पीटने व फर्जी मुकदमे में फंसाये जाने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 1–9–82 का पत्र संलग्नक सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि ह,ां तो क्या उक्त मामले की जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच के दौरान शिकायतकर्त्ता से भी लिखित बयान लिया गया है ? जांच रिपोर्ट क्या है, उक्त रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान क्षेत्राधिकारी ने शिकायतकर्त्ता श्री राममूर्ति वर्मा से कई बार सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया तथा उसको बयान देने के लिये बुलाया गया। किन्तु न तो वह उपलब्ध हुये न ही बयान देने आये। जांच से प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप सत्यापित नहीं हुये और यह पाया गया कि शिकायत कर्त्ता अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और थाना बेबाना में पंजीकृत एक अपराध में वांछित है। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र पेश बन्दी में बढ़ा-चढ़ाकर दिया जाना पाया गया।

सीतापुर में बिजली आपूर्ति की दुर्व्यवस्था की जांच की मांग

104—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित सीतापुर में बिजली आपूर्ति की दुर्व्यवस्था के बारे में कोई ज्ञापन उन्हें 19–9–82 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

झांसी नगर में विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सम्मिलित आवास कालोनी में गन्दे पानी की निकासी हेतु नालियां बनाने की मांग

105--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि झांसी नगर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विद्युत विभाग की आवास बस्ती में सड़क एवं गंदे पानी के निकलने वाली नालियां अभी तक नहीं बनाई गयी है जिस कारण उक्त बस्ती में गन्दगी का साम्राज्य बना है ? यदि हां, तो शासन कब तक उक्त बस्ती में सड़कों तथा गन्दे पानी निकालने वाली नालियों का निर्माण करायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

झांसी नगर में विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सम्मिलित आवास कालोनी पहाड़ियों पर स्थित है जिसमें गन्दे पानी के निकलने के लिये प्राकृतिक 'ड्रेनेज' हैं एवं प्रत्येक आवास के लिये नालियां भी बनी हुई हैं। जहां तक सड़कों का प्रश्न है, कालोनी के अन्दर मुख्य सड़कें डामर की बनी हुई हैं। अतएव इस कालोनी में गन्दे पानी निकलने वाली नालियों एवं सड़कों के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

परगनाधिकारी सीतापुर श्री एल० बी० पाण्डेय के विरुद्ध शिकायत की जांच

106--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टी० एन० सक्सेना और एम० के० सक्सेना ने सीतापुर में 15-5-82 को श्री सुरेन्द्र मोहन, कमिश्नर लखनऊ को कोई प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें परगनाधिकारी सीतापुर एल० बी० पाण्डेय के बारे में शिकायत लिखी है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। प्रश्नगत शिकायती पत्र में परगनाधिकारी श्री एल० बी० पाण्डेय पर भ्रष्टाचार तथा न्यायालय के कार्य में रुचि न लेने के आरोप लगाये थे। जांच में आरोप निराधार पाया गया।

ग्राम खल्लारपुर, जिला बरेली में हरिजनों की कथित अधिग्रहीत भूमि

107--श्री रेवतीरमण सिंह तथा श्री राम कृष्ण माहेश्वरी--

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खल्लारपुर तहसीलपुर फरीदपुर, जिला बरेली में हरिजनों को जिस जमीन पर वे सैकड़ों साल से आबाद थे वन विभाग ने ले लिया और उनको उसके एवज में आज तक कोई जमीन नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी नहीं। रुहेलखण्ड वन प्रभाग बरेली के अन्तर्गत वन ब्लाक खल्लारपुर तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में वन विभाग द्वारा हरिजनों की कोई भूमि नहीं ली गई है।

गोरखपुर में वृद्धाओं को पेंशन देने की मांग

108—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अधिकारी, गोरखपुर ने जुलाई, 80 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की वृद्धाओं को पेंशन देने हेतु आवेदन पत्र भरवाये थे ? यदि हां, तो उन वृद्धाओं को पेंशन अब तक क्यों नहीं प्रदान की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

109—श्री हरी किशन श्रीवास्तव, श्री रेवतीरमण सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार यादव—

[9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चमेली जिलान्तर्गत अलकनन्दा नदी के ध्वस्त मोटर पुल बेला कुची एवं लंगसी के अवशेष को नदी से निकालने एवं उन पर स्वामित्व की जानकारी

110—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 1970–71 की बाढ़ से अलकनन्दा नदी पर बेला कुची एवं लंगसी के मोटर पुल ध्वस्त हुये थे ? यदि हां, तो नदी में डूबे इन पुलों का लोहा निकालने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा इन पुलों पर इस समय किसका स्वामित्व है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० में रिक्शा चालकों को जीवन बीमा दिलाने विषयक प्रस्ताव

111—श्री राम लाल वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में रिक्शा चालकों को जीवन बीमा का लाभ दिलाने विषयक प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है और कब तक इसको लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

भारतीय वाहनकर्मी एसोसियेशन, उ०प्र० की मांगों पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

112—श्री राम लाल वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय वाहनकर्मी एसोसियेशन, उ० प्र० द्वारा 24 अगस्त, 1981 तथा 1–1–1982 को प्रेषित पन्द्रह सूत्रीय ज्ञापन की प्रमुख मांगों पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

विद्युत परिषद् द्वारा 33 के० बी० की लाइन से कनेक्शन देने पर रोक

113--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् ने एक आदेश निकाल कर 33 के० बी० की लाइन से कनेक्शन देने पर रोक लगा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि अकेले वाराणसी जिले में इस तरह के एक सौ कनेक्शन पंपिंग सेट के नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

114--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र जिला कारागार फैजाबाद के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र जिला कारागार, फैजाबाद से प्रेषित माह नवम्बर, 1982 में मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र के किन-किन विन्दुओं पर जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है ? उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

पत्र में लगाये गये सभी आरोपों की जांच जारी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

115--श्री कन्हैयालाल--

[दिनांक 16-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 34 द्वारा उत्तरित]

मथुरा जनपद के ग्राम फरह गह्यालतीफपुर, जतीपुरा सड़कों का जिला परिषद् से सा०नि०वि० को हस्तान्तरण

116--श्री कन्हैयालाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले का फरह गह्यालतीफपुर बरारी बेरी एवं गांठोली जतीपुरा सड़कों को जो जिला परिषद् मथुरा की सड़कें हैं, जिला परिषद् मथुरा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन सड़कों को अभी तक क्यों नहीं लिया ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

धन-अभाव के कारण।

मथुरा की जतीपुरा गोवर्धन मार्ग एवं अड़ोगसोश सड़कों को पूर्ण कराने की मांग

117—श्री कन्हैयालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मथुरा जिलान्तर्गत जतीपुरा-गोवर्धन परिक्रमा मार्ग एवं अड़ोगसोश सड़कों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ? अभी तक इनके पूर्ण न होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जतीपुरा से गोवर्धन मार्ग की लम्बाई कुल 3 कि० मी० है जिसमें 2 कि० मी० लम्बाई में खड़ंजा लगाने का कार्य फरवरी 1979 में स्वीकृत हुआ था तथा मार्च, 1980 तक पूर्ण कर दिया गया । और कोई कार्य स्वीकृत नहीं है ।

ग्राम घौखरिया, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी के निवासियों द्वारा पुलिस के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र

118—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम घौखरिया थाना रामनगर, जिला, बाराबंकी के निवासियों को स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा आतंकित करने, दुर्व्यवहार करने तथा निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाने के सम्बन्ध में उक्त ग्रामवासियों की कोई सामूहिक शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु माह नवम्बर, 1982 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णयोपरान्त दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री बृजबिहारी बाल्मीकी, मथुरा द्वारा अनुदान न मिलने के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा उस पर कृत कार्यवाही

119—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री बृजबिहारी बाल्मीकी, संयुक्त मन्त्री अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ शाखा मथुरा ने दिनांक 30-10-82 को जिलाधिकारी मथुरा को सुअर-मुर्गी पालन हेतु अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो पत्र की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं ? शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री संजय सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम भगवन्त नगर बरदाही, जिला उन्नाव की श्रीमती सुदामा देवी की लड़की के साथ हुये बलात्कार की रिपोर्ट न लिखने तथा अभियुक्तों पर मुकदमा कायम न करने का कारण

120— श्री भीखा लाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुदामा देवी पत्नी श्री दया राम, निवासी ग्राम भगवन्त नगर गदाही, थाना बिहार जिला उन्नाव ने दिनांक 26-10-81 को पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की निर्मला को पुलिस चौकी भगवन्त नगर के सिपाही राम नरेश तथा अन्य पांच व्यक्ति जबरदस्ती घर से उठा ले गए और पुलिस ने भगवन्त नगर में सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद लड़की को जान से मार डालने की नियत से पानी की टंकी में डाल दिया ?

121—श्री भीखा लाल—

क्या इस वाकिए की रिपोर्ट थाना बिहार में उसके अनुरोध के बावजूद धारा 363/366 के अधीन केवल राम चन्द्र, आपरेटर के खिलाफ लिखी गयी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी और पुलिस सिपाही समेत सभी व्यक्तियों पर मुकदमा कायम कराया गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-10-81 को कुमारी निर्मला के घर से गायब हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थिनी की मौखिक सूचना के आधार पर धारा 363/366 भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस घटना के बाद प्रार्थिनी द्वारा पुलिस अधीक्षक उन्नाव को प्रार्थना पत्र दिनांक 26-10-81 भी दिया गया ।। जांच व विवेचना के उपरान्त पुलिस कां० सहित 6 अभियुक्त (1) राम चन्द्र (2) ठाकुर प्रसाद (3) शिव गोपाल (4) चन्द्र भान सिंह (5) दुर्गा बक्स व (6) कां० राम नरेश सिंह के विरुद्ध धारा 363/366/376 भा० दं० वि० का आरोप पत्र दिनांक 9-1-82 को प्रेषित किया गया । अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

सेतु निगम द्वारा मध्य गंगा नहर हस्तिनापुर में निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग

122—श्री भीखा लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितेन्द्र शर्मा, निवासी भूड़ भारत नगर गली, आर्य समाज गाजियाबाद ने अपने पत्र दिनांक 7-8-82 द्वारा जिलाधीश, मेरठ को तथा उसकी प्रतिलिपि उन्हें पृष्ठांकित करके सूचना दी है कि सेतु निगम द्वारा मध्य गंगा नहर हस्तिनापुर में निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया जिससे

लगभग एक लाख रुपए का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो इस आर्थिक नुकसान के लिए कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । जांच करायी जा रही है । तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

सीतापुर के कृषि फार्म नीलगांव के फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध भैंसों की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच कराने की मांग

123--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्यामनारायण तिवारी--

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पशुधन एवं कृषि फार्म नीलगांव, जिला सीतापुर पर सम्बन्धित फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट (एफ० एस०) की लापरवाही से गत माह सितम्बर, 1982 में 6 मुर्रा भैंसों की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो इसके कारणों की जांच कराकर उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री संजय सिंह--

राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म, नीलगांव (सीतापुर) पर माह सितम्बर, 1982 में हुई 6 भैंसों की मृत्यु की दुर्घटना की जांच पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई थी । उक्त दुर्घटना के लिये प्रक्षेत्र के फार्म सुपरिन्टेन्डेट दोषी नहीं पाये गये । प्रक्षेत्र के अन्य कर्मचारियों की भी जानबूझकर लापरवाही नहीं पाई गई ।

कनोरिया केमिकल्स, रेणूकूट की विद्युत कटौती समाप्त किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

124--श्री ऊदल--

दिनांक 24-8-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कनोरिया केमिकल्स, रेणूकूट को 19-8-82 को पूरी बिजली देने का आदेश दिया गया है न कि 17-4-82 को जिस दिन पावर कट उठाने का आदेश हुआ था ? क्या 19-8-82 से ज्वाइंट इंस्पेक्शन तथा दूसरी आवश्यकतायें पूरी कर ली गयीं और पावर दिया जा रहा है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र भी मा० मुख्य मंत्री को 24 अगस्त, 82 को लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह सही है कि दिनांक 17-4-82 को भारी एवं बृहद उद्योगों पर लगाई गई विद्युत कटौती समाप्त कर दी गयी थी जिसकी पुष्टि कनोरिया केमिकल्स को दिनांक 18-2-82 को की गई । दिनांक 19-8-82 को उपभोक्ता को ज्वाइन्ट मीटर रीडिंग के लिये लिखा गया था चूँकि वह उस दिन उपस्थित नहीं हुये, अतः ज्वाइन्ट मीटर रीडिंग माह अगस्त के अन्तिम दिन अर्थात् दिनांक 31-8-82 को किया गया । इसके पश्चात् इसी के अनुसार उपभोक्ता की बिलिंग की जा रही है ।

उपरोक्त से प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 24–8–82 में दी हुई स्थिति का समाधान हो जाता है।

यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन इम्पलाइज यूनियन द्वारा दिया गया सामूहिक अवकाश सम्बन्धी पत्र

125––श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन इम्पलाइज यूनियन ने सेतु निगम के प्रबन्धकों तथा उत्तर प्रदेश सरकार की भेदभावपूर्ण एवं उपेक्षापूर्ण नीति के विरोध में दिनांक 16–8–82 से 18–8–82 तक के तीन दिनों के लिए सामूहिक अवकाश सम्बन्धी पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस पत्र में मुख्य-मुख्य क्या मांगें थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

मुख्य-मुख्य मांगें और उन पर की गयी कार्यवाही संलग्न सूची में दर्शायी गई है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ.....504.....पर।)

तीन वर्ष की सेवा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति का नियमितीकरण

126– श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बतायेंगे कि दैनिक वेतन/कार्य प्रभारित/एडहाक/संहत वेतन पर कार्य करने वाले वर्ष 1978 से 1979 के बीच नियुक्त कितने कर्मचारी हैं जिन्हें तीन वर्ष पूरे करने पर भी नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी––

प्रश्न से सम्बन्धित कर्मचारियों के बारे में सूचना प्रदेश के सभी इकाईयों से प्राप्त की जानी है जिसमें समय लगेगा। सूचना एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायेगी।

तहसील करछना जनपद इलाहाबाद की पीड़ी न्याय पंचायत का विद्युतीकरण

127––श्री रेवतीरमण सिंह––

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत करछना तहसील

में पीड़ी न्याय पंचायत में बहुत अर्से से विद्युतीकरण होना है ? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ करायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

ग्राम पीड़ी का विद्युतीकरण एल० टी० लाइन बिछाकर दिनांक 30 अप्रैल, 1974 को किया जा चुका है। इस ग्राम में मात्र एक व्यक्ति ने दिनांक 14 जुलाई, 1982 को पंखा-बत्ती के कनेक्शन हेतु रु० 25/- अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा सर्विस लाइन व जमानत का पैसा जमा करके अनुबन्ध अभी नहीं किया है, अतः कनेक्शन दिया जाना अभी संभव नहीं है।

देवरिया जनपद के गौरी बाजार से रूद्रपुर एवं गौरी बाजार से हाटा मार्गों के पूर्ण कराने की मांग

128--श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत गौरी बाजार से रुद्रपुर तथा गौरी बाजार से हाटा मार्ग को बनाये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा सन् 1979 में दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ किया गया और इस समय तक कितना कार्य हो चुका है और शेष कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

गौरी बाजार से रुद्रपुर मार्ग के आधुनिकीकरण की स्वीकृति वर्ष 1979 में दी गई थी तथा गौरी बाजार से हाटा मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधार की स्वीकृति वर्ष 1978 में दी गई थी। गौरी बाजार से रुद्रपुर मार्ग का कार्य वर्ष 1979–80 तथा गौरी बाजार से हाटा मार्ग का कार्य वर्ष 78–79 में प्रारम्भ किया गया था। गौरी बाजार से रुद्रपुर मार्ग की कुल लम्बाई 18 किमी० है जिसमें से 13-59 कि० मी० आधुनिकीकरण हेतु हाटा रुद्रपुर मार्ग के नाम से स्वीकृत है शेष 4-41 कि०मी० पहले से ही लेपित है। अब तक केवल 1 कि०मी० में सतह लेपन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 83–84 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। गौरी बाजार से हाटा मार्ग की लम्बाई 17–60 कि०मी० है जिसका 12–10 कि०मी० सतह लेपन हो चुका है, शेष को धन की उपलब्धता पर वर्ष 83 84 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

थानाध्यक्ष श्री कृपाल सिंह सिसोदिया थाना कासिमपुर जनपद हरदोई के विरुद्ध ग्राम प्रधान श्री इकराम अली ग्राम भलैया का शिकायती पत्र

129 --श्री कल्लूराम रत्नाकर--

क्या सरकार बतायेगी कि तत्कालीन थानाध्यक्ष, श्री कृपाल सिंह सिसोदिया, थाना

कासिमपुर, जनपद हरदोई के विरुद्ध श्री कुबेर भण्डारी, विधायक का कोई शिकायती-पत्र ग्राम प्रधान श्री इकराम अली, ग्राम मलैया, थाना उपरोक्त के संलग्न प्रार्थना-पत्र के साथ माह जुलाई/अगस्त, 1982 में सचिव, सतर्कता विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर प्रस्तरवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र --

जी हां, मा० विधायक का कथित पत्र दि० 10-8-82 प्राप्त हुआ। इस पत्र में तत्कालीन थानाध्यक्ष कासिमपुर जनपद हरदोई, श्री कृपाल सिंह सिसोदिया के विरुद्ध डकैतों एवं बदमाशों से सांठ-गांठ तथा रिश्वत लेने के भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप के साथ यह उल्लेख था कि श्री भानु प्रकाश निवासी ग्राम मलइया थाना कासिमपुर को दिनांक 1-12-81 को कुछ अपराधियों ने मारा-पीटा था और दि० 2-5-82 को इन्हीं अपराधियों ने उनके घर में डकैती डाली और मार-पीट करके लगभग 10 हजार की सम्पत्ति लूट ले गये। श्री भानु प्रकाश इस घटना की रिपोर्ट कोतवाली हरदोई में दिनांक 4-5-82 को लिखाई क्योंकि श्री सिसोदिया थानाध्यक्ष कासिमपुर ने रिपोर्ट लिखने से इन्कार कर दिया था। बाद में श्री सिसोदिया ने घूस लेकर इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।

जांच से थानाध्यक्ष सिसोदिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अपराध करवाने व डकैती चोरी की घटनाओं को दबा देने के आरोप प्रमाणित नहीं हुए। दिनांक 2-5-82 की घटना के बाबत श्री भानु प्रकाश की माता श्रीमती लक्ष्मिन की लिखित सूचना पर कोतवाली हरदोई में धारा 395/397 भा० दं० वि० का मुकदमा कायम कराया गया जिसकी नकल चिक अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना कासिमपुर भेजी गई। थानाध्यक्ष श्री सिसोदिया ने घटना को असत्य पाया और अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी। श्रीमती लक्ष्मिन ने निजी तौर से इस सम्बन्ध में न्यायालय में इश्तगासा दायर कर रखा है जो विचाराधीन न्यायालय है। इस घटना की जांच पुलिस उपाधीक्षक ने भी की और मामले को केवल धारा 452/323 भा०दं०वि० का अपराध, अर्थात्, घर में घुस कर मामूली मारपीट करना पाया। जेवर या किसी सामान का लूटा जाना नहीं पाया गया। चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस आधार पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। श्री भानु प्रकाश अथवा श्रीमती लक्ष्मिन का इस घटना की रिपोर्ट लिखाने हेतु थाना कासिमपुर पर जाना नहीं पाया गया। दिनांक 1-12-81 की घटना की जांच की जा रही है।

मा० विधायक के पत्र के साथ संलग्न श्री इकराम अली ग्राम प्रधान, ग्राम मलइया का कथित प्रार्थना पत्र किन्हीं कारणों से मूल पत्र से अलग हो गया और प्राप्त नहीं हो सका। इसकी प्रति प्राप्त करने के लिये श्री इकराम अली से सम्पर्क किया गया। श्री इकराम अली के पास पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने बताया कि उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है और न वे अब इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं।

130—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

ग्राम धनौली, नरोपुरा और सहारा में विद्युतीकरण के लिए दिए गये आदेशों की अवहेलना पर की गयी कार्यवाही

131 –श्री विजय सिंह राना––

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में हरिजन बहुल गांव धनौली, नरीपुरा और सहारा जहां करीब दस वर्ष से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु बिजली के खम्भे खड़े हुए हैं ? वहां आज तक विद्युतीकरण सम्भव क्यों नहीं हुआ है ? इस सम्बन्ध में तत्कालीन राज्य मन्त्री श्री सुनील शास्त्री ने दिनांक 12 जुलाई, 1982 को उक्त गांव में विद्युतीकरण करके 11 दिन में अपनी आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे ? क्या इन आदेशों के संदर्भ में कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र––

ग्राम धनौली, नरोपुरा और सहारा का विद्युतीकरण राज्य सामान्य योजना के अन्तर्गत किया जाना है जिसके लिए पहली शर्त यह है कि ग्राम में विद्युत कनेक्शन हेतु रु० 25/– अर्नेस्ट मनी के साथ इतने प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाएँ कि विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ मिल जाय। पूर्व में युक्त ग्रामों में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर वांछित वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त न होने की दशा में उनका विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं हो सका। वर्तमान स्थिति में इन ग्रामों में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर वांछित प्रतिलाभ प्राप्त हो रहा है तथा धनौली को जिला योजना में चालू वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है तथा कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

जी हां। ग्राम धनौली को चालू वित्तीय वर्ष (1982–83) की जिला योजना में ग्राम सैंया के स्थान पर सम्मिलित कर लिया गया है तथा विद्युतीकरण हेतु कार्य आरम्भ कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में आगरा जनपद में राज्य सामान्य योजना के अन्तर्गत केवल तीन ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित होने की स्थिति में ग्राम सहारा तथा नरीपुरा को सम्मिलित नहीं किया जा सका। इन ग्रामों को अगले वर्ष (1983–84) की जिला योजना में सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा। प्रश्न नहीं उठता।

आई० टी० आई०, इटावा के अनुसूचित जाति की प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति न दी जाने का कारण

132––केदारनाथ सिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई० इटावा के अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को गत वर्ष 1981–82 में छात्रवृत्ति नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री––

जी हां। प्रश्नगत संस्थान में वर्ष 1981–82 में प्रशिक्षण पा रहे 39 प्रशिक्षार्थियों को

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा फण्ड्स की कमी के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी। फण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

रामपुर-रुद्रपुर राज मार्ग पर सा० नि० विभाग द्वारा पुलों व पुलियों के निर्माण की मांग

133--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर-रुद्रपुर राजमार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन से पुलों एवं पुलियों को चौड़ा किया जा रहा है अथवा ऐसा करना प्रस्तावित है ? यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

रामपुर-रुद्रपुर राज्य मार्ग न होकर जिला मार्ग है। चौड़ी की जाने वाली पुलों एवं पुलियों का विवरण संलग्न सूची "क" तथा "ख" के अनुसार है।

सूची "ख" में दर्शाया गया निर्माण कार्य का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ?

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 505 पर।)

सदन के सत्र काल में जिला स्तर की समितियों की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न)

(समय 12.15 से)

श्री मुहम्मद आजम खां--

कई बार सदन में यह कहा गया है इस तरह के आदेश दिये जा चुके हैं शासन की ओर से कि जब सदन का सत्र चल रहा हो उन दिनों जिला लेविल पर कोई मीटिंग न हुआ करे क्योंकि माननीय विधायक सत्र के चलते अपने जिलों में नहीं रहते लेकिन कल रामपुर में वहाँ के कलेक्टर ने एक मीटिंग की। दो मीटिंग्स और भी हुई। कलेक्टर ने यह मीटिंग इसलिये इस समय की ताकि मैं उसमें शरीक न हो सकूँ। रामपुर में एक नुमायश होने जा रही है जिसमें जुआ कराया जाता है कार्निवाल के नाम से, उसमें 8–9 लाख रुपया जुए के नाम पर लूटा जाता है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मेरे रहते इसकी सख्त मुसालफत होती ताकि यह जुआ वहां न हुआ करे। इसलिये कलेक्टर ने ऐसे मौके पर मीटिंग रखी। मान्यवर, यह सदन का खुला अपमान है। सरकार आश्वासन दे कि मीटिंग की तमाम कार्यवाही खारिज की जायगी।

*संसदीय कार्य मन्त्री श्री अम्मार रिजवी--

जो आदेश दिये गये हैं वह उन मीटिंग्स के बारे में हैं जो नियोजन या 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में हैं। जो और मीटिंग होती हैं उनके बारे में नहीं है। अगर सब के लिये यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदेश कर दिये जायेंगे तब तो जब तक सदन चलता रहेगा कोई काम हो ही नहीं पायेगा। जो और तरह की मीटिंग हैं वे तो हो ही सकती हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो मीटिंग हुई है क्या उसमें माननीय विधायक भी हैं ?

मुहम्मद आजम खां—

मैं उस कमेटी का मेम्बर हूँ और परमानेन्ट मेम्बर हूँ। अब मैं वहां कैसे जा सकता था जब कि सदन चल रहा था ?

श्री अम्मार रिजवी—

अगर उसमें माननीय विधायक भी उसके सदस्य हैं जैसा कि माननीय खां साहब कह रहे हैं, तो वह मीटिंग फिर बुला ली जायेगी किसी ऐसे दिन जब सब लोग होंगे।

(व्यवधान)

*श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

इलाहाबाद में 19 तारीख को शनिवार के दिन 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने नियोजन की मीटिंग बुलायी।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

शनिवार के दिन तो हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

शनिवार और इतवार को हो सकती हैं।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

जब आदेश यह यह है कि कलेक्टर कोई ऐसी मीटिंग नहीं बुलायेगा.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ, आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री जी, शनिवार और इतवार को छोड़कर, यदि किसी समिति में माननीय विधायक भी मेम्बर हों, तो उनकी मीटिंग न बुलायी जाया करे, आप विशेष रूप से इसे कृपया देख लें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, पहाड़ों पर, पर्वतीय क्षेत्र में जब मीटिंग शनिवार या इतवार को होती है तो हम लोगों का जाना सम्भव नहीं हो पाता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। कृपया बैठें।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

पर्वतीय क्षेत्रों में मीटिंग जब बुलायी जाती है तो जिलाधीश के अलावा एस०डी०एम० भी प्रीसाइड करने लगते हैं और माननीय विधायकों से कहते हैं आप बैठिये। यह तो इज्जत बख्शी है इस सरकार ने दूसरी बात अगर शनिवार को मीटिंग बुलाई जाती है और हम लोग शुक्रवार की रात्रि को चलते हैं और जब तक पहुँचते हैं तो मीटिंग समाप्त हो जाती है और अगर रविवार को मीटिंग रखी जाती है तो हम लोग यहां के लिए चल देते हैं। तो क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि अगर शनिवार या इतवार को वह मीटिंग रखते हैं तो वे रेलवे हेड पर कोई सवारी की व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया आप इसको विशेष रूप से देख लें जो पहाड़ से सम्बन्धित होते हैं कि उनकी क्या व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मेरा प्रश्न आज है और उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिला भी है परन्तु एजेन्डा में वह नहीं है। पन्ना ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरा देख लें, कहीं पन्ना लगने से छूट न गया हो। दूसरा देख लें।

तहसीलदार बिल्हौर (कानपुर) द्वारा गृह अनुदान वितरण में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें श्री मोतीलाल देहलवी, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री राज कुमार राय की सूचनाओं को स्वीकार किया गया है। बाकी को अस्वीकार किया है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, विधान सभा चलते तहसीलदार बिल्हौर (कानपुर) द्वारा घर गिरी का अनुदान वितरित किया जा रहा है। अनुदान वितरण में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। पात्र लोगों की उपेक्षा करके अनुदान उन्हें दिया जा रहा है, जिनके मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार की लिखित शिकायतों का तांता लगा हुआ है। अनुदान कमीशन लेकर अपात्रों को दिया

जा रहा है। जो पात्रता लिस्ट ब्लाकों द्वारा बनायी गयी उसे तहसीलदार ने अकारण अमान्य कर लेखपालों की फर्जी लिस्ट पर बांटना जारी कर दिया। दिनांक 14 मार्च, 83 को मैंने जिलाधिकारी कानपुर (देहात) व तहसीलदार को पत्र भेजकर अनुरोध किया कि वह विधान सभा चलते बिना मेरी सहमति वितरण न करें, परन्तु अनसुनी करके वितरण जारी है। तहसीलदार अपने को मंत्री का रिश्तेदार बताकर लेखपालों को निर्भीकता प्रदान किए हैं और उनके द्वारा कमीशन बटोर रहे हैं। पात्र किसानों में रोष, क्षोभ तथा सरकार के प्रति अविश्वास की भावना व्याप्त है। आपके माध्यम से अपेक्षा है कि सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करे और अनियमित कार्य रोके तथा जांचोपरान्त दन्डात्मक कार्यवाही भी करे।

शारदा नहर के पानी को सिर्फ रायबरेली जनपद को भेजे जाने से हरदोई आदि जनपदों को पानी न मिलने से फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा का सारा पानी रायबरेली भेजे जाने के कारण हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव आदि कई जिलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। रजबहे-अल्पिकायें सूखी पड़ी हैं। पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं। हरदोई और उन्नाव खन्डों के अन्तर्गत आने वाला हमारा क्षेत्र पानी न मिलने के कारण घोर परेशानी में पड़ गया है। बिलग्राम रजबहा उससे सम्बद्ध सदरपुर अल्पिका तथा सौंहाद बांसा आदि रजबहे विगत काफी अरसे से सूखे पड़े हैं। पानी की एक बूंद तक नहीं आ रही है किसानों में बेचैनी पैदा हो गयी है। लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए तत्काल उक्त जनपदों में भी शारदा नहर से पानी दिए जाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूँ।

गोरखपुर मंडल में हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों को बढ़े हुए मंहगाई भत्ते आदि की अवशेष धनराशि के भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत प्रधानाध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों का दिसम्बर 1978 से मंहगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की अवशेष धनराशि गोरखपुर मंडल, गोरखपुर में उपलब्ध होने पर भी आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया जब कि लखनऊ मंडल में नवम्बर में ही बढ़े हुये मंहगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। मंडलीय कार्यालय गोरखपुर जाने पर हीला-हवाला बता दिया जाता है। जबकि जनपद देवरिया के हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय द्वारा कई बार इस मद में एक लाख छत्तीस हजार रुपये की मांग की जा चुकी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से अनुरोध करते हुये मांग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूँ कि उपरोक्त धनराशि अध्यापकों में शीघ्र वितरित करायी जाय और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।

जनपद फरूखाबाद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को माह फरवरी, 1983 का वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, जनपद फरूखाबाद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षण कर्मचारियों को आज तक फरवरी 1983 का वेतन न वितरित किये जाने के कारण स्थिति गम्भीर है । होली का त्यौहार निकट होने के कारण इन शिक्षकों के सम्मुख भयंकर कठिनाई उत्पन्न हो गई है । जनपदीय शिक्षा विभाग के अधिकारी वेतन वितरण करने में असमर्थ हैं क्योंकि अभी ग्रान्ट की धनराशि जनपद नहीं भेजी गई है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाते हुये शासन से अनुरोध करता हूँ कि शिक्षकों के हित में तत्काल होली के त्यौहार से पूर्व जनपद फरूखाबाद में फरवरी 1983 का वेतन वितरण कराने को सुनिश्चित करें ।

ग्राम गजियापुर (आजमगढ़) में हुए अग्निकाण्ड से कई घरों के जल जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राज कुमार राय--

श्रीमन्, दिनांक 14-3-83 को आजमगढ़ जनपद की घौसी तहसील के गजियापुर ग्राम के पास सरकारी बन्धे पर बसी हरिजन बस्ती में दो बजे अपरान्ह में आग लग गई । सरपत की झोपड़ियां होने से सिहुलिया तथा परसिया गांव के पचासों घर देखते-देखते जलकर भस्मीभूत हो गये जिसमें हरिजन, राजभर, यादव तथा ठाकुर के भी घर सम्मिलित थे । बेलथरा रोड (बलिया) से फायर ब्रिगेड भी पहुँचा तथा तहसीलदार परगनाधिकारी व ए० डी० एम० (प्र०) आजमगढ़ ने भी पहुँच कर कुछ अनुग्रह धनराशि आग पीड़ितों में वितरित की, जो नितान्त थोड़ी है । पीड़ितों के पास न रहने को मकान, न खाने को अन्न व न बरतन तथा न वस्त्रादि शेष रह गये हैं ।

अतः मैं शासन से सन्दर्भित आग पीड़ितों को और अधिक सहायता दिये जाने, निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण तथा पेयजल कूप निर्माण की मांग करता हूँ जो नितान्त अपरिहार्य है ।

*श्री प्रभूनारायण सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महत्व का प्रश्न नियम 301 के माध्यम से आपको कल भी दिया था और आज भी दिया है कि बोर्ड की परीक्षायें चल रही हैं, प्रदेश के लाखों छात्रों से सम्बन्धित प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

आपने जो नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी वह दो सौ शब्दों से ज्यादा थी। इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया गया है। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा 15 मार्च, को श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कतिपय अध्यादेशों के सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था। 25 फरवरी तथा 27 फरवरी को इस सदन के सामने.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। औचित्य के प्रश्न मैं बाद में सुनूँगा। अब मैं एक निर्णय देने जा रहा हूँ।

दिनांक 14 मार्च, 1983 को श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कतिपय अध्यादेशों के विषय में दिनांक 15 मार्च, 1983 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने औचित्य का प्रश्न उठाया था। माननीय सदस्य ने निम्नांकित तीन आपत्तियों का उल्लेख किया था—

(क) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेशों का प्रख्यापन तभी किया जाना चाहिए जब श्री राज्यपाल को यह समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। इस "इमरजेन्सी" की जगह पर "अरजेन्सी" को आधार मानकर अध्यादेश जारी करना अवैधानिक और अप्रजातांत्रिक है।

(ख) विधान परिषद् का सत्र चल रहा था, और मात्र अध्यादेश जारी करने के उद्देश्य से उसका सत्रावसान करना और फिर से उसके सत्र को आहूत करना उपयुक्त नहीं था।

(ग) दिनांक 14 मार्च, 1983 को प्रख्यापित अध्यादेशों को दिनांक 15 मार्च, 1983 को सदन के पटल पर न रखकर प्रक्रिया नियमावली के नियम 120 का उल्लंघन किया गया है।

इस प्रश्न पर श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री रियासत हुसैन, श्री भोखा लाल, श्री फखरे आलम तथा संसदीय कार्य मन्त्री ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

प्रश्नगत मामलों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया तथा सम्बन्धित पुस्तकों आदि का अध्ययन भी किया गया। जहां तक संविधान के अनुच्छेद 213 का सम्बन्ध है, यह श्री राज्यपाल को व्यापक विधायिनी शक्ति प्रदान करता है। इस विधायिनी शक्ति की व्यापकता पर केवल दो प्रतिबंध अनुच्छेद 213 द्वारा लगाए गये हैं—पहला, यह कि विधान मण्डल अथवा उसका कोई सदन सत्र में न हो और दूसरा यह कि राज्यपाल को समाधान हो जाना चाहिये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश विधि-सम्मत एवं संवैधानिक समझा जायेगा।

राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के अधिकार और उसके प्रयोग के संबंध में प्रश्नगत विवाद नया नहीं है। भारतीय संविधान की संरचना के समय में भी इस मामले पर विभिन्न प्रकार के मत व्यक्त किये गये थे लेकिन संविधान के निर्माताओं ने राज्यपाल के इस विधायी अधिकार को अनावश्यक नहीं माना। उनकी यह मान्यता थी कि प्रजातांत्रिक पद्धति से चुनी गयी कार्यपालिका के सलाह पर, और अनुच्छेद 213 द्वारा आरोपित प्रतिबन्धों की परिधि में श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश प्रशासन के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं।

उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत प्रख्यापित अध्यादेशों के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किये गये हैं। सरजू प्रसाद बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश (1970 इलाहाबाद पृष्ठ 571) में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि विधान परिषद् का सत्रावसान हो चुका हो और विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो श्री राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ बनाम राज्य सरकार (1979 ए० एल० जे० पृष्ठ 178) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुनः यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश प्रख्यापित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। सत्यपाल डांग के मामले में वर्ष 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि अनुच्छेद 174 में विधान मण्डल के किसी सदन का सत्रावसान करने में श्री राज्यपाल के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तथा अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश जारी करने का उनका अधिकार उतना ही व्यापक है जितना विधान मण्डल को अधिनियम बनाने का। मेसर्स एस० के० जी० शूगर लिमिटेड बनाम बिहार सरकार (1974 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 1533) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत, आवश्यक परिस्थितियों के विद्यमान होने के बारे में राज्यपाल का समाधान, और अध्यादेश के प्रख्यापन की आवश्यकता, ऐसे विषय हैं, जिनका निर्णय करने का अधिकार केवल राज्यपाल को ही है। राज्यपाल इन बातों के एक मात्र निर्णायक हैं और उनके इस विनिश्चय को न्यायालयों में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रेम नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (1960 इलाहाबाद पृष्ठ 205) में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करने के पूर्व राज्यपाल की संतुष्टि आवश्यक है और न्यायालय उस संतुष्टि के औचित्य पर विचार नहीं कर सकता। माननीय न्यायाधीशों ने यहां तक कहा कि यदि विधान मंडल सत्र में है तो उसका सत्रावसान करके भी राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। विश्वनाथ अग्रवाल बनाम उ०प्र० सरकार (1956) इलाहाबाद ला जर्नल, 556) में न्यायाधीशों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 213 में आवश्यक परिस्थितियों की विद्यमानता के बारे में मात्र राज्यपाल की संतुष्टि आवश्यक है और कोई अन्य व्यक्ति उनकी इस संतुष्टि को चुनौती नहीं दे सकता।

श्री जे० आर० सिवाच ने अपनी पुस्तक "आफिस आफ दी गवर्नर" के पृष्ठ 236 पर लिखा है कि यदि विधान मण्डल का सत्र चल रहा है और राज्यपाल यह अनुभव करें कि किसी ऐसे विशिष्ट कानून की तत्काल आवश्यकता है, जिसे विधान मण्डल प्रक्रिया

सम्बन्धी औपचारिकताओं के कारण शीघ्र पारित करने की स्थिति में नहीं है तो वह सत्रावसान करके तुरन्त अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। सत्यपाल डांग के मामले में ऐसी प्रक्रिया अपनाई गयी थी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध माना गया। श्री आर० एन० मिश्रा ने अपनी पुस्तक 'दि प्रेसीडेन्ट एण्ड दी पार्लियामेंट' के पृष्ठ 80–81 पर बताया है कि राष्ट्रपति द्वारा, जिनको संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा तदनुरूप अधिकार प्राप्त है, एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टेनेन्स अध्यादेश, 1957 तब प्रख्यापित किया गया था, जब लोकसभा का सत्र चल रहा था और राज्य सभा का सत्रावसान हो चुका था। विद्वान् लेखक ने यह भी कहा है कि किसी सदन में पुनर्स्थापित और लम्बित विधेयक को अथवा एक सदन से पारित तथा दूसरे सदन में विचाराधीन विधेयक को भी अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित करने का अधिकार राष्ट्रपति (और राज्यपाल) को उपलब्ध है।

कौल और शकधर ने भी अपनी पुस्तक 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' के पृष्ठ 587–588 पर लिखा है कि यदि राष्ट्रपति केवल अध्यादेश जारी करने के प्रयोजन से संसद् का सत्रावसान करें तो उस पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। विद्वान् लेखकों के अनुसार, लोकसभा में भी इस प्रश्न पर चर्चा हुई है परन्तु अध्यक्ष ने यही निर्णय दिया है कि अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति के विवेकाधिकार में है और सभा द्वारा ऐसे विवेकाधिकार पर कोई नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। इस सदन में भी दिनांक 27–8–80 तथा 29–8–80 को क्रमशः उ०प्र० समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 तथा उ०प्र० स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 प्रख्यापित किये गये थे, जब विधान सभा सत्र में थी और विधान परिषद् का सत्रावसान किया जा चुका था और लगभग, इन्हीं परिस्थितियों में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार नहीं किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों, निर्णयों, विचारों तथा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 14–3–83 को जब श्री राज्यपाल ने कतिपय अध्यादेशों को प्रख्यापित किया तो संविधान के किसी प्राविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। अध्यादेशों के प्रख्यापन के पूर्व विधान परिषद् का सत्रावसान किया जा चुका था और इस अधार पर इसे अवैधानिक या अप्रजातांत्रिक नहीं किया जा सकता। अपनी नवीनतम पुस्तक 'कान्स्टीट्यूशनल ला आफ इंडिया' में श्री टी० के० टोपे ने जो बम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति तथा ला कमीशन के सदस्य भी रह चुके हैं, कहा है कि संविधान में अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया को अप्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता।

अंतिम बात जो इस सम्बन्ध में कही गयी है वह प्रक्रिया नियमावली के नियम 120 के बारे में है, जिसके अनुसार सभी प्रख्यापित अध्यादेशों को, प्रख्यापन के पश्चात्, अनुगामी सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में, सदन के पटल पर रखना आवश्यक है। उक्त नियम में अनुगामी शब्द का प्रयोग 'सत्र' तथा 'उपवेशन' दोनों के लिये किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 213 (2) में भी यह अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक अध्यादेश विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा किन्तु इसमें सदन के पटल पर रखने की प्रक्रिया या समय का उल्लेख नहीं है। पर इस सदन की कार्य संचालन नियमावली में अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखने की प्रक्रिया तथा समय दोनों का उल्लेख है।

अतः जब दिनांक 14-3-83 को कतिपय अध्यादेश प्रख्यापित किये गये तो नियम 120 के अनुसार इन्हें अनुगामी उपवेशन में (अर्थात् 15-3-83 को) सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये था। प्रश्नगत सभी अध्यादेश दिनांक 16-3-83 को सदन के पटल पर रखे जा चुके हैं और संवैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति हो चुकी है। नियमावली में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि यदि अध्यादेश को नियम 120 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुये समय से न रखा जाय तो क्या परिणाम होंगे ?

चूंकि संविधान के अनुसार अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखना आवश्यक है अतः नियम 120 के अनुपालन के कारण अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखे जाने से रोका नहीं जा सकता।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में अध्यादेशों के प्रख्यापन के पश्चात् अनुगामी सत्र अथवा अनुगामी उपवेशन, जैसी भी दशा हो, मैं सदन के पटल पर रखा करें तथा नियम 120 का कड़ाई से पालन करें।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है आपने जो औचित्य के प्रश्न पर यहाँ पर रूलिंग दी वह शिरोधार्य है। 15 तारीख को जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया था, उसमें दो विन्दु थे। एक तो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो अध्यादेश जारी किया गया है वह सही है या नहीं और दूसरा प्रश्न था कि सदन के पटल पर रखा, तो नियम 120 का क्या उसमें उल्लंघन हुआ है ? तो इन दोनों विन्दुओं पर आपने रूलिंग रिजर्व रखी थी। 16 तारीख को पुनः जब यह अध्यादेश सदन के पटल पर रखा गया, तो औचित्य का प्रश्न दुबारा उठाया गया कि दो दिन बाद रखने जा रहे हैं तो इसमें 120 का उल्लंघन हुआ है, लेकिन उस दिन आपने कहा था कि 120 का उल्लंघन इसमें नहीं हुआ .....

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो उसी दिन रूलिंग दे दी थी।

श्री भीखालाल--

तो मैंने उसी दिन आपका ध्यान आकर्षित किया था कि 15 तारीख को आपको दोनों विन्दुओं पर रूलिंग रिजर्व है। लेकिन आपने उसी दिन रूलिंग दे दी थी कि नियम 120 का उल्लंघन नहीं हुआ है और पटल पर रखने की आज्ञा दे दी। तो मान्यवर, आप आज दोनों विन्दुओं पर जो रूलिंग दे रहे हैं वह हमें शिरोधार्य है और वह भी शिरोधार्य है।

25 फरवरी, 83 को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सचिवालय अनेक्सी काण्ड के सम्बन्ध में दिये आश्वासन की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हमारा एक औचित्य का प्रश्न है। वह यह है कि मान्यवर, इस सदन में 25 फरवरी को, 27 फरवरी को माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने....

श्री अध्यक्ष—

27 फरवरी का दिन आप देख लीजिए, क्या उस दिन सदन था ?

श्री राम आसरे वर्मा—

ठीक है वह 27 वाली गलती हुई है।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन आप तो 27 कह रहे हैं।

श्री रामआसरे वर्मा—

25 तारीख को संसदीय कार्य मन्त्री ने इस सदन में इस बात का जिक्र किया था कि जो सचिवालय काण्ड हुआ है और उस सम्बन्ध में जिन कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों को निलम्बित किया गया है, उनके मामले का निस्तारण 14 दिन के अन्दर कर दिया जायगा और अब आज 14 दिन क्या 25 दिन बीतने जा रहे हैं, लेकिन उनके मामले का निपटारा नहीं हुआ है। इसके कारण से उनमें असन्तोष बढ़ता जा रहा है। मन्त्री जी ने उस दिन यह भी कहा था कि स्थिति सामान्य एवं शान्तिपूर्ण है और शान्तिपूर्ण ढंग से सब काम हो रहा है। इस सबके बावजूद आपके आश्वासन न पूरा किये जाने के कारण सचिवालय के दो कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे और पकड़ कर उनको जेल भेज दिया गया। इस घटना से सम्बन्धित विद्या पंत ने जी०पी०ओ० पार्क में विशाल सभा को सम्बोधित करते हुये घोषित कर दिया है कि सचिवालय के दूसरे कर्मचारियों के साथ वह संसद् के सामने धरना देंगी। न तो 14 दिन में उनके मामले का कोई निस्तारण हुआ और न स्थिति ही सामान्य दिखाई दे रही है। मन्त्री जी इस पर इस बात को कहना चाहेंगे और जो पहले कहा था, उसी को वे दोहरायेंगे कि कर्मचारियों के मामले का निस्तारण इसलिये नहीं हो पा रहा है कि उनके जवाब नहीं आ पा रहे हैं। जिन 3 कर्मचारियों के जवाब उनके कथनानुसार नहीं आये हैं, वह इसलिये नहीं आये हैं कि उनके साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं और यह इसलिये कि वह जवाब दाखिल न कर सकें। इन तीन कर्मचारियों के मामलों को अलग रखकर, जिन्होंने अपने जवाब दे दिये हैं और जिनके सम्बन्ध में सारी रिपोर्ट भी आ गई है, उनके मामले के निस्तारण में क्यों देर हो रही है ?

मान्यवर, इस तरह औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपका ध्यान और माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह जानना चाहता हूँ कि आखिर 14 दिन बीत गये, उसके बाद भी निस्तारण क्यों नहीं हुआ ? और स्थिति सामान्य की बात मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कही थी, वह मान्यवर, स्थिति दिन प्रति दिन और असामान्य होती जा रही है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी अगर संसद् के सामने जाकर धरना दें, तो यह सबके लिए सोचने की बात होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसका निर्णय कब तक कर देंगे ?

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जिस दिन वक्तव्य यह हुआ था, उस दिन मैंने आपके माध्यम से माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य से निवेदन किया था कि इनका जो उत्तर है, उसे जल्दी भिजवाने की कृपा करें। मान्यवर, मेरी बात का उत्तर माननीय वर्मा जी ने स्वयं दे दिया है कि अभी सबके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। मेरे पास जो सूचना है, इसमें जो तृतीय श्रेणी के लोग हैं, उनके भी उत्तर और चतुर्थ श्रेणी के जो लोग हैं, उनके उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं। मान्यवर, माननीय वर्मा जी इनके उत्तर भिजवा दें, हम खुद हमदर्दी रखते हैं कि जो सचिवालय के कर्मचारी हैं, हम यह नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनके बारे में विलम्ब हो। मान्यवर, 15 दिन की बात कही थी, हम तो एक हफ्ता के अन्दर करवा देंगे, अगर माननीय सदस्य उनके उत्तर भिजवा दें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि मैं उत्तर भिजवा दूं। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि तीन कर्मचारियों को छोड़कर जिनको साक्ष्य नहीं उपस्थित करवाये जा रहे हैं, बाकी सबके जवाब, सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं, हो सकता है कि माननीय मन्त्री जी इस तथ्य से अवगत न हो पाये हों, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि सबके जवाब पहुँच गये हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह इस बात को जान लेंगे कि जितने कर्मचारियों को चार्जशीट दी जा चुकी थी, उन सबके जवाब आ गये हैं। मान्यवर, यह जान करके माननीय मन्त्री जी, उसका निस्तारण शीघ्र करवा दें। हम लोग तो मान्यवर, उनके वकील नहीं हैं और न ही हमारे लोगों के कहने से वह जवाब भेजेंगे। इसके लिए मान्यवर, जिसके पास से जवाब नहीं भी आया, जिन तीन कर्मचारियों के जवाब, जिन कारणों से नहीं आ रहा है, उनके साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कराये जा रहे हैं। मैं मान्यवर, कहना चाहता हूँ कि जिनके जवाब आ गये हैं, उनके बारे में क्या माननीय मन्त्री जी एक निश्चित अवधि तय कर देंगे कि इस अवधि के अन्दर उनका निस्तारण करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, पहली बात माननीय सदस्य ने यह कहा कि ये जानबूझ कर तथ्यों को छिपा रहे हैं कि सबके जवाब, सर्वश्री वसीम सिद्दीकी, राम सिंह, राम निवास तिवारी आदि के जवाब आ गये हैं कि नहीं, मान्यवर, घटना एक है, मान्यवर, स्थल एक है, जो कुछ भी वारदातें हैं, वह सब एक हैं, अगर उसमें से एक-एक निकाल कर निर्णय किया जायेगा, तो वह निर्णय नहीं हो सकेगा, तो मान्यवर, इसके लिए सबका साथ निर्णय किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक यह संविधान और नियमों के उल्लंघन का प्रश्न है, जो बातें आपने कही हैं, उसका किसी का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है। मैं इसको अस्वीकार करता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में आज 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री कुँवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की रायबरेली में पुलिस कर्मियों द्वारा भूतपूर्व प्रधान की हत्या किये जाने के संबंध में है। श्री मुहम्मद आजम खाँ की सूचना सराय तरीन, सम्भल मुरादाबाद में

असामाजिक तत्वों द्वारा एक बालिका के साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में है। श्री धर्मवीर सिंह और श्री मोतीलाल देहलवी की सूचना मेरठ के ग्राम जई में आग लगने से दो व्यक्तियों के मरने के सम्बन्ध में है। श्री अकबाल हुसैन की सूचना प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में राहत न दिये जाने के सम्बन्ध में है। श्री प्रदीप कुमार यादव की सूचना मडहा नदी में शारदा सहायक परियोजना व उसकी पोषक नहरों का पानी छोड़े जाने पर बाराबंकी और फैजाबाद की सरहद पर बसे हुए कई गांवों के जलमग्न होने के सम्बन्ध में है। श्री केदारनाथ सिंह की सूचना वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में भूतपूर्व डी० एफ० ओ० द्वारा अनशन किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री रेवती रमण सिंह की सूचना जनपद इलाहाबाद में चोरी, डकैती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सूचना जनपद बस्ती में चोरी, डकैती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री नन्दराम की सूचना उत्तर प्रदेश विज्ञान संवाददाता संघ के उपाध्यक्ष पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री विद्यासागर नौटियाल की सूचना म्योर मिल, कानपुर में कार्यरत एक कर्मचारी के मरने तथा उसके पिता का असामाजिक तत्वों द्वारा अपहरण किये जाने के संबंध में है। श्री रुद्र प्रताप सिंह की सूचना गोरखपुर के हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को मंहगाई भत्ते तथा अंतरिम सहायता की धनराशि का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री राम गोविन्द, श्री अकबर हुसैन तथा श्री रियासत हुसैन की सूचना बलिया जनपद में भीषण ओला वृष्टि से हुई फसल की क्षति के संबंध में है। आखिरी सूचना श्री शंकर सिंह, श्री दलगंजन सिंह, श्री राम सागर, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री कुबेर भंडारी, श्री हरिवंश सहाय, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, मुहम्मद आजम खां, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री बदन सिंह, श्री जमुना प्रसाद, श्री राधेश्याम वर्मा, श्री बाबूसिंह तथा श्री मेंहदी असगर की जनपद जालौन में जिला परिषद् प्रशासन द्वारा मजदूरों एवं लघु कृषकों पर अन्धाधुन्ध टैक्सों की वृद्धि से आधी से अधिक जनता के क्षुब्ध होने के सम्बन्ध में है।

मैंने इनको देखा है। जहां तक कुंवर सिंह नेगी और श्री नन्द किशोर सिंह की सूचना का संबंध है, यह सदन के सम्मुख कई बार सुनी जा चुकी है तथा इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है।

जहां तक श्री धर्मवीर सिंह और माननीय मोती लाल देहलवी की सूचना का संबंध है, यह वक्तव्य के लिए पहले से स्वीकार है।

जहां तक माननीय केदारनाथ सिंह की सूचना का सम्बन्ध है, मैं इसका निर्णय बाद में दूंगा।

श्री रुद्र प्रताप सिंह की सूचना का जहां तक संबंध है यह नियम 301 में स्वीकार की जा चुकी है। मैंने सुनने के लिये जो स्वीकार किया है तो पहली विद्यासागर नौटियाल, दूसरी माननीय राम गोविन्द चौधरी, श्री अकबर हुसैन तथा श्री रियासत हुसैन और आखिर में शंकर सिंह इत्यादि बहुत से माननीय सदस्यों की जो सूचना है, इन तीनों को मैंने सुनने के लिये स्वीकार किया है।

(श्री विद्यासागर नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मेरी सूचना बस्ती जिले में चोरी-डकैती आदि से उत्पन्न गंभीर स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर मुझे सुनने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष –

आप बैठें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल––

श्रीमान्, यह एक बड़ा गम्भीर मामला है । कानपुर की म्योर मिल में 15 तारीख को एक दुर्घटना हुई । मिल का शटल छिटक कर निकला और एक मजदूर हरदेव प्रसाद के जा लगा । उसके जो चोट लगी उसके फलस्वरूप 19 तारीख को अस्पताल में उसकी मौत हो गयी । उसकी मौत के बाद मजदूरों ने प्रबन्धकों से माँग की कि इस मजदूर के परिवार को जो उसके आश्रित हैं उनको वर्कमैन कम्पेन्सेशन ऐक्ट के अंतर्गत मुआवजा दिया जाय । प्रबंधकों ने मुआवजा देने से इन्कार कर दिया । मजदूर हरदेव प्रसाद की लाश को लेकर म्योर मिल के गेट के पास बैठ गये । कल 21 तारीख को एक अजीब घटना घटी कि कुछ गुण्डे गये, उनके साथ पुलिस गयी और उनके साथ प्रबन्धकों के आदमी गये और पिस्तौल की नोक पर उस लाश को उठाकर ले गये और मृतक हरदेव प्रसाद के पिता गनेश का जबरदस्ती अपहरण करके ले गये । उसकी विधवा श्रीमती शैलकुमारी ने कोतवाली में जाकर रिपोर्ट लिखानी चाही तो कानपुर कोतवाली में शैल कुमारी की रपट लिखने से इन्कार कर दिया गया । इसके बाद तार के द्वारा एस० पी० सिटी को एक रपट भेजी गयी । उसमें कुछ बड़ी अजीब चीजें मालूम हुई हैं, मान्यवर बड़े भयानक तथ्य मालूम हुये हैं जिनमें यह भी है कि कुछ गुण्डे श्रीमती शैल कुमारी के निवास स्थान पर गये, वहाँ जाकर के उन्होंने उसको पीटा, उसक बेइज्जत किया, और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की । उसके ससुर गणेश का अपहरण किया गया । कल पूरे म्योर मिल के अन्दर हड़ताल रही, मजदूरों ने काम नहीं किया, जिलाधिकारी के पास वहाँ के मजदूर नेता गये ।

श्री अध्यक्ष –

आप ग्राह्यता के बारे में संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल––

और उन्होंने यह माँग की कि म्योर मिल के श्री ए० एन० सिंह, जनरल मैनेजर, श्री जी० पी० सिंह, फैक्टरी मैनेजर, एवं श्री एन० के० पाण्डेय, अभियन्ता की बर्खास्तगी की जाय और उनको गिरफ्तार किया जाय । अब ग्राह्यता इस बात से साबित करनी है कि इस तरह की जबरदस्त घटना हो गयी, मजदूर के शव को मजदूरों के बीच से उठाकर चले गये, उस जीवित बूढ़े पिता को उठाकर ले गये, कोतवाली में रपट लिखने से इन्कार कर दिया गया, शैल कुमारी को पीटा गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गयी––तो यह सब बातें हुई, मान्यवर राज्य के अन्दर जिस तरह से शासन डगमगा गया है, यह उसका ज्वलंत उदाहरण है कि मालिकान के गुण्डे, उनके साथ पुलिस और वे सब मिलकर इस तरह की घटना एंकरायें और राज्य चुपचाप बैठा रहे, राज्य की पुलिस थाने में रपट लिखने से इन्कार करे, इससे ज्यादा गम्भीर मामला और क्या हो सकता है । अतः मैं निवेदन करूँगा कि इस पर चर्चा कराने की कोशिश की जाय ।

श्री राम गोविन्द––

मान्यवर, मैंने जो आज कार्य स्थगन की सूचना दी है, वे अत्यन्त अविलम्बनीय महत्व

की सूचना है। मान्यवर, 20 तारीख को भीषण ओलावृष्टि बलिया जनपद में हुई है। लोक महत्व का इसलिये है, और आप भी जानते हैं, कि पूर्वांचल में इस समय रबी की फसल कटाई के नजदीक है, सारी फसल पक चुकी है। लेकिन श्रीमन्, 20 तारीख को बलिया जनपद में इतनी ओलावृष्टि हुई कि सारी फसल नष्ट हो गई। श्रीमन्, मटर की फसल, चने की फसल और गेहूँ की फसल जिसको अब थोड़े ही दिन बाद 2-4-10 दिन बाद किसान काट कर, अपने खलिहान में ले जाकर, पूरे साल की अपनी कमाई को, अपने घर ले आता, वह दैवी आपदा के कारण बिल्कुल नष्ट हो गयी है। इस घटना के, इतने दिन बीतने के बावजूद, अभी तक जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रशासन की तरफ से कोई भी सहायता कार्य वहां नहीं किये गये हैं। मान्यवर, इस घटना से बलिया जनपद के सारे किसानों की कमर टूट गयी है, वह असहाय हो गये हैं, वे चिंतित हैं कि वे अपना जीवन-बसर कैसे करेंगे, खाने की व्यवस्था का प्रबन्ध किस तरह से करेंगे। मान्यवर, इस घटना से बलिया जनपद के किसानों के सामने संकट का वातावरण व्याप्त हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप आगे के कार्यक्रम सारे स्थगित करें और इस ओलावृष्टि से किसानों की जो कमर टूट गयी है, उनकी आशाओं पर पानी फिर गया है, उनके बाल-बच्चों के खाने-पीने की जो व्यवस्था थी साल भर की, वह बरबाद हो गयी है, उस पर सदन में चर्चा करायें। यह अत्यन्त ही लोक महत्व का सवाल है, अविलम्बनीय है, इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि इस पर चर्चा हो, इस पर आप शासन से वक्तव्य दिलवाने की कृपा करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

मान्यवर, वह यह है कि पूर्वांचल में जो यह ओलावृष्टि हुई है, इसको आप नियम 56 के अन्तर्गत सुन रहे हैं, लेकिन नियम 301 में भी हमने इस पर सूचना दी है। मान्यवर, गंगा और घाघरा की बाढ़ से जहाँ एक तरफ जनपद तबाह हुआ था, वहीं अब उसके बाद सूखा पड़ा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई सहायता उस जिले की नहीं की गयी। आज चलते-चलाते भीषण ओलावृष्टि हो गई जिससे किसानों की कमर टूट गई है। अतः मैं मांग करता हूँ कि सारे सरकार देयों को स्थगित किया जाय और पूर्ण शुल्क मुक्ति की जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था में नहीं आता है।

*श्री धर्मवीर सिंह--

मान्यवर, नियम 56 में मैंने सूचना दिया था ग्राम जई जिला मेरठ के सम्बन्ध में। अभी आपने कहा इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया गया है किसी दूसरे माननीय सदस्य ने नियम 301, 51 या 56 में दिया होगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। आप बैठें, अब मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री धर्मवीर सिंह--

मान्यवर, वहाँ पर दो घटनायें हुई है एक बलात्कार के सिलसिले में है मैं इस सूचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बल नहीं दे रहा हूँ। मैंने हरिजनों के जलने के सम्बन्ध में सूचना दी है। माननीय सदस्य का वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। यह कहीं दूसरी घटना के सम्बन्ध में तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं दिखवा लूंगा आप बैठें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, पूर्वांचल में जो ओलाबारी हुई है। उस पर कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त वाराणसी मण्डल को आदेश भेजे जा रहे हैं कि पूरा उसका सर्वेक्षण करायें जहाँ पर ओला गिरा है वहाँ पर लैण्ड रेवेन्यू में इक्जम्सन दिया जाय और फूड फार वर्क शुरू कराया जाय ताकि किसानों को जिनका नुकसान हुआ है उनको राहत पहुँचाया जा सके।

*श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैंने जालौन जनपद की स्थिति पर कार्यस्थगन का प्रस्ताव किया है। मान्यवर यह बहुत गम्भीर है। मैं प्रस्ताव के सम्बन्ध में इतना कह सकता हूँ कि इतिहास में क्रूरतम तानाशाह रहें होंगे वह भी इतनी बुरी तरह टैक्स नहीं लगाये होंगे जिस तरह से जालौन का जिला प्रशासन टैक्स लगा रहा है। मान्यवर, वहां पर ग्रामीण अंचल में डेढ़ लाख परिवार है, उन डेढ़ लाख परिवार में से 75 हजार परिवारों को जिला परिषद् के टैक्स की नोटिस दी गई है जिलाधिकारी के द्वारा। इससे 5 लाख साढ़े 4 लाख जनता प्रभावित है। टैक्स का आधार क्या रखा गया है। जिस व्यक्ति की टोटल प्रापर्टी 6 सौ रुपया होगी टैक्स देय होगा। मान्यवर, एक कच्चा कमरा बनाया जाय वह भी 6 सौ में नहीं बनेगा, एक साईकिल, एक ट्रांजिस्टर हो वह भी 6 सौ में आ जाता है। बकरी हो वह भी आता है, पाव भर दूध देने वाली गाय हो, उस पर भी टैक्स लग जायेगा। जितने भी भूमिहीन छोटे-छोटे किसान हैं जिनके पास 1–2 एकड़ जमीन है सब पर टैक्स है। हजारों की संख्या में गरीब किसान आज मान्यवर, हमारे यहां फसल कट रही है वह अपनी फसल को छोड़कर मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। मान्यवर, जिलापरिषद् के अधिकारी और कर्मचारी उनका शोषण कर रहे हैं। बुरी तरह से पैसा वसूल किया जा रहा है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इस सरकार के बार-बार आश्वासन के बावजूद जो जिलाधिकारी हैं उनको जिलापरिषद् और नगरपालिका का टैक्स बढ़ाने का अधिकार नहीं हैं ऐसा प्रश्नों के उत्तर आये हैं। जब तक जिला परिषद् और नगरपालिका का विधिव8 गठन हो जाय तब तक टैक्स में बढ़ोत्तरी न करें, यदि बढ़ोत्तरी करना है तो गठित जिला परिषद् नगरपालिका तरमीम कर सकती है। मान्यवर, अब तो तिथि भी घोषित कर दी है। लेकिन मान्यवर, अधिकारियों को इतना गवरा नहीं है वहां जनता को पीसा जा रहा है। मान्यवर, पूरे बुन्देलखण्ड में केवल जालौन में यह टैक्स लगाया गया है।

मान्यवर, मैं यह आज कहने के लिये मजबूर हो रहा हूँ कि हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप निर्देशित करें कि टैक्स को वापस लेने के, मान्यवर, इसी तरह से जिला परिषदों, नगर पालिकाओं में किया गया है, 10–10 गुना टैक्स की वृद्धि की गयी है, इसलिए दोनों को वापस लेने की सरकार घोषणा करे और अगर घोषणा नहीं करती तो हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है कि मैं यहां पर अपना विरोध प्रकट करूँ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप लोगों को सुन लिया है····

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। कोई चीज नहीं लिखी जायेगी।

(व्यवधान)

आप लोग कह लीजिये, अपनी-अपनी बात, कोई चीज नहीं लिखी जायेगी। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(घोर व्यवधान)

जो अधिकार आप लोगों ने मुझे दिया है उसके आधार पर मैं 3 सूचनायें ही सुन सकता हूँ। आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिये। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। एक से अधिक माननीय सदस्यों को नहीं सुना जायेगा।

(व्यवधान के मध्य)

जो 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं 56 के अन्तर्गत उसमें केवल केदार नाथ सिंह की, कुछ और तथ्य मैंने मांगे थे, वक्तव्य के लिये निर्धारित है, विद्या सागर नौटियाल की है म्योर मिल के बारे में, शासन के पास भेज रहा हूँ, राम गोविन्द, अकबर हुसैन आदि की है, शासन के पास भेज रहा हूँ और शंकर सिंह की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी आज बहुत कार्य है। मतदान के लिये काफी समय मिल गया है। एक ही मत है। इसलिये 4 बजे तक हम इसको समाप्त करना चाहते हैं ताकि आगे का कार्य हम ले सकें। इसी लिहाज से इस पर माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो····

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये जसवन्त सिंह जी।

माननीय मंत्री जी आप बैठ जायें। (श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री से) क्या व्यवस्था का प्रश्न है आपका।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

शंकर सिंह जी के कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर जो आपने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है इसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि संसदीय कार्य मन्त्री कल या परसों की कोई तिथि दे दें। वहां पर इसकी वसूली बड़ी तेजी से हो रही है। बुन्देलखण्ड के पांचों जनपदों का मामला है।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। आप कृपया तिथि बता दें। जहां तक केदार नाथ सिंह जी की सूचना का प्रश्न है, 24 तारीख निर्धारित की गयी है।

श्री अम्मार रिजवी—

परसों रख लें ।

श्री अध्यक्ष—

केदारनाथ सिंह जी का 24 तारीख को है । इसकी भी 24 तारीख है । सूचना इकट्ठा कर लें । और यह 24 तारीख को एजेन्डा में आ जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 1983–84 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 33–पर्वतीय विकास विभाग

*परिवहन एवं पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33 पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,83,90,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, पर्वतीय विकास विभाग के लिये छठीं योजना में 570 करोड़ का प्राविधान है । पिछले वर्ष 81–82 तक इस पर 195,10,00,000 रुपये स्वीकार हो चुका है । इस वर्ष 83–84 में 140 करोड़ का प्राविधान किया गया है । जो बजट मैंने प्रस्तुत किया है इससे यह लगेगा कि बहुत ज्यादा धनराशि बताई गयी है । 19,06,72,000 रुपये लेखानुदान द्वारा यह सदन पहले ही स्वीकार कर चुका है ।

25 करोड़ रुपये अनुपूरक अनुदान के द्वारा मिलने की अपेक्षा है । इस तरह से 140 करोड़ का है । पर्वतीय क्षेत्र में 8 जनपद आते हैं जिनकी भौगोलिक परिस्थिति मैदानी जिलों से भिन्न है । यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । इसके विकास की सामयिक आवश्यकता है । हमारे तीन जनपदों की सीमायें दूसरे देशों से मिलती हैं । अगर पिछले वर्षों की बात इस माननीय सदन के समक्ष रखें तो मालूम होगा कि वे कितने पिछड़े हुये थे ।

जब देश आजाद हुआ । भारत की और इस प्रदेश की सरकारों ने यह अनुभव किया कि पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास होना चाहिये । सामयिक विकास हो तो उसके लिये यह पृथक विभाग बनाया गया । उसके लिये बजट भी पृथक् रखा गया है । मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना में जैसा कि मैंने कहा 570 करोड़ रुपये का प्राविधान है । इसमें 350 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार मदद करेगी । वित्तीय वर्ष 1983–84 में परिव्यय में 140 करोड़ रुपए योजनाओं का है । जिसमें से 85 करोड़ रुपये भारत सरकार इस पर्वतीय विकास विभाग को वहाँ के विकास के लिये देगी ।

मान्यवर, राष्ट्रीय विकास की जो नीति है उसी नीति के अन्तर्गत विकास के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने, स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि करने तथा जो क्षेत्रीय असन्तुलन है उसको दूर करने का प्रमुख उद्देश्य है । इस उद्देश्य को लेकर पर्वतीय विकास विभाग कार्य करता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हिमालयी अंचल के पर्यावरण विकास हेतु गठित कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) की संस्तुतियों के आधार पर वहां विकास का कार्य किया जा रहा है। समन्वित शोध, एकीकृत जलागम प्रबन्ध आदि की ओर से भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मान्यवर, भागीरथी के दक्षिण यूरोपियन आर्थिक समुदाय की ओर से हिमालय वाटर एण्ड डेवलेपमेंट परियोजना द्वारा गढ़वाल मण्डल की नयार नदी तथा कुमायूं की पनार नदी पर निर्माण का कार्य किया जायेगा और इस पर लगभग 65 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसके लिये योजना तैयार हो रही है और उस योजना के आधार पर आगे कार्य किया जायेगा। यह योजना भारत सरकार द्वारा भेजी जा रही है और भारत सरकार द्वारा ही हमको आर्थिक सहायता मिलेगी। विदेशी सहायता लेने के लिये कुछ विशेष योजनायें बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में फलोद्यान विकास हेतु योजना बनायी जा रही है ताकि पर्वतीय क्षेत्र में फलों का विकास हो सके।

दूसरा एल्पाइन चारागाहों का विकास जो बहुत ऊँचाई पर हैं गर्मियों में जहां हमारे जानवर चुगने जाते हैं, इसके विकास के लिये स्वीट्जरलैण्ड की सरकार की सहायता से भारत सरकार द्वारा योजनायें बनाई जा रही हैं। तीसरा, जैतून, बादाम और अखरोट आदि के उत्पादन को बढ़ाने हेतु इटली सरकार की सहायता से योजना बनाई जा रही है। इसके द्वारा वहाँ पर फलदार पेड़ों का विकास होगा। इसके अतिरिक्त अगलगढ़ और भीमताल में एकीकृत जलागम प्रबन्ध भी पश्चिम जर्मनी और स्वीट्जरलैण्ड की सरकार की सहायता से की जा रही है तथा इसके लिये योजना तैयार हो रही है। मान्यवर, एकीकृत पशुधन विकास तथा भेड़ विकास की योजना पर भी विश्व बैङ्क की सहायता से कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, जिला चमोली में मक्कू एक स्थान है जहाँ पर इस वर्ष तीन सौ भेड़ें अमेरिका से मँगाई गई हैं तथा 300 भेड़ें अगले वर्ष मंगाई जायेंगी।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।)

इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र, जो सीमान्त क्षेत्र है, भेड़ पालन के लिये प्रसिद्ध है। इनके अनुसार जहाँ भेड़ पालन को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं अच्छी ऊन भी प्राप्त होगी जिससे उद्योग-धन्धे बढ़ेंगे। इन योजनाओं पर इस समय कार्य किया जा रहा है। उम्मीद है कि हमको सफलता मिलेगी और यह योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी। ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि स्थानीय जनता को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें।

एच० एम० टी० द्वारा रानीबाग (जिला नैनीताल) में घड़ी का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा रंगीन फिल्म बनाने का कारखाना और इन्स्ट्रूमेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा मुनि-की-रेती में एक इकाई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा कालागढ़ में तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, हरिद्वार द्वारा गढ़वाल में अपनी इकाई स्थापित करने का विचार कर रहे हैं।

आयोडाइज्ड साल्ट की एक इकाई गढ़वाल तथा दूसरी इकाई कुमायूं में स्थापित करने

का प्रस्ताव है। इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लि० के सहयोग से मोहान (जिला अल्मोड़ा) में जड़ी-बूटी पर आधारित भारतीय औषधि निर्माण का एक केन्द्र स्थापित किया गया है।

प्रदूषणरहित इकाइयाँ जैसे इलेक्ट्रोनिक्स घड़ियों, आप्टिकल, इन्स्ट्रूमेंट्स आदि स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रोनिक टैस्ट एण्ड डेवलपमेण्ट सेन्टर प्रस्तावित हैं। हल्द्वानी (जिला नैनीताल) में सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लाण्ट तथा कोटद्वार में फ्लशडोर फैक्टरी की स्थापना की गयी है।

खादी ऊनी वस्त्रोद्योग के अतिरिक्त वर्ष 1982–83 में 969 लघु व कुटीर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गयीं जिनमें 5604 लोगों को रोजगार मिला। 299 हथकरघा इकाइयां और 885 दस्तकारी इकाइयां स्थापित हुईं।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 5888 इकाइयां स्थापित हुईं। ट्राईसम योजना के अन्तर्गत 1065 चयनित लोगों को प्रशिक्षित किया गया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर इकाइयां स्थापित की गयीं। वर्ष 1983–84 में 400 लघु औद्योगिक इकाइयों का प्रस्ताव है जिनसे 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

इस वर्ष पर्वतीय क्षेत्र में सेब का उत्पादन 1.25 लाख मीट्रिक टन तथा नींबू जाति (साइट्रस) फलों का उत्पादन 25,000 मीट्रिक टन हुआ। इनकी मार्केटिंग की भी समस्या है, जिस पर शासन विचार कर रहा है।

फलोद्यान के अतिरिक्त मशरूम की खेती में दी गयी सुविधाओं के कारण 201 मशरूम इकाइयों की स्थापना हुई। अभी तक 146 उद्यान एवं पौध रक्षा सचल दल स्थापित किये गये हैं।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे गोबर गैस संयंत्र, विन्ड मिल, हाइड्रम तथा सौर ऊर्जा के साधन विकसित करने के साथ-साथ साफ्ट कोक, मिट्टी के सेल व कुकिंग गैस की आपूर्ति को अधिक आसान बनाने की कोशिश की गयी है ताकि जंगलों पर जो भार है, वह कम हो सके। ऐसे वैकल्पिक साधनों की तलाश की जा रही है और आशा की जाती है इसमें शासन को सफलता अवश्य मिलेगी। तथा जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और नयी योजनाओं के सर्वेक्षण डिजाईन की गति तेज करने के लिए नया डिजाईन वृत्त स्थापित किया गया है। 37 लघु जल विद्युत का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है और पांच की डिजाईन को अन्तिम रूप दे दिया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण की गति भी तीव्र की जा रही है। वर्ष 1983–84 में 431 गांवों और 344 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है तथा वर्ष 1983–84 में राज्य लघु सिंचाई कार्यक्रमों से 7500 हेक्टेयर और निजी लघु सिंचाई से 14,500 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। वर्ष 1983–84 में 60 हाइड्रम भी लगाये जायेंगे और साथ ही मुख्य सड़कों से ग्राम समूहों को जोड़ने के लिये सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। ये सम्पर्क मार्ग हल्के वाहनों के लिये बनाये जायेंगे तथा वर्ष 1983–84 में 480 कि० मी० नये मोटर मार्ग, व 150 कि० मी० में पुनर्निर्माण तथा 25 नये पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। पूर्व स्वीकृत सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं।

देहरादून में होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गयी है, जिसमें प्रवेश के लिए पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण है। मान्यवर, इस समय पर्वतीय क्षेत्र में 35 सामुदायिक डिब्बा बन्दी एवं प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर फलों की ग्रेडिंग और भंडारण व्यवस्था करने के लिए रामगढ़ (जिला नैनीताल) और नौगांव (जिला उत्तरकाशी) में ग्रेड पैक हाउस और एक-एक कोल्ड स्टोरेज खोलने का प्रस्ताव है। तथा पर्यटन क्षेत्र में ऋण उपादान योजना की नियमावली में परिवर्तन करके निजी स्रोत से धन की व्यवस्था करने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार का अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है तथा शीत कालीन खेलकूदों को प्रोत्साहित करने के लिए 220 लाख रुपये की योजना को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। पर्वतीय क्षेत्र में आवासीय सुविधा के लिये 71 योजनायें विचाराधीन हैं और उन्हीं के आधार पर 71 योजनायें चालू की जा रही हैं। पर्वतारोहण के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 6.25 लाख रुपये का अनुदान कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगमों को दिया गया है। यह पर्यटन का कार्य दोनों मण्डलों का कुमायूं और गढ़वाल का इनके हाथ में है। इधर से ये मानसपीठ तक यात्रियों को भेजते हैं और गढ़वाल विकास निगम केदारनाथ और बद्रीनाथ, जमुनोत्री तथा गंगोत्री के यात्रियों को भेजते हैं। इनका काम बहुत अच्छा रहा है, इसकी लोगों ने बहुत प्रशंसा की है।

मान्यवर, एक खुशी की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विश्व प्रसिद्ध नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा फलों की घाटी का नैसर्गिक सौन्दर्य बनाये रखने के लिये कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क में प्रवेश पर और फूलों की घाटी में चयन-चुंगन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

इसी प्रकार से सघन भेड़ विकास परियोजना के अन्तर्गत मक्कू (जिला चमोली) में रैम्बुले नस्ल की 300 विदेशी भेड़ें इस वर्ष मंगाई गयी हैं और 300 वर्ष 1983–84 में आयात करने का प्रस्ताव है। इससे भेड़ों की नस्ल सुधरेगी और उन्नत किस्म का ऊन प्राप्त होगा।

वर्ष 1983–84 में 15 पशु चिकित्सालय, 10 पशु सेवा केन्द्र तथा 36 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 1983–84 में दो जनपद मुख्यालयों पर हृदय रोग अवेक्षा इकाई, दो अन्य मुख्यालयों पर ई० एन० टी० इकाई स्थापित की जायेगी। इससे सभी पर्वतीय जिला मुख्यालयों पर विशिष्ट चिकित्सा सेवा की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1983 84 में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 50 उप केन्द्र, 5 महिला चिकित्सालय, 8 आयुर्वेदिक तथा 5 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य है।

इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में 7,771 अभावग्रस्त गांवों में से 5,102 गांवों को वर्ष 1981–82 तक पेय जल की सुविधा दे दी गयी थी। वर्ष 1982–83 में 417 अभावग्रस्त तथा 233 अन्य गांवों को पेय जल पहुँचाये जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त हरिजन पेय जल योजना के अन्तर्गत 400 डिग्गियों का निर्माण किया जाना अनुमानित है। वर्ष 1983-84

में 540 गांवों को पेय जल देने का लक्ष्य है जिनमें 360 अभावग्रस्त हैं। ग्राम्य विकास विभाग भी 500 पेय जल डिग्गियों को हरिजनों के उपयोग के लिये निर्मित करेगा।

इसके अतिरिक्त प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा के स्तर के लिये विद्यालयों और उसकी साज-सज्जा तथा विज्ञान उपकरण क्रय किये जाने की भी योजना है। वर्ष 1983–84 में 85 प्राइमरी स्कूल, 30 जूनियर हाईस्कूल, 4 राजकीय हाईस्कूल खोलने और दो राजकीय हाईस्कूलों के उच्चीकरण का भी प्रस्ताव है। विज्ञान की अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत सभी विद्यालयों में आवश्यक सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर सुलभ करायी जा रही हैं। इसके साथ ही प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा स्तरीय विद्यालयों को साज-सज्जा, विज्ञान उपकरण आदि दिये जाने की योजनायें आगामी वर्ष भी जारी रखी जायेंगी।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में पिछड़ी तथा जनजातियों के कल्याण के लिये वर्ष 1983-84 में 125 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। खटीमा, जिला नैनीताल में एकीकृत जनजाति विकास योजना को स्वीकृति दे दी गयी है। इस पर राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा 464.51 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

मान्यवर, बुक्सा एकीकृत जनजाति विकास योजना भी तैयार की जा रही है। धारचूला, मुन्स्यारी योजनाओं के भी शीघ्र तैयार हो जाने की आशा है। राजी जनजाति के उत्थान के लिये भारत सरकार की सहायता से एक योजना लागू की जा रही है।

वर्ष 1983-84 में अनुसूचित जनजातियों के लिये 13.30 करोड़ रुपये और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये 19 करोड़ रुपये का प्राविधान विभिन्न मदों में किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्र के 8055 बन्धुवा मजदूरों में से इस वर्ष के अन्त तक सभी मजदूर पुनर्वासित हो जायेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ बन्धुआ मजदूरों की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही थी। उन्हें इससे मुक्ति दिलाने के लिये ही यह व्यवस्था की गयी है।

सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भूतपूर्व सैनिकों की बहुतायत के कारण उनके आश्रितों के कल्याण के लिये इस वर्ष 25 60 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयीं। पिथौरागढ़, देहरादून, जोशीमठ तथा लैंसडाऊन में 10-10 शैय्या के एक-एक वार्ड के निर्माण हेतु 17.55 लाख रुपया स्वीकृत दिया गया। वार मेमोरियल बायज हास्टल, रानीखेत के लिये तीन लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

(व्यवधान)

मान्यवर, वर्ष 1983–84 में सैनिक कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत रानीखेत में सैनिक सराय और बागेश्वर जिला अल्मोड़ा में सैनिक विश्राम गृह के निर्माण की योजना है।

प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983–84 में 20,500 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में 51,600 परिवारों को लाभान्वित करने, 344 हरिजन बस्तियों में बिजली पहुँचाने, 1242 ग्रामीण आवासों का निर्माण करने, 540 डिग्गियों का निर्माण करने का भी लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983–84 में 316 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

यह प्रयास किया जायेगा कि वर्ष 1983–84 का बजट विधान मण्डल द्वारा पारित होते ही व्यय की स्वीकृतियां अविलम्ब जारी कर दी जाये और जिन विभागाध्यक्षों को आबंटन किया जाये वे भी एक सप्ताह के भीतर फील्ड स्तर पर धनराशि का आबंटन करके शासन को इसकी सूचना दें। इससे परिव्यय का सदुपयोग समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पर्वतीय क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि का उपयोग और लोगों को मिले, वास्तविक लाभ का मूल्यांकन आवश्यक प्रतीत होता है।....

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता––

भाषण के मध्य क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

(व्यवधान)

कृपया मन्त्री जी को भाषण समाप्त करने दें।

श्री विद्यासागर नौटियाल––

मान्यवर, व्यवस्था मैं यह चाहता हूँ कि जब कोई माननीय सदस्य कागज से पढ़कर अपना भाषण देते हैं तो आप उनको मना कर देते हैं और माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं, तो मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता––

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बल्देव सिंह आर्य––

इसमें जो कमियां हैं उनकी देखरेख हो सकेगी, पता नहीं रहता है कि कितना काम हुआ है। उसका मूल्यांकन होना बहुत ही आवश्यक है। अतः मैं यह माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे सुझाव दें, जिससे हमें सहायता मिले! मैंने बजट में सभी पहलुओं को रख दिया है कि आगे क्या करने जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हम क्या करने जा रहे हैं इसको भी मैंने आपके समक्ष कर दिया है। इन शब्दों के साथ मैं अपने बजट को प्रस्तुत करता हूँ।

* डाक्टर शिवानन्द नौटियाल––

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 33–पर्वतीय विकास विभाग, के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय पर्वतीय विकास विभाग के मंत्री जी ने अपना बजट आज प्रस्तुत किया है। मैं इसको विकास नहीं कह रहा हूँ। इसको विभाग कह रहा हूँ जिस प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग, यह उसी तरह से है। जैसे और विभाग हैं यह उसी प्रकार का विभाग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। पर्वतीय विकास का जो रूप माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसको देखते हुए मैं यह कहता हूँ कि जो पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिले हैं, उनकी दिशा शून्य हो गयी है। माननीय मंत्री जी ने वहां के लोगों के भाग्य को बनाने के लिये ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिसकी मैं तनिक भी कल्पना नहीं कर सकता था। कम से कम मैं माननीय आर्य जी से ऐसी आशा नहीं करता था। पिछले 3 वर्षों में जो उपेक्षा के बादलों के बीच में पर्वतीय अंचल के 8 जिले में असंतुलन का वातावरण बनता जा रहा है। कम से कम आप उस असंतुलन को कम करने का प्रयास करते तो अच्छा होता, लेकिन जो उनका बजट है उससे ऐसा लगता है कि जो परम्परा 3 वर्ष में रही है उससे हटकर अलग जाने की कोई चेष्टा नहीं की गयी है इससे ज्यादा और कोई दुर्भाग्यपूर्ण चीज नहीं हो सकती है।

पर्वतीय जिलों की इस उपेक्षापूर्ण स्थिति को देखते हुए श्रद्धेय बहुगुणा जी ने सन् 1974 में इन 8 पर्वतीय जिलों के लिए अलग से बजट बनाया था। प्रदेश के भीतर यह 8 जिले उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं इसलिए इनका बजट अलग से होना चाहिए, तभी आप इन जिलों के लिए कुछ कर सकते हैं। उनकी समस्यायें अलग हैं, उनका निदान अलग होना चाहिए, इसलिए वहां के लिए अलग से बजट बनाने की कोशिश की जाये, लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर विकास के दो भाग कर दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 8 जिलों के लिए राज्य स्तर की बात कहां आती है। आप आठ जिलों के लिये जब बजट बना रहे हैं तो उसे राज्य स्तर पर घसीटने का क्या औचित्य है। आपने जो पर्वतीय विकास विभाग की पुस्तिका दी है उसके पृष्ठ तीन पर स्वयं कहा है कि बजट की धनराशि का 52 प्रतिशत जिला सेक्टर के लिये प्रस्तावित है और इस धनराशि में 20 प्रतिशत अंश असंगतियां आदि के लिये आरक्षित धनराशि सम्मिलत है। जो करने वाली बात है वह तो प्रस्तावित है और जो काटने वाली बात है वह आरक्षित है। जो 30 प्रतिशत भाग आपने जिला सेक्टर की योजनाओं के लिये आबंटित करके आप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और उससे जो ढांचा आज पर्वतीय अंचलों के विकास का हो रहा है उसने वहां की सारी योजनाओं को और वहां के विकास को तहस-नहस कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस बजट को नये ढंग से आप प्रस्तुत करें तभी वहां का कल्याण हो सकता है। वरना इससे ज्यादा दुखदायी बात पर्वतीय अंचलों के लिये और क्या हो सकती है।

आप कहते हैं कि हमने 140 करोड़ रुपये का बजट रखा है। माननीय मन्त्री जी कहते हैं केन्द्र से कुछ तो हम ला चुके हैं और कुछ लाने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार के प्लानिंग कमीशन ने बार-बार कहा है कि आप अपने संसाधनों में से 15 प्रतिशत पर्वतीय अंचलों के लिये दे दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के जो संसाधन हैं उसमें 1375 करोड़ का आपका बजट है उसमें 550 करोड़ केन्द्र का है। यदि इसको उसमें से काट दें तो जो 825 करोड़ बाकी रह जाता है इसका 15 प्रतिशत होता है 124 करोड़। यह 124 करोड़ पर्वतीय अंचलों को मिलना चाहिये, जो मुश्किल से 55 करोड़ रुपया मिला है। अगर हमको यह रुपया मिल जाता तो हमारा बजट 315 करोड़ रुपये का बन जाता। 360 करोड़ रुपया तो आपको हमारे यहां के जंगलों से आता है। हमारे पर्वतीय अंचल का एक-एक बच्चा उस जंगली लकड़ी से जुड़ा हुआ है। 360 करोड़ रुपये की धनराशि जंगलों से इस प्रदेश को आ रही है और वहां के विकास के लिये आप 140 करोड़ रुपये दे रहे हैं और इस पर भी 85 करोड़ रुपया सेन्ट्रल असिस्टैंस है और उस पर कहते हैं कि हम पहाड़ों का कल्याण करते हैं। यही कल्याण हो रहा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल पिछले साल खुलने चाहिये थे वे इस साल खुले हैं इस मार्च के महीने में। ये जूनियर हाई स्कूल चमोली में और पौड़ी में इस महीने खुले हैं। मैं इस बात का आपको प्रमाण दे रहा हूँ। एक साल का बजट आप इस तरह से खा गये। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि हमने पिछले साल 70 प्रतिशत प्रशासन पर खर्च किया है और 30 प्रतिशत विकास के कार्यों में खर्च हो रहा है। आप इस तरह से क्या पहाड़ों का कल्याण करेंगे। किस तरह से कल्याण करेंगे ? यह बड़ी शोचनीय बात है। यह स्थिति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरा निश्चित दावा है कि इस समय प्रशासन के ऊपर सरकार का 70 से 80 प्रतिशत खर्च बढ़ गया है और वह निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस तरह से 20 प्रतिशत में पर्वतीय अंचल का क्या विकास हो सकता है। आप कहते हैं कि हमने यह घोषणा कर दी, वह घोषणा कर दी। कोई कल्याणकारी घोषणायें आप करते तो हम अवश्य उसका स्वागत करते।

आप कहते हैं आप हमें सुझाव दें। जो सड़कें सन् 74 में मंजूर हो गयी थीं उनको तो आप पूरा करते। वे भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इसी माननीय सदन में जिन स्कूलों के लिये आपने आश्वासन दिया था, माननीय मन्त्री जी बैठे हैं, पुराने मन्त्री भी बैठे हैं, उन्होंने भी उनको तोड़-मरोड़ कर उन सड़कों को नहीं पूरा किया है। जो आश्वासन आपने दिया था स्कूलों के खोलने का, उन्हें भी खोलने की आपने कोशिश नहीं की है तो नई सड़कों की क्या स्थिति होगी, नई योजनायें कैसे बनेंगी इसका अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है। जब 74 की सड़कें आज तक नहीं बनीं तो अन्तर जिले की सड़कें बनाने की बात ही छोड़ दीजिये। (व्यवधान)। मैं सही बात कह रहा हूँ भाई विशारद जी। मैं गलत कुछ नहीं कहता। मान्यवर, पहाड़ में अभी ऐसे अंचल हैं जहां पर लोग साल भर का राशन भेड़ पर लाद कर ले जाते हैं। हमारे यहां एक गांव ऐसा भी है जहां पर गाय के बछड़े को नीचे से कंधे पर रख कर ले जाते हैं और वहीं उसको पाल कर बड़ा करते हैं क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं है। तो मन्त्री जी आपके यहां भी अगर ऐसा है तो वहां सड़क क्यों नहीं बनाते हैं। इसीलिये मैं कह रहा हूँ कि वहां पर रास्ते नहीं हैं। अगर आप पहाड़ों का यथार्थ दृष्टि से विकास करना चाहते हैं तो उस विचारधारा को जो पिछले तीन सालों से चल रही थी उसको छोड़कर समान विकास के आधार पर नीति अपनाइये और जो पिछड़े हुए अंचल हैं, जहां लोग सर पर उठा-कर 6-6 किलोमीटर से पानी ले जाते हैं उनको पानी देने की व्यवस्था कीजिये तो लोग आपकी सराहना करेंगे।

श्री बिहारी लाल--

काम ज्यादा करें और आलोचना कम करें तो विकास अपने आप होगा।

डा० शिवानन्द नौटियाल--

अगर आपको सुझाव में भी विरोध नजर आता है तो क्या कहूँ सावन के अंधे को हरा ही नजर आयेगा। यह सोचने वाली बात है कि वहां का विकास कैसे हो, आप कहते हैं कि हम स्वागत करेंगे तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आप असंतुलन को दूर करने के लिये चेष्टा कीजिये हम आपका पूरा साथ देंगे ताकि विकास ठीक ढंग से हो। लेकिन ऐसा न हो कि शरीर का कोई अंग मजबूत हो जाय और दूसरा अंग सड़ जाय जिसको उठाना भी भारी हो

जाय तो यह अनुचित होगा। पर्वतीय अंचल में बहुत से ऐसे भाग हैं जहां जाने के लिये रास्ते नहीं हैं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हैं और उसके लिए आप केवल चार स्कूल खोल रहे हैं तो इससे कैसे काम चलेगा। एक आप अस्पताल खोल रहे हैं।

मैं एक और बात बताना चाहता हूं आप एक तरफ रेलवे विभाग को रुपया दे रहे हैं। करीब 6 करोड़ रुपया रेलवे डिपार्टमेन्ट को देने का इस बजट में आपने प्राविधान किया है। अपने घर में दाना नहीं है, हमारे यहां सड़क नहीं हैं और आप रेलवे को बुला रहे हैं कि तुम भी इतना पैसा ले जाओ। यह हैरानी की बात है, रेलवे अपने आप में एक सम्पन्न विभाग है केन्द्र सरकार उसको सहायता देती है लेकिन पर्वतीय अंचल के लोगों का धन रेलवे को देना कहां तक औचित्यपूर्ण है। इसमें हमारे चार-पांच अस्पताल और स्कूल खुल सकते हैं।

अब एक बात अन्य विभागों की देखिये, सबसे ज्यादा रुपया सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया जाता है जो बजट का करीब 20 प्रतिशत आता है। मेरे इलाके में एक डिवीजन है जिसका नाम वेजरो है, वहाँ दो कि० मी० लम्बी सड़क बनी है और वहाँ पर दो साल से आपका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है। एक हैरानी की बात जो है वह मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। जहाँ इंजीनियर दो साल पहले अपने साथ यहां से ठेकेदार ले जाते थे लेकिन कोई इंजीनियर अपने साथ पत्थर नहीं ले गया। लेकिन आज हमारे गढ़वाल में यहाँ से इंजीनियर पत्थर भी ले गये हैं। आगरा से पत्थर "माइल स्टोन" लगाने के लिये खिरसू ले गये हैं। मैंने स्वयं देखा और इंजीनियर साहब से पूछा कि यह माइल स्टोन लगाने के लिये पत्थर कहां से लाये हैं क्यों इसको लगा रहे हैं तो वह कहते हैं कि यह आगरा का पत्थर है इतना बड़ा पत्थर पहाड़ में नहीं मिलता है। हमारे यहाँ घराट होती हैं उसके लिये वहां पत्थर मिलता है। बिहारी लाल जी जरा सुनें यह रोने वाली बात है, पत्थर भी आगरा से गया है।

जो माइल स्टोन है, गढ़वाल के सारे मंडल में आगरे से वहां जा रहा है। मैंने पूछा इंजीनियर से कि एक पत्थर कितने में आ रहा है तो कहा गया कि 500 रुपये से एक हजार में एक पत्थर पड़ रहा है। जबकि हमारे यहां पहाड़ में पत्थर ही पत्थर है, तो यहाँ से ले जाने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि मोटे पत्थर पहाड़ में नहीं हैं, तो मैंने कहाँ कि उससे मोटे पत्थर यहां पहाड़ में होते हैं और यहां से पत्थर निकालें जिससे यहां पहाड़ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन ऐसे इंजीनियरों को रखा जा रहा है। इसीलिये ठेकेदारी करने के लिये वहां के लोगों को ठेकेदारी नहीं मिल सकती है और जिसको वहां के लोगों को ठेकेदारी देने की बात होती है तो उसको गंगा में फेंक दिया जाता है, और इस सम्बन्ध में तीन केसेज हो गये हैं कि—गंगा में फेंक दिया गया है। इसलिये मंत्रीं जी इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, सड़कों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो किलो मीटर साल में सड़क बनती है। मान्यवर, शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां शिक्षा विभाग द्वारा ही प्रगति की नींव रखी जाती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रान्तीय शिक्षकों का मामला अभी क्यों हल नहीं किया गया है ? बेसिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनकी समस्या को क्यों हल नहीं किया गया है ? वे हड़ताल करते जा रहे हैं इसलिये उनकी समस्या को आप हल करें। मान्यवर, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ के और आठों जिले के जो अध्यापक हैं वह पिछले 2–3 सालों से रोते जा रहे हैं, उनकी समस्या का हल क्यों नहीं किया गया है ?

मान्यवर, डिग्री कालेजों के बारे में कहा जाता है कि डिग्री कालेज जो पहले खोल दिये

गये हैं उनको बन्द कर दिया जाना चाहिये, मैं पूछना चाहता हूँ कि बन्द करने की बात क्यों होती है ? और सब्जेक्ट खोलने की बात क्यों नहीं की जाती है ? मान्यवर, गढ़वाल और कुमायूँ विश्वविद्यालय में आर्ट के सब्जेक्ट में पढ़ाई प्राइवेट करने की अनुमति है, इसलिए कोई छात्र आर्ट पढ़ने के लिये कालेज में नहीं जाता है, चाहे वह कर्णप्रयाग हो या चौघटाखाल हो या बेदीखाल हो, चाहे वह लोहाघाट हो या चम्बा का कालेज हो। इनके चारों किनारों पर पहले से इंटरमीडिएट कालेज हैं जहां पहले साइन्स की कक्षायें चलती थीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि साइन्स पढ़ने वाले लड़के इंटरमीडिएट में साइन्स पढ़ते हैं तो आर्ट्स पढ़ने के लिये डिग्री कालेजों में क्यों जायेंगे ? इसलिये डिग्री कालेजों में कम से कम साइन्स खोल दें तो विद्यार्थियों की संख्या अगर कम हो तो आप डिग्री कालेजों को तोड़ सकते हैं अन्यथा साइन्स के विषय यदि वहां नहीं होंगे तो आर्ट्स में एम० ए० और बी० ए० पढ़ने के लिये वहां कौन जायेगा, इसलिये इन कालेजों को तोड़ रहे हैं।

मान्यवर, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में डॉ० पुरोहित जो बोटेनिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी तरह से कुमायूँ विश्वविद्यालय में भी अच्छा काम हो रहा है लेकिन इनको यहां से कोई सुविधा और प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है जबकि गढ़वाल और कुमायूँ यूनिवर्सिटीज को यहां से अधिक से अधिक धन और सुविधायें दी जानी चाहिये। मान्यवर, डॉ० पुरोहित ने जो योजना बनायी है जिसको एक सेन्टर के तहत वह चला रहे हैं जिसमें यहां से विभाग से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये किन्तु विभाग का कहना है कि डॉ० पुरोहित ने सेन्टर खोल दिया है इसलिये हम सहायता नहीं देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सेन्टर भी तो इंस्टीट्यूशन का एक भाग है, इसलिये विभाग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, गढ़वाल और कुमायूँ विश्वविद्यालय को कहते हैं कि मान्यता के लिये दो करोड़ रुपये की सम्पत्ति विश्वविद्यालय की होनी चाहिये, यह मान्यता के लिए जरूरी है लेकिन विश्वविद्यालय की पढ़ाई की मान्यता है, इससे इन्कार कौन करता है, कुमायूँ, गढ़वाल विश्वविद्यालयों की मान्यता नहीं है और आपका विभाग कहता है कि मान्यता नहीं है, इसलिये रुपया नहीं देते हैं, तो गढ़वाल-कुमायूँ विश्वविद्यालय के लड़कों का भाग्य आप क्यों खराब कर रहे हैं ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक रुपया देकर आपको इन विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ बनाने की चेष्टा करनी चाहिये।

अब जल निगम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ....(व्यवधान) पेयजल की समस्या पर्वतीय अंचलों में सबसे प्रमुख है। वहां पर जल निगम और जल संस्थान का आपस में कोआर्डिनेशन न होने के कारण यह समस्या और भी विकट है। जब तक इनको एक सूत्र में नहीं बांधा जाएगा, उनके आपसी झगड़ों के कारण कोई काम इसमें नहीं हो पाएगा। आप तुरन्त एक बाडी बना लें इसके लिए और एक को काम दे दें, जिसको भी आप उचित समझे। अभाव-ग्रस्त गांवों की एक सूची 1972 में बनी थी, अब तक स्थिति बहुत बदल गई है। बहुत से गांवों में पानी के सोते सूख गये हैं, जो उस समय सूची में थे वह आजकल नहीं हैं, लेकिन पानी की समस्या पहाड़ों में सबसे ज्यादा है। इसीलिए आप इनको रुपया भी ज्यादा दे रहे हैं।

अतः फिर से अभावग्रस्त गांवों का सर्वेक्षण होना चाहिये और अधिक से अधिक रुपया देकर इनको सशक्त बना देना चाहिये और एक बाडी को सारा काम सौंप देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप कितना समय और लेंगे ।

डॉ० शिवानन्द नौटियाल—

बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूँ । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बजट आप कम करने वाले हैं और अब समय में भी कमी । बजट में भी घाटा और समय में भी काटा ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं तो आप से पूछ रहा हूँ ।

डॉ० शिवानन्द नौटियाल—

5–7 मिनट और लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता –

आप पाँच मिनट ले लें ।

डॉ० शिवानन्द नौटियाल—

और लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि आप पूरा समय दे । विद्युत के बारे में कहा गया है, सारे पर्वतीय अंचल में एक समान योजना विद्युत की नहीं बनाई गई है और मैं स्वयं देखकर आया हूँ । ब्यौरोखाल के बेदीखाल नामक स्थान के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने गाँव वालों से साफ तौर से कह दिया है कि तुम्हारे गांव हम तभी बिजली पहुँचाएँगे, पहले हमें रुपया दो डंडोंपोलों को पहुँचाने के लिए । यह स्थिति बिजली की है । दिन को आती है रात को गायब रहती है यह है इनकी प्रगति का नमूना ।

चिकित्सा के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, वही बात स्कूलों के बारे में कहना भूल गया था, अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं है और अगर डाक्टर हैं तो दवाई नहीं है । एक अस्पताल पर कम से कम एक लाख रुपया खर्च होता होगा, लेकिन दवाइयों के लिए एक हजार से ज्यादा रुपया नहीं है । तो इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए । शिक्षकों के बारे में मैं बताना भूल गया था, इस समय हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के इम्तहान हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां अध्यापक स्कूलों में नहीं पहुँचे हैं । 70–80 परसेंट वहां पर अध्यापक छुट्टी पर हैं । रजिस्टर पर उनके नाम हैं, लेकिन वे छुट्टी में घर पर हैं, इसलिए इस चीज में भी कुछ होना चाहिए । मंत्री जी ने कहा कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में हरिजनों के लिए 19 करोड़ रुपया का प्राविधान किया गया है । तो क्या आप अपनी नीति से स्वयं पीछे हट गये हैं ? 140 करोड़ के प्राविधान में 20 प्रतिशत का जो नियम है, उसके हिसाब से 28 करोड़ होना चाहिए, तो अपने यहां भी क्यों कटौती की ? क्या इसके लिए पर्वतीय अंचल के हरिजन ही रह गये थे उनके कोटे से कटौती करने के लिए ? आपका अपना बजट भी इतना कम कर दिया गया हैं ।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ डाक्टर नौटियाल जी से कि आपने जो कटौती का प्रस्ताव एक रुपया रखा है, उसमें हरिजनों के लिए कितना रखा ?

(व्यवधान)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, चलिये हम मान लेते हैं इसको जितना बजट मिलना चाहिए था 315 करोड़ रुपया और जो हरिजनों का 28 करोड़ का कोटा है, उसको माननीय मंत्री जी मान लें, हम अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेते हैं। मान्यवर, फलोत्पादन के सम्बन्ध में मैं यह कह रहा हूँ कि हमने यह प्रगति कर ली है, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ कि जैसे कुछ प्रगति हुई है और एक होटल मैनेजमेंट खोलने का जो विचार है साल भर से, वह कब खुलेगा ? कहते हैं कि मैंने खोल दिया, वह कब खुलेगा ? मान्यवर, फलोत्पादन में कुछ नजर आता था, वह भी विभाग लखनऊ से उठकर ऊपर ले गये, उसके बाद उसमें भी गड़बड़ी आ गयी। मान्यवर, आपने सुझाव की बात कही, तो मैं सुझाव देना चाहता हूँ।

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह हो रहा है कि पर्वतीय अंचल में जो हमने इस तरह से विभागों को काट-छांटकर, इधर-उधर कर दिया है, उससे हमारी प्रगति रुक गयी है, पता ही नहीं लग रहा है कि डायरेक्टर रानीखेत में या लखनऊ में हैं या नहीं, वह तो रानीखेत में हैं, लेकिन जायेंगे पौड़ी। यही बात हर विभाग की है और जिसके कारण उसकी प्रगति रुक गयी और प्रशासन में जो खर्च दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसका वजन भी हमारे ऊपर बढ़ रहा है। मैं अधिकारियों के ऊपर टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। यह सच्चाई है। आज वहां मीटिंग हो रही है। आज रानीखेत में मीटिंग हो रही है। महीने में मीटिंगों के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। काम होता नहीं है और इसतरह से पर्वतीय विकास का विनाश होता रहा है। तो इस मुद्दे पर मान्यवर, गम्भीरता से सोचने की बात है।

मान्यवर, बहुत सी बातें हैं, आपने जैसे कहा, बाद में कहूँगा। लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूँ कि पर्वतीय अंचल का यह जो बजट इस समय प्रस्तुत हुआ है, इससे ज्यादा निराशाजनक कभी नहीं हुआ है। हम चाहते थे कि आज पर्वतीय अंचल के लोगों को यह मालूम होता कि तीन साल तक जो सांस रुकी हुई थी, कम से कम इस बजट के द्वारा उनको नया संकल्प, नयी भावना मिलती, जिससे उनको मालूम होता कि पहाड़ों के लिए इस बजट द्वारा कुछ किया जा रहा है। मान्यवर, जैसे आपने कहा कि हमारी जो विकास परिषद् है, इसमें इसको पास होना चाहिये था। अब हमारे ओझा जी नाम मात्र के उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, अधिकारी इसको बना रहे हैं, भगवान जाने कैसे बनाते हैं, इस तरह से इसमें पर्वतीय अंचल के लोगों की असहमति नहीं है। यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है, इसके लिये मैं यह कह रहा हूँ कि कटौती कम से कम करने के बाद अगर कुछ दिशा इनको मिल जाय, यह अच्छा है।

श्री द्वारिका नाथ धवन —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने समय दिया है पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का। 140 करोड़ रुपये का बजट है जिसमें केन्द्रीय अनुदान ज्यादा है इसलिये मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी और केन्द्रीय सरकार का आभारी हूँ जो पर्वतीय विकास के लिये वह बजट में इतना ध्यान दे रहे हैं। मेरे एक साथी पहले बोल रहे थे, वह फरमा रहे थे कि बहुगुणा के जमाने में, बहुगुणा का नाम वह ले रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुगुणा जी जब मुख्य मन्त्री थे तो कितना बजट था वह बता सकते हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

अब रुपये की कीमत 12 पैसे रह गयी है।

श्री द्वारिका नाथ धवन--

उस वक्त क्या बजट था, वह पर्वत के रहने वाले थे, जो आप डींग हांकते हैं, मैं भी वहां रहता हूँ। लेकिन उस वक्त क्या प्रगति हुयी ? क्या विकास हुआ बहुगुणा जी के कार्यकाल में, आप बतायें कि क्या हुआ ? सिर्फ यहाँ कह देने से विकास नहीं होता। पहाड़ के नाम का एक्सप्लाइटेशन किया जाता है, चाहे हमारी बेंच में हो चाहे आपकी तरफ से हो।

एक सदस्य--

गढ़वाल के चुनाव में क्या हुआ ?

श्री द्वारिका नाथ धवन--

चुनाव में तुम्हारी कमर टूटी है देहरादून में, बोल नहीं सकते हो तुम लोग। आज पहाड़ के नाम पर एक्सप्लाइटेशन किया जाता है, बहुगुणा और उनके अनुयायियों ने क्या किया है, बतायें। हिमालय सिर्फ गढ़वाल में नहीं है। काश्मीर से लेकर आसाम तक है। जो लोग यह समझते हैं कि हिमालय सिर्फ गढ़वाल में है वह गलत सोचते हैं। मान्यवर, मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूँ। अभी लोग गढ़वाल यूनीवर्सिटी की बात कर रहे थे। उसका स्टैंडर्ड क्या है यह मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली में या आन्ध्र में कोई लड़का यह कहे कि मैं गढ़वाल यूनीवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ तो कोई लेने के लिये तैयार नहीं है। वहां रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर में रोज झगड़ा होता है। लड़कों की जिंदगी बरबाद की जा रही है, खास तौर से देहरादून के लोगों की 19 हजार लड़के देहरादून के हैं और 1 हजार पूरे गढ़वाल के हैं। यूनीवर्सिटी श्रीनगर में है। मार्कशीट लड़कों को नहीं मिलती है। वाइस चांसलर रोज लड़ाई करता है। वहां का स्टैंडर्ड अगर पर्वतीय विकास मन्त्री जी बढ़ाना चाहते हैं, एजूकेशन को बढ़ाना चाहते हैं और लड़कों को कम्पटीशन में बैठाना चाहते हैं तो वहां का वाइस चांसलर कोई गढ़वाल का नहीं रहना चाहिये बाहर का रहना चाहिये। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि वहां पर ब्राह्मण और ठाकुर के नाम पर झगड़ा होता है। कोई आचार्य या माव-लंकर हो तो आपको शिक्षा दे सकता है। जो लोग यहां पर बातें करते हैं वह वहां पर झगड़ा कराते हैं यूनीवर्सिटी में। यूनीवर्सिटी बन्द रहती है, यह सब इन लोगों की पैदा की हुयी बीमारी है, बहुगुणा के अनुयायियों की। इनके पास और कोई राजनीति नहीं है पहाड़ में। पहाड़ी और नान-पहाड़ी का क्वेश्चन पैदा करें यह इनकी नीति है। बहुगुणा जी अगर जीते हैं, जो कहते हैं अगर उनमें नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयता है तो उनसे कहें कि अपने को गढ़वाली न कहें जीत कर आयें देहरादून से। जो वह कह रहे हैं, नाम तो है सोसलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, सोसलिस्ट अपने आप को कहते हैं लेकिन हैं फिरकापरस्त।

श्री धर्मवीर सिंह--

मान्यवर, यह बजट पर बोलें तो अच्छा हो।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय धवन जी, आप कृपया बजट पर बोलें।

समय 2.15 से

श्री द्वारिका नाथ धवन--

पहाड़ की बात करते हैं, पहाड़ के लिये सबसे पहले जब तक आर्थिक उन्नति नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता, सड़कें, स्कूल खुलने से कुछ नहीं हो सकता, वहां के लड़के पढ़-लिख कर बाम्बे, दिल्ली भाग जायेंगे। अब मैं हार्टिकल्चर पर आता हूँ। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हार्टिकल्चर में कितनी प्रगति हुई है, वे इस सम्बन्ध में तीन साल के आंकड़े दें। इससे कितने लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हुआ है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अब होश में आये।

श्री राम औतार दीक्षित—

आ रहे हैं धीरे-धीरे।

श्री द्वारिका नाथ धवन--

हार्टिकल्चर में यह किया गया कि हम लोग बाम्बे में एक कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात है। खरीद-फरोख्त कौन करता है, वहां सेब सड़ता है, जो पैदा होता है, वह सड़ता है। आलू कितना पैदा होता है, आप आंकड़े दीजिये। सेब कितना पैदा होता है, नाशपाती कितनी पैदा होती है, उसकी पैदावार में कितनी बढ़ोत्तरी हुई। लखनऊ में बैठकर आपके डायरेक्टर आंकड़े देते हैं, कौन से ब्लाक में आपने सेब लगाये, नाशपाती लगायी, या वहां माल्टा लग सकता है, नींबू लग सकता है।

एक सदस्य--

मन्त्री जी, इनको बता दीजिये कि यह लग सकता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप जारी रखें।

श्री द्वारिका नाथ धवन--

हार्टिकल्चर में आप सर्वे करा लें। आपकी पंत यूनीवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, आपकी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। मैं बदकिस्मती से गढ़वाल निगम का डायरेक्टर भी रहा हूँ, उसके सुझाव रखे, पैसा भी एलाट कराया फिर भी कुछ हुआ नहीं। यह निगम जो आपने बना दिये, यह सफेद हाथी आपने बिठा दिये हैं, सिवाय इसके कि वहां बहुगुणा के चमचे भर्ती कर दिये जायें, आज गढ़वाल निगम में और कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर कितना सरप्लस स्टाक है, वहां इन्क्वायरी करायें, आप करोड़ों रुपया देते हैं, क्या काम गढ़वाल निगम ने किया, मुझे बता दीजिए। कुमायूं निगम से पहाड़ का मसला हल करने की बात कहते हैं, वह करेंगे क्या, क्लर्क भर्ती करने के अलावा और क्या बात है, कौन-सी इन्डस्ट्री और फैक्ट्री लगायी जा रही है, आपने निगम तो बना दिये, अच्छी बात है वहां का डेवलेपमेंट होना चाहिये, यह कौन नहीं चाहता है।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

असली पहाड़ी तो यही दिखाई देते हैं।

श्री द्वारिका नाथ धवन—

सड़कों की बात है, सड़कें तो आप बनवाते हैं, पुल नहीं बनाते हैं, सड़कें बन गयीं और

टूट गयी। आज पी० डब्लू० डी० डिपार्टमेंट के लोग क्या सोचते हैं, आपके डाक्टर और टीचर तो पहाड़ में जाना नहीं चाहते और पी० डब्लू० डी० इंजीनियर वापस नहीं आना चाहते, तो यह क्या वजह है, 30 परसेन्ट पी० डब्लू० डी० का कमीशन चला जाता है, 70 परसेन्ट में कितना लगता होगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री द्वारिका नाथ धवन--

फारेस्ट की बात कही जाती है, पहाड़ में इन्डस्ट्री है, लाइमस्टोन हैं, 20 हजार फैमिली उस पर पलती है, लेकिन इन्वायरमेंट के नाम पर लाइमस्टोन इन्डस्ट्री जो है, उनको बन्द करने जा रहे हैं, मसूरी में, कि लाइन स्टोन की खुदाई नहीं होनी चाहिये, इन्वायरमेंट के नाम पर आपके अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। वहाँ पर इन्डस्ट्री बन्द हो रही हैं।

श्री द्वारिका नाथ धवन--

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री द्वारिका नाथ धवन--

पहाड़ में लाइम स्टोन ओर फारेस्ट इन्डस्ट्री है। फारेस्ट की इंडस्ट्री बन्द हो गई है और लाइम स्टोन की बन्द करने वाले हैं। देहरादून की आर्थिक स्थिति पिछले 2 महीने से खराब हो रही है। आप पर्वतीय विकास चाहते हैं तो फारेस्ट और लाइम स्टोन की इन्डस्ट्री बन्द नहीं होनी चाहिये। मान्यवर 30 करोड़ की वाच फैक्टरी जो देहरादून में लगनी थी जगह न मिलने के कारण हिमांचल को जा रही है तो पर्वतीय विकास का विनाश है। मान्यवर, मलि बस्ती की बात कही गई। आप इसको अल्मोड़ा और काशीपुर में कराइये लेकिन देहरादून का जो बच गया था उसको पहले करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री द्वारिका नाथ धवन--

मान्यवर, पौड़ी में दो स्टेडियम बना दिया और देहरादून में जहाँ इण्डिया टाप खिलाड़ी हैं.... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

श्री द्वारिका नाथ धवन--

टूरिज्म की बात कही गई। टूरिज्म को बढ़ाना है तो आप चलिये हरियाणा, पंजाब, कश्मीर और हिमाचल। जहाँ टूरिस्ट कैम्प्स में तौलिया नहीं है बद्बू आ रही है वहां कौन टूरिस्ट आयेगा। अगर आप पहाड़ का विकास चाहते हैं तो आन दि स्पाट चलकर देखिये। यहाँ बैठकर भाषण करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ बैठकर बजट पास करने से सब काम हो गया ऐसा नहीं है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और इन्दिरा गाँधी का आभारी हूँ कि उन्होंने इतना बजट दिया।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, धवन साहब का विद्वता पूर्ण भाषण हुआ, लेकिन

उनको खुद पता नहीं है कि वह कहां बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिये वही लोग सबसे अधिक चिन्तित हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। धवन साहब ने गढ़वाल विकास निगम के बारे में कहा। मैं भी सहमत हूं उन्होंने कहा कि सफेद हाथी है मैं तो कहूं कि गधे च्वयनप्राश खा रहे हैं आपके राज्य में। मन्त्री जी ने कहा कुमायूं और गढ़वाल में 1 लाख 35 हजार मेट्रिक टन सेव हुआ। कुमायूं और गढ़वाल निगम द्वारा सेव को खरीदा जाता है। सवाल यह है कि 81–82 में कितना सेव खरीदा। आपके गढ़वाल विकास निगम ने 5–39 मैट्रिक टन सेव खरीदा और उसको नुकसान हुआ 30 हजार 47 रुपये 58 पैसे का। जितने का सेब खरीदा उससे अधिक का नुकसान हो गया। कुमायूं विकास निगम ने करीब 13 कुन्तल सेव खरीदा। 8 आना किलो के हिसाब से लिया, 6 सौ रुपये का खरीदा और नुकसान हो गया एक हजार रुपये का। यह तो इनके विकास निगमों की हालत है। आपने वहां पर प्रबन्ध निदेशक, जनरल मैनेजर, एक तिलवाड़ा फैक्ट्री है, बना दिया। जो पहले चूरन बेचते थे, कोई योग्यता नहीं है, उनको बना दिया। सारा का सारा पैसा कर्मचारी और अधिकारी खा रहे हैं। जब से आप मन्त्री बने हैं, गढ़वाल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक का पद खाली पड़ा है, तदर्थ नियुक्ति पर कोई आदमी काम देख रहा है। आपने जो संचालक मण्डल बनाये, उसमें धवन जी सरीखे आदमी को सम्मिलित नहीं किया जो इसमें कोई काम कर सकते। नौटियाल जी ने कहा कि 25 करोड़ का बजट सबसे ज्यादा सार्वजनिक निर्माण विभाग को जाता है, इनका देखिये, 82–83 में सवाल किया था चमोली जिले में, 67 किलोमीटर मोटर मार्ग स्वीकृत किया और आज तक उस पर कितना खर्च हुआ 15 हजार रुपया कुल। वहां पर पैदल पुल, और पुलों को अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं दी।

आप कहते हैं कि यह तो वन संरक्षण अधिनियम की वजह से नहीं बन सके। मैं कहता हूं कि सड़क नहीं बन सकी, ठीक है, परन्तु हमारे यहां आपने 81–82 में 4 हाईस्कूल और इण्टर कालेज के लिए 73 लाख रुपया की स्वीकृति दी थी, उसमें कुछ काम हुआ, उसमें कुल व्यय हुआ 2.04 लाख। आप कहते हैं हमारे पास वित्तीय कठिनाई है, इस लिए निर्माण कार्य नहीं हुआ। सड़कों में ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम की वजह से नहीं बन सकीं लेकिन विद्यालय, बुनियाद बन गयी, कुछ काम हुआ, फिर वह पूरा क्यों नहीं हुआ? हमारे पर्वतीय प्रदेश के साथ हमेशा से ही यही स्थिति अधिकारियों की रही है। पहले उन्होंने कहा कि वन पर आधारित उद्योग लगाओ। अब कह रहे हैं, पर्यावरण विभाग बना दिया, वहां पेड़ नहीं कटेंगे, भेड़ नहीं पलेंगी। जब कच्चा माल नहीं देंगे, तो सरकार को इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिनके उद्योग आपकी नीति से बन्द हो गये हैं उनको मुआवजा देने की।

पर्यावरण का नाम, हम कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। नन्दा देवी पर पर्वतारोहण पर प्रतिबन्ध लग गया। कितने जाते हैं साल में, मुश्किल से पांच सौ, किसी दिन 10, किसी दिन 20, किसी दिन 50। इससे क्या पर्यावरण खराब हो जायेगा, जो विदेशी आते थे उनसे कितने लोगों की रोजी-रोटी चलती थी, फूलों की घाटी पर रोक लगा दी, जो वहां पर रहने वाले हैं, उनकी आजीविका की कोई व्यवस्था नहीं की। तो यह हमारे भाग्य के साथ मजाक कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो आप कोल्ड स्टोरेज है बाम्बे में बनाने जा रहे हैं। यहां से सेव जो जायेगा 10–12 रोज में जायेगा तब तक वह सड़-गल जायेगा और तब वहां किसी काम का नहीं रहेगा। यहां तो आप खोलेंगे

नहीं, बाम्बे में आप खोलने जा रहे हैं। मान्यवर, उद्यान के बारे में कहा। हमारे जोशीमठ में आलू प्रमाणीकरण योजना थी। जोशीमठ का आलू सबसे बढ़िया आलू होता है। बीमारियों से मुक्त और बीज के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है। बीज के लिये आलू जाता है तब कास्तकार को अधिक दाम मिलते हैं। दवाओं में सब्सिडी मिलती थी। एका एक यह योजना बन्द कर दी गयी। क्यों बन्द कर दी ? इसलिये बन्द कर दी कि वहां के किसानों को फायदा हो रहा था, वह न हो।

कृषि के बारे में भी कहा गया। कुर्मुला का बहुत आतंक हैं। कुमाऊँ और गढ़वाल इससे खासतौर से प्रभावित हैं। कुर्मुला के प्रकोप को रोकने के लिये जो दवायें डालते हैं उससे घास इतनी जहरीली हो जाती है कि पशु मर जाते हैं। कुर्मुला पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देते हैं। अगर इस रोग को मिटाना है तो मेरा सुझाव है कि जहां दवा को डालें उसके साथ में उगे जंगल में भी इसको डालना चाहिये। छोटे-छोटे कास्तकार इसका उपयोग नहीं कर पाते। इसको फ्री देना चाहिये जिससे सभी इसका उपयोग कर सकें। बड़े-बड़े बैग्स में रासायनिक खादें जाती हैं। पहाड़ों के लिये यह ठीक नहीं है। छोटे-छोटे पैकेट बनाकर खादों को वहां भेजा जाय। नौटियाल जी ने जल निगम और जल संस्थान की बात कही। एक जी० ओ० निकाला गया था कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण होगा। पता नहीं किन कारणों से वह जी० ओ० कार्यान्वित नहीं हुआ। गढ़वाल जल संस्थान सबसे ज्यादा वाटर टैक्स लेता है, वहां जलकर को कम कर देना चाहिये। पर्यावरण की बात की जाती है।

सीवर के बारे में कहना चाहूँगा। मेरा सुझाव है कि पहाड़ों के प्रत्येक छोटे-छोटे नगर को सीवर लाइन से जोड़ना चाहिये। गोपेश्वर में सीवर लाइन बननी चाहिये। जल संस्थान वालों ने उसको बदल दिया। बेरोजगारी के बारे में यहां पर कहा जाता है कि हिल कैडर बन रहा है। हमारे यहां के लोगों को नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। हो क्या रहा है। जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां भी निदेशालय स्तर से हो रही हैं। कहीं नियुक्ति होनी होती है तो यहां के अखबार में छापा जाता है, वहां के अखबारों में छपता हीं नहीं है। वहां के लड़के साक्षात्कार में निदेशालय तो आ नहीं सकते। पर्वतीय विकास विभाग द्वारा मई 82 में पहाड़ों पर नियुक्ति पर रोक हटा दी गयी थी। पता नहीं क्या कारण है कि उस जी० ओ० का पालन नहीं हो रहा है। वन संरक्षण अधिनियम से वन जन्तु अधिनियम से पहाड़ों पर जीविका समाप्त कर दी गयी है। पहाड़ देश को बहुत कुछ देते हैं। सरकार का भी कर्त्तव्य होता है कि उनका ध्यान रखें। उद्योग वहां खोलने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रानिक्स का उद्योग है, कहीं नहीं लगेगा पहाड़ पर लगेगा, यह घोषणा कर दें। फोटो फिल्म उद्योग लगाया गया अल्मोड़े में। धन्यवाद देता हूँ। अच्छी बात है। एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस उद्योग को लगाया जाय वहां के लड़कों को उसकी ट्रेनिंग भी दे दी जाये ताकि उन्हें नौकरी का अवसर मिल सके।

श्री अधिष्ठाता—

नेगी जी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

धन्यवाद।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पहाड़ी क्षेत्र में दिल-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चस्पी न रखता हो। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पहाड़ों के लोगों से और पहाड़ के आवाम से मोहब्बत न रखता हो। श्रीमन्, मैं माननीय नेगी जी को सुन रहा था तो मुझे एक गीत याद आ गया—

'कॉफल पाको चैता ओ ! मेरी छैला।'

श्रीमन्, इसी गीत से प्रभावित होकर श्री दयाशंकर जी ने एक डान्स इन्स्टीट्यूशन की स्थापना की। इस तरह से इस दिलचस्प मुकाम और इस दिलचस्प मुकाम की तरक्की के लिये हमें पूरी दिलचस्पी से काम करना जरूरी है। वास्तव में देखा जाय तो इसमें कटौती के प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं थी—किस बात का कटौती का प्रस्ताव। जब सभी लोग उसकी सुन्दरता को, उसकी ब्यूटी को और उसकी नैचुरलनेस की हिफाजत करने में तथा उसकी सुरक्षा करने में अपनी दिलचस्पी रखते हैं तो फिर कटौती के प्रस्ताव की बात ही पैदा नहीं होती है। श्रीमन्, कुछ दिन पहले पहाड़ बिलकुल अलग-थलग पड़ा था, एक प्रकार से आइसोलेशन में में था लेकिन 1960 के बाद परिस्थितियों में बहुत बदलाव आ गया है और वह मेन स्ट्रीम आफ लाइफ जिसे हम जीवन की मुख्य धारा कहते हैं, ये पहाड़ बड़ी तेजी से बहकर इसमें सम्मिलित हो रहे हैं।

श्रीमन्, पहाड़ के सम्बन्ध में बहुत कुछ लोगों ने लिखा है तथा बहुत से वहां के लोगों ने कहा है। कुछ लोगों ने पहाड़ के लोगों की ईमानदारी, उनकी सज्जनता और उनकी नैचुरलनेस, इन सभी के बारे में लिखा है। मिस्टर वाल्टेयर ने पहाड़ के लोगों के बारे में लिखा है "दियर आनस्टी इज बिआइन्ड क्वेसचन" अर्थात् वे ईमानदार हैं इसमें कोई शक नहीं है। 'इवन दियर वरबल बारगेन इज सेलडम रेप्यूडाइट' वे जो जुबान किसी से कर लेते हैं तो वे उससे भी मुकरते नहीं हैं। 'थेफ्ट इज आलमोस्ट अननोन, चोरी का तो वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं होता है। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि यह एक इस प्रकार का क्षेत्र है और इस प्रकार का एक एरिया है ! माननीय श्री ऊदल जी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो परिवर्तन न होती हो। हर चीज परिवर्तन होती है ! जो पहाड़ कुछ समय पहले आइसोलेशन में थे वे आज सभ्यताओं के नजदीक आकर कुछ न कुछ किया करते हैं। यह बात दूसरी है कि उनकी कुछ सुन्दरता और कुछ नेचुरलनेस में दखल उत्पन्न हो जाता है। आज इस बात की जरूरत है कि उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिये। इधर काफी पहाड़ों की तरक्की हुई है।

मान्यवर, मैं निवेदन करूँगा कि आज इस अलग बजट की आश्यकता ही नहीं थी। अलग बजट रखने से ही इसमें कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि ये लोग कुछ हमसे अलग जैसे हैं। क्यों न हम इन्टीग्रेट करने का प्रयास करें और मिलकर साथ-साथ चलने का प्रयास करें। इसके लिये सबसे बड़ा एक्जाम्पिल इन्टीग्रेसन का हमें पहाड़ों से ही मिलता है। वहाँ गूजर रहते हैं, भोटियां रहते हैं और वहां डूम रहते हैं और बहुत से जो अपने को ऊँचे क्लास का डिसीडेन्ट कहते हैं, वे लोग वहां रहते हैं और नेपाल के लोग वहां रहते हैं तो इस तरह से मान्यवर, जो एक दिन आइसोलेशन में था वहां आज एकता का वातावरण है। मुझे तो पहाड़ के लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता होती है। खासकर माननीय श्री जसवन्त सिंह बिष्ट जी से। उनसे मिलकर तो मेरी तबियत बाग-बाग हो जाती है। वहां के स्रोते, झरने और नदियां हमारी पुरानी संस्कृति से लगी हुई हैं। एक चीज मुझे याद आती है कि एक अच्छी पुस्तक पहाड़ों के

सम्बन्ध में लिखी जानी चाहिये। वहां का जितना पुराना इतिहास है, उसका तारतम्य टूट गया है। उसको सिलसिले से लिखा जाना चाहिये। वहां की बहुत सी कथायें हैं, बहुत सी किंवदंतियाँ हैं। इस सम्बन्ध में कोई एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिये, जो कि पूरी तरीके से पहाड़ों की लाइफ और उसके जीवन को बता सके। पहाड़ों की जो दौलत है वन, वाइल्ड लाइफ, यह सारी चीजें पहाड़ को अपनी जगह एक विशेषता देती हैं। इन सारी चीजों की हिफाजत और तरक्की की बहुत आवश्यकता है। स्रोते और झरने के बारे में मुझे एक बात याद आती है—

ब्यूटी एण्ड मरमरिंग साउण्ड,
शैल कास्ट इन्टू हर फेस।

यह एक पोयट ने कहा था।

कृषि और पशुपालन की तरक्की जहाँ पर होनी चाहिये और इण्डस्ट्री वगैरह भी लगनी चाहिये। पहाड़ के विधायकों से निवेदन करूँगा कि युनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ी संस्था होती है, जब वहां पर गड़बड़ी हो तो बड़ा अफसोस होता है। इसलिये सबको कोशिश करनी चाहिये कि वह संस्था सही तरीके से ठीक से चले, यह सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिये।

माननीय मन्त्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जो मैदान के लोग हैं, उनको ले जाकर वहां की चीजें दिखानी चाहिये और जो वहां के लोग हैं उनको यहां आना चाहिये। मुझको पहाड़ी पर जाने का वहां रहने का कभी इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने जिले की बात बताऊँ कि पहाड़ी नौकर अगर किसी के यहां है, तो वह पहाड़ वालों को रखना पहले पसन्द करते हैं और उनकी ईमानदारी से प्रभावित रहते हैं। पहाड़ के काफी लोग बैंकों में और दूसरी जगह पर हैं। इसी के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

* श्री रियासत हुसैन—

जिस तरह से उत्तर प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है, उसी तरह पहाड़ के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का सर कहा जाता है। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, वहीं जो पहाड़ की सीमायें हैं, अगर लोहा घाट को क्रास करिये तो नैपाल की सीमा आ जाती है, धार चूला है, दागला कोट बाराबती, जहां 1962 में चायना ने एटैक करके कब्जा किया था, वह भी वहीं है। अभी और भी अहमियत बढ़ गयी है जब से मानसरोवर, बद्रीनाथ को रास्ता भी वहां से हो गया है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैदानी क्षेत्र के लोगों की पहाड़ के व्यक्ति से दिलचस्पी नहीं है। पूरे प्रदेश की हाजिरी इस बात का सबूत है। और यह समझा जाता है कि केवल पहाड़ से आए हुये प्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं और वही पहाड़ों के बारे में बात कहें, प्लेन वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। (शोर) पहाड़ों में जो 8 जिले हैं इन आठ जिलों में जो दो जिले नैनीताल और देहरादून हैं, वह बाकी 6 जिलों का शोषण कर रहे हैं, जिनकी स्थिति इस वक्त बैकवर्ड सी है, हालांकि नैनीताल, मसूरी, देहरादून, बागपुर से लेकर नागपुर और रुद्रपुर आदि से कम या प्राकृतिक स्थान और मार्मिक स्थान इन जिलों में जैसे कौसानी, पिंडारी ग्लैसियर, लैंस डाऊन, माना, नीति, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नन्द प्रयाग, विश्नु प्रयाग तथा देव प्रयाग आदि भी मौजूद हैं। यह सभी उन क्षेत्रों में है जो आज बैकवर्ड हैं, देहरादून और नैनीताल में नहीं हैं। यह इसलिए है कि प्लेन के लोग यह नहीं चाहते हैं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि पहाड़ों पर तरक्की हो। अगर इन लोगों को पहाड़ से दिलचस्पी होती तो यह 140 करोड़ का बजट नहीं होता बल्कि 300 करोड़ रुपये का बजट होता क्योंकि पहाड़ और प्लेन के खर्चे में जस्ट डबुल का फर्क है, दोगुने का फर्क है। और इन पहाड़ों पर रहने-बसने वाली जो जातियां हैं उनकी आज स्थिति क्या है।

इसे और मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो दोगसा, थारू वन राज जो पहाड़ों की खो में रहते हैं और भोटिया आदि जातियां हैं। इन जातियों में भोटिया जाति अन्य जातियों का आज एक्सप्लायटेशन कर रहा है। इसके सामने अन्य जातियां बिल्कुल बाउन्डेड लेबर बन कर रह गये हैं क्योंकि भोटिया कुछ बिजनेसमैन टाइप होते हैं और इनमें से कुछ आई०ए०एस० व पी०सी०एस० होते हैं। दूसरे यह भोटिया लोग ज्यादातर ऊन का बिजनेस करते हैं, जिसके वहां पर ज्यादा उत्पत्ति के चांसेज हैं, परन्तु वह लोग ऊन अमृतसर से लाते हैं और साथ ही माननीय मन्त्री जी का ध्यान मैं वहां पर पैदा होने वाली जड़ी-बूटियों की ओर लाना चाहूँगा। इन जड़ी-बूटियों की वहां बहुत बहुतायत है, हर 20-25 किलोमी० पर आपको मिल जायेंगी परन्तु आज तक वहां पर कोई इसकी इण्डस्ट्री नहीं लगायी जा सकी है। दूसरे मान्यवर वहां पर नाशपाती व सेब आदि की पैदावार तो बहुत हो गयी है, जिसकी आज खपत नहीं है और न रखने की कोई जगह है, इसके लिये एक नहीं कई दफा इस बात की मांग आती है वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाये जायें, जिससे इन चीजों को हिफाजत से रखा जा सके और इनकी कुछ कीमत मेहनत के हिसाब से मिल सके। परन्तु आज रामगढ़ का सेब यहां कहीं न रखा जाकर वह बम्बई कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है।

जहां रामगढ़ से भुवाली आने-जाने के लिये गेट सिस्टम चलता है वहां से आप सेब ले जाकर बम्बई कोल्ड स्टोटेज में रखेंगे। आपने नहीं देखा कि रामगढ़ में कितना सेब पैदा होता है। आपका जो काश्मीर का डेलिशस सेब है वह मारकेट में 9 या साढ़े नौ रुपये किलो बिकता है और आप रामगढ़ के सेब को बम्बई कोल्ड स्टोरेज ले जाने की बात करते हैं। रामगढ़ में सेब की स्थिति अच्छी होने के बावजूद उसे कोई पसन्द नहीं करता क्योंकि उसे मारकेट नहीं मिलती है और वह बाजार में नहीं आने पाता है। पहाड़ के आड़ू व नासपाती की जो क्वालिटी डेवलप की गयी है उसके बारे में आज स्थिति यह है तो मैं आपसे पूछता हूँ आप उसे कहां ले जायेंगे ?

क्या आपने कभी सोचा कि ब्रुक बाण्ड चाय जो आज मैदान में घर-घर में इस्तेमाल की जाती है वह मारकेट में मिल जाती है परन्तु वेरीनाग की चाय मैदान में क्यों नहीं मिलती है, क्या आप उसे यहां नहीं ला सकते हैं ? क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ के वाशिन्दे जो कि 6-6 महीने में माईग्रेट करते रहते हैं अपने भेड़ों पर अपना राशन व सामान लाद कर। जब बर्फ पड़ती है तो वे नीचे की ओर चल देते हैं अपनी भेड़ों और सामान के साथ और जब बर्फ गिरनी बन्द हो जाती है, तब वे फिर अपने घरों को उसी प्रकार से लौटते हैं। कभी आपने सोंचा कि जब वे अपने घरों से माइग्रेट करते हैं तो बर्फ पड़ने के कारण जो उनके घर ध्वस्त हो जाते हैं उनकी मरम्मत कैसे होगी ? आपको चाहिये कि बी.डी.ओ की आप यह जिम्मेदारी निश्चित करें कि जिनके घर ध्वस्त हो जांय उनकी मरम्मत करा कर उन्हें दें जिससे कम से कम उनको अपने घर आने पर घर तो सही मिल सके।

इसी तरह से वहां पर ग्राम सभायें दो जगह बनी हुई हैं। यह पहाड़ वही पहाड़ हैं जहाँ से आपका सबसे पहला चीफ मिनिस्टर हुआ था और आपका श्री चन्द्र सिंह गढ़वाली नाम

का पेट्रीएट हुआ है। यह पहाड़ वही पहाड़ है जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र मन्दिर व तीर्थ स्थान हैं और जमुनोत्री और गंगोत्री जैसी पवित्र नदियों का उद्गम है परन्तु आज भी पर्वतीय क्षेत्र में अलखनन्दा जैसी नदी जो कि गंगा से देव प्रयाग में आकर मिलती है उस क्षेत्र में सड़कों का नितांत अभाव है। आप पिथौरागढ़ से सुबह चलेंगे तब कहीं जाकर रात में पहुँच पायेंगे। आपने नदियों के किनारे-किनारे सड़कें बना दी हैं जो कि काफी लम्बा-लम्बा डिसटेन्स कवर करती हैं। परन्तु यदि आपको किसी जगह 100 किलो मीटर की दूरी पर भी जाना है तो उसके लिये आपको पूरा नदियों के किनारे-किनारे ही चक्कर लगाना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ कि आप रस्से के पुल क्यों नहीं निर्मित करवाते हैं जिससे कि रास्ता छोटा हो सके।

पहाड़ में तीन मेले बहुत प्रसिद्ध हैं बागेश्वर, जौलजीवी तथा गोचर। आप इनका कन्ट्रोल अपने हाथ में लीजिये। क्या आपने सोचा है कि जब कोई व्यक्ति इन पहाड़ों पर जाता है तो उसे बीच मे ठहरने के लिये कोई स्थान बागेश्वर में होना चाहिये? बागेश्वर में टूरिस्ट को ठहरने के लिये कोई स्थान नहीं है जहां पर कि वह थोड़ी देर ठहर कर अपनी थकान को मिटा सकें। आपका तो पूरा ध्यान हरिद्वार, ऋषीकेश तथा काठगोदाम को ही विकसित करने में लगा है और अन्य पहाड़ों को आपने उपेक्षित कर रखा है। आप तो हल्द्वानी और काठगोदाम को ही बनाने में लगे हुये हैं। आप कैसे 140 करोड़ से पहाड़ों को विकसित कर लेंगे? 17 करोड़ का तो आपका पहाड़ का एरिया ही है। इसके लिये कम से कम मन्त्री जी आपको 300 करोड़ लाना चाहिये था। आप कहते हैं कि यदि पहाड़ों के लिये आप इतना नहीं देंगे तो कैसे हम विकास का काम कर पायेंगे? इसके लिये चाहे आपको मंत्री जी भूख हड़ताल ही क्यों न करनी पड़ती परन्तु आपको केवल 140 करोड़ लेकर ही संतोष नहीं करना चाहिये था।

श्री बिहारीलाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मैं माननीय पर्वतीय विकास मन्त्री द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ जिसे डा० नौटियाल साहब ने रखा है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी, और केन्द्र की सरकार तथा इस प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, विशेष कर माननीय नारायण दत्त तिवारी, केन्द्रीय उद्योग मन्त्री को जिन्होंने मेरे क्षेत्र में खटोमा में 4 करोड़ 64 लाख रुपये की व्यवस्था थारू जनजाति और बोकसा जाति के उत्थान के लिए की है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र से ही आता हूँ और तराई क्षेत्र से भी सम्बन्ध रखता हूँ। माननीय रियासत हुसैन साहब ने अभी कहा कि दो जिले एक नैनीताल तथा दूसरा देहरादून पर्वतीय विकास का सारा रुपया खाये जा रहे हैं। ऐसा कह कर वे एक कन्ट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ। हमारे रियासत हुसैन साहब को तो अभी यह पता ही होगा कि बेड़ीनाथ कहां है, मुन्शियारी कहां है, धारचूला कहां है, यह राजा-परिवार के लोग कौन हैं, आदि आदि पहाड़ की जानकारी उनको होगी ही नहीं....

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय रियासत हुसैन साहब का स्वयं का पता नहीं कि वह इस समय कहां हैं।

श्री बिहारीलाल––

इस समय वे भी सदन में नहीं हैं। जहां तक उन्होंने पर्वतीय फलों के बारे में बात कही है, उससे मैं इत्तफाक करता हूँ। हर बात का विरोध करना भी ठीक नहीं है। जो अच्छी बात होगी उसका समर्थन जरूर किया जायेगा। जो फल विभाग के अधिकारी हैं उनको उस ओर ध्यान देना चाहिये कि किस प्रकार अच्छे फल पैदा हों, उनके लिये मार्केट आदि की भी समुचित व्यवस्था हो। पंत नगर विश्वविद्यालय में एक से एक अनुभवी और विद्वान वैज्ञानिक हैं। आपके अधिकारियों को उनसे सम्पर्क करके अच्छे बीजों आदि का पता लगाना चाहिये।

पर्वतीय क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। वहां नहरें तो होती नहीं हैं। छोटी-छोटी गूलें होती हैं। खेत भी वहां छोटे-छोटे सीढ़ीनुमा होते हैं। वहां के लोग मड़ुवा और झुंगरा, जो एक प्रकार के काले दाने होते हैं, की रोटी खाते हैं। आप के अधिकारियों को चाहिये कि वहां पर धान और गेहूँ की खेती के लिये लोगों को प्रोत्साहित करें, उसके लिये समुचित साधन पैदा करायें।

एक बात मैं वनीकरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। सड़कों के किनारे-किनारे वन विभाग द्वारा जो यूक्लिप्टस के पेड़ लगाये जा रहे हैं उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। उससे जमीन खिसक रही है। उसकी जगह बाँस और चीड़ के पेड़ लगाये जायें तो अधिक फायदा हो सकता है।

स्कूलों का जहां तक मामला है। मान्यवर, जिला परिषद् के जो स्कूल हैं उनकी हालत बहुत खराब है। इसी प्रकार से जो सड़कें जिला परिषद् की हैं उनकी भी दशा खराब है। मुझे नहीं मालूम कितना अनुदान जाता है। जब भी कोई बात कही जाती है तो मा० मंत्री जी कहते हैं कि वह तो डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आती है। जो भी कुछ होता है उसी के अन्तर्गत होता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह जिला परिषद् की सड़कों को अधिक से अधिक अनुदान दें और जिला परिषद् द्वारा जो स्कूल चलाये जा रहे हैं उनकी इमारतों की मरम्मत के लिये अधिक से अधिक पैसा दें। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में कोई डिग्री कालेज नहीं है, इंटर कालेज नहीं है और हैं भी तो बहुत दूर-दूर हैं। डिग्री कालेज का नाम तो वहां पर है ही नहीं।

मान्यवर, पिछले वर्ष भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ओखलकांडा गये थे यह मेरे क्षेत्र में पड़ता है वहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि ओखलकांडा से खंस्यू तक जाने वाली फारेस्ट रोड है, उसका रख-रखाव फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले नहीं कर पाते हैं, इसलिये उसको सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया जायगा जिससे उसका मेंटिनेन्स हो सके। यह एक ही रास्ता है और जब कभी मलवा से भर जाता है तो वह रास्ता बन्द हो जाता है जब तक मलवा साफ नहीं होता है पूरा यातायात बन्द रहता है। लेकिन यह खंस्यू रोड आज तक पक्की नहीं हो पायी है। यहां पर मा० मंत्री जी बैठे हैं और इनके अधिकारी भी बैठे हैं; और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस समय केन्द्र में मंत्री हैं लेकिन आज तक यह रोड पक्की नहीं हो पायी है। खन्स्यू से पतलोट 40 कि० मी० है इस रोड के लिए कहा गया था, तो वह बन गयी, लेकिन आज तक पिच नहीं हुई है। पतलोट ऐसा स्थान है जहां पर एक गिलास पानी भी नहीं मिलता है। 7 कि० मी० से पानी लाना पड़ता है। जल संस्थान और

जल निगम की बात कही गयी यह दो विभाग है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहते हैं। आप ऐसी व्यवस्था करें कोई तो जिम्मेदारी से काम करें।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो चुका है कृपया शीघ्र समाप्त करें।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मैं दस मिनट और लूँगा।

श्री अधिष्ठाता--

जितना समय सभी माननीय सदस्यों के लिये है वही आपके लिये भी है। आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बिहारी लाल --

हमारे यहाँ मई और जून में पूरे हिन्दुस्तान और उसके बाहर से टूरिस्ट आते हैं। मा० मन्त्री जी पर्वतीय विकास मन्त्री हैं और परिवहन मन्त्री भी हैं। हल्द्वानी ऐसा स्टेशन है जो गढ़वाल को कवर करता है और पूरे कुमायूँ के तीन जिलों को भी कवर करता है। हल्द्वानी में बसों का इन्तजाम न होने के कारण यात्रियों को सुबह से शाम तक इन्तजार करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि अगर रोडवेज की बसों का इन्तजाम न हो पावे तो प्राइवेट बसों को परमिट दे दिये जांय। मान्यवर, काठगोदाम से लखनऊ के लिये एक बस चलायी गयी थी जिस पर आदेश माननीय मन्त्री जी ने कर दिये थे लेकिन वह बस आज तक नहीं चल रही है केवल वह कागजों में चल रही है। आपसे निवेदन है कि कम से कम उस बस को निश्चित रूप से चलावें।....अब मैं पुण्यागिरी के बारे में कहना चाहता हूँ। वह एक बहुत बड़ा तीर्थ-स्थान है। वहां पर मेला लगता है। वहां जाने के लिये कोई रोड नहीं है। मैं चाहूँगा कि माननीय मन्त्री जी सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहयोग से वहाँ के लिये रोड बनवा दें। क्योंकि वहां पर बाहर के टूरिस्ट भी जाते हैं। पीने के पानी की भी वहां पर समुचित व्यवस्था नहीं है। अत: मैं चाहूँगा कि मन्त्री जी ये सारी व्यवस्था वहां के लिये कर दें। मेरे क्षेत्र ओखलकांडा और धारी, जो दो ब्लाक हैं वहां पर रामगढ़ है उसके लिये एक सब-तहसील बनाने का प्रस्ताव था। पता नहीं विभाग के अधिकारी इसको क्यों रोके हुये हैं। पता नहीं वे क्या चाहते हैं। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि पहाड़पानी और गुप्तेश्वर में एक-डेढ़ किलोमीटर ऐसी जगह है जहां आदमी आ-जा नहीं सकते हैं। अत: मन्त्री जी यह सारी व्यवस्थायें वहां के लिये कर दें। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मन्त्री जी ने जो हमारा बजट प्रस्तुत किया है पर्वतीय विकास विभाग का, वह ठीक उसी तरह है जैसे नई बोतल में पुरानी शराब। होता भी ऐसा ही है। जो हमारे पहले के मन्त्री थे वे उसी तरह के थे जैसा कि एक कच्चा अमरूद होता है जिस पर कि चाकू नहीं चल सकता था। ऐसा स्वभाव उनका था। इस समय के जो हमारे मन्त्री हैं वे बुढ्ढे हैं और ऐसे अमरूद हैं जैसे कि कोई अमरूद सड़ जाता है और हाथ में पकड़ो तो उसका पानी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निकल आता है। ऐसे माननीय मन्त्री जी ने पर्वतीय विकास विभाग को सम्हाल रखा है। मान्यवर, जो पुस्तिका हमें इस विभाग के बारे में दी गई है मैं उसको कल से देख रहा हूँ। इसमें मुझे कोई नई बात नहीं मिली। पुरानी जो हमारी सड़कें थीं जो कि दो साल पहले स्वीकार हो गई थीं उन्हीं सड़कों को आज भी इस बजट में दुहराया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि माननीय चन्द्र मोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो सड़कें स्वीकृत हुई थी उनमें भी अभी तक काम आरम्भ नहीं हुआ है और आपने इस बजट में उन्हीं को दर्शा दिया है। नई सड़कों का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। अन्धा बांटे रेवड़ी अपने-अपने को दे।

मैंने इसमें देखा कि आपने 4 हाई स्कूल दिये और एक कन्या हाई स्कूल का उच्चीकरण किया। दो स्कूल तो माननीय मन्त्री जी ने अपने क्षेत्र उत्तरकाशी में रख दिये और एक जो सिंचाई राज्य मन्त्री हैं उनके क्षेत्र में रख दिया और एक जगह और खोल दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, वे बहुत पुराने हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और मेरे पिता की उम्र के बराबर आप हैं लेकिन आपके बारे में जो हमको पहले बताया जाता था, जितनी हम आपकी तारीफ सुनते थे, वह हमें आज कुछ देखने को नहीं मिला। क्या आपको लकवा तो नहीं मार गया था जो आपने इस बजट का अध्ययन नहीं किया। पुराना जो इस विभाग का बजट था उसे आपको देखना चाहिए था कि कहीं उसी की नकल तो नहीं की गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मन्त्री जी इसे देखें। इसमें पूरी नकल की नकल कर रखी है। कोई नई चीज नहीं है।.....(व्यवधान) मान्यवर, वही कहावत चरितार्थ होती है–दोनों दीन से गये पांडे, हलवा रहे न मांडे। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी विभागों के लिये समुचित बजट दें। स्वास्थ्य मन्त्री जी बैठे हुये हैं।

मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जितने पर्वतीय क्षेत्र में अस्पताल हैं उन सब में पूरी चिकित्सा व्यवस्था कर दी है। मुझे इस सदन में चिल्लाते-चिल्लाते तीन वर्ष हो गये हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। आज भी वहां पर स्वीपर दवा बांटते हैं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि नियुक्तियां तो आपने कर दी हैं लेकिन वे वहां जाते नहीं हैं, यहीं बैठे हुए हैं और यहीं पर तनख्वाह ले रहे हैं। इसको मैं चाहता हूँ माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी देखें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालयों के साथ उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रखा है। इनके उत्तरकाशी जिले में जहां के ये एकमात्र विधायक हैं वहां हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं और कहीं प्रधानाध्यापक नहीं हैं। अभी हमारे मित्र माननीय रियासत साहब ठीक कह रहे थे कि मन्त्री जी आपको अनशन कर देना चाहिये। लेकिन मुझे उस वक्त तरस आ गया कि आप बुढ्ढे आदमी हैं, बड़ी मुश्किल से मंत्रिमंडल में आये हैं, अनशन पर बैठेंगे तो मंत्रिमंडल में नहीं रह पायेंगे। वह बात ठीक कही, अगर मंत्री नहीं रहेंगे तो क्या हो जायगा क्या हम मन्त्री नहीं हैं तो अपने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं, जब विधायक नहीं थे उस वक्त क्या बच्चों को नहीं पाल रहे थे। हम इंदिरा जी की दुहाई नहीं देते हैं इसलिये हो सकता है कि हमारी बातों को नहीं माना जाता है, लेकिन जो इंदिरा जी की बात नहीं मानते हैं क्या वह खाते नहीं हैं क्या वे जीवित नहीं हैं। क्या हमारे दक्षिण भारत के लोग जी नहीं रहे हैं, क्या उनके यहां विकास नहीं हो रहा है। माननीय मन्त्री जी जैसे आप पहले थे, लोग आज भी आपका गुणगान करते हैं, बड़े काम करने वाले हैं तो आज

वह दम आपमें नहीं रह गया है, क्या कोई मर्ज हो गया है, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री बैठे हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इनको कोई विटामिन की गोलियां खिला दें जिससे इनमें वह पुरानी शक्ति आ जाय, वह बल आ जाय।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें बोलने का समय नहीं मिलता है, यह जो केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम है उसके सम्बन्ध में जब पर्वतीय विकास परिषद की बैठक हुई थी उस समय भी हमने कहा था माननीय मन्त्री जी से और माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि अगर इस केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम को आप वापस नहीं करा सकते हैं तो हम आपके साथ चलते हैं शिष्ट मंडल बना कर। इस अधिनियम की वजह से आज न हमारे यहां प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं, न हाई स्कूल खुल रहे हैं और न अस्पताल खुल रहे हैं। तो क्या विकास आप कर रहे हैं इसकी वजह से न नहर बना सकते हैं, न सड़क बन सकती है, न लघु सिंचाई की योजना बन सकती है, न अस्पताल बन सकते हैं तो फिर किस चीज का आप विकास करेंगे। धत्रन साहब ने एक बात कही थी पहाड़ों के लड़के वहां नहीं रुकते हैं। कोई दिल्ली भागता है, कोई लखनऊ भागता है तो कोई बम्बई भागता है, वहां के लड़के आज भटक रहे हैं। माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने सही बात कही वह बेचारे सच्चे और ईमानदार आदमी हैं इसलिये सही बात कह देते हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ के लड़के जब आते हैं तो उनको ईमानदार हम मानते हैं इसलिए नौकर रख लेते हैं। सिवाय बर्तन मलने के, कपड़े धोने के वे और कुछ नहीं करते हैं। यह काम आपके पर्वतीय विकास परिषद् ने कराया है। इसीलिये हमने एक अलग राज्य का नारा दिया था और आज भी नारा दे रहे हैं, जब तक हमारा अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमको गुमराह करने के लिए पर्वतीय विकास परिषद् बनी है इससे वहां का विकास नहीं हो सकता है। यह हमारा निश्चित मत है। इसलिए मन्त्री जी इसमें आपको हमारे साथ सम्मिलित होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

विष्ट जी आप समाप्त करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं एक उदाहरण देता हूँ आपका एक गढ़वाल जनजाति विकास निगम है जिसका आपने कलकत्ता में शो-रूम बना रखा है। आपके एक उच्च अधिकारी कोई विश्वास साहब हैं जो कमिश्नर है उनका कलकत्ता में मकान है, उसके लिये एक नया रास्ता निकाला है कि मेरे मकान को किराये में लगाया जाय तो उसके निरीक्षण करने के लिये मुझे जाने का मौका मिल जायेगा, टका पैसा भी नहीं लगेगा और उल्टे टी० ए०, डी० ए० मिलेगा। तो उन्होंने अपने मकान में शो-रूम बना लिया है जिसका 25 सौ रुपया किराया मिलता है और आने-जाने का टी० ए० डी०, ए० अलग।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त कीजिये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गढ़वाल विकास मंडल के जितने उच्च अधिकारी हैं वे सारे के सारे देहरादून में रहते हैं। माननीय मन्त्री जी को यह बात मालूम है कि लेकिन वह चुप बैठे रहते हैं।

(समय 3.15 से)

आप सरकार हैं, आपको कहना चाहिये कि जो अधिकारी गढ़वाल की सेवा के लिए नियुक्त किये गये हैं यदि वह वहां नहीं रहते हैं तो उनको वहां से हटायें और वहां के लोगों को वहां रखें। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूँ।

*श्री चारू चन्द्र ओझा––

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, सबसे पहले मैं केन्द्र सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति भी कि उन्होंने सिद्धान्त रूप में उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्रों का बजट हिमांचल प्रदेश के बराबर ·140 करोड़ रुपये तक बजट रखा, प्लान का, जिसके लिये मैं उ० प्र० सरकार और केन्द्र सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, हमारे भाई श्री शिवानन्द नौटियाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा और कटौती के प्रस्ताव में उन्होंने पहला शब्द कहा कि बजट दिशाशून्य है लेकिन जब उन्होंने पूरा भाषण दिया तो हमें कोई दिशा नहीं लगी कि उन्होंने कौन सी दिशा इस बजट को देनी चाही थी। उन्होंने केवल विरोध पक्ष में बैठने के नाते उन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाया।

मान्यवर, पहाड़ के विकास के पीछे केवल पहाड़ की गरीबी नहीं है बल्कि उसके विकास के पीछे, जैसा हमारे मा० सदस्य श्री रियासत हुसेन ने कहा कि एक पहाड़ बड़े सामरिक महत्व का है, हमारे पहाड़ दो देशों की सीमाओं से मिले हैं, और उसके विकास के पीछे देश की एकता की बात और प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में लोगों के मनोबल को बनाये रखने की बात निहित है, जैसा कि इसी सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात को बताया कि पहाड़ की प्रगति के पीछे उसके पिछड़ेपन तथा उसकी जो सीमायें हैं, बोरडर के जो जिले हैं, उनकी सुरक्षा और देश की एकता निहित है, तो मान्यवर, दोनों पक्षों के मा० सदस्यों ने इस पर अभी चर्चा कर चुके हैं।

जहां तक पर्वतीय विकास का सवाल है तो 1974 से लेकर आज तक पहाड़ में हजारों किलोमीटर सड़कें बनीं, 10 वर्षों में 600 हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज खुले, इसमें दो राय नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब कि जबसे पर्वतीय विकास विभाग बना और अलग बजट बना तब से मैं कह रहा हूँ और आज पहाड़ों में 32 से लेकर 35 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। मान्यवर, पर्वतीय विकास मन्त्री जी ने अभी बताया था कि 7500 जो अभावग्रस्त गांव थे उनमें से 5 हजार गांवों में पानी दे दिया गया है जो इस संबंध में एक बहुत बड़ा काम किया गया है और इसका असर पहाड़ के लोगों में हुआ लेकिन इसके साथ ही दूसरी बातें यह हैं कि जो आशा और आकांक्षा 149 करोड़ रुपये के बजट के पीछे उस पहाड़ के लोगों की है, उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाये। उसके कारण हैं और वह यह है कि हमने अपने नियोजन का रोजगार परक, रोजगारोन्मुखी नहीं बनाया। यदि हमारा 1980–81 का बजट 85 करोड़ रुपये का था, तो हमने उसमें इस बात का लक्ष्य नहीं रखा कि हम 85 करोड़

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया लगाने के बाद वहां के लोगों की कितनी आमदनी बढ़ेगी या कितने सौ अथवा हजार लोगों को नौकरी मिलेगी।

मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह केवल सड़कों को बना दें, अस्पतालों को खोल दें या बिजली दे दें, तो यह सर्वोपरि नहीं हैं। यह केवल विकास के साधन हैं साध्य नहीं हो सकते हैं और हमें साध्य की ओर जाना है। जब तक हमारे पहाड़ के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, जब तक उनके रहन-सहन का दर्जा ऊँचा नहीं होगा, आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक वहां का कोई विकास नहीं होगा। लोगों की आमदनी तभी बढ़ेगी, जब इनको रोजगार सुलभ होंगे। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हिमाँचल प्रदेश में 143 करोड़ रुपयों का उनका प्लान बजट है, लेकिन उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम 30 हजार लोगों को रोजगार देंगे और उसमें से 10 हजार लोगों को नियमित रोजगार मिलेगा। हमारे बजट में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है। यदि हम 140 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और उसके बाद जो आमदनी 1982-83 में वहां के लोगों की थी, वह उससे नहीं बढ़ती है तो उससे हमारा विकास कहां हुआ। वह तो तब हुआ 1982–83 में 120 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद, 83–84 में 140 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद इन पहाड़ के लोगों की कुछ आमदनी बढ़ जाये। यदि आमदनी नहीं बढ़ेगी तो विकास क्या होगा। तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एक तो आप इस बात का प्राविजन रखें कि कितने लोगों को हम रोजगार देंगे।

आप अस्पताल खोलते हैं, लेकिन उसमें किसी पहाड़ के आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, हिमांचल प्रदेश में तो सबको मिलेगा। बिजली बनायेंगे तो उसमें भी किसी पहाड़ के ओवरसियर और इंजीनियर को नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिये कि इस बजट के माध्यम से हम कितने पहाड़ के लोगों को नौकरी दे सकते हैं। हमारे पहाड़ों में आज जो सबसे बड़ी विषमता है, हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है नहीं और वहां न दूसरा कोई साधन है। कृषि के अतिरिक्त हमारे पास नौकरी का एकमात्र साधन केवल नौकरी है। नौकरी और कृषि को छोड़कर किसी तीसरे माध्यम से हमें लोगों को रोजगार देना होगा, वरना वहां के लोगों की इन प्लान्स से आमदनी कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती है। इसलिये आप गांव-गांव में और घर-घर में वहां पर उद्योग लगाने की बात सोचें।

मेरा एक निवेदन यह है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में 32 डिग्री कालेज हैं और 16 उनमें गवर्नमेंट के है लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गयी है कि गांव का गरीब आदमी जो कर्ज लेकर पढ़ा है, उसको कई-कई वर्षों से नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिये वहां के लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। इसलिये आपको अपने इस बजट में बेरोजगारी भत्ते का प्राविजन अवश्य करना चाहिये। क्योंकि आज यह बेरोजगारी का भत्ता देने का प्राविधान अगर आप नहीं करते हैं, तो पहाड़ का पढ़ा-लिखा, शिक्षित नवजवान जो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, वह धीरे-धीरे विद्रोही हो सकता है, बाद में उसको सम्भालना कठिन हो जायगा। 140 करोड़ रुपया जो बजट में है, उसमें से 20 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ते के लिए खर्च करें। यदि तीन साल तक देंगे, तो 60 लाख आयेगा। इसलिए पढ़े-लिखे लड़कों को फ्रस्ट्रेटेड होने से बचाने के लिये आशा है माननीय मंत्री जी इस बजट में बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं

कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ रस्मी तौर पर नहीं, बहुत मजबूरी में। मान्यवर, मैं समझता था कि यह अभागा पर्वतीय प्रदेश जिसकी चार साल से लगातार उपेक्षा हो रही है, आज इस बजट को जब इस आदरणीय सदन में रखा जा रहा है, तो कम से कम मैं यह उम्मीद करता था कि माननीय श्रीपति मिश्र, मान्यवर अवश्य यहां पर होंगे, लेकिन जरूरत नहीं समझी। कांग्रेस के माननीय कुछ विधायक चाहे जितना ही चिल्ला लें, यह सत्य है कि आज यहां पर बैठने वाले मंत्रीगण को न किसी पर्वत के प्रति न प्रेम है, न आस्था है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्वत के प्रति प्रेम न होता, तो आज ये कहने यहां न आते।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

माननीय श्याम लाल जी को प्रेम, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को प्रेम, राम सिंह खन्ना जी को प्रेम, अभी-अभी माननीय अम्मार रिजवी साहब बैठे थे, मैं उनको बधाई देता हूँ। एक बार जार्ज बर्नाड शा आक्सफोर्ड गये। वहां पुरानी परम्परायें कायम रहती हैं, पुरानी कुर्सियां फर्श पर पड़े स्याही के दाग, हाल आदि पुरानी चीजों को देखकर वह कहते रहे वही पुरानी चीज। एक पेड़ के नीचे एक लड़का-लड़की बैठे थे, शा बोले, वही पुराने शैतान। लड़का उनके पास आकर बोला–श्रीमन्, वह मेरी बहन है। शा ने कहा वही पुरानी कहानी। आज जो बजट पेश किया गया है, पिछले साल और इस साल के बजट में केवल एक अन्तर किया गया है कि वह फीगर जो है 140 करोड़ कर दी गयी है। जब यह आठवीं विधान सभा बनी थी, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह बजट लेकर आये थे, उन्होंने घोषणा की थी कि जल निगम और जल संस्थान को एक किया जा रहा है। अगले साल माननीय ब्रह्मदत्त जी बजट लेकर आये, एक यही घोषणा उन्होंने भी की और इसके लिये अलग से पैसा लिया। लेकिन यह काम नहीं हुआ। पर्वतीय विकास मंत्री जी खामोश हैं। होटल खोलने के लिए पैसा दिये जाने की बात सालों साल से कही जा रही है। इस साल भी कही गयी है। लेकिन यह पैसा कभी किसी को दिया नहीं गया। मै तो वही पुरानी बात लगातार सुनता आ रहा हूँ कि इस बात की मुकम्मिल व्यवस्था कर दी गयी है कि पैसा दे दिया जाय।

मान्यवर, जिलाधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं आया, बैंक वाले कहते हैं कि पैसा नहीं आया। श्रीमान् सबसे बड़ी जो गलती हुई है, वह समझदारी की है। हिमांचल प्रदेश के मुकाबिले कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ों को बराबरी पर लाया रहा है। मान्यवर, हिमांचल प्रदेश को केन्द्र की सरकार ने 18 साल अपनी गोद में रखकर पाला, पुल बनाया, सड़क बनाया, अस्पताल बनाया, स्कूल बनाये, भवन बनाये, निर्माण कार्य किये। अब उस हिमांचल प्रदेश की सालाना मरम्मत के लिये जितना पैसा दिया जाता है केन्द्र की सरकार के द्वारा उतना पैसा मुझको देकर कहा जाता है कि तुम नया निर्माण करो, मैं कहां से करूं।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, उनको इस पैसे में सफेदी करानी है और हमको इस पैसे में बुनियाद भी खोदनी है और फिनिशिंग भी करानी है तो यह कैसे सम्भव होगा। मैं इस आदरणीय सदन में 51 हजार 125 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में रहने वाले और वहां से घुसकर आये 19 माननीय विधायकों की एक करुण गाथा को कहना चाहता हूँ। कमोबेश 3 हजार वर्ग किलो मीटर एक

विधायक के पास क्षेत्र है। मैं दूसरे क्षेत्रों की बात नहीं कहता हूँ, अकेले मेरे क्षेत्र के अन्दर तिलवाड़ा-सौराखाल, वडियारगढ़-सौराखाल, पिपलीघाट-डागर, धणशाली-कोटी, जखोली-भीरी, आगराखाल-कुसरेला, डमारगाड-घंघासू, गूलर-कखूर-गजा ये ऐसे मार्ग हैं जो स्वीकृत हैं और इनके लिये घोषणा हो चुकी है कि इन पर काम होगा। 81-82 में इस आदरणीय सदन में एक प्रश्न के उत्तर में पर्वतीय विकास मंत्री जी ने एक सुन्दर जवाब दिया था। पूछा गया था कि 8 पर्वतीय जिलों के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टोटल कितना काम हुआ है। तो पता चला कि टिहरी जनपद में केवल साढ़े 4 किलोमीटर सड़क बनी थी। वहां 5 पी० डब्लू० डी० के डिवीजन हैं और 2 सर्किल हैं। करोड़ों रुपयों का आपका इस्टेब्लिशमेंट का खर्च है और साढ़े 4 कि० मी० मोटर रोड बनाई है।

श्रीमन्, मैंने शुरू में कहा था कि बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ। आजादी के इतने वर्षों के बाद जो बच्चे आज आजाद भारत में पैदा हो रहे हैं, गुलाम रियासत में पैदा होते या अंग्रेजी राज में पैदा हुये होते तो और बात थी। लेकिन आज आप इन बच्चों को ए, बी, सी नहीं पढ़ा सकते, क, ख, ग नहीं पढ़ा सकते हैं। आप कहते हैं कि 2 कि०मी० से ज्यादा बेसिक स्कूलों के लिये बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा यह कितनी थोथी बात है, कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है। मैं तो कहता हूँ कि 3 कि० मी० पर बेसिक स्कूल क्या आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं तो ठीक है नहीं तो [* * *] सदन से बाहर चले जायं, इस्तीफा दे दें। आप सरकार नहीं चला सकते हैं तो दूसरे लोग चलायेंगे।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने [* * *] जो शब्द प्रयोग किया है यह संसदीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह उचित नहीं है, कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा। मैं आज्ञा नहीं देता हूँ।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, यह असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कार्यवाही से निकालने के लिए कह दिया है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

[***]माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं कीर्ति नगर के अस्पताल के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूँ कि उसका क्या हुआ। 10 बार आपने वायरलेस किया और आदेश किया लेकिन कीर्तिनगर अस्पताल का भवन कहां चला गया। सन् 80 में पैसा दिया गया था, अस्पताल का टेन्डर हुआ था और टेन्डर होने के बाद काम रोक दिया गया, क्योंकि वहां से मैं चुनकर आया था, वहां की जनता ने आपकी पार्टी को वोट नहीं दिया था, इसलिये रोक दिया गया। मान्यवर, अगर पहाड़ के अन्दर 10 किलोमीटर पर अस्पताल दे देंगे यह कह दिया जाय तो यह भी एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोथी बातें न की जायं। आप पेयजल की सुविधा वहां पर अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। जो आपने 1981 का एक आंकड़ा दिया है वह इस पुस्तिका के परिशिष्ट में दिया गया है। यह आंकड़ा गलत है। इन्होंने परिशिष्ट 8 में दिया है टिहरी जिले की पेयजल योजना के अभावग्रस्त गांवों की संख्या 464 है। पहले यह संख्या

नोट :—[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष की आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

900 थी। अब 464 हो गई है जबकि अभावग्रस्त गांव बढ़े हैं। बग्वान-डिडोलाखाल पेयजल योजना पर पिछले 4 साल से काम चल रहा है 3 करोड़ रुपये से अधिक की योजना है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय श्रीमन् आये थे, मैंने उसी समय बोलना शुरू किया था।

श्री अध्यक्ष--

आपके करीब-करीब 10 मिनट होने को हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

यह मेरे देखने का काम है, जो नहीं क्या होता है। अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

थोड़ा समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यह सम्भव नहीं है, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, जो यह बग्वान–डिडोलाखाल योजना है, इस योजना का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रुड़की में रहता है, तीन जिले पार, मैं यह चाहता हूँ कि इनका कार्यालय देव प्रयाग में लाया जाय। माननीय चन्द्र मोहन सिंह नेगी जी ने और आपने इस सम्बन्ध में आदेश भी किये, उसको बुलाकर डांटा भी, लेकिन अभी तक आपके आदेशों का पालन नहीं हुआ है, अतः मेरा निवेदन है कि उस आदेश का पालन करायें मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अनेक गांव ऐसे हैं, जहां जाड़ों के मौसम में भी मीलों-मील दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। यह जो बजट है, यह तो सभी जानते हैं इसका क्या हश्र होगा--

जमाना बाहुबल का था, स्वयंबर तो बहाना था।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

*श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने माननीय पर्वतीय विकास मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य जो रह गये हैं, उनको केवल 5-5 मिनट का ही समय अब मिल पायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

व्यवस्था का प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी मेरा इसलिये है कि सभी बजट पर अधिकांशतः 5 बजे और 5 बजे के बाद मतदान हुआ है, लेकिन पर्वतीय विकास पर आपने एक घण्टा कम कर दिया है । इसमें अभी बहुत कम लोग बोले हैं ।....

श्री अध्यक्ष--

इसमें बहुत समय मिला है । आप यह देखें इसको बहुत पहले ले लिया गया था । प्रातःकाल यह निर्णय लिया गया था कि 4 बजे इसको समाप्त करना है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, आधे घण्टे का समय इसके लिये और बढ़ा दें, इसमें काफी लोगों को दिलचस्पी है ।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं पर्वतीय विकास के लिये 140 करोड़ रुपये का बजट भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार का दिये जाने का हार्दिक स्वागत करता हूँ । दोनों सरकारों को अपनी ओर से और पर्वतीय क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जो यह योजनाएँ बनायी गयी हैं, उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है । पर्वतीय क्षेत्र में अन्न का उत्पादन नहीं के बराबर होता है, ज्यादा आलू और फल की खेती होती है । फलों का इतना अधिक जाल बिछ चुका है कि उनका मार्केट प्राप्त होने से वहां के फल उद्योग पत्तियों को बड़ा कष्ट हो रहा है । मैं आपके माध्यम से श्रीमन् यह निवेदन करूँगा कि पर्वतीय क्षेत्र में नैनीताल या अल्मोड़ा और गढ़वाल के भागों में ज्यादा प्लांट लगाये जायँ, जो उनका जूस, जाम, जैली बनाकर मार्केट में भेजें । साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज पर्वतीय क्षेत्र में जितने फलों का उत्पादन हो रहा है, उनको मार्केट में लाने के लिये आपके वन विभाग द्वारा लकड़ी नहीं दी जाती है, जिससे उनकी फल पेटियां तैयार नहीं होती । मान्यवर, 20 लाख रोजाना कम से कम फल पेटियों की आवश्यकता है, उनकी कीमत इतनी बढ़ गयी है कि उन्हें मार्केट में फल पेटियों की कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कुमायूँ निगम, गढ़वाल निगम को इस बात को करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय कि वे कुमायूँ और गढ़वाल के फलों को मार्केट में लाने के लिये व्यवस्था करें और उनको उचित दाम दिलाने की कोशिश करें । जैसा कुँवर सिंह नेगी ने बतलाया गढ़वाल और कुमायूँ निगम द्वारा जो कार्य किया गया उसमें मात्रा से अधिक घाटा दिखाया गया, यह बात ठीक नहीं है । निगम को ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे फलों के उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके और वहां पर जो रामगढ़ का इलाका है वहां एक प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिये जो चिड़ियों द्वारा खाये हुये फलों का रस निकाल सके । इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । हमारे रियासत हुसैन साहब ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में 6 जिले आते हैं । देहरादून और नैनीताल मैदानी भाग में हैं । उन्हें नैनीताल और देहराइन की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है । इसमें तराई और भावर क्षेत्र तो अन्न के लिये उपजाऊ है लेकिन इसका 2/3 क्षेत्र पहाड़ी है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय ने कहा कि पशुधन से वहां की आर्थिक हालत में सुधार करने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, वहां पर भूटा और अल्मोड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पर तिब्बत से ऊन आता था और उससे वहां के लोग काम करते थे। जब से ऊन आना बन्द हो गया है वहां का काम बन्द हो गया है। वहां पर जो भेड़ है उनका ऊन अच्छा नहीं होता है। वहां पर अच्छी किस्म के खरगोश और अंगारा जाति की भेड़ पाली जाय तो उससे अच्छा ऊन मिल सकता है और अच्छा काम हो सकता है। मान्यवर, मैं जल संस्थान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, मोटर मार्ग का निर्माण 10 साल पहले हो चुका है लेकिन गाड़ियां नहीं चलाई जा रही हैं जिससे राज्य सम्पत्ति का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूँगा कि आपके पास दोनों विभाग है जो 10 साल से बनी है उन पर गाड़ियां चलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हुआ। श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर.... ..

(श्री शिव नारायण सिंह नेगी के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठें।

श्री शिव नारायण सिंह––

मेरे कहने का समय समाप्त हुआ, मेरा समय तो बहुत बाकी है।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठें।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी––

मान्यवर जो मानक बनाया है प्राइमरी स्कूल के लिये 1 किलोमीटर और दो हजार की आबादी तथा हाई स्कूल के लिये 8 हजार की आबादी और 10 किलोमीटर, इसमें पर्वतीय क्षेत्र के लिये आप कुछ संशोधन करें। मान्यवर, हरिजन बस्तियों में लाइन दौड़ा दी गई विद्युत की लेकिन आज तक वहां पर कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। सहकारिता के बकाये को दूर करने के लिये इस बजट से पैसा दिया जाय ताकि समितियां फिर से चालू हो जायं।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठें। श्री नरेन्द्र सिंह आपको 3–4 मिनट में समाप्त करना है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी––

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया वह 140 करोड़ का और खुद मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि 70 प्रतिशत इसका प्रशासनिक व्यय है। तो इस तरह से अगर देखा जाय तो 140 करोड़ में से प्रशासनिक व्यय को निकाल कर केवल 40 करोड़ बचता है जो 8 जिलों में बंटेगा और इस तरह से यह प्रति जनपद 5 करोड़ रुपया आता है। आज इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट में 35 से 45 प्रतिशत कमीशन लेना शुरू कर दिया है तो इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा। बजट है लेकिन विकास के लिए नहीं। पी० डब्लू० डी० डिपार्टमेन्ट है, 8 सब-डिवीजन हैं, एक-एक

जिले में, एक लम्बी फौज अधिकारियों और इंजीनियरों की है काम के लिये नहीं है क्योंकि काम ही नहीं है।

वन संरक्षण अधिनियम के कारण सारा विकास का काम रुक गया है। कोई सड़क, पेय जल योजना नहीं बन सकती, बिजली की लाइन नहीं बन सकती। इस तरह से पी० डब्लू० डी० कोई सड़क नहीं बना रहा। अगर कहीं बनने की नौबत आती भी है तो एलाइनमेन्ट का झगड़ा ऐसा पैदा कर देते हैं कि बनने की नौबत ही न आये। पिछले साल भर में केवल 2 किमी० की प्रगति थी सड़कों की। स्कूलों की हालत, स्कूल हैं लेकिन अध्यापक नहीं। जितने हमारे जूनियर हाईस्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल हैं, सदन में भी बार-बार उठाता रहा हूँ, मंत्री जी ने आज तक ध्यान नहीं दिया, आज भी खाली पड़े हैं। अध्यापक नहीं हैं स्कूल हैं लेकिन भवन नहीं। बिना भवन के हमारे छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। धूप और वर्षा में छुट्टी दे दी जाती है। अस्पताल हैं, स्वास्थ्य मन्त्री जी बैठे हैं, डाक्टर नहीं हैं। आज भी पर्वतीय क्षेत्र में यही समस्या है अस्पतालों की। दवाइयाँ नहीं हैं, एक कदम और आगे चल कर देखें, गाड़ियों की भरमार है लेकिन जिले में रोगियों को अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। आपके लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में एक एम्बुलेन्स खराब हो गयी थी उसे पौड़ी गढ़वाल भेज दिया। नतीजा क्या है, दो दिन में भी वह पौड़ी से कोटद्वार पहुँच नहीं सकती।

ग्रामीण रोजगार योजना की बात है। ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल रहा। नेपाल या अन्य मुल्कों के लेबर काम पा रहे हैं। अगर वास्तव में आप चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिले तो ग्रामसभाओं को काम दे दिया जाय, ग्रामीण लोग उसमें भागीदारी ले सकते हैं। ग्रामीण रोजगार योजना के लिये सरकार की तरफ से जी० ओ० चला जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र में सम्पर्क मार्ग न बनाये जायें। सम्पर्क मार्ग की ही तो मान्यवर, मुख्य समस्या है वहां। इस तरह से हम लोगों के साथ मजाक किया गया है कि सड़कें न बनायी जायँ। जो बातें हमारे द्वारा उठायी गयी थीं, भारत सरकार ने मानों कि ग्रामीण रोजगार योजना में अधिक से अधिक सम्पर्क मार्ग बनाये जायें। सिचाई, 20 साल से, या पुराने जमाने से जो गूलें चली आ रही थीं, उसी में सिचाई विभाग ने बोर्ड लगा कर अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी।

कोई नहर नहीं बनाई गयी, कोई नया स्रोत नहीं खोजा गया। कितनी बड़ी विडम्बना है कि हिमालय का वह क्षेत्र जो सारी नदियों का उद्गम है सिचाई के लिए, पानी के लिए तरस रहा है। नलकूपों द्वारा जिस तरह से मैदानी भागों में सिचाई हो रही है, उसी तरह से वहां पम्पिंग सेट लगा कर सिचाई कर सकते हैं। बिजली के संबंध में, मन्त्री जी के पास जितने भी आंकड़े आ रहे हैं ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि बिजली के खम्भे तो लगे हैं लेकिन गाँवों में लाइन नहीं दी गयी। जिन लोगों ने पैसा जमा कर दिये कनेक्शन के लिये, आज तक उनको कनेक्शन नहीं दिये गये। आपूर्ति विभाग के जितने गोदाम हैं सब खाली पड़े हैं। 3 महीने से वहां राशन नहीं है और भुखमरी की समस्या वहां के लोगों के सामने आ गयी है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

माननीय मन्त्री जी परिवहन से भी संबंधित हैं। निगम की गाड़ियां चलती नहीं हैं, राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर दिये हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि जी० एम० ओ० यू० कम्पनी की गाड़ियां सारे मार्गों पर चलने दी जायें।

श्री अध्यक्ष :–

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी––

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पहाड़ में परिवहन की ओर ध्यान दें। अन्त में मैं डा० शिवानन्द जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया––

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। पर्वतीय क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योग लगाना सम्भव नहीं है। रियासत हुसैन साहब ने देहरादून और नैनीताल का उल्लेख किया कि वहां पर विकास के काम हो रहे हैं खासकर औद्योगिक क्षेत्र में। नेगी जी ने सही बताया कि रियासत हुसैन साहब को भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है। नैनीताल और देहरादून में तराई भी है और भावर भी। यहां उपजाऊ क्षेत्र हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में पैदावार होती है। भूमि भी उपलब्ध हो जाती है कारखाने लगने के लिए। बड़े-बड़े कारखाने वहीं लग सकते हैं जहां मैदान हो। पहाड़ों पर बड़े उद्योगों का लगाना संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान सुदूर पहाड़ के क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां छोटे-छोटे उद्योग लगाये जायें। खादी ग्रामोद्योग के जरिये, उद्योग निदेशालय के जरिये छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय तभी उस क्षेत्र का विकास हो सकता है।

हमारी सरकार ने योजना बनाई है वन विन्डो पम्पसेट की। यहां पर यह सुविधा दी जाय। छोटे उद्योग लगाने वालों को टेकनिकल ज्ञान उपलब्ध कराया जाय। मशीनों को लेने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। बैंक के माध्यम से यू० पी० एफ० सी० के माध्यम से परेशानी उठानी पड़ती है। पैसा देने में इतनी शर्तें होती हैं कि जो छोटा उद्योग लगाना चाहता है उसके लिये पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता। उनकी शर्तें आसान की जायें। जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको मशीनें देने के बजाय पैसा दे दिया जाय ताकि वह कम कीमत में खरीद कर उद्योग लगा सकें। रा मैटीरियल के लिये भी व्यवस्था की जाये। रा मैटीरियल के साथ में जो सब्सिडी हो उसको भी पैसे के रूप में पर्याप्त मात्रा में दे दिया जाये।

ऊन पहाड़ पर बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह से हैंडलूम कारपोरेशन बना है। मेरा सुझाव है ऊन कारपोरेशन बनाया जाये। पहाड़ का आदमी ऊन कात कर देगा जो बुनाई करते हैं। जिसे कारपोरेशन खरीद कर बाहर भेजने की व्यवस्था करेगा। अगर सरकार कुछ भला करना चाहती है पहाड़ों का तो पृथक् स्माल स्केल इन्ड्रस्ट्रीज निदेशालय बनाया जाये जिसका हेड क्वार्टर नजदीक ही हो। ऐसा न हो कि पी० डब्लू० डी० का हेड क्वार्टर बना दिया पौड़ी में जिसका चीफ इन्जीनियर रहता है पौड़ी में। पिछले दिनों एक चीफ इन्जीनियर ने एक फरवरी को चार्ज लिया जिनको हेड क्वार्टर तक पहुँचने में 23 दिन लग गये। जब हेड क्वार्टर तक पहुँचने में 23 दिन लग गये तो काम क्या करेंगे? मान्यवर, हेड क्वार्टर, वह भी पौड़ी गढ़वाल में है। तो जो पालीटेक्नीक काशीपुर में है, जो पालीटेक्नीक नैनीताल में है वह सम्पर्क करेगी पौड़ी से। तो इस तरह से जो निदेशालय है स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का, ऐसे स्थान पर हो जहां हमारे हर प्रकार के और हर क्षेत्र के लोग रहते हों ताकि वे उनसे सीधा सम्पर्क कर सकें।

मान्यवर, इसी प्रकार शिक्षा का सवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां ऐसे स्कूल हैं प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के, जिनके भवन नहीं हैं। आज कई साल बीत चुके हैं किन्तु उनके भवन नहीं बने हैं। तो इन भवनों को बनाने के लिये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिये। मान्यवर, डिग्री कालेज में छात्र कम हैं और अध्यापक ज्यादा हैं। इन प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के भवनों के निर्माण हेतु एक बार 20–25 करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया जाय जिससे जो भवन 10 साल से अधूरे पड़े हुए हैं या नहीं बने हैं जहां छात्र पेड़ों के नीचे बैठा है चाहे वह बरसात की स्थिति हो और चाहे जाड़े की स्थिति हो और चाहे धूप में वह तड़पता हो, उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए इन स्कूल के भवनों का निर्माण कर दिया जाय।

मान्यवर, जहां तक वन-विभाग का प्रश्न है। वन-विभाग के साइड पर जो थारू जन-जाति के लोग रहते हैं उनको माफी की लकड़ी मिलती है। जहां तक मेरी जानकारी है कि आज कई वर्ष हो गये हैं उनको माफी की लकड़ी नहीं मिल पाई है। कई बार सरकारी अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें माफी की लकड़ी मिलने वाली है लेकिन आज तक उन्हें वह लकड़ी नहीं मिली। जब से आपका यह वन-निगम बना है जो बाजार में लकड़ी है उसके भाव भी दुगुने-तिगुने हो गये हैं। इसकी आप जांच करें कि इसकी कीमत दुगुनी और तिगुनी होने के क्या कारण हैं। मान्यवर, मैं पर्वतीय विकास मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने थारू परियोजना का शुभारम्भ हेतु 4.64 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। बुक्सा परियोजना भी काफी दिनों से विचाराधीन है उसे भी शीघ्र स्वीकृत किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जांय। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हरदेव जी—

मान्यवर, जो अनुसूचित जाति के लोग, डूम जाति के लोग और कोलतार जाति के लोग हैं उनको अनसूचित जाति की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, देहरादून में जौनसार बाबर एक क्षेत्र है, जो जन-जाति के नाम से घोषित हो जाने के बाद भी उसे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है,....

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठें। मैंने आपको नहीं बुलाया है।

* डा० शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैं दोनों तरफ से माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ कि सभी लोगों ने वही भावनायें व्यक्त की हैं जिन भावनाओं को लेकर मैंने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। मान्यवर, पर्वतीय अंचल में किस प्रकार से विकास की गति धूमिल पड़ गई है, किस तरह से वहाँ का जन-मानस अपने विकास के लिये छटपटा रहा है, उसे न तो रास्ता मिलता है और न कोई दिशा मिल रही है, इन भावनाओं को दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने जिस तरह से भाव-विभोर होकर रखा है उसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय श्री ओझा जी ने मेरी भावनाओं पर अपने विचार प्रकट करते हुये कहा कि मैंने इसे दिशा-शून्य कहा है। माननीय ओझा जी को तो यह स्वयं ही सोचना चाहिये कि जिस बजट के वे स्वयं उपाध्यक्ष हैं उनकी राय भी न ली जाय और उस बजट को प्रस्तुत कर दिया जाय और उनके पीछे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दस्तखत करा के उसे प्रस्तुत कर दिया जाय। यदि वे इसको उसकी दिशा मानते हैं तो इस पर मैं कोई टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। वरना इतना तो जरूर ही कहूँगा कि इस दिशा शून्य बजट में मैंने अपने सुझाव दिये हैं। गत वर्षों की तरह से अगर विधायक की भी राय इसमें ली जाती, तो हम लोग भी अपनी राय देते, जैसा कि पर्वतीय विकास परिषद् में पहले से ही परम्परा रही है कि सभी माननीय सदस्यों को अपनी राय देने के लिये कहा गया। आज तक इसका निर्वहन नहीं हुआ है। हो सकता है कि हम पर्वतीय अंचल के लिये अच्छी ही राय देते लेकिन इसे जब अधिकारियों के द्वारा दस्तखत करके सब लोगों पर थोप दिया गया है, इसे आप दिशापूर्ण मानते हैं तो मैं क्या कहूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गये हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि पर्वतीय अंचल के विकास के लिये उन्हें सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों की भी राय ली जाय। विकास में हम भी अपना सहयोग देना चाहते हैं। पुल कहाँ बनना चाहिये, हमको ज्यादा मालूम है कि कहाँ पर पुल की आवश्यकता है, स्कूल कहां बनना चाहिये, इसकी ज्यादा जानकारी हमको है, बजाय अधिकारियों के जो लखनऊ से वहां जाते ही नहीं हैं। ओझा जी कह रहे हैं कि दिशापूर्ण बजट है। बजट में इसके भी आंकड़े नहीं हैं कि कितने स्कूल खुलेंगे, कितने अस्पताल खुलेंगे।

हमारे यहां की बड़ी विचित्र विडम्बना है। बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहां अभी तक अतिरिक्त निदेशक, कृषि भूमि संरक्षण नहीं है, उप निदेशक, भूमि संरक्षण दोनों मण्डलों में नहीं हैं, उप निदेशक, उद्यान पौड़ी में नहीं है, आर० टी० ओ०, पौड़ी नहीं हैं, गढ़वाल मंडल में प्रबन्ध निदेशक नहीं हैं, डिप्टी रजिस्टार, सहकारिता नहीं है, भूमि विकास बैंक, गोपेश्वर में 78 से प्रबन्धक नहीं हैं, प्रमुख अभियन्ता, पी० डब्लू० डी० के विषय में सुना है कि अभी चार्ज लिया है और मेरी जानकारी में यह आया है, हो सकता है कि गलत हो, कि उनका मई में या अप्रैल के आखीर में रिटायरमेंट होने वाला है। अगर पेन्शन देने के लिये ही पहाड़ में भेजने की योजना हो और इसी को आप दिशापूर्ण कहें तो मुझे ज्यादा कहना नहीं है····

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

डा० शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, 10 मिनट तो दें।

····तो जैसा मैंने कहा, इसी तरह की विचारपूर्ण भावना व्यक्त कर ऐसे अधिकारियों का चयन कर दें जो कम से कम पहाड़ में दो-तीन साल तो रहें। पेवल पेन्शन का कागज तैयार करने के लिये वे वहां पहुँचे तो ऐसी कृपा न करें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

डा० शिवानन्द नौटियाल--

बस मान्यवर, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। सभी माननीय सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की है कि····

श्री अध्यक्ष--

आप सब को धन्यवाद दे दीजिये, बस।

डा० शिवानन्द नौटियाल—

सभी ने कहा कि स्कूलों की संख्या कम है। आप इसकी बढ़ोत्तरी कर दें। जो आश्वासन

दिया है, स्कूलों के लिये उसको पूर्ण कर दें। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर चमोली का पौड़ी में रहता है, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, गढ़वाल मंडल का गोपेश्वर (चमोली) में नहीं बल्कि मेरठ में बैठता है, कैसे काम होगा। आप ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे पर्वतीय अंचल का विकास हो। अगर आप ठीक से काम करेंगे तो कौन अपना सहयोग नहीं देगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी को बताना चाहता हूँ कि 360 करोड़ का बजट होना चाहिये था, 140 करोड़ का बजट देकर आपने हमारे यहां कटौती की है, आप इस पर पुनर्विचार करें। जितनी आवश्यक मांगें हैं, पूर्ण करने की कृपा करें।

श्री शम्भूनाथ—

तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा युवक मण्डल दल एवं ग्राम सुरक्षा दल की जो योजनाएं—युवक खेल-कूद, युवक सेमीनार, व्यायामशालायें तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कराकर युवकों को रोजगार देने की व्यवस्था की गयी थी। इस योजना को जनता पार्टी शासन द्वारा सन् 78–79 में बन्द कर दिया गया था। क्या माननीय मंत्री जी उस युवक मण्डल दल एवं ग्राम सुरक्षा दल की योजना को पुनः प्रारम्भ करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप कृपया बैठ जायें, माननीय पर्वतीय विकास मंत्री।

* श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों का तथा उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं सुझावों पर जो उपयोगी होंगे, उस पर विचार करने का मैं आश्वासन देता हूँ। माननीय शिवानन्द नौटियाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखते हुये यह कहा कि यह धन पहाड़ों के विकास के लिये बहुत कम है, इसको और अधिक होना चाहिये तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ वैसे वह इस बात को शायद नहीं मानेंगे, लेकिन जो फैक्ट है, उसे ही कहा जायेगा और उसे इन्हें स्वीकार भी करना चाहिए। हमारे पर्वतीय क्षेत्र की आबादी टोटल प्रदेश की आबादी की 4 प्रतिशत है और उस अनुपात से यदि देखा जाए तो योजना परिव्यय है प्रदेश का 1 हजार 375 करोड़ का जिसका 10 प्रतिशत होता है 140 करोड़ और यही निर्धारित हुआ है और इसमें कई बड़ी-बड़ी योजनायें हैं टिहरी, मनेरी भाली योजना आदि, जिन पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहाड़ों पर हालांकि बहुत पुरानी बात है कि जब इसे बहुत कम बजट मिलता था, तब पहाड़ों पर पिछड़ापन स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। पहाड़ों में इन पिछले वर्षों में बहुत काम हुआ है और इसी प्रकार आगे भी अपेक्षा कर रहा हूँ कि इससे अधिक काम होगा जिससे वहां की पिछड़ेपन की स्थिति दूर हो सकेगी, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सुधरेगी और आज जो भौगोलिक कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों में भी आसानियां पैदा हो सकेंगी।

(व्यवधान)

डा० शिवानन्द नौटियाल—

पहाड़ों के विकास के लिये प्लानिंग कमीशन ने जो बात 15 परसेन्ट की कही है, जो सरकारी मुहकमा है, मैने भी उसी के आधार पर अपनी बात को कहा है।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जो वहाँ का पिछड़ापन है, वह पिछड़ापन जब से यह कांग्रेस सरकार कायम हुयी है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस जमाने से आज में बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं स्वयं जब कांग्रेस में था, दुगड्डे से पैदल बद्रीनाथ जाना पड़ता था। मैने इस प्रकार के पूरे-पूरे दौरे पैदल किये हैं, लेकिन आज तो हमारे पास मोटर हैं, बसेज हैं व अन्य साधन हैं आने-जाने के वहां पर, जिससे यह कहा जा सकता है कि विकास कार्य हुये हैं, पूरी गति से हुये हैं। रियासत साहब ने बड़े अच्छे ढंग से एक बात कही। लेकिन एक बात से मैं उनसे सहमत नहीं हूँ कि पहाड़ को आगे लाने में जो उन्होंने कहा कि नैनीताल और देहरादून और मंसूरी का बहुत बड़ा भाग है क्योंकि हर इन्सान जो मंसूरी, देहरादून और नैनीताल जाता है तो उसको पहाड़ों के बारे में जानकारी होती है, तब जाकर वह पहाड़ों के विकास के बारे में कुछ समझता है और कहता है कि हां, आज पहाड़ों का विकास हो। आपने तो राजनीति की बात बीच में डाल दी कि यह शहर ही सब खा जाते हैं, परन्तु ऐसी बात नहीं है। जहां जिस काम के लिये जिस चीज की आवश्यकता होती हैं वहां के लिये सरकार उसको धन देती है।

नौटियाल जी ने एक बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाईयाँ नहीं हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 12 हजार की प्रति वर्ष की दर से औषधियाँ दी जाती हैं। पता नहीं वे किस अस्पताल में गये कि उनको दवाई नहीं मिली।

डा० शिवानन्द नौटियाल--

क्या आपने एक ही अस्पताल को 12 हजार रुपए की दवा दी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैं तो बीच में उठा नहीं था, सबको सुनता रहा था, आप क्यों बीच में उठ रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनता रहा। कहा गया कि साधारण ग्रेड के डाक्टर वहाँ अस्पतालों में नहीं हैं। अब साधारण ग्रेड के डाक्टरों में जो 904 थे जिनमें से 404 पद खाली हैं उनमें से 304 पदों के लिये हाल ही में डाक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं और इनमें से 120 ने अब तक अपना कार्यभार संभाल लिया है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ डाक्टर है ही नहीं। यह ठीक है कि वहाँ की कठिनाई को देखते हुए और असुविधा को देखते हुए कि कहीं भवन नहीं हैं, कहीं खाना-पीना नहीं है लेकिन अब जो नियुक्तियां हुई हैं उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि उनको पहाड़ों में ही सेवा करनी है।

इसी तरह से अध्यापकों के लिये भी है, उनको भी कह दिया गया है कि उन्हें अब पहाड़ में ही सेवा करनी पड़ेगी, यदि वे पहाड़ पसन्द नहीं करेंगे, तो उनका स्थानान्तरण नहीं होगा बल्कि उनको अपना त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप समय का भी ध्यान रखें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। साथ ही मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि शासन की ओर से पूरे 8 जिलों को समान रूप से विकास करने का विचार है इसमें यहीं कोई राजनैतिक बात करता है यह ठीक नहीं है। हमारी तरफ से सम्पूर्ण पर्वतीय विकास होना है उसमें आप हमें सहयोग दें तब भी और यदि सहयोग न दें तब भी हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसका विकास करें और पहाड़ों के पिछड़ेपन को दूर करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

आपके पर्वतीय क्षेत्र के अधिकारी जो नियुक्त हैं वहाँ पर वे देहरादून और नैनीताल में

रहते हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करते हैं, यह आप स्पष्ट करें ?

श्री हरदेव—

मैं एक स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री जी से चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी कोई बात नहीं हैं, आप बैठिये। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो बजट यहाँ पेश किया गया है जिसका समर्थन अधिकांश सदस्यों ने किया है और जो सुझाव दिये हैं उन पर अमल किया जायेगा और मुझे उम्मीद है कि पर्वतीय विकास के कार्यक्रम में मुझे आप लोगों का सहयोग प्राप्त होगा।

(समय 4.15 से)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि समूचे पर्वतीय क्षेत्र में 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक पाठशाला खोल दी जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

यह आवश्यक नहीं है कि मन्त्री जी हर सवाल का सवाब दें ही। (व्यवधान) वे देना चाहे तो दे सकते हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, माननीय नौटियाल साहब का जो प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में शिक्षा विभाग का जो मानक है उसके अनुसार पाठशालायें खोली जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

पर्वतीय विकास विभाग के अधिकारी जो नैनीताल और देहरादून में ही बैठे रहते हैं, कोई सेवा पर्वतीय क्षेत्र की नहीं करते, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33 —पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,83,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 2 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिन्हें मैंने अस्वीकार कर दिया है।

जनपद बहराइच की जरवल रोड चीनी मिल के एक हरिजन कर्मचारी को (नौकरी से) निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

माननीय सदस्यगण ने अपनी सूचना में यह कहा था कि जरवल चीनी मिल में कार्यरत हरिजन कर्मचारी श्री पांचू, जो चौकीदार के पद पर कार्य कर रहे थे, को मिल के मैनेजर ने निकाल दिया है। यह हरिजन कर्मचारी जब माननीय अध्यक्ष, मन्त्री एवं विधायकों की उस कर्मचारी को पुन: सेवा में लिये जाने की संस्तुतियों के साथ मिल के मैनेजर से मिला तो उन्होंने कुछ पत्रों को फाड़ डाला और कुछ को उस कर्मचारी के सामने फेंक दिया और जब श्री पांचू ने ऐसा न करने की प्रार्थना की तो उसे मिल मैनेजर ने मारा तथा अपमानित किया और मन्त्रीगण तथा विधायकों के सम्बन्ध में भी अवहेलना पूर्वक बात की। इस विषय से सम्बन्धित तथ्य निम्नवत् हैं—

2—श्री पांचू प्रसाद को जरवल मिल में पेराई सत्र 81–82 में दैनिक वेतन भोगी वाउचर पेड कर्मचारी के रूप में रखा गया था और चौकीदार का काम दिया गया था। श्री पांचू प्रसाद ने दिसम्बर, 1981 से जून, 1982 के बीच भिन्न-भिन्न अवधियों में कुल 124 दिन कार्य किया था। उस अवधि में श्री पांचू प्रसाद का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा, वे अनेक बार बिना सूचना दिये अनुपस्थित हो जाते रहे तथा उनका आचरण भी उद्दण्ड एवं अनुशासनहीन रहा। पेराई सत्र की समाप्ति के पश्चात् श्री पांचू प्रसाद की सेवाओं की आवश्यकता न रहने पर अन्य दैनिक भोगी वाउचर पेड कर्मचारियों की तरह उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था।

3—श्री पांचू प्रसाद की पेराई सत्र 1981–82 की सेवा अवधि के उनके कार्य एवं आचरण की शिकायतों को देखते हुये पेराई सत्र 1982–83 में उन्हें सेवा में लिया जाना उचित नहीं समझा गया। श्री पांचू प्रसाद के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। चौकीदार के कार्य के लिये राज्य चीनी निगम की सामान्य नीति भूतपूर्व सैनिकों को रखने की है और पेराई सत्र 82–83 के लिये मिल के प्रधान प्रबन्धक ने 9 भूतपूर्व सैनिकों की व्यवस्था की जिनमें से एक अनुसूचित जाति का और एक पिछड़ी जाति का है। चौकीदार के रूप में श्री पांचू प्रसाद की सेवाओं की आवश्यकता इस आधार पर भी नहीं रह गई थी। 1-12-82 को पेराई सत्र 82–83 के शुभारम्भ कार्यक्रम के समय श्री पांचू प्रसाद ने फैक्टरी मैनेजर तथा अन्य अधिकारियों के साथ अशोभनीय एवं उद्दण्ड व्यवहार किया। मिल के पेराई सत्र चलने के लगभग एक माह बाद मिल के ब्रेकडाउन के समय जब सामान्य प्रबन्धक श्री जगदीश सिंह बेदी मरम्मत के कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, श्री पांचू प्रसाद चौकीदारों के मना करने पर भी मिल में घुस आये और श्री बेदी से सेवा में लेने को कहा तथा श्री बेदी के यह कहने पर कि श्री पांचू प्रसाद उनसे अगले दिन कार्यालय में बात कर लें श्री पांचू प्रसाद ने उद्दण्ड एवं अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जिस पर उन्हें फैक्टरी से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये। श्री बेदी के अनुसार उनके द्वारा श्री पांचू प्रसाद को मारने-पीटने अथवा सिफारिशी पत्रों को फाड़ने की बात सही नहीं है। जांच पर भी श्री पांचू प्रसाद को अपमानित करने अथवा मारने-पीटने या सिफारिशी पत्रों को फाड़ने आदि के आरोप का कोई प्रमाण नहीं मिला।

श्री राम सागर—

यह उसी बेदी का तैयार किया हुआ वक्तव्य मन्त्री जी पढ़ रहे हैं जिसने उस हरिजन

को मारा, वह मैनेजर हरिजन विरोधी है। अभी दिसम्बर, 82 में वहाँ का एक कर्मचारी मर गया, जमादार था, उसका दो-तीन महीने का वेतन बाकी था। उसकी बीबी जब वेतन माँगने के लिए गयी तो उस मैनेजर ने कफन के लिए भी पैसा नहीं दिया। वहीं मैनेजर ने इस पांचू प्रसाद आर्य को नौकरी से निकाल दिया। एक दर्जन से अधिक विधायकों के सिफारिशी मैनेजर के पास गये। मुख्य मन्त्री जी ने भी उसके बारे में लिखा और जब उसको यह आशा हो गयी कि वहां पर उसकी सुनवाई होगी तो वह वहाँ पर गया और श्री बेदी से बात किया। बेदी ने इसके सामने ही उन सारे पत्रों को पकड़कर फेंक दिया तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस बेदी का यह भाषण लेकर सदन में क्यों पढ़ रहे हैं। क्या वहां जो कार्य कर रहे हैं और पांचू प्रसाद से इस सम्बन्ध में जानकारी की गयी, अगर जानकारी की गयी तो उन्होंने क्या बयान दिया और कब बयान लिया गया ?

*कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जिन तमाम सारी बातों का जिक्र किया है, और अगर वह लिखकर दे देंगे तो उनकी भी जांच करा लूँगा। पांचू प्रसाद ने कोई इस प्रकार का आरोप पत्र नहीं दिया है जिसकी जांच की जाय। जो जांच की गयी है उसी के आधार पर इस सदन में कहा गया है।

श्री जमुना प्रसाद—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि श्री पांचू प्रसाद हरिजन को वहां के मैनेजर ने निकाल दिया जो आपसे भी मिला आपने स्पष्ट आदेश कर दिये थे, यह फोटोस्टेट कापीज हैं, वहां के संसद् सदस्य ने भी लिखा है कि इसको नौकरी में रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री जमुना प्रसाद—

इस तरह से मुख्य मन्त्री जी ने भी आदेश दिया था, गोपाल प्रसाद सिंह जो पिटीशन अफसर हैं, उन्होंने भी आदेश दिया था कि इनको रख लिया जाय। नेता विरोधी दल, विधान परिषद् ने भी कहा था और माननीय अन्य विधायकों ने भी उसको रखने के लिये पत्र लिखे थे जिसमें कांग्रेस (आई) के लोग भी थे। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी उस हरिजन को न रखकर मैनेजर ने विधायकों की और मन्त्री जी की अवमानना की है, इसका क्या आधार है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, इसमें कोई अवमानना का प्रश्न नहीं उठता। किसी भी कर्मचारी के गुण, दोष, आचरण और व्यवहार के आधार पर ही उसे सेवा का अवसर दिया जाता है। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि इसमें भूतपूर्व सैनिकों को सेवा में रखने के लिये व्यवस्था की गई है और उसी आधार पर भूतपूर्व सैनिक को रखा गया है।

श्री जमुना प्रसाद—

मैं यह मानता हूँ। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पत्र लिखा, विधायकों ने पत्र लिखा और आपकी भी उसमें संस्तुति है उसके बावजूद भी उसको नहीं रखा गया और वहां के मैनेजर ने उसे जूतों से मारा। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री जी बतायें कि किन-किन अधिकारियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया ? उनके नाम बता दें। यह सरकार हरिजनों के नाम पर इतना ढिंढोरा पीटती है.....

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री जमुना प्रसाद--

हरिजनों के साथ उत्पीड़न किया जाता है । फैक्ट्रीज का यह चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है । उसयें 81-82 में 124 दिन वहां काम किया है । मैं पूछना चाहता हूँ कि मन्त्री जी बताये कि किन-किन अधिकारियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको पुनः सेवा में न रखकर माननीय मन्त्री और विधायकों की गरिमा धूमिल की है ।

कुंवर शिवनाथ सिह कुशवाहा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी की गरिमा नहीं गई है । जो माननीय मंत्रियों ने और विधायकों ने संस्तुति की है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है । माननीय अध्यक्ष जी, ये जो पांचू प्रसाद किसी पर विश्वास नहीं करते हैं । कोई माननीय विधायक इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने पत्र न लिखवाया हो । आप तो पत्र फाड़ने की बात कह रहे हैं मेरे पास तो लम्बी-चौड़ी अधिकारियों की लिस्ट है जिससे इन्होंने सिफारिश करवायी है । वह तो इस प्रकार के आदमी थे ही और दरखास्त लिखते थे ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने न तो कारण दिखाये हैं जिसके कारण इनको दुबारा नौकरी में नहीं लिया गया । एक कारण यह दिया है कि उन्होंने बिना सूचना दिये गैरहाजिर रहे, यह शिकायत उनके खिलाफ थी । दूसरी शिकायत यह थी कि उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था.....

श्री मुईद अहमद--

लाइट तो जला लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । यह काम आपका नहीं है । यह आपको शोभा नहीं देता ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

तीसरी शिकायत उनको नौकरी में न लेने की यह थी नियम के अनुसार भूतपूर्व सैनिक को वहां पर रखा जाना था । चौथी यह थी कि इन्होंने वहां पर उद्दंड व्यवहार किया । मान्यवर, जैसा इन्होंने बताया कि उस हरिजन ने 124 दिन काम किया तो मन्त्री जी बतायें कि उनकी नियुक्ति किस तारीख को हुई थी और उनकी सेवा किस तारीख को समाप्त हुई ?

कुंवर शिवनाथ सिह कुशवाहा--

इनकी नियुक्ति दिसम्बर, 81 में हुई थी और जून में फैक्टरी जब बन्द हुई तो इनकी सेवायें समाप्त हो गईं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि शुगर वेज बोर्ड में जो आपने लिखा है कि दैनिक वेतन भोगी वाऊचर पेड कर्मचारी के लिए कोई श्रेणी नहीं है, मान्यवर, शुगर वेज बोर्ड के अनुसार वहां केवल दो ही श्रेणी 1--परमानेंट और 2 --सीजनल परमानेंट के अलावा कोई तीसरी श्रेणी नहीं होती है । तो

इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए जो उसका डिसमिशल अवैधानिक किया गया है क्या उसको फिर से नौकरी में रखने पर विचार करेंगे ? दूसरा यह कि उस पांचू प्रसाद का एपोइंटमेंट लेटर जो है उसकी क्या शब्दावली है उससे सदन को अवगत कराने का मन्त्री जी कष्ट करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वह लैटर तो मेरे पास नहीं है उसके लिए सूचना की आवश्यकता है। बहरहाल यह 194 दिनों में से 66 दिन अपने कार्य पर अनुपस्थित रहे। जो सम्बन्धित अधिकारी रहे हैं वह उससे तंग आ गये इसलिए दुबारा नौकरी के लिए नहीं सोचा गया और न सोचा जायेगा।

श्री जटाशंकर सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उसको नौकरी देने के लिए न सोचा गया और न सोचा जायेगा। तो कम से कम मंत्री स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर आपको नहीं कहना चाहिये। माननीय गन्ना विकास मन्त्री जी ने स्वयं तीन बार वहां के मैनेजर को लिखा इसको सेवा तत्काल प्रदान की जाय। जहां तक मेरी जानकारी है मेरे पास पत्र भी है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सदन में रख सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण पूछिये।

श्री जटाशंकर सिंह—

यह बता कर मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष से लेकर तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वयं पत्र लिख कर उसको सेवा दिलाई है। उनके मुख्य मंत्रित्व पद से हटने के बाद उस व्यक्ति को निकाल दिया गया तब से माननीय अध्यक्ष से लेकर मंत्रियों और विधायकों के दरवाजे खटखटाते रहा, आपने स्वयं उसकी सेवा के लिए लिखा है माननीय मन्त्री जी ने स्वयं लिखा है कि उसको सेवा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये, मैं इसको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री जटाशंकर सिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि 124 दिन श्री पांचू प्रसाद आर्य सेवा में रहा और किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या इरेगुलैरिटी के आरोप में उनको कोई नोटिस दी गयी ? यदि दी गयी, तो वह क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मैं अभी निवेदन कर चुका हूँ कि माननीय मन्त्रियों और सदस्यों ने जो भी लिखा है वह सहानुभूति-पूर्वक विचार करने के लिए लिखा है कोई निर्देश नहीं है। दूसरा जो पांचू प्रसाद जी हैं वह 194 दिनों में 66 दिन अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे हैं।

(व्यवधान)

तो इस दशा में कोई दायित्वपूर्ण कार्य इस प्रकार के व्यक्ति को कतई नहीं सौंपा जा सकता है।

श्री जटाशंकर सिंह—

मेरा प्रश्न स्पष्ट है उनको अनुशासनहीनता के लिए कोई नोटिस इत्यादि दी गयी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें । शांत रहे ।

श्री जटाशंकर सिंह—

मान्यवर, उद्दंडता अथवा अनुशासनहीनता की कोई नोटिस दी गयी है ? यदि हां, तो वह कब और क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, यह तो अस्थायी कर्मचारी हैं, 194 दिनों में 66 दिन अनुपस्थित रहे, अतः शुद्ध रूप से अनुशासनहीनता है ।

श्री जटा शंकर सिंह—

मन्त्री जी के पास कोई इसका प्रमाण नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । आप बैठ जांय ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, जैसा मन्त्री जी ने बताया कि वह कर्मचारी 66 दिन अनुपस्थित रहा, यह उसके ऊपर चार्ज है, मेरी जानकारी को सही मानकर कि मैनेजर उससे असंतुष्ट था, इसलिये उसने जानबूझ कर उसको अनुपस्थित करता रहा और जो सूचना दिया है वह असत्य है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हरिजन उत्पीड़न, विधायकों को अवमानना यह सरकार के लिये कोई नई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने मन्त्री जी के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना तो मन्त्री जी ने उसको निकालने का जो कारण बताया है वह है कि अनुशासनहीनता, उद्दंडता और दुर्व्यवहार करना और यह जिस मैनेजर के साथ किया वह हैं श्री बेदी जिसको इस शासन ने सस्पेंड कर दिया है । मैंने पत्र मंत्री जी को लिखा था और मेरे पत्र पर कार्यवाही करके उस अधिकारी बेदी को ट्रान्सफर किया इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि मन्त्री जी ने उत्तर में कहा है कि अनुशासनहीनता सिद्ध है, कर्मचारी टेम्पोरेरी है, यह पता है लेकिन कार्यरत रहते हुये 64 दिन काम किया या 10 दिन काम किया, इस बीच उसके खिलाफ अनुशासनहीनता, उद्दंडता की शिकायत मैनेजर को मिली थी तो इस बीच अवमानना वाली नोटिस उसको कब दी गयी, यदि उस समय नहीं तो आज जब विधान सभा में मामला उठाया गया तो उस गरीब पर आरोप लगाने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, उसकी टेम्पोरेरी नौकरी थी इसलिये जून में उसकी सेवायें अपने आप समाप्त हो गयीं । जिस स्थान पर वह था उसके स्थान पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको रखा जायेगा, जिसके पास लाइसेंस हैं उनको रखा जायेगा । इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की गयी जिसने चयन किया और समिति ने उनको अयोग्य पाया, चूंकि यदि वह भूतपूर्व सैनिक होते, उनके

पास लाइसेंस होता तो चयन होता और वह गये नहीं चयन समिति के सामने, इसलिये विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री राम नारायण पाठक--

मान्यवर, 90 दिन कान्टीन्यूअस सर्विस के बाद शो काज नोटिस जरूर देना चाहिये था, और किन शर्तों पर उसकी नियुक्ति हुई थी ? यह बता दें ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

90 दिन की जब रेगुलर सर्विस होती है तब होता है, यह तो टेम्पोरेरी और सीजनल थी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जानकारी दिया है कि उसकी अयोग्यता के कारण चयन में वह नहीं आ पाया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 90 दिन काम करने के बाद उसको कोई नोटिस नहीं दिया और अनुशासनहीनता की कार्यवाही नहीं किया।

तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सभी पहलुओं को देखते हुए उसे पुनः नौकरी में लेने पर वह विचार करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

नहीं, कोई प्रश्न नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, अब देहलवी जी का आखिरी सवाल होगा.....

(व्यवधान)

आप लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठें.....

(व्यवधान)

श्री कुंवर भंडारी—

सदन के बाहर तो हरिजनों पर अत्याचार हो ही रहा है, सदन में भी हरिजन सदस्य का उत्पीड़न हो रहा है। अभी हरदेव बोलने के लिए खड़े हुए थे कि उनके आदमियों ने उनको जबरिया बैठा दिया।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, एक बात तो साफ हो गई है कि माननीय सदस्यों के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर से कि वह कर्मचारी उद्दण्ड नहीं था और यदि होता तो उसकी कोई मिसाल मिलती। जो मंत्री जी ने गैर-हाजिरी की बात की है, यदि गैरहाजिरी की बात होती तो उसको सेवा से हटाये जाने से पहले कोई रिकार्ड होता कि वह कभी गैरहाजिर हुआ था और जब गैर-हाजिरी की बात आयी थी तब आप उसको हटा सकते थे। इसमें भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी की, आपकी पीठ का और स्वयं मन्त्री जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न जुड़ा हुआ है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि उस मैनेजर ने उसको केवल इसलिए हटा दिया—जैसा कि आपके वक्तव्य में है जब वह सफाई का काम देख रहा था, वह उनके पास चला गया, तो उसके पास अध्यक्ष जी का और मन्त्री जी का पत्र था, उसको विश्वास था कि हमको नौकरी मिल जाएगी, उस समय मैनेजर साहब का कहना है कि उसने अपशब्दों का प्रयोग किया और उद्दण्डता की। यह सोचने की बात है कि कोई आदमी अपनी नौकरी पाने जाएगा, और वह भी हरिजन है, चौकीदार है,

एक गरीब आदमी है, तो क्या वह मैनेजर साहब के साथ उद्दण्डता करेगा, क्या वह ऐसा कर सकता है ? यह सम्भव नहीं है । अतः यह स्पष्ट है कि वह दोष रहित है और किसी कारणवश मैनेजर उससे नाराज थे, तो मैं यह निवेदन.....

श्री अध्यक्ष—

आप कितना समय और लेंगे, मैं आज्ञा नहीं दूंगा । यह कोई तरीका नहीं है देहलवी जी ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मन्त्री जी से यह आग्रह करूंगा कि क्या वह गरीब, इस गरीब आदमी के मामले में पुनः विचार करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, यहां मुख्यालय से जो आरोप लगाए गये थे, मुख्यालय से जांच दल भेजा गया और वहाँ पर सम्बन्धित अधिकारियों से, सम्बन्धित कर्मचारियों से और समुचित यूनियन के पदाधिकारियों से भी सम्पर्क किया गया, जिन्होंने इस बारे में पूर्ण अनभिज्ञता जाहिर की और इसे गलत बताया है । यह आरोप जो जनरल मैनेजर के खिलाफ लगाए गये हैं, पूर्णतया गलत बताए गये हैं ।

ऐसी स्थिति में उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता । जहां तक उनके दायित्व का प्रश्न है, एक नीति है कि भूतपूर्व सैनिक लिये जायेंगे, मान्यवर, उसमें चयन किया गया, उसमें नाम मांगे गये और नाम के आधार पर चयन हो गया है ।

(मद संख्या 11 के लिए माननीय परिवहन मन्त्री के पुकारे जाने पर)

श्री जमुना प्रसाद —

[***] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । आप बैठिये, यह कुछ नहीं लिखा जायगा ।

(श्री जमुना प्रसाद, श्री राम आसरे पासवान, श्री राम सागर सदन के फ्लोर पर आ गये और व्यवधान के मध्य कुछ कहते रहे, जो सुनाई नहीं पड़ा ।)

(श्री जमुना प्रसाद ने कुछ पत्रादि फाड़कर सदन के फ्लोर पर फेंके)

श्री अध्यक्ष—

माननीय जमुना प्रसाद, आप अपने स्थान पर वापस जांय । माननीय राम आसरे पासवान, आप अपने स्थान पर वापस जांय, यह कोई तरीका नहीं है । माननीय राम सागर आप अपने स्थान पर वापस जायं । यह बहुत अनुचित बात है ।

(श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से श्री जमुना प्रसाद, श्री राम आसरे पासवान तथा श्री राम सागर अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

राजकीय परिवहन निगम के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से निगम की बसों द्वारा भारी पैमाने पर हो रही कथित स्मगलिंग के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

परिवरन मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

सूचना में उल्लिखित एक घटना मात्र के आधार पर यह कहा जाना कि राजकीय परि-

नोटः—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वहन निगम की बसों द्वारा उनके कर्मचारियों एवं स्मगलरों की साँठ-गाँठ से बड़े पैमाने पर स्मगलिंग करके भारतीय व्यापार को चौपट किया जा रहा है, निराधार है। सूचना में उल्लिखित बस संख्या यू०पी० एक्स० 8926 जो गौरा चौकी गोंडा से कानपुर जा रही थी, की चेकिंग घाघरा घाट पर कस्टम अधिकारियों द्वारा दिनांक 8/9 मार्च, 83 की रात्रि में की गयी जिसमें लगभग 13,140/– मूल्य का सेन्थेटिक कपड़ा आदि विदेशी सामान बरामद हुआ। यह सामान गाड़ी के चेसिस में नीचे की तरफ प्रापलर शाफ्ट के पास बंधा पाया गया तथा कुछ सामान गाड़ी में रखी एक अतिरिक्त स्टेपनी में प्राप्त हुआ। उक्त अवैध सामान ले जाने के सम्बन्ध में श्री अब्बास अली एवं श्री जीवन लाल को कस्टम अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया। कस्टम अधिकारियों द्वारा लिये गये बयान से यह ज्ञात हुआ कि उक्त सामान श्री रजी अहमद जिला गोंडा का था जो उसी बस में यात्रा कर रहे बताये गये। श्री रजी अहमद को भी कस्टम अधिकारियों ने हिरासत में लेने का प्रयास किया किन्तु वह किसी प्रकार बच निकले। इस तथ्य की सूचना प्राप्त होने पर उक्त बस के चालक श्री ज्ञान दत्त मिश्र एवं परिचालक श्री छेदी लाल जायसवाल को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन निगम के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दे दिये गये हैं कि वे उक्त प्रकार की घटनाओं की सम्भावनाओं को रोकने के लिये प्रभावी चेकिंग निगम के स्तर से भी करते रहा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मन्त्री जी कहते हैं कि एक घटना घटी इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि परिवहन निगम की बसों द्वारा बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। नियम 51 में मान्यवर, मजबूरी है कि एक घटना की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वैसे हजारों की तादाद में यह घटनायें स्मगलिंग की हो रही हैं। बटलोई का एक चावल ही देखकर स्थिति को समझा जा सकता है। तो मैं अब प्रश्न करता हूँ। माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे, प्रापलर शाफ्ट के पास सामान बँधा था मेरी जानकारी है कि वहां से जानकारी है कि वहां से कानपुर और लखनऊ को आने वाली जितनी बसेज हैं सबमें सामान आता है और बड़े पैमाने पर स्मगलिंग होती है कर्मचारियों की सांठ-गांठ से। मैं जानना चाहता हूँ, कि यह सामान जो था किसी न किसी का होगा। लगेज बुक किया गया होगा। किसके नाम यह सामान बुक था ?

*श्री बल्देव सिंह आर्य—

अभी मैंने बताया कि रजी अहमद जिसका नाम लिया गया है इस बयान में तो वह इसी बस से सफर कर रहे थे और यह बताया गया कि यह सामान उसी का है। लेकिन वह बचकर निकल गये और हिरासत में नहीं आये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह लगेज किसके नाम बुक था। मन्त्री जी बता रहे हैं कि रजी अहमद का था। तो वह आपकी पार्टी के बड़े प्रख्यात व्यक्ति हैं वह कैसे भाग गये। उनको कस्टम के अधिकारियों ने पकड़ने का प्रयास किया। तो उसको देखा होगा, समझा होगा, वह भाग कैसे गये। कस्टम के अधिकारी भी अच्छी संख्या में थे। तो क्या इससे यह बात साबित नहीं होती है कि कस्टम अधिकारियों और रोडवेज के कर्मचारियों दोनों ने मिलकर मुख्य अभियुक्त को वहां से भागने दिया। यदि यह सही है तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया यह सामान रजी अहमद, जो इस बस से जा रहे थे, उनका बताया गया है। वह पकड़ में नहीं आये रात का मौका था। इसलिये चालक और परिचालक को निलंबित किया गया, इसलिये कि उन्होंने लापरवाही बरती और सामान क्यों नहीं चेक किया कि यह अवैध सामान है। बस से नहीं ले जाना चाहिये था। उनको चेक करना चाहिये था।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब प्रोपलर शाफ्ट के पास घुसकर सामान बांधा गया तो यह काम कोई टेक्निकल आदमी कर सकता है क्योंकि प्रोपलर शाफ्ट घूमता रहता है। दूसरी चीज स्टेपनी में टायर के अंदर ट्यूब की जगह पर कपड़ा था या उसके नीचे कपड़ा रखा था। टायर के अंदर कपड़ा था तो कंडक्टर और ड्राइवर की जानकारी में था। तो उस ड्राइवर वगैरह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह जाँच करायी जा रही है। जांच हो जायगी उसके बाद पता चलेगा। जब तक जांच हो रही है तब तक असली कारण क्या है पता कैसे चल सकता है ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग व्यवस्था बनाये रखें, जब माननीय मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं, तो खड़े होने की क्या जरूरत है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आपके सामने सच्चाई रख दी, तो सच कहने में विरोध है। उसकी छानबीन हो रही है, कि वह सामान कैसे रखा गया, किसने रखा, इसकी छानबीन कराके जो तथ्य होंगे, वह आपके सामने पेश किये जायेंगे।

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, ड्राइवर और कंडक्टर को इसलिए निलम्बित कर दिया गया है कि उनके द्वारा लापरवाही की गयी। बीच में लगाया था, किसका सामान था, मन्त्री जी के बयान से और परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि सामान जहां रखा गया था, वह निश्चित रूप से ड्राइवर और कन्डक्टर द्वारा ही ऐसे स्थान पर रखा जा सकता है, इसलिये यह कहना कि उनकी लापरवाही थी, यह उचित नहीं है। लगता यह है कि निश्चित रूप से यह उनका कार्य था, उनका ही कर्म था। दूसरी जो बात बतायी जा रही है कि किसके नाम से बुक किया गया था, पता लगाने पर यह पता लगा कि एक फलां आदमी रजी उसकी तरफ से बुक था, एक कहानी ऐसी बताकर इसको टाला गया तो मुझे तो ऐसा लगता है, जैसा कि माननीय मन्त्री जी का बयान है, ड्राइवर और कंडक्टर निश्चित रूप से इस बस में यह सामान खुद रखवाकर ले जा रहे थे।

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न करें।

श्री राज कुमार राय—

पूरा सामान ऐसी जगह रखा गया था, जो उनकी साजिश के बिना नहीं जा सकता

है। इस तरह से केवल नेगलीजेंस ही नहीं, बल्कि उनका कांस्ट्राक्ट और कंक्रीट रोल है इसमें। तो क्या माननीय मन्त्री जी ड्राइवर और कंडक्टर को पनीश करने के लिए, हिरासत में लेने पर विचार करेंगे ? उन पर मुकदमा चलाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो इन्होंने लिख दिया है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह तो स्पष्ट है कि रजी अहमद, ड्राइवर छेदीलाल और कंडक्टर यह तीनों सामान की स्मगलिंग के मामले में को-एक्यूज्ड हैं। हो सकता है और भी उसके अलावा, जहां से बस चली है, वहां के कुछ और लोग भी एक्यूज्ड निकलें। तो यह जो सारा मामला हुआ है, इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया, अभी तक क्यों नहीं पुलिस को उसकी जांच दी गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह जो चेकिंग हुई है, यह कस्टम अधिकारियों द्वारा हुई है। उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं दिया, जो जांच थी, यह तो उनके विवेक की बात थी। हमारी तरफ से चेकिंग हुई होती, परिवहन विभाग की तरफ से चेकिंग हुई होती, तब बात दूसरी थी, तब आप यह कह सकते हैं कि पुलिस को क्यों नहीं दिया ?

श्री रुद्रप्रताप सिंह--

यह माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि हमारी बस से स्मगलिंग का सामान नित्य प्रति आता है, उसका उदाहरण यह है, उनकी बस में चेसिस में सामान बंधा हुआ था, इसके लिये उन्होंने एक्सन लिया, वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन मामूली ही ऐक्शन लिया। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो रजी अहमद गोंडा का था, इसकी जानकारी उनको कैसे प्राप्त हुई ? उनका विभाग उसमें सक्रिय था, उसमें वे भाग गया, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने उसका सामान पकड़ लिया। तो यह मुल्जिम रजी अहमद, जो गोंडा का रहने वाला है, इसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी को कैसे प्राप्त हुई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया कि जांच कराने के बाद ही यह सारी चीजें सामने आ सकती हैं। यह कस्टम वालों ने उनको पकड़ा, वे अपना कार्य करते रहे। हमारा जो अपना काम था, कि लापरवाही क्यों बरती गयी, इसलिये निलंबित कर दिया गया ड्राइवर और कंडक्टर को।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित। मान्यवर, जो परिवहन विभाग की धज्जियां उड़ रही थी, उसको उन्होंने कस्टम पर उड़ेल दिया। आपका खुद का अनुभव है, सद्भाव के साथ कह रहा हूँ, गलत काम हो रहा है, इसलिये आपने आदेश दिये, आखिरी खंडिका देखें, परिवहन निगम के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं कि वे उक्त प्रकार की घटनाओं की सम्भावनाओं को रोकने के लिये प्रभावी चेकिंग निगम-स्तर से भी करते रहा करें। तो क्या प्रभावी चेकिंग करेंगे ? चेकिंग करने का काम कस्टम वालों का है। मैं जानना चाहूँगा कि कस्टम के अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ढिलाई बरती और उनकी साठगांठ प्रागदर्शन में सिद्ध होती है क्या मन्त्री स्तर पर और शासन स्तर पर कस्टम विभाग को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिये लिखेंगे। दूसरा इन्होंने निर्देश दिया कि चेकिंग करेंगे इसको स्पष्ट करें कि माल आया इसकी चेकिंग करेंगे, या खोलकर देखेंगे,

रसीद और बाउचर देखेंगे कि माल नम्बर एक का है या नम्बर दो का है ? किस चीज की चेकिंग करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया कि कस्टम के अधिकारी मेरे मातहत नहीं हैं वह भारत सरकार के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कुछ लिखने या कुछ कहने का कोई अधिकार है या नहीं, यह अलग प्रश्न है। जहां तक परिवहन निगम के अधिकारियों का सवाल है उनको कड़ी चेतावनी दी जा सकती है। जांच के बाद जो फैक्ट आयेगा उसके अनुसार लिखना उचित होगा तो भारत सरकार को लिखा जायेगा। उन्होंने शिथिलता कहां बरती उन्होंने तो माल पकड़ा।

प्रदेश के ड्रग कन्ट्रोल विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के धम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री भोला पाण्डे—

मान्यवर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

एक लाइन पढ़कर पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा औषधियों के निर्माण, विक्रय एवं उनके गुणात्मक नियंत्रण सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं।

[2—वर्तमान में इस संगठन में औषधि निरीक्षक के कुल 46 पद स्वीकृत हैं जिनके समक्ष इस समय केवल 32 निरीक्षक कार्य कर रहे हैं। शेष रिक्तियों पर भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जाने के लिये कहा गया है। इस समय कार्यरत 32 निरीक्षकों में से 13 निरीक्षकों की नियुक्ति माह सितम्बर/अक्टूबर, 1982 में आयोग की संस्तुति पर की गई है।

3—उपरोक्त से विदित होगा कि माह सितम्बर/अक्टूबर, 1982 के पूर्व इतने बड़े प्रदेश में केवल 19 औषधि निरीक्षक कार्य कर रहे थे। रिक्त पदों पर चयन के लिये आयोग को वर्ष 1976 में लिखा गया था किन्तु चयन में विलम्ब होने के कारण कार्य के हित में तदर्थ नियुक्तियाँ करने की कार्यवाही की गयी। किन्तु इसी बीच आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो गई। फलस्वरूप तदर्थ नियुक्ति की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और आयोग द्वारा चुने गये अभ्यर्थियां की नियुक्ति कर दी गई।

4—यह आरोप निराधार है कि प्रदेश में होम्योपैथिक औषधियों पर ड्रग ऐक्ट लागू नहीं है। होम्योपैथिक औषधियों के विक्रय संस्थानों की लाइसेंसिंग पहले से ही लागू है। होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण की लाइसेंसिंग के सम्बन्ध में ड्रग ऐक्ट के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यक उपकरण, स्थान तथा स्टाफ आदि के निर्धारण सम्बन्धी प्राविधान स्पष्ट न होने के कारण विभाग द्वारा आवश्यक गाईड लाइन बनायी गयी और इस पर केन्द्र सरकार का अनुमोदन मांगा गया जो अभी प्रतीक्षित है। इस बीच केन्द्र सरकार द्वारा गठित ड्रग कन्सलटेटिव कमेटी की उप समिति द्वारा इस विषय पर की गई संस्तुतियां विभाग को प्राप्त

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

हो गई हैं । इन संस्तुतियों के आधार पर होम्योपैथिक औषधि निर्माण के लाइसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

5–ड्रग (प्राइस कन्ट्रोल) आर्डर केन्द्रीय नियम हैं जिसे केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश में वर्ष 1979 से ही लागू कर दिया गया है । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि यह आदेश इस प्रदेश में लागू नहीं है । यह आदेश केवल उन निर्माताओं पर ही लागू होता है जिनकी वार्षिक बिक्री एक करोड़ रुपये से अधिक होती है । अतः यह बात निराधार है कि ऐसे निर्माताओं से मिलकर उन पर आदेश लागू नहीं किया गया है । इसके विपरीत तथ्य यह हैं कि उक्त आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही करके दवाओं की खरीद में शासन को लाखों रुपये की बचत कराई गई है ।

6–यूपिका स्वयं सर्जिकल ड्रेसिंग का निर्माण नहीं करते हैं, अतः निरीक्षण करने का प्रश्न नहीं उठता । सर्जिकल ड्रेसिंग की खरीद औषधि संगठन द्वारा नहीं की जाती है । सरकारी अस्पतालों को यूपिका तथा यू० पी० हैण्डलूम कारपोरेशन द्वारा निम्न स्तर की पट्टी आदि सप्लाई करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस दी गई है । अतः यह निराधार है कि निम्न स्तर का माल सप्लाई करने पर यूपिका के विरुद्ध औषधि संगठन द्वारा कार्यवाही नहीं की गई ।

7–वर्ष 1981–82 में कानपुर के सरकारी अस्पताल में लखनऊ की एक दवा निर्माता फर्म द्वारा बनाये गये ग्लूकोज के प्रयोग से कुछ बच्चों की मृत्यु होने की बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयी थी । शासन द्वारा इसकी जांच एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा करायी गयी । इस समिति के सदस्य कानपुर मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष औषधि नियंत्रक तथा कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे । इस समिति ने मामले से सम्बन्धित सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये गहरी जांच-पड़ताल के बाद यह पाया कि बच्चों की मृत्यु दवा की खराबी के कारण नहीं हुयी थी । अतः इस मामले में किसी दवा के निर्माता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

8––सभी औषधि निर्माण फर्मों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और अनियमितता की जानकारी प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । अल्कोहल से बनी औषधियां बनाने वाली लखनऊ में स्थित चार औषधि निर्माता फर्मों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है जिनमें एक फर्म का लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया, दूसरी फर्म का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा अन्य दो फर्मों को कारण बताओ नोटिसें दी गई हैं ।

9—यह कहना ठीक नहीं है कि औषधि अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय किसी प्रकार का भेदभाव बरता जाता है । औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा कई विख्यात एवं बड़ी फर्मों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई । माननीय सदस्य ने स्वयं ही कुछ बड़ी फर्मों जैसे होस्ट, यूनीकेम, इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, बायोमेड, पियर्सन तथा एपीब्लेमा आदि के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का उल्लेख अपनी सूचना में किया है । यह कथन भी सही नहीं है कि कुछ बड़ी कम्पनियों के विरुद्ध पहले तो आवश्यक कार्यवाही की गई किन्तु बाद में कार्यवाही वापस ले ली गई । फर्म होस्ट तथा इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं । फर्म बायोमेड के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है । फर्म यूनीकेम, पियर्सन तथा एपीब्लेमा के विरुद्ध कोई मुकदमा न्यायालय में नहीं चलाया गया । स्थिति के और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से मैं यह कहना चाहूँगा कि औषधि अधिनियम के अन्तर्गत सम्बधित फर्म को औषधि नियंत्रक द्वारा दी गई कार्यवाही के विरुद्ध शासन को अपील अथवा प्रत्यावेदन देने का अधिकार है । यदि किसी फर्म

द्वारा शासन को अपील या प्रत्यावेदन दिया जाता है और शासन द्वारा उस पर औषधि नियंत्रक के निर्णय से भिन्न आदेश पारित किया जाता है तो उसका अनुपालन भी औषधि नियंत्रक द्वारा किया जाता है जो कि नियमानुसार है। अतः यह कहना कि कार्यवाही आरम्भ करके उसे वापस ले लिया जाता है, सही नहीं है।

10—ड्रग ऐक्ट तथा रूल्स के अन्तर्गत लाइसेन्स जारी करने के लिए प्राविधान है। इन प्राविधानों का अनुपालन लाइसेन्स स्वीकृति करने वाले तथा लाइसेन्स प्राप्त करने वाले दोनों को ही करना अनिवार्य है। इन प्राविधानों के अनुसार जांच-पड़ताल तथा निरीक्षण संबंधी कार्यवाही की जाती है। इस कार्यवाही के दौरान जो कमियां पाई जाती हैं उन्हें दूर कराने का प्रयास किया जाता है। इन कमियों को दूर करने के लिये प्रायः लाइसेन्स प्राप्तकर्त्ता द्वारा स्वयं ही समय दिये जाने की मांग की जाती है। इस प्रकार कमियों के दूर हो जाने के बाद अपेक्षित लाइसेन्स प्रदान कर दिया जाता है। लाइसेन्स स्वीकृत करने में विलम्ब न हो इसका पूरा प्रयास किया जाता है।

11—औषधि निरीक्षक के स्थानान्तरण व तैनाती शासन की नीति के अनुसार की जाती है। यह कार्यवाही करते समय जनहित, प्रशासनिक कारण तथा उनके अनुभव एवं कार्य-कुशलता को भी ध्यान में रखा जाता है।

12—खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के पद के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन के लिये वर्ष 1981 में आयोग से अनुरोध किया गया था। इस अवधि में कार्य-संचालन के लिये जूनियर स्केल के एक आई० ए० एस० अधिकारी की तैनाती उक्त पद पर कर दी गयी है। आयोग से आवश्यक संस्तुति प्राप्त हो गयी है जिस पर शासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। अतः इसमें किसी की सांठ-गांठ का प्रश्न नहीं उठता।

13—औषधि नियंत्रण संगठन पहले स्वास्थ्य सेवा निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में, कार्य कर रहा था। जैसे-जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य बढ़ते गये, स्वास्थ्य सेवा निदेशक का उत्तरदायित्व भी बढ़ता गया। प्रदेश में औषधि उद्योग की भी बढ़ोत्तरी हुयी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये यह अनुभव किया गया कि औषधि नियंत्रण संगठन को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से पृथक् करके एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में पुनर्गठित किया जाय। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार तथा इस विषय पर गठित मेहरा कमेटी ने भी ऐसी संस्तुति की थी। अतः शासन ने दिनांक 25 फरवरी, 1983 के आदेशानुसार औषधि नियंत्रण संगठन को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से पृथक् करके एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित कर दिया है और खाद्य एवं औषधि नियंत्रक को इसका विभागाध्यक्ष घोषित कर दिया है। अब यह विभाग पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय रूप में कार्य कर सकेगा और औषधि अपमिश्रण सम्बन्धी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने में समर्थ होगा। इस विभाग द्वारा अपने सीमित साधनों तथा थोड़े कर्मचारियों के साथ इतने बड़े प्रदेश में औषधि अपमिश्रण सम्बन्धी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने का जो निरन्तर प्रयत्न है वह इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों की कार्यदक्षता तथा लगन का परिचायक है। इस संगठन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में यदा-कदा जो शिकायतें सुनने में आती हैं अथवा समाचार पत्रों में छपती हैं वे बहुधा ऐसे तत्वों द्वारा की जाती हैं जो इस संगठन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार किये जाने वाले कार्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में शासन को जब

भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तुरन्त जांच और आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में अलग से किसी जांच कमेटी का गठन किया जाना आवश्यक नहीं है।]

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, आए दिन अखबारों की सुर्खियों में छपा करता है कि गलत दवाइयां सप्लाई होने के कारण रोगियों की मृत्यु हो गयी चाहे कानपुर हो, आगरा हो, मुरादाबाद हो या लखनऊ के पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो। मैंने नियम 51 में इस विभाग पर स्पष्ट खुला भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और अनियमितता के बारे में कहा है। मान्यवर, मैंने मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़ा, उसमें विरोधाभास है। आप स्वयं देखें इसमें लिखा है यह आरोप निराधार है कि प्रदेश में होमियोपैथिक औषधियों पर ड्रग ऐक्ट लागू नहीं है। उसी के नीचे लिखा है कि आवश्यक गाइड लाइन बनाई गयी है और इस पर केन्द्र सरकार का अनुमोदन मांगा गया है जो अभी प्रतीक्षित है। इसमें विरोधाभास है।

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण कर रहे हैं या स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं।

श्री भोला पाण्डेय—

कानपुर में जब ग्लूकोस काण्ड हुआ था तो मेहरा समिति बनाई गयी थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि ड्रग कन्ट्रोलर के पद पर तकनीकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति रहेगा तो भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है और यह सुदृढ़ संगठन के रूप में काम करेगा। मान्यवर, स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट संस्तुति की कि लोक सेवा आयोग द्वारा तकनीकी योग्यता रखने वालों का चयन किया गया। केन्द्र सरकार ने संस्तुति की और लोक सेवा आयोग ने तकनीकी योग्यता रखने वालों को चयन करके नियुक्ति के लिये भेजा, फिर कौन से कारण थे कि उनको उस पद पर नहीं रखा गया जब कि सचिव ने स्पष्ट संस्तुति की थी।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

लोक सेवा आयोग ने 2 नाम चयनित करके भेज दिया था। उन दोनों नामों को पुनः लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। जिनका चयन किया था उनके ऊपर कुछ आक्षेप थे, पुनः लोक सेवा आयोग को विचार के लिये भेजा गया है।

श्री भोला पाण्डेय—

सचिव महोदया की संस्तुति क्या है ? क्या मंत्री जी उसको सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

श्री भोला पाण्डेय—

इसमें कहा है कि होम्योपैथिक ड्रग-ऐक्ट लागू है। इन्होंने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि 1979 में इसे लागू कर दिया है और यह केन्द्र सरकार का नियम है। मैं इससे इंकार नहीं करता लेकिन इनका यह कहना कि इस प्रदेश में लागू कर दिया गया है, सत्य नहीं है। मैंने स्पष्ट जानकारी दी है कि इससे पहले इसके कार्यान्वयन न करने के कारण सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव को दण्डित किया गया था। और भी अनियमिततायें जगह-जगह पर हुईं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार के आदेशों की जब खुली अवहेलना हुई तो क्या आप उस पर कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आप होम्योपैथी की पूछ रहे हैं या एलोपैथी की ? अगर ऐलोपैथी की है तो भारत सरकार के वह विचारधीन है, कानून बनायेंगे तो हम लागू कर देंगे।

श्री भोला पाण्डेय—

मैंने यह पूछा था कि केन्द्र सरकार का नियम है और स्पष्ट रूप से बताया है कि हमारे प्रदेश में लागू नहीं हुआ। यह कहना गलत है। जो अधिकारी इसकी अवहेलना कर रहे हैं, ड्रग कंट्रोल्स, पहले दण्डित किये गये थे, तो क्या उसका इम्प्लीमेन्ट न होने के कारण उन्हें भी दण्डित करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

क्या आप पूछ रहे हैं ? जो आप बतायेंगे.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

श्री भोला पाण्डेय—

गलत औषधियों की सप्लाई हो रही है, क्या उस पर इम्प्लीमेन्ट करने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य को कुछ भ्रम है। जिस समय की होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, तो जब इस प्रदेश में नशाबन्दी लगी थी उसके अन्तर्गत अल्कोहल की भी थी, मदर टिंचर पर भी प्रतिबन्ध लगा था। और जब इसमें शिथिलता हुई, नशाबन्दी अधिनियम हटा, लखनऊ भी उसके अन्दर था, तो मटर टिंचर पर भी व्यवस्था हटायी गयी। अब होम्योपैथिक दवा खाने से किसी की मृत्यु हो गयी, कौन सी अनियमितता हुई, माननीय सदस्य बताएं तो मैं उत्तर दूँ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा 5 अन्य निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक 14-3-83 को घोषित कार्यक्रम में संशोधन

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी हेतु 19-3-83 तथा निर्वाचन हेतु 25-3-83 को तिथि निर्धारित थी। अब मुख्य सचेतक कांग्रेस (आई) तथा उप नेता, विरोधी दल के संयुक्त अनुरोध पर उक्त कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया है। अतः दिनांक 14-3-83 को सदन में की गई प्रश्नगत घोषणा का आंशिक संशोधन करते हुये, मैं नामों की वापसी हेतु दिनांक 4-4-83 तथा यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन हेतु दिनांक 8-4-83 की तिथि निर्धारित करता हूँ। इसके फलस्वरूप अब माननीय सदस्यगण अपना नाम दिनांक 4 4-83 को अपराह्न 4 बजे वापस ले सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन दिनांक 8-4-83 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी पिछले वर्ष बिजली की दरों में भारी वृद्धि की गयी। उसके बाद फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सरकार ने उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को 1 नवम्बर से बिजली की दरों में भारी वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यह वृद्धि इतनी ज्यादा हो गयी है कि आज अगर बिहार को छोड़ दिया जाय तो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा रेट उत्तर प्रदेश में है। रेट बढ़ाने में इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि कमजोर वर्ग, मजदूर, सामान्य उपभोक्ता, गांव के लोगों पर इसका क्या प्रभाव होगा। इनको कोई राहत नहीं दी गयी। सबको एक डन्डे से हांक दिया गया। कुल मिलाकर 66 करोड़ रुपये का प्रयास किया गया है। मैं रेट के बढ़ने पर नहीं जाना चाहता। दो-तीन मुख्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

सरकार बिजली बोर्ड को रेट बढ़ाने की अनुमति देने के पीछे तर्क देती है कि कोयले की कीमत बढ़ी है, मजदूर की मजदूरी बढ़ी है, सभी क्षेत्रों में मंहगाई बढ़ती चली गयी है। यह बात सही हो सकती थी कि सभी प्रदेशों में इसका प्रभाव आता। क्या अन्य प्रदेशों के लिये कोयले की कीमत नहीं बढ़ी। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के अन्दर उत्तर प्रदेश का बिजली बोर्ड ही ऐसा नहीं है जिस पर इन बातों का प्रभाव पड़ा हो। और भी बोर्ड हैं उन्होंने रेट्स नहीं बढ़ाये। उत्तर प्रदेश में ही क्या खास बात है। संपूर्ण विवाद को दो बातों में निचोड़ कर रखा जा सकता है। पहला बोर्ड की अक्षमता, बिजली की चोरी, सरप्लस स्टाफ, जो अधिकारियों के मत्थे जाना चाहिये। उन पर नियंत्रण करने के बजाये उसका खामियाजा गरीब को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की ओर से बार-बार कहा जाता है कि हमारा जेनरेशन बढ़ रहा है। लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं है। बोर्ड की इन्सटाल्ड कैपासिटी कितनी है यह देखना पड़ेगा। मैंने अखबारों से कुछ आंकड़े लिया है कि कितनी इन्सटाल्ड कैपासिटी है, कितना उत्पादन हो रहा है। 71–72 में इन्सटाल्ड कैपासिटी थी 1397.74 मेगा वाट और 50 प्रतिशत उत्पादन होता था। बीच के आंकड़े मैं नहीं लेना चाहता। समय की कमी है। 81–82 में देखें मान्यवर, इन्स्टाल्ड कैपासिटी थी 3579.95 मेगा वाट लेकिन जेनरेशन हुआ 37.2 प्रतिशत। टोटल को देखें। 1397 जब इन्स्टाल्ड कैपासिटी थी तब जेनरेशन थी 50 प्रतिशत और जब इन्स्टाल्ड कैपासिटी हो गयी 3579.95 तब जेनरेशन केवल 37.2 प्रतिशत। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी वृद्धि हुई है। इन्स्टाल्ड कैपासिटी को आप देखें तीन गुना बढ़ गयी, जेनरेशन दिन-प्रति-दिन गिरता चला जा रहा है। सरकार ने इस चीज को जानने की कोशिश की। कलकत्ता, बाम्बे, आन्ध्र के बिजली बोर्ड हैं 90 प्रतिशत, 100 प्रतिशत इन्स्टाल्ड कैपासिटी का जेनरेट होता है। उत्तर प्रदेश में ही 37 प्रतिशत क्यों है।

सुनील शास्त्री जी ने एक प्रश्न के जबाब में यहां स्वीकार किया था कि 41.1 प्रतिशत जेनरेशन है। मेरे पास 37 प्रतिशत का डेटा है। वह आंकड़ा शायद किसी दिन विशेष का रहा होगा। इनके पास हिसाब नहीं है। मैंने 82 में सवाल किया था, तीन बार टेबुल पर आ चुका है। उत्तर आता है कि सूचना इकट्ठा की जा रही है।

(समय 5.15 से)

मान्यवर, उस समय मैंने जो प्रश्न किया था वह इस प्रकार है :—क्या उर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1981 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की अधिष्ठापित बिजली पैदा करने की क्षमता क्या थी ? उसी माह में प्रतिदिन का औसत वास्तविक जनरेशन क्या रहा ? बिजली की कुल माँग क्या है तथा कितने प्रतिशत बिजली की छीजन रही ?

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी का उत्तर आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैंने इसी प्रश्न को इसी माननीय सदन में 3 बार रिपीट किया लेकिन

बार-बार यही कहा जाता रहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मान्यवर, आँकड़े कैसे दिखाये गये हैं। यह पर्ची माननीय मन्त्री जी के पास भी होगी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत की बिजली की दरें। यह आपने प्रकाशित की है। इसमें लोगों को झुठलाया गया है कि पिछले 4 वर्षों में हमने बहुत भारी उपलब्धि की है। 1974–75 में लाइन लौसेज 24.51 परसेन्ट था वह 18.72 रह गया है। यह आँकड़ा बिलकुल सही नहीं है। आज आपने लाइन लासेज को छिपाने के लिये आपके जो अन-मीटर्ड बिजली है जो आप किसानों को देते हैं, जो अन्य बिजली आप और देते हैं उसमें आप इसे जोड़ देते हैं और बात में हिसाब पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि यह अन/मीटर्ड बिजली है जो काश्तकारों को दी जाती है। मान्यवर, यह गलत है। आज काश्तकार के नाम पर और उपभोक्ता के नाम पर आप लाइन-लौसेज जो बिजली विभाग की चोरी है उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

आँकड़े तो आप दे देते हैं कि 1974–75 में लाइन लौसेज 24.51 परसेन्ट था। 1974 75 में आपकी इनस्टाल्ड कैपेसिटी थी 1887 मेगावाट इसके अगेन्स्ट आपने जनरेशन किया 44 परसेन्ट। 1827.35 मेगावाट के अगेन्स्ट जनरेशन 18 परसेन्ट हुआ आज 3579 मेगावाट है इसके अगेन्स्ट जनरेशन 37 परसेन्ट है। अब आप इसका हिसाब लगा लें जो छीजन आपका बढ़ा है वह करीब-करीब 28 परसेन्ट है जो छीजन किसी दूसरे बोर्ड से ज्यादा है। अगर आप इस छीजन को जिसे आप लाइन लौसेज के नाम पर देते हैं वह बिजली की चोरी है। इसलिये आपके विभाग में जो यह भ्रष्टाचार है इसे आप ठीक करने की कोशिश करें। मान्यवर, आज इस प्रकार बिजली विभाग में बिजली का दुरुपयोग हो रहा है और इसका परिणाम उपभोक्ताओं को भोगना पड़ रहा है। आज आपकी यह मोनोपली है। आज दुनिया में कोई ऐसा अनुबन्ध नहीं है कि एक तरफ तो बिजली बोर्ड और उपभोक्ता के बीच में रेट तय हो जाय, चार्जेज तय कर लें तथा चार्जेज फिक्स कर लें चाहे वह बिजली दें या नहीं दें लेकिन उपभोक्ता से उसका मूल्य ले लेंगे। उसको आप सूचित करें उसके बाद आपरेट तय करें किन्तु उसे कोई अधिकार नहीं होता है अपनी शर्त रखने का और आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आज उसका शोषण बढ़ता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री गुप्त जी आपको अन्त में भी समय मिलेगा। आप थोड़ा समय का ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं अपनी बात संक्षेप में ही बताना चाहता हूँ। आज किस तरह से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और माननीय मन्त्री जी अपनी उपलब्धि बताने के लिये कहते हैं कि हमने इकानामी करने के लिये पिछले 4 वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं की है। यह बात सही है। हमारे पास भी इसके आँकड़े हैं। जो इस बात को साबित करते हैं कि पिछले 4 सालों में नियुक्तियाँ हुई या नहीं। मान्यवर, यदि नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं तो बिजली बोर्ड ने यह सर्विस कमीशन को गठित कर रखा है जिस पर 20 हजार रुपए महीने खर्चा आता है। तो यह आँकड़ा भी गलत है माननीय मन्त्री जी जरा आप अपने अभिलेखों को देख लें। 1980 में आपने 51 आदमियों की नियुक्ति की। मैं सिर्फ यह इसलिये कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि हमने नियुक्ति नहीं की है। 1981 में आपने 536 लोगों की नियुक्तियाँ की हैं। दूसरा बिन्दु मेरा

यह है कि अगर आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप इस सर्विस कमीशन पर इतना रुपया खर्च क्यों कर रहे हैं ? मान्यवर, आज माननीय मन्त्री जी का विभाग इस प्रकार के आँकड़े देकर चलाया जा रहा है। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के शासन में ही एक लड़का श्री पारसनाथ त्रिपाठी जो कि आर० जी० सी० के पद पर कार्य कर रहा था तथा जिसने 20 महीने कार्य किया उसे आपने सर्विस से निकाल दिया। इसको निकालते समय कोई ध्यान नहीं दिया। अभी एक गरीब हरिजन का मामला चर्चा में आया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने दिन उसने काम किया है, उस लड़के को आपने कोई नोटिस नहीं दी। वह लड़का शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, अपने हक के लिये संघर्ष कर रहा है। तो यह तो मैंने सन्दर्भ दिया। इस लड़के को आपने निकाल दिया नौकरी से, वह कोर्ट में जाता है, कोर्ट में फैसला हो गया 19–10–82 को कि वह अपने पिछले पूरे बकाया वेतन का भुगतान पाने का अधिकारी है अर्थात् वह इस बात का अधिकारी है कि जिस दिन से निकाला गया था, रखा जाय, लेकिन आप न्यायालय के निर्णय का आदर नहीं करते हैं। बिजली बोर्ड के अन्याय के खिलाफ सैकड़ों मामले ऐसे होंगे। क्या आपने कभी सोचने की चेष्टा की कि क्यों गड़बड़ियाँ होती हैं। बाद में मुझे मौका मिलेगा, तब कहूँगा। बिजली बोर्ड जो सफेद हाथी हो गया है, उसको रोकिये। जो एकाउण्ट्स हैं, उसको ठीक करिये। आपकी बिजली की दरों में वृद्धि बर्दाश्त की जा सकती थी, अगर आवश्यकता पर बिजली मिल जाय, लेकिन आप बिजली भी न दें और रेट्स भी बढ़ाते जायं, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। यह आपने 166 लाख रु० का उत्तर प्रदेश की गरीब जनता पर बोझ लगा दिया है।

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, इसमें 3 बातें कही गयी हैं। पहली बात यह कही है कि बिहार को छोड़कर हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की दरें हैं। मैं उसी से अपने उत्तर को शुरू करना चाहता हूँ। 5–6 तरह के उपभोक्ता हैं, जो रोशनी के लिये पंखों के लिये बिजली लेते हैं, इसमें हमारा स्थान चौथा है, तीन प्रदेश हमसे ऊपर हैं, घरेलू पावर में स्थान दूसरा है, कृषि हेतु जो बिजली दी जाती है, उसमें हमारा स्थान छठा है। क्योंकि इसके ऊपर एतराज है, इसलिये इसी के विषय में बताना चाहता हूँ। गुजरात में 42 पैसे, पश्चिमी बंगाल में 35 पैसे, हरियाणा में मीटर वाली 33 पैसे और नान-मीटर 29 पैसे, आसाम में 30 पैसे, बिहार में 26 पैसे है, हमारे यहां 24 पैसे आती है। जो हमारे छोटे उद्योग हैं, उसमें हमारा नम्बर छठवां आता है, बड़े उद्योगों में स्थान दूसरा आता है, भारी उद्योगों में भी स्थान दूसरा आता है।

दूसरी बात कही गयी कि बोर्ड में अकुशलता, भ्रष्टाचार और चोरी है। मैं इस बात से बिल्कुल इन्कार नहीं कर सकता कि बोर्ड में गुन्जायश नहीं है कि कुशलता और लायी जाय उसके लिये प्रयास कर रहे हैं। प्रयास का सबूत यह है कि प्लाण्ड लोड फैक्टर यानी उत्पादन के लिये जो मशीनें हैं, कितना उपयोग उनका हो रहा है। इस सम्बन्ध में 79–80 में जब सूखा पड़ गया था तब जो पावर हाउसेज देखने को मिले तो देखा कि 2–3 साल से एनुअल मैन्टीनेन्स नहीं की गयी। मैं आपको बता दूँ कि 32 प्रतिशत प्लाण्ड लोड फैक्टर से हम उसको 35 फीसदी लाये और 81–82 में 37 फीसदी पर पहुँचा। अब लगभग 41 फीसदी पर है, लेकिन यह भी असंतोषजनक है और अभी फिलहाल हमारा यह प्रयास है कि 45 फीसदी तक ले जाएं और अंत में यह प्रयास होगा कि 55 फीसदी करें।

फिर आपने सर्विसेज कमीशन की बात कही। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस कमीशन को रखने का उद्देश्य केवल नयी नियुक्तियाँ ही नहीं हैं। इतना बड़ा बिजली बोर्ड का स्टाफ है जिसकी वजह से इस सर्विस कमीशन का रखना आवश्यक है वैसे फिर भी आवश्यक पद पर कभी-कभी यह जरूरत महसूस हो जाती है कि नियुक्ति की जाए। कुछ तदर्थ नियुक्तियां हैं, कुछ टेक्निकल पोस्ट पर नियुक्तियों का मामला, कुछ डेपुटेशन पर नियुक्ति के मामले आ जाते हैं, जिन पर सरकार बराबर रोक लगाये रहती है और पाबंदी लगानी भी चाहिए।

दूसरी बात मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूँ कि यदि हम विद्युत में हर तरह से विकास करना चाहते हैं तो हमें 3 काम अवश्य करने पड़ेंगे। एक तो हमारे जितने पावर हाउसेज हैं, उनकी मेन्टेनेन्स देखनी होगी, टूट-फूट देखनी होगी, कोयले की तरफ देखना होगा, उन मशीनों की समय-समय पर सफाई देखनी होगी। और जो नये पावर हाऊसेज बन रहे हैं, उनमें शीघ्रता लानी पड़ेगी और खासतौर से तापीय व जल विद्युत के अनुपात को देखना होगा और जो योजनाएँ हमारी चल रही हैं उनमें शीघ्रता हो, इसके लिये संसाधनों को देखना पड़ेगा और यह संसाधन हमें उसी समय मिल सकेंगे, जब हमारी वर्तमान योजनाएं सफलता पूर्वक कार्य कर रही हों, हालांकि अड़चनें हैं, फिर भी इनके रहते स्थिति को सुधारने के प्रयास हम बराबर कर रहे हैं। साथ ही बिजली वितरण-व्यवस्था में भी हमें सुधार लाना है और इन तमाम चीजों को सुधारने एवं नये संसाधन जुटाने आदि की व्यवस्था पर आपके सहयोग की आवश्यकता है और जो हमको नयी योजना मिली है ट्यूबवेल आदि की, इनको शीघ्रता से पूरा करना साथ ही तमाम अन्य चीजों की ओर यदि हमें परस्पर विकास करना है तो हमें नये भार तो अवश्य उठाने पड़ेंगे। हर देश को देखें जब भी उन्होंने विकास किया है तो नये भार को पहले ओढ़ा है तब जाकर देश प्रगति पर आया है इसी तरह से हमें भी करना होगा। और जब भी हम नये संसाधन जुटाने की बात करते हैं तो उसमें आपसे सहयोग अपेक्षित है। नये संसाधन जुटाना और विकास करना दोनों एक ही बात हैं। और जब हम किसी भी क्षेत्र में कुछ करके दिखाएंगे तभी हमें नये संसाधन मिलेंगे। तो यह रेट हमने बहुत ही मजबूरी में बढ़ाये हैं और कई प्रदेशों की तुलना में हम कम हैं। दूसरे कार्य-शैली में कुशलता की बात कही गयी। इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं कि अपनी कार्य-कुशलता को और आगे बढ़ायें, इसमें भी आपकी मदद की आवश्यकता होगी और हम उम्मीद करते हैं स्थिति तो कुछ स्पष्ट हो ही गयी होगी और माननीय सदस्य हमारे संतुष्ट हो गये होंगे।

*श्री रियासत हुसैन--

सिर्फ प्रश्न श्रीमन् इतना है चाहे कोई बिजली हो, चाहे डोमिस्टिक हो, कामर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, ट्यूबवेल की हो या लाईट एण्ड फैन वाली हो हरेक में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी हुयी है। क्या इस बढ़ोत्तरी का प्रभाव जन-मानस पर पड़ा है या नहीं और इससे जनता में असंतोष व्याप्त हुआ है या नहीं ? इस बात को माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री रियासत हुसैन--

हर किस्म के उपभोक्ताओं में असन्तोष उत्पन्न हुआ है। अब सवाल यह है कि आज जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असन्तोष आपने उसे दिया है उसको कम करने के आपके पास साधन नहीं हैं, आप उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं। अगर उसके असन्तोष को आप अपनी कार्यवाही द्वारा कुछ कम कर सकें तो जो सुझाव आज यहाँ चर्चा के दौरान आये उन पर आपको विचार करना चाहिये।

मैं मानता हूँ कि पूरे बिजली बोर्ड के लिये कुछ करने की जरूरत है। आप उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। आपने कहा कि हमने प्रति हार्सपावर बिजली बढ़ायी है लेकिन इसके पहले आपका उपभोक्ता इतना असन्तुष्ट न था, आपके इस्टीमेट बनाने के तरीके से वह सन्तुष्ट नहीं था, वसूलयाबी के तरीके से सन्तुष्ट नहीं था, बिलिंग के तरीके से सन्तुष्ट नहीं था। डिफाल्टर्स के साथ जो आपका बर्ताव था उससे वह असन्तुष्ट था। तो फिर जब आप किसी तरीके से अपने उपभोक्ता को सन्तुष्ट नहीं कर सके तो आपने यह कह कर सन्तोष कर लिया कि जो डेढ़ घण्टे उपभोक्ताओं को दी जाती थी उसकी जगह अब दो घण्टे कर दिया है और इस तरीके से आपके 22 1/2 रु० की दर पूरी हो जाती है।

मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ चाहे इधर के बैठने वाले सदस्य हों या उधर के बैठने वाले सदस्य हों या चाहे एक साधारण माननीय सदस्य हो चाहे सरकार में शामिल कोई हो, क्या कोई इस बात से सन्तुष्ट है कि आपके पूरे प्रदेश में अपने रोस्टरिंग के मुताबिक घरेलू बिजली, कामर्शियल बिजली या लाईट एण्ड फैन की बिजली दे रहे हैं? या नहीं दे रहे हैं?

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

नहीं देते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

देख लीजिये हमारे बुजुर्ग माननीय सदस्य ने स्वयं ही कहा है कि नहीं दे पा रहे हैं। आप सप्लाई नहीं कर पाते हैं लेकिन उनसे चार्ज वसूल करने के लिये आप पूरे तरीके से उत्पीड़न की कार्यवाही करने को तैयार हैं। आपने बिजली बोर्ड की ऋण लेने की लिमिट को बढ़ा दिया है कि 600 करोड़ से बढ़ाकर एक हजार करोड़ कर दिया है। आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की, कोई डेवलपमेन्ट नहीं किया। आपने कहा कि हम 42 प्रतिशत जनरेट कर रहे हैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने अब आंकड़े प्रस्तुत किये तो वह घटकर 37 1/2 प्रतिशत ही रह गये। आप माननीय सदस्यों को इस बात से सन्तुष्ट करें कि आपने जो 22 1/2 यह बढ़ाया है कामर्शियल में, लाईट एण्ड फैन में तथा घरेलू पावर में, इससे क्या आपके उपभोक्ता सन्तुष्ट हैं? आपके अधिकारी चाहते हैं कि बिजली किस दर पर बढ़ा कर उपभोक्ताओं से वसूलयाबी कर ली जाय परन्तु जो कोयला आपको चाहिये तो क्या उपभोक्ता उसे ला कर देगा, बायलर जो चाहिये तो क्या उपभोक्ता उसे लाकर देगा? मेन्टेनेन्स के लिये क्या उपभोक्ता आपको देगा यह आपकी जिम्मेदारी है। आप 22 1/2 रु० की दर लगाते हैं उसकी बिलिंग में और उसे बिजली सप्लाई करने में आप उसे सन्तुष्ट नहीं कर पाते हैं, बिजली की सप्लाई देने में आपको अपने उपभोक्ताओं को सन्तुष्ट करना पड़ेगा। अगर उसको 10 घण्टे बिजली मिले तो उसे कुछ राहत हो सकती है।

अभी कल ही मैं रेडियो पर सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश में पैडी की ईल्ड पर ईनाम मिला है। उसको 14.5 कुन्तल प्रति हेक्टेयर पर यह प्राईस मिला है। जो अपनी तरफ के आप बीघा को जोड़ेंगे तो एक कुन्तल प्रति बीघा पड़ेगा। हमारी तरफ यह है कि जब खड़े खेतों को देखते हैं तो अन्दाजा लगाते हैं कि इसमें अनाज 50 कुन्तल होगा मगर बिजली की कमी से उसमें निकलता है सिर्फ 20 या 25 कुन्तल? गेहूँ की हालत क्या है, किसान जो पैदा

करता है अपना इस्टीमेट लगाता है कि इतना गेहूँ पैदा होगा। परन्तु जब बिजली नहीं मिलती है और उसके कारण वह सिंचाई नहीं कर पाता है तो 25 प्रतिशत पैदावार में कमी हो जाती है और वह आपके बिजली न देने के कारण हो गयी। उनको देखें कि अन्दाज कुछ लगा रहा है और पैदावार कुछ हो रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि बिजली नहीं मिल रही है। आप कहते हैं कि दो घण्टे में हम पूरा कर देते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपने पक्ष के जिम्मेदार लोगों को बुलाकर, हर सदस्य को बुला कर, कृषि मंत्री को बुलाकर और सामुदायिक विकास मंत्री को बुलाकर उनसे इस बात पर सलाह करें कि बिजली की दरों में वृद्धि तो कर दी है लेकिन उपभोक्ताओं को किस प्रकार से संतुष्ट किया जाये। आपको यह सोचना होगा कि उनको बिजली की सप्लाई से कैसे संतुष्ट करें यह दरख्वास्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये 2 मिनट का समय दिया। मा० मन्त्री जी ने संसाधनों पर बड़ा जोर दिया, मैं भी उनके पक्ष में हूँ कि संसाधन बढ़ें तो उपभोक्ता नाराज उतना नहीं होगा जितना इस बात में नाराज होता है कि आप बिजली नहीं देते हैं। आप वास्तविकता को छिपाकर आंकड़ों का सहारा लेते हैं। बिजली देते नहीं है और संसाधनों पर जोर देते हैं। उपभोक्ता से अगर अधिक संसाधन जुटाते हैं लेकिन बिजली दें तो इससे वह नाराज नहीं होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। —जय हिन्द।

*श्री रामस्वरूप वर्मा—

मा० अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही गम्भीर विषय है जिस पर हम विचार कर रहे हैं कि जो बिजली की दरों में वृद्धि हुई है, इससे उपभोक्ता प्रभावित हुआ है और उनमें असंतोष का वातावरण फैला है। बिना किसी औचित्य के सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है।

कहीं पर भी उपभोक्ताओं से परामर्श नहीं किया गया और न बिजली की दरों में जो वृद्धि की गयी है उसके औचित्य का कारण ही दिया गया है कि यह क्यों बढ़ायी गयी है। इसके बारे में सरकार ने 2 बातें कहीं हैं एक तो कुशलता और दूसरा संसाधन। कुशलता की तो मांग हम लोग करते ही रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मा० खाद्य मन्त्री जी, इस तरह से सदन में न चलें।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जब इलेक्ट्रिक सप्लाई ली गयी तो 70 प्रतिशत बिजली थी और अब 37 प्रतिशत बिजली का उत्पादन हो रहा है। जितने ही संसाधन बढ़ते जाते हैं बिजली का उत्पादन कम होता जा रहा है। हमारा मेन्टीनेन्स ज्यादा हो रहा है। उस पर खर्च अधिक हो रहा है इसी-लिये बिजली मंहगी हो रही है। अगर बिजली मंहगी है, उस पर खर्च अधिक है तो उपभोक्ता का कहना है कि उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। रेणूकूट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का, बिरला का वहां संस्थान है। 100 प्रतिशत वह उत्पादन कर रहा है उसी के बगल में हमारा ओबरा में संस्थान है जो 37 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है। आपके आदमी उनसे तीन गुना हैं। उत्पादन तो आप तीन गुना कर रहे हैं फिर भी आपको घाटा पड़ता है। एक तरफ तो आपको घाटा होता है और दूसरी तरफ बिजली के भावों में वृद्धि कर देते हैं। मैं चैलेंज के रूप में कह सकता हूँ कि आप सन् 67 में जो बिजली दे रहे थे और उस समय जो बिजली के रेट थे और आज जो बिजली आप दे रहे हैं उसके रेट देख लें तो आप बहुत बड़ा अन्तर इसमें पायेंगे।

किसान को जो खाद मिलती थी वह क्या भाव थी, 75 रुपए क्विंटल गेहूँ मिलता था और आज क्या मिलता है, यह भी आप देख लें। मान्यवर, इसी से लोगों में असन्तोष होता है। आप बिजली की दरों में दुगनी वृद्धि कर रहे हैं और यह भी नहीं देख रहे हैं उसका प्रभाव गेहूँ के दामों में भी पड़ा है। उस अनुपात में गेहूँ के दाम नहीं बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त किसान के लिये खाद-पानी आदि में जो वृद्धि हुई है उसका लाभ किसान को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ सरकार यह कहकर कि हमारा खर्चा बढ़ रहा है, एकतरफा वृद्धि करती है। असन्तोष का सबसे बड़ा कारण यह है कि किसान को जितनी बिजली आप देते हैं ट्यूबवेल आदि के लिये, आज उसमें बिजली के इतने ब्रेक डाउन है कि वह समय-समय पर नहीं आती है। किसान दोपहरी में अपने खेत में बैठता रहता है, रात में कभी-कभी एक-एक दो-दो घन्टे देते हैं जिससे कि किसान के खेत के एक हिस्से में ही पानी मिलता रहता है, उससे किसान का फायदा नहीं होता और आप पैसा बढ़ाते चले जा रहे हैं। इससे किसानों में असन्तोष बढ़ना स्वाभाविक है। पारेसण की लाइनों में छीजन को आप देखें। 20 सैकड़ा छीजन आपके यहां हो रही है, बिजली की चोरी होती है। तामिलनाडु में छीजन 10 सैकड़ा है। वहां पर आपके दुगने कनेक्शन हैं। हर गांव में वहां पर बिजली है, कई लाख कनेक्शन्स हैं लेकिन वहां पर छीजन 10 परसेंट ही है। जो आपके यहाँ बिजली की चोरी होती है वह किसकी वजह से होती है, यह भी देखने की बात है। इसकी जिम्मेदारी आप पर है। एक तो कामचोरी करें और दूसरे उत्पादन भी कम हो। दोनों दोष आप उपभोक्ताओं पर क्यों डाल रहे हैं।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि इस सदन की एक कमेटी बना दी जाय। यदि माननीय मन्त्री जी तैयार हों तो वह कमेटी इन सारी बातों की जांच कर लेगी और बड़ी कुशलता से देख सकेगी कि पारेसण की जो लाइनों की छीजन होती है उसकी पूर्ति बिजली के रेट बढ़ाने से की जाय या नहीं। यह सरकार की अकुशलता का परिचायक है कि वह कह रही है कि हम कहां से संसाधन जुटायेंगे। मान्यवर, इनको अब कर्जा भी नहीं मिलेगा। कोई इनको कर्जा देने के लिये तैयार नहीं है। 30 अरब रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया है और उसमें से 15 अरब रुपया ये खा चुके हैं। इतना लम्बा घाटा हो गया है कि इतने संसाधन ये कैसे जुटा पायेंगे। मान्यवर, मुझे पता चला है कि ये अब यह चाहते हैं कि यहां पर जो समाजवाद है उसकी छवि धूमिल हो जाय। इसके लिये सरकार अब इस अयोग्यता से काम कर रही है ताकि जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं टाटा और बिड़ला हैं उनको बिजली बनाने की छूट दे दी जाय। यह सरकार चाहती है कि वह इस बात को प्रमाणित कर दे और जनता को थका कर वह यह कह दे कि इस तरह से समाजवाद से अब लाभ नहीं हो रहा है लिहाजा मजबूर होकर हमें इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बिजली बनाने की छूट दे दी है। यही होने जा रहा है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है आप एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवायें और जब वह अपना प्रतिवेदन दे, उसके अनुसार दाम बढ़ायें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन जिस विषय पर चर्चा कर रहा है, माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस बिजली की वृद्धि से सबसे अधिक प्रभाव किसान पर पड़ता है। उसकी दयनीय स्थिति की चिन्ता माननीय मन्त्री जी को भी है और शासन को भी है, लेकिन जो उनकी समस्या है उसका निदान किस पहलू से हो इस पर विचार करना पहले आवश्यक है। जो माननीय सदस्य विरोध पक्ष से बोल रहे थे और जैसा कि हमारे आदरणीय सदस्य चतुर्वेदी जी बोल रहे थे कि राज्य विद्युत परिषद की कार्य प्रणाली दोष पूर्ण है, यह कुछ अंश तक गम्भीरता से देखने का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुये विनम्र शब्दों में सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे दल की जो नेता हैं श्रीमती इन्दिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं वह हमेशा राष्ट्रीय समस्याओं का परीक्षण करती हैं उनका हल निकालती हैं। अभी हाल ही में जो मिट्टी तेल की दोहरी मूल्य नीति थी उससे आम उपभोक्ता को लाभ नहीं हो रहा था और उन्होंने दिक्कत को समझा और दोहरी नीति को त्याग कर एक मूल्य नीति को लागू किया। तो इसी तरह इस सम्बन्ध में भी माननीय मन्त्री जी जरा आप भी सोचें।

मेरा इतना निवेदन है कि जहां कहा गया है कि इस समय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर खर्चों का बहुत बड़ा दायित्व है, वहां पर सुझाव है कि हर फिजूल खर्चों को कम करके इफिशियेन्सी लायी जाय और बढ़े हुये खर्चों को कम करके बढ़ी हुई दरों की आय को बराबर कर सकते हैं, इस पर सोचने की बात है। खास कर यहां पर जो इन्वेन्ट्री है उनको भी देखने की बात है, बोर्ड में बहुत सा सामान ऐसा पड़ा हुआ है जिसका पिछले दस सालों में उपयोग नहीं हुआ और न आगे पांच सालों में उपयोग होगा। यह सच है कि पिछले सालों में कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ और इस समय जब मरम्मत की गयी तो उससे उत्पादन में वृद्धि हुई और इस प्रकार उत्पादन 42 परसेन्ट हो गया है। इसमें कहां तक ठीक है इसमें मैं नहीं जाता। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि हमारे यहां इन्स्टाल्ड कैपिसिटी का केवल 42 प्रतिशत उत्पादन होता है जब कि अन्य राज्यों में इन्स्टाल्ड कैपिसिटी का उत्पादन हमारे से ज्यादा है। तो इस सिलसिले में भी निराकरण करने की आवश्यकता है।

जहां तक असन्तोष का प्रश्न है माननीय रियासत साहब ने जो बात कही, उपभोक्ताओं में असंतोष के दो-तीन कारण हैं। एक तो बिजली की दर बढ़ने से है, लेकिन इस पर भी जो उत्पीड़न की कार्यवाही है उससे भी असंतोष उत्पन्न होता है। आपके जो बिल हैं वह अनापशनाप बन जाते हैं उससे उपभोक्ता को दिक्कत उठानी पड़ती है और ऐसे मौके में बिजली कटती है जब किसान की खरीफ की फसल तैयार हो रही हो और उसको बिजली की ज्यादा आवश्यकता हो। ऐसे समय में बिजली काटने से रोकना चाहिये। आप निर्देशित कर दें कि जब खरीफ या रबी की फसल तैयार होकर कटेगी उस समय तक बिजली नहीं कटेगी, बरसात में यह कार्यवाही की जाय तो इससे असंतोष दूर हो सकता है।

ट्रांसमिशन लॉस के बारे में कई बार माननीय मंत्री जी, जब विभाग आपके पास था विचार कर चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन लॉस के बारे में कुछ सीमा तक चोरी भी शामिल है। जब बड़े-बड़े फैक्ट्री वाले बिजली चुराते हैं। इस बात की जाँच जब तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जांच कराई और बहुत से पकड़े गये तो तुरन्त मेरठ क्षेत्र में किसानों को बिजली ज्यादा मिलने लगी। तो जो कर्मचारी बिना मीटर के बिजली दे देते हैं और उनसे कुछ मालिक ले लेते हैं उसकी तरफ भी ध्यान दें।

मैं आखिर में एक बात कह कर समाप्त करता हूँ कि सामान्य उपभोक्ता और किसान दोनों को एक साथ जोड़ना ठीक नहीं है इसको हमें बदलना पड़ेगा। उपभोक्ता अपने सुख के लिये बिजली का इस्तेमाल करता है दूसरी तरफ किसान राष्ट्र की रक्षा के लिये, हमें भोजन देने के लिये अन्नोत्पादन में करता है। इसलिये किसान को पुराने बर दर बिजली देने पर सोचें जो हमारे देश की प्रधान मन्त्री का स्वप्न है उसको साकार करने के लिये आप इस पर गंभीरता से सोचने की कृपा करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मा० अध्यक्ष महोदय, बिजली की दर बढ़ाने से किसान प्रभावित ही नहीं है बल्कि बहुत ही क्षुब्ध हैं और इतना क्षुब्ध हैं कि जैसे ही बिजली के रेट बढ़ाये गये, हमारे क्षेत्र के किसानों ने मुझसे कहा कि अब हम अपना कनेक्शन कटा देंगे चूंकि खेतों में पूरी बिजली न मिलने से इतना उत्पादन होगा नहीं कि बिजली का बिल हम अदा कर सकें, इसलिये बिजली के कनेक्शन को कटा देंगे। मान्यवर, मैं मन्त्री जी की जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि कई किसानों ने अपने कनेक्शन इसीलिये कटवा दिये। जब यह रेट बढ़ाये गये उस समय रेट बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि कई वर्षों से किसानों की फसलें बरबाद होती चली आ रहीं थीं और जिसकी इस सदन में बराबर चर्चायें होती जा रही हैं, अनुदान मांगे जाते हैं तो ऐसे समय में मान्यवर, बिजली का रेट बढ़ाना उचित नहीं था। तो जाहिर हैं कि किसानों को इससे महान कठिनाई है। इस प्रदेश में दो तरह के बिजली के उपभोक्ता हैं। एक तो संगठित उपभोक्ता हैं जो शहर में रहते हैं और दूसरे उपभोक्ता वह हैं, जो देहात में किसान रहते हैं जो दुर्भाग्य से आज तक असंगठित हैं, उनके जाथ जो उत्पीड़न होता है, जो रेट बढ़ाये जाते हैं जिसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं चूंकि वह असंगठित हैं। मान्यवर, यह देखने में आ रहा है कि आजादी के बाद से आज तक कभी किसी चीज का रेट बढ़ा तो सारी उपभोक्ता चीजों के मूल्य स्वतः बढ़ जाया करते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले पेट्रोल के दाम बढ़े तो उससे सारी चीजों के दाम बढ़ गये गये और यहाँ तक रिक्शा चालक ने भी रेट बढ़ा दिये। इसलिये जो बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है तो इससे स्वाभाविक है उपभोक्ता की अन्य सभी चीजें के दाम बढ़ेंगे, आप मंहगाई को रोक नहीं सकते और शहर एवं देहात दोनों जगह के लोगों का जीना दूभर हो जायेगा।

मान्यवर, अभी मन्त्री जी कह रहे थे कि हमको उत्पादन बढ़ाने के संसाधन चाहिये, तो रेट बढ़ा दिया संसाधन जुटाने के लिये और कोई उपाय आपको नहीं मिला और बिजली का रेट बढ़ा दिया। यह ठीक उसी प्रकार से किया है जैसे किसी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करने का लालच देकर कि तुम अस्वस्थ्य रहते हो, तुमको स्वस्थ करेंगे। इसी प्रकार गिरहकट किसी की जेब से सारे रुपये काट ले और बता दे कि हमने यह जनहित में रुपये काटे हैं, इसलिये जिस प्रकार गिरहकट को कोई हमदर्दी नहीं रहती है कि जिसको जेब से पैसे काट रहे हैं उसके घर में खाने के लिये पैसा है कि नहीं। तो मान्यवर, ठीक उसी प्रकार की हालत आज किसानों की है कि वह कई सालों से बरबाद है, उसकी फसल बाढ़ और सूखे से नष्ट हो चुकी है जिससे वह तो यूं ही परेशान और दुःखी है उसके ऊपर आपने बिजली के रेट बढ़ा दिये, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश के किसानों पर क्या गुजर रही होगी। तो जो यह रेट बिजली के बढ़ाये हैं यह पूर्णतः अनुचित है और किसान विरोधी है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप यदि संसाधन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे साधनों की खोज करें। आप यह अधिकारियों की पलटन कम करें, बिजली छीजन को कम करें।

(इस समय 5 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये।)

चोरी को रोकिये, अन्य जो उपाय हो सकते हैं उनको करिये। कानपुर में कई एक मिल मालिक बिजली की चोरी में पकड़े गये हैं। आपको धन उतना इकट्ठा करना चाहिये, जितना बिजली का उपभोग हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि आप उपभोक्ताओं को अनाप-शनाप बिल भेजते हैं और उन बिलों में भी अनियमितता होती है। उनमें तारीख आदि नहीं होती है। मैं इसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ, माननीय वित्त मन्त्री के साथ जेल में था और उनके साथ लगभग डेढ़ साल जेल में रहा हूँ जब इमरजेंसी में बन्द था। जेल से छूटकर डेढ़ साल बाद जब मैं कानपुर गया तो मैंने देखा कि डेढ़ साल का बिजली का बिल आया हुआ था। मैं जेल में बन्द था, कमरा बन्द था और उस काल में बिजली का कोई उपभोग नहीं हुआ, लेकिन बिजली के उपभोग का बिल आ गया।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा ख्याल ऐसा है कि इस मसले पर ज्यादा लोग बोलने वाले हैं, इसलिये पांच या सात मिनट में आप अपनी बात कह दें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

तो चोरी कौन करे और दण्ड उपभोक्ता को मिले। आप निर्दोष किसानों पर रेट बढ़ा रहे हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी वैसे ही कई फसलों के बर्बाद होने से टूटी हुई है। इसलिए यह रेट बढ़ोत्तरी अत्यन्त अनुचित, किसान विरोधी और उनके साथ विश्वासघात करने वाला है। मैंने तो कहा है कि इस वृद्धि से हमारे यहाँ के तमाम लोग कनेक्शन कटाने को तैयार हो गये हैं। कनेक्शन कटवाने से तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं और न संसाधन बढ़ेंगे। इस सम्बन्ध में अगर आपको किसानों के प्रति जरा भी सहानुभूति है तो आप यह बढ़ा हुआ रेट वापस लें।

*श्री भूधर नारायण मिश्र—

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो विद्युत उत्पादन इकाइयाँ ऐसी हैं जिनमें लागत ज्यादा है और उसकी अपेक्षा उत्पादन काफी कम है, उनके बारे में क्या मन्त्री जी कोई ऐसा निर्णय लेंगे कि उनको बन्द कर दिया जाए, या उनका नवीनीकरण किया जाए? वह क्या इस बारे में कोई निर्णय लेने जा रहे हैं या लेने वाले हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया। जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि सन् 74 में जो गन्ने और गेहूँ के भाव थे वह बढ़े, उसको देखते हुए इस समय हमने कीमतें बढ़ाई हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गन्ने और गेहूँ तथा दूसरे उत्पादों के भाव उसी रेशियो से आपने बढ़ाया है, जिस रेशियो से आपने विद्युत की दर बढ़ा दी है। आज गेहूँ की फसल झुलस रही है और आप उसको विद्युत नहीं दे पा रहे हैं। किसी फीडर पर दो घंटे और किसी पर चार घंटे बिजली आ रही है, इससे ज्यादा नहीं। किसान का दिल पत्थर है, वह बरदाश्त कर लेगा, 22 नहीं आप 25 प्रति हा० पा० कर दीजिए, लेकिन कम से कम आप उसको 9/10 घंटे बिजली तो जरूर दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वर्तमान विद्युत परिषद् से आप किसी अच्छे कार्य, कार्यकुशलता की कोई उम्मीद न करें। आपने इसके ऋण की सीमा 600 से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी है, लेकिन आप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसे दो हजार और 6 हजार करोड़ भी कर दें, लेकिन आप इसके वर्तमान ढाँचे के रहते इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं और न विद्युत उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आप निगमों का ढेर करते जा रहे हैं, आपने हाल ही में विद्युत उत्पादन निगम बना दिया है। यह सब सरकारी अधिकारियों के खाने-पीने, खाने-कमाने के जरिया हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप इन निगमों को खत्म कर दें। और इस सदन में कहा भी जाता रहा है कि निगमों से कोई भी इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है, फिर भी आपने एक निगम और खोल दिया।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि आप इस विद्युत उत्पादन की व्यवस्था में बड़े लोगों को, टाटा, बिड़ला, डालमियां को आप निजी क्षेत्र से विद्युत का उत्पादन दें, बशर्ते आप डिस्ट्रिब्युशन अपने हाथ में ले लें। मान्यवर मेरे क्षेत्र में हरदुआगंज विद्युत परियोजना है, वहां पर न श्रमिक काम करते हैं और, अधिकारी। मान्यवर, श्रमिक और अधिकारी ट्रेड यूनियन में लगे रहते हैं। वे काम नहीं करते हैं, बल्कि ओवर टाइम बनाते हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अधिकारियों और श्रमिकों में सभी प्रकार की कुशलता लाई जाय। मान्यवर, यह जो विद्युत निगम खोला है, इसको समाप्त करें। मान्यवर, आज किसान परेशान है, वह कह रहा है कि चूंकि आखिरी पानी लगने वाला गेहूँ झुलस रहा है। मान्यवर, किसान को 15 दिन 8–10 घंटे बिजली दे दें, ताकि वह अपना गेहूँ सींच सके और परेशानी से बच सकें।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, पहले तो मैं यह चाहूँगा कि माननीय ब्रह्मदत्त जी विद्युत मन्त्री बन जाते हैं, तो शायद कुछ काम भी ये बेचारे करते। मान्यवर, इसके पहले ये विद्युत मन्त्री थे, इन्होंने कुछ काम किया था। लेकिन आज हालत यह है कि आज इसको कोई देखने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास यह विभाग है। माननीय मुख्य मन्त्री के पास समय नहीं है कि वह इसको देख सकें। मान्यवर, मैं ब्रह्मदत्त जी से चाहूँगा कि इसमें दो-तीन चीजों को अगर ये कर सकें हालांकि विभाग इनका नहीं है, एक तो विद्युत परिषद् के बोर्ड का गठन जैसे भारत सरकार ने किया है, उस तरह से कर दें, जिसमें 5 साल के लिए सदस्यों का तथा चेयरमैन का मनोनयन किया जाय, उसमें उनकी केवल सीनियारिटी को ही न देखा जाय, बल्कि उनकी कार्य-क्षमता का भी अवलोकन किया जाय और आपके यहां ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिनको चेयरमैन से लेकर मेम्बर तक जो निकाल दिये गये थे, उनका कोई योगदान नहीं था। आप हिन्दुस्तान से फिर उनको ढूँढ़कर ले आये, जो ओबरा नहीं चला पा रहे थे, उनको आपने मेम्बर जनरेशन बना दिया। जिन्हें मैं लाया था, उन्हें मेम्बर जनरेशन नहीं रहने दिया। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि भारत सरकार के एन० टी० पी० सी० में चेयरमैन हो गये हैं, श्री ए० के० शाह।

मान्यवर, दो-तीन प्राब्लम्स आपकी विद्युत परिषद् में हैं, एक तो उत्पादन जितना होना चाहिए, वह हो नहीं रहा है। मन्त्री जी ने कहा कि कोयला अच्छा लायेंगे, कोयला हिन्दुस्तान में अच्छा है नहीं, ओबरा, हरदुआगंज में कितना कोयला लायेंगे, पनकी में कहाँ से कोयला लायेंगे? मान्यवर, उसी रद्दी कोयला पर जो आज थर्ड ग्रेड का कोयला है, जिसमें, पोलैंड में आप देखें 80 प्रतिशत जनरेशन हो रहा है, आप कह दें कि कोयला लायेंगे, यह मंत्री जी केवल आश्वासन है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जहां कोयला पर आपको अपना ब्वायलर बनाना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो निकट भविष्य में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो हर साल रेट में आप बढ़ोत्तरी करेंगे। मान्यवर, माननीय ब्रह्मदत्त जी

जब लीडर आफ दि अपोजीशन, विधान परिषद् में थे तो उस समय भी राज्य विद्युत परिषद् ने इसी तरह के बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव लायी थी, लेकिन मैंने न तो घरेलू बिजली और न तो किसानों की ही बिजली का दाम बढ़ने दिया और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस रेट को कम करवायें साढ़े 22 रुपये करने का कोई औचित्य नहीं है। आपने बिहार के आंकड़े पढ़े यह हम सब जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पादन पंजाब और हरियाणा के बराबर आये तो 15 के बजाय 16 या साढ़े 16 कर दीजिये लेकिन साढ़े 22 रुपये करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसा कि माननीय मोतीलाल देहलवी ने कहा है कि किसान में देने की क्षमता नहीं है। मेरा आग्रह है कि साढ़े 22 रुपये के इस रेट को कम करियें। कैबिनेट मीटिंग में लायें, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसको कम करने से आपके संसाधन कम नहीं होंगे। जो आपके प्रोजेक्टस चल रहे हैं वह 2–3 साल पीछे चल रहे हैं। उनमें काम इसलिये नहीं हो रहा है कि आज उनको कोई देखने वाला नहीं है। आपने बजट में जो प्राविधान किया है और जितना आपने प्लानिंग कमीशन से मांगा था वह आपको मिला नहीं है। आपको अभी भी 100 करोड़ रुपये की कमी है।

आपका कहना है कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है। तो मेरा कहना है कि प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। प्रोडक्शन तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक इन थर्मल पावर स्टेशनों में इंजीनियर्स, वर्कर्स और जूनियर इंजीनियर्स की कमेटियां नहीं बनेगी। कभी यह होता है कि इंजीनियर्स काम करते हैं तो जूनियर इंजीनियर्स और वर्कर्स सहयोग नहीं करते हैं इसलिये थर्मल पावर स्टेशनों पर आप कमेटी बना दें वर्कर्स, जूनियर इन्जीनियर्स और इन्जीनियर्स की इस कमेटी के माध्यम से हर 15 दिन में मानीटरिंग करवायें कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं। यदि प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो जनरल मैनेजर को जिम्मेदार बनायें और पूछें कि उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है। कोयले की बात बहुत पुरानी हो गयी है। इससे प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रेवती रमण सिंह--

अच्छा मान्यवर, धन्यवाद।

* श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो प्रश्न आया है सामने उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो बिजली की दरें बढ़ायी गयी हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। इसको कोई माने या चाहे न माने कहना मेरा फर्ज है। किसान की बिजली आप साढ़े 22 पर दें लेकिन मेरा आग्रह है कि सब किसानों के यहां बिजली का मीटर लगवा दें। जितनी वह बिजली इस्तेमाल करें उस हिसाब से रेट वसूल करें। बिजली तो किसान को 4–5 घण्टे मिलती है लेकिन रेट पूरा वसूल किया जाता है। यह कौन सा औचित्य है। मान्यवर, बिजली विभाग में अनियमिततायें की जाती हैं उससे घाटा दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है इसको रेट बढ़ाकर पूरा किया जा रहा है। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि एक स्टोर को आप चेक कर लीजिये वहां कम से कम एक या दो करोड़ रुपये की 5 साल में चोरी हुयी होगी। कोई स्टोर आप चुन लें। स्टोर का कहीं पता नहीं है। जैसे मेरे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथी ने कहा कि बिजली विभाग में पुराना सामान उठाकर डंप कर दिया जाता है। एक-एक स्टोर में 4–5 करोड़ रुपयों का घपला है। ऐसी स्थिति में मैं आग्रह करूँगा कि जो बिजली की दर में बढ़ोत्तरी की गयी है यह किसानों के हित में बिल्कुल उचित नहीं है। घरेलू बिजली के जब आते हैं तो 40 या 50 रुपये का जो बिल आता है उसके आगे एक जीरो बढ़ा दिया जाता है। लोग दौड़ कर बाबू के पास जाते हैं और पैसा देते हैं तो कम किया जाता है। तो इस तरह की आज व्यवस्था है। इसमें मुझे विशेष कुछ और नहीं कहना है। मन्त्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली की तरक्की में, जिन लोगों का अच्छा काम नहीं है, जितना प्रोडक्शन चाहिये, अगर वह न हो, तो इंजीनियर को तुरन्त वहां से डिसमिस करना चाहिये, उसको केवल सस्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अवसर देने के लिये धन्यवाद देता हूँ।

* श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्,, मैं चाहूँगा कि यह माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कारण दिये हैं और जो उसके साथ-साथ निदान भी दिया है, अगर माननीय मंत्री जी बढ़ी हुई विद्युत दरों को खत्म नहीं कर सकते, तो मैं एक निवेदन जरूर करूँगा फिर मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी को इसे कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं हैं आप अगर उसको घटाकर फिर पुराना रेट, नवम्बर, 82 के रेट पर कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो जितना आपने बढ़ाया, उतनी सबसिडी आप दे दें, किसानों को जरूर दे दें, श्रीमन्, नहीं तो निश्चित ही यह स्थिति पैदा हो रही है कि किसान अपना खेत छोड़कर भागने की स्थिति में है। एक निवेदन और करूँगा गांव में बिजली के बिल जमा करने के लिये कम से कम हर ब्लाक स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिये, इससे भी भ्रष्टाचार कम होगा। श्रीमन्, मैं प्राय: देखता हूँ अपने जिले भर के जो उपभोक्ता हैं, वह जब एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, किसान 2–2 दिन परेशान होता है, लेनदेन करके, कुछ घटा-बढ़ाकर उसका बिल जमा किया जाता है श्रीमन्, मैं चाहूँगा कि आप सबसिडी दे दें और घटी हुई दर से बिजली की दर वसूल करें।

श्री अधिष्ठाता—

अब हर सदस्य 2–2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ताकि इसको 6–40 बजे खत्म किया जा सके।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने प्रस्तुत विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि शक्ति भवन में प्रतिस्थापित विद्युत बोर्ड जब बाहर दिखता है, तो हूरों की तरह दिखाई देता है, ऐसी जन्नत का क्या करें कोई जिसमें लाखो बरस की हूरें हों।

श्री अधिष्ठाता—

आपने अंधेरे में हूरें देख ली।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

जो विद्युत बोर्ड है, वह हूरों की तरह दिखाई देता है, जो अंधेरे में न दिखाई दें, वह हूरें कैसी ? मान्यवर, यह ब्रह्म दत्त जी जो हमारे वित्त मन्त्री हैं, हमने इनको धन मन्त्री बनाया लेकिन यह ऋण मन्त्री बने जा रहे हैं, इनका ख्याल है कि दो ऋण मिलकर एक धन बन जाता है, इसलिये यह बार-बार इस सदन के समक्ष ऋण मांगने के लिये खड़े हो जाते हैं कि ऋण दे दीजिए, ऋण दे दीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, हमारे यहां टेहरी बांध में जो काम चल रहा है, टेहरी शहर के अंदर, टेहरी बांध के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिये टेहरी बांध परियोजना कालोनीज हैं, टेहरी बांध में कार्यरत अधिकारियों के लिए बिजली बल्क में दी जाती है, उनके कोई मीटर नहीं हैं, वे चाहे डोमेस्टिक पावर में इस्तेमाल करें, लाइट एण्ड फैन में इस्तेमाल करें, उनका पेमेंट टेहरी बांध के द्वारा बल्क में किया जाता है। इसके अलावा टेहरी बांध में कार्यरत कंस्ट्रक्शन्स कम्पनीज जैसे थापर, चहल, जयप्रकाश आदि को भी बल्क में प्रोजेक्ट बनाने के लिए बिजली दी जाती है और वे इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक पावर, लाइट एण्ड फैन के लिए करते हैं।

मान्यवर, इसी तरह से एक ही शहर के अन्दर रहने वाले दो व्यक्तियों से दो अलग-अलग तरह की विद्युत रेट्स लेना अनुचित है। एक ही शहर के अन्दर टेहरी शहर के अन्दर, जो लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, और जो लोग प्रोजेक्ट में काम नहीं करते हैं, किसी दूसरी जगह में काम करते हैं, एक के लिये दूसरा रेट है और दूसरे के लिये दूसरा रेट है, यह मान्यवर अनुचित है। तो मैं, माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत निर्माण कार्य के लिये दी गयी बिजली का इस्तेमाल लाइट एण्ड फैन के रूप में किया जा सकता है। वसूली के बाबत जैसा माननीय प्रभू नारायण सिंह जी ने कहा, खर्चा बचाया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय विद्या सागर जी, अब समाप्त करें।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मैं पिछले दो वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ कि टिहरी के अन्दर बिजली के बिलों के वसूली का काम कोआपरेटिव बैंक्स को दिया जाय।

(समय 6.15 से)

51 हजार 125 वर्ग मील में पहाड़ फैला हुआ है। महीने में 10 दिन जूनियर इंजीनियर को भेजते हैं बिजली के बिलों के वसूली के लिये। अगर यह वसूली कोआपरेटिव के जरिये से हो तो उस जूनियर इंजीनियर से दूसरा काम लिया जा सकता है और इस प्रकार खर्च कम हो सकता है।

*श्री मारकण्डेय चन्द--

इस आदरणीय सदन के और माननीय सदस्यों की भावना से सरकार, मन्त्री जी और आप अवगत हो गये हैं। मान्यवर, आदरणीय सदन की यह भावना मिट्टी के तेल की दोहरी नीति के बारे में थी जिस पर इस भावना के दबाव से उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से नीति में परिवर्तन करवाया। इस भावना का हवाला देते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की सरकार बिजली बोर्ड के माध्यम से किसानों से श्मशान घाट पर जैसे कर लिया जाता है उसी तरह कर वसूल कर रही है। उसका कारण यह है कि किसानों को 6 घन्टे बिजली देने का आप एलान करते हैं लेकिन उतना नहीं दे पाते हैं, जबरदस्ती उससे 24 घन्टे की सप्लाई के हिसाब से चार्ज वसूल करते हैं। आप बिजली न दे पायें और वसूल उससे 24 घन्टे का चार्ज करें, यह अन्याय इस देश और प्रदेश का किसान बरदाश्त कर रहा है दुनिया के किसी देश या प्रदेश का किसान इसको बरदाश्त नहीं कर सकता है।

मैं माननीय सदस्यों की भावना से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। एक चीज यह कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूँ कोई विकल्प नहीं है विद्युत परिषद् के लोग, विद्युत विभाग के अभियन्ता इस प्रदेश की विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढ़ा नहीं सकते हैं केवल अपनी क्षमता और चोरी बढ़ा सकते हैं। इसका विकल्प यह है कि आप विद्युत सप्लाई ठीक करना चाहते हैं तो इसको प्राईवेट सेक्टर में देने की बात सोचें जिसमें एक निश्चित एग्रीमेंट होना चाहिये कि निश्चित क्षमता का उत्पादन कर सकें। मान्यवर, इस प्रदेश के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको समाप्त करें अब अधिक अन्याय बरदाश्त करने के लिये प्रदेश का किसान तैयार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि वे इन किसानों के साथ न्याय करें।

श्री शम्भूनाथ सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, विद्युत रेट बढ़ाया गया यह किसानों के हित में नहीं है। किसानों के अहित में है। हमारा प्रदेश कृषि पर निर्भर है और विद्युत सप्लाई 4 घण्टे और 6 घण्टे होती है और रेट 15 से बढ़ा कर 22 कर दिया है, इससे जनता में असन्तोष है और कृषि पर इसका बुरा असर पड़ा है। जब से इस प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमन्त्री जी हैं विद्युत का कार्य तेजी से चला रहे हैं यह जरूर है कि जनता पार्टी के समय विद्युत कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार विद्युत के कार्य को तेजी से चला रही है। मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मीटर लगवा दिया जाय जितनी वह बिजली लेगा उसका भुगतान वह करें तीन हार्स पावर पर जो रोक है उसे समाप्त किया जाय।

*श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, इस सरकार ने अपनी कमजोरी, अपनी नपुँसकता उपभोक्ताओं पर इजहार किया है। विद्युत विभाग के अधिकारी और मिल मालिक बिजली की चोरी करते हैं और भार वहन करने के लिये किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर इसको लाद देते हैं।

चोरी करने वाले को पकड़ते नहीं और जो बेचारे अपने घरों के लिए बिजली लेते हैं उन पर बिजली लेते हैं उन पर बिजली का भार बढ़ा दिये। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मन्त्री जी जरा अपने चैम्बर में बुला कर प्रदुम्न जी से बात करें....]

श्री अधिष्ठाता—

कुबेर जी, सुझाव आप मेरे माध्यम से उन को दें।

श्री कुबेर भंडारी—

अगर सदस्यों से बड़ा प्रेम है तो अपने चैम्बर में बुला कर बात करें। गाँव में जो लोग बिजली लिये हैं, वह पहले से ही लाइन कटाये बैठे हैं, लेकिन उनसे जबरन वसूली की जा रही है। अगर मन्त्री जी ईमानदारी से दौरा करें और पता करें कि किसानों के साथ बिजली कर्मचारी किस तरह से अन्याय कर रहे हैं। कितना घोटाला हो रहा है। आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आप का आभारी हूँ।

*श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विरोधी दल के सदस्यों ने बढ़ी हुई बिजली की दरों के कारण कहा कि लोगों में असंतोष है। मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि हम विकास की ओर अग्रसारित हैं। विकसित नहीं हैं और जब कोई भी मुल्क विकास की ओर चलेगा तो मौजूदा जनसंख्या के ऊपर आर्थिक भार पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कष्ट सहकर के प्रगति करनी पड़ती है। यह अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है जिसे माननीय विरोधी दल के सदस्य समझते होंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी को ज्ञात है कि विद्युत परिषद् 1959 से 80 तक साढ़े सात सौ करोड़ के घाटे पर था और 80 के बाद मार्च 1982 तक 433 करोड़ का घाटा और बढ़ गया। ऐसी स्थिति में हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि बिना विद्युत दर बढ़ाये हुए विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकें, किसानों को विद्युत सप्लाई कर सकें, उद्योगों की स्थापना कर सकें अपने प्रदेश में। जहाँ तक बढ़ोत्तरी का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में घरेलू उपयोग के रेट जो हैं, गुजरात में 60.04 पैसे प्रति यूनिट, आसाम में 60 पैसे प्रति यूनिट, वेस्ट बंगाल में, जहाँ समाजवादी सरकार है, वहाँ पर 57.67 पैसे प्रति यूनिट, नहीं 51 पैसे और उत्तर प्रदेश में 55 पैसे है। ट्यूबवेल के जो रेट की बात कही गयी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 24 32 पैसे प्रति यूनिट है, वेस्ट बंगाल में 32 पैसे प्रति यूनिट है, इस तरह से हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप का आभारी हूँ। एक शेर पेश करना चाहता हूँ—

मैंने माना कि तगाफुल नहीं करोगे,
लेकिन खाक हो जायेंगे उनको खबर नहीं होगी।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, एक संशोधन है—

मैने नहीं हमने माना कि तगाफुल न करोगे,
लेकिन, खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक।

(हँसी)

डॉ० बृज किशोर मिश्र—

अभी इस पक्ष के और उस पक्ष के मा० सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत किये। मैं आँकड़ों की गहराई में नहीं जाना चाहता। यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मन्त्री जी बोल रहे थे कि संसाधनों की कमी है इसलिये दरें बढ़ानी पड़ी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने जीवन में इस तरह से किसी को नहीं कहा है, कि संसाधनों की पूर्त्ति के लिये मन्त्री जी ने उन मुद्दों पर विचार क्यों नहीं किया जिनके तहत लाखों, करोड़ों रुपये की सप्लाई बिजली विभाग ले रहा है। लाखों, करोड़ों रुपये का सामान बिजली विभाग ने जो लिया है, पड़ा सड़ रहा है। रेट बढ़े हैं, जनता को देने से इन्कार नहीं है। अभी मोतीलाल देहलवी जी बोल रहे थे जैसे प्रसव पीड़ा में बोल रहे हों। हमको उनसे कम दर्द नहीं है। दर्द हमको भी है। वही जनता हमें भी भेजती है जो उनको भेजती है।

श्री प्रमोद कुमार—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

क्या व्यवस्था चाहते हैं।

श्री प्रमोद कुमार—

यह बात किसी दूसरे सदस्य ने कही होती तो कोई बात न होती। एक डाक्टर ने कहा है कि प्रसव पीड़ा का दर्द है। यह सदन की कार्यवाही में अंकित हो जायेगा। डॉक्टर ने कहा है—ऐसे मौके पर कहा है। उचित होगा इसकी जांच करा लें। या सदन की कार्यवाही से यह शब्द निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता--

इनकी पीड़ा वह जाने । उनकी पीड़ा यह । इसमें कोई व्यवस्था नहीं है ।

(हँसी/शोर)

श्री प्रमोद कुमार—

फल तो पूरे सदन को मिलेगा ।

डॉक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ । संसाधनों में कमी है । जनता को टैक्स देने में परेशानी नहीं है । क्या मन्त्री जी ने विचार किया कि लोग देहातों में रहते हैं, उन्हें 2-3 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है । महीने मेंबिल आयेगा । एक बार 25 रुपये का बिल आयेगा । दूसरी बार 150 का आ जाता है । उसको ठीक कराईये तो 200 का आ जाता है । क्या माननीय मन्त्री जी ने बेईमान कर्मचारियों को दंडित करने का प्रयास किया । लाखों रुपये टैक्स के रूप में वसूला जाता है और वह बैठकर शक्ति भवन में रंगरेलियाँ मनाता है । मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि किसी देश के विकास के लिये बिजली जरूरी है । जनता को टैक्स देने में परेशानी नहीं है । लेकिन बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहिये ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया । मैं समझता हूँ कि अगर मा० उपाध्याय जी को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाये तो इधर के और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने बिजली बोर्ड की अक्षमता के कारण जो जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसका जिक्र किया है । माननीय सदस्य बस्ती ने ठीक कहा है कि मिट्टी के तेल के दामों में बढ़ोत्तरी के बाद बिजली बोर्ड की अक्षमता को दूर करने के लिये कदम उठाये जायेंगे, माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनकर ज्ञात हुआ, घटिया से घटिया बात को बड़े अच्छे ढंग से वह कहना जानते हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री गुप्तजी ने एक बात कही कि बिजली बोर्ड की अक्षमता को दूर करने के लिये कड़े कदम उठाये जायँ । मैं उनकी बात से सहमत हूँ । मगर माननीय श्री गुप्तजी से पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जाता है या किसी अधिकारी को दण्ड दिया जाता है तो आप अधिकारियों के प्रति विलाप तो नहीं करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय श्री बाजपेयी जी की बातों से लगता है कि वे हमें प्रतिपक्ष के सभी लोगों को भ्रष्टाचार-उन्मूलनबद्ध के खिलाफ समझते हैं । कृपया आप अपनी सरकार को समझाइये कि आप उन्हें संरक्षण नहीं दें ?

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

श्रीमन्, अधिकारियों के खिलाफ आप कुछ ऐक्शन लेंगे तो सबसे ज्यादा अधिकारियों के लिये माननीय श्री गुप्त जी रोयेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि माननीय मन्त्री जी के भाषण को सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। माननीय मन्त्री जी कभी तो पिटे-पिटाये केसों को भी बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादित करते थे लेकिन न मालूम आज मन्त्री जी किस वजह से इन फर्जी आंकड़ों के चक्कर में फँस गये। जैसा कि माननीय श्री रेवती रमण जी ने कहा कि वे विद्युत मन्त्री तो है नहीं उनको तो यहाँ पर केवल भाषण करने के लिये खड़ा किया गया है। माननीय मंत्री जी ने बड़े गौरव के साथ कहा कि हम हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा रेट लेने वाले नहीं है, 2-3 स्टेट्स हैं। श्रीमन्, मैं इस संदर्भ में याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप अपने चार्जेज और सर-चार्जेज को जोड़ दें तो हम बिहार से कम नहीं हैं। मान्यवर, आज इस बात को गम्भीरता से देखने की जरूरत है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जनरेशन बढ़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि जनरेशन बढ़ा है लेकिन जो मैंने 1971 से आज तक की इनस्टाल्ड कैपेसिटी बताई है उसकी तुलना में आपकी जनरेशन नहीं बढ़ी है। यदि आप इस हिसाब को लेकर देखें तो आप निराश होने लगेंगे। श्रीमन्, जनरेशन बढ़ा नहीं बल्कि उसकी तुलना में घटा है। मान्यवर, मँहगाई की चर्चा हुई। एक वेलफेयर स्टेट होता है। आप समाजवादी और 20 सूत्रीय को लागू कर रहे हो कि किस तरह से किसान के कष्ट के समय उसको राहत दी जायेगी। श्रीमन्, इन्होंने कहा कि चीजें मँहगी मिल रही हैं इसलिये बिजली के दाम बढ़ा दिये गये। जनता के कष्टों को घटाने की जगह पर आपने बढ़ा दिये। श्रीमन्, 16 करोड़ रुपये का कोयला कानपुर था और वह गायब हो गया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बृज किशोर जी आप जरा थोड़ा शान्त रहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर न डालें। सेन्ट्रल के ऊपर आप बात न डालें। यदि आप ऐसा ही करेंगे तो सेन्ट्रल के कोयला मन्त्री कहेंगे कि यह कोयला आपको पहुँच गया है अब रेलवे का काम है वे रेलवे के ऊपर डाल देंगे। माननीय मंत्री जी आप इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर दूसरे के ऊपर न डालें। आज जो विद्युत बोर्ड में अक्षमता और भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे आप दूर करने का प्रयास करें। आप इन्हें ठीक नहीं कर पायेंगे। अभी आपने अपने भाषण में कहा कि जो छोटे-छोटे पावर हाउस हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वह इलाहाबाद का हो, मिर्जापुर का हो, मैनपुरी का हो और चाहे सिहोल के बारे में हो। जहाँ तक मैनपुरी के पावर हाउस का प्रश्न है यह 4 करोड़ रुपये से बना था और 10 मेगावाट का था। लेकिन आज जो सिहोली के बारे में कहा गया है वहाँ पर 20 हजार रुपये प्रति दिन का कोयले का खर्चा आता है फिर भी आप उसे ठीक रखने की स्थिति में नहीं है। मान्यवर, अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों की बात को एक में जोड़ना चाहता हूँ कि उपभोक्ता को कम से कम आप सुविधा देने की कोशिश करें। आप उपभोक्ताओं के सेक्यूरिटी पर कितना इन्ट्रेस्ट देते हैं केवल 3 परसेन्ट लेकिन आप लेते कितना हैं। मान्यवर, जो आपका बिजली का बिल आता है वह 15 दिन के अन्दर जमा करना होता है। आप तो एक साधारण वर्ग के आदमी हैं और आप तो इसके बारे में जानते ही हो। श्रीमन्, होता क्या है। होता यह है कि 15 दिन निकलने के बाद वह बिल उपभोक्ता के पास आता है तो वह कैसे जमा कर देगा उसे। इस संबन्ध में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता

हूँ कि वे इस सम्बन्ध में साफ-साफ इन्स्ट्रक्सन दे दें कि यदि 15 दिन के अंदर बिल न मिले तो उसे 15 दिन का रिबेट दे दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

गलती तो आपकी है कि अगर किसी ने कम्पलेंट कर दी कि मीटर खराब है, तो आप उसे बदलते नहीं हैं, उसमें देर करते हैं और इस बीच में चार्ज करना शुरू कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि मीटर ठीक कर दीजिये, आप ठीक करेंगे नहीं और चार्ज करते जायेंगे ।

अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ। सीतापुर में एक पावर हाउस जल गया, दो महीने तक अन्धकार रहा, सब व्यापार उद्योग ठप्प हो गया। यहाँ से अधिकारी भेजे गये, अधिकारियों के सामने बातें आयीं। इन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी लाइन और जनरेशन ठीक करायेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। उसको ठीक कराने की कोशिश करें। आप जब उत्तर देने के लिये खड़े हों तो पुनर्विचार करें बिजली की दर बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। गाँव के उपभोक्ता इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं। आज आप घोषणा कर दें कि जितनी बिजली उतना दाम। अगर नलकूप वाले दो घण्टे बिजली पा जायँ तो आप कहते हैं कि मिनिमम चार्ज पूरा हो जायगा। बहुत से विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके नलकूप लगे हैं। क्या यह सही है कि दो घण्टे की बिजली मिल पाती है। आप किसी भी गांव में देख लें। अन्त में यही मांग करता हूँ कि 'जितनी बिजली उतना दाम' इसकी घोषणा करें और जो टैरिफ आपने बढ़ाया है, इसको समाप्त कर दीजिये, जैसे भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बिजली बोर्ड के सुझाव को ठुकरा दिया था और बिजली बोर्ड के अधिकारियों के जाल में नहीं फँसे। दूसरे मुख्यमन्त्री आये, उनके जाल में फँसकर प्रदेश की जनता का शोषण प्रारम्भ कर दिया।

श्री ब्रह्म दत्त—

इस चर्चा में कई अच्छे सुझाव सामने आये हैं, इनका जिक्र संक्षेप में करूँगा। माननीय रियासत हुसैन साहब से तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि सैटिसफैक्शन सापेक्ष टर्म है। न तो पूरा संतोष हो सकता है और न कोई देने में समर्थ है। एक बात लाइन लासेज की कही गयी। इस सम्बन्ध में भी उत्तर प्रदेश पिथौरागढ़ से लेकर देवरिया तक सबसे बड़ा प्रदेश है और इस हिसाब से सबसे ज्यादा लाइन लॉसेज होने चाहिये थे, लेकिन हम 8वें नम्बर पर हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको घटाने की, इसे 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक आना चाहिये। मैं बिजली बोर्ड में कुशलता लाने की बात से इन्कार नहीं करता। कमेटी बनाने की बात कही गयी, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, वह हमेशा विचार कर सकती है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन का प्रोग्राम है, उसके ऊपर विद्युत परिषद् के अनुसार लगभग 120 करोड़ रु० घाटा आता है। हमने भी हिसाब लगाया तो व्यक्तिगत रूप से मैं सन्तुष्ट हूँ कि 100 करोड़ रु० का घाटा आता है।

एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें करनी जरूरी हैं। इस समय रबी की फसल है, इसमें यह सुनिश्चित करना चाहिये, मैं यह सलाह दूँगा, निदेश देने का अधिकार तो नहीं है कि 3—4 हफ्ते जब तक रबी की फसल कट नहीं जाती, ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिये। दूसरी बात यह है कि हमारी जो एक मांग बार-बार आती है कि 3 हार्स पावर के पम्पिंग सैट लगाने की जो पाबन्दी है, उसको हटा लेना चाहिये। विद्युत परिषद् को सलाह दूँगा कि 3 हार्सपावर की पम्पिंग पर जो पाबंदी है, उसे हटाने पर विचार करें और दूसरा यह कि जो रबी की फसल जब तक कट न जाए तब तक दूसरे

क्षेत्रों से बिजली कटौती करके किसानों को बिजली दी जाए और उनकी बिजली में कटौती न की जाए। और तीसरी सलाह यह है कि जो लोग अपना बिजली का बिल समय से दे दें तो उनको पर्याप्त छूट दी जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इन बातों के साथ माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूँगा कि वह मेरी दो बातों का भी जवाब दे दें, जिसके लिये मैं समझता हूँ कि सभी माननीय सदस्य सुनने के इच्छुक हैं, उनमें पहली बात तो यह है कि क्या माननीय मंत्री जी उस टैरिफ को रिवाईज करने की कृपा करेंगे जो एक नवम्बर से बढ़ गया है और दूसरा यह कि जितनी बिजली उतना दाम लेने की प्रक्रिया को अपनायेंगे या नहीं? इन दो बातों का जवाब मा० मन्त्री जी कृपा पूर्वक दे दें।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, जहां तक पहली बात का प्रश्न है, वह किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है लेकिन दूसरी बात आपने जो कही कि जितनी बिजली उतने दाम, उसको हम स्वयं लागू किये हुए हैं बल्कि उससे कम दाम ले रहे हैं।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने हमारी बात को फ्लैटली रिफ्यूज नहीं किया है बल्कि मैं समझता हूँ हमारी इस बात में प्रदेश की तमाम जनता की बात छिपी हुई है, उसे रिफ्यूज किया है। इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, यह माननीय मन्त्री जी का कथन जन-विरोधी, है इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री अकबाल हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, माननीय गुप्त जी द्वारा रखे गये सुझाव बिल्कुल उचित हैं कि जितनी बिजली उतने दाम होने चाहिए, जिसे माननीय मन्त्री जी ने फ्लैटली रिफ्यूज किया है, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री मोतीलाल देहलवी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रियासत हुसैन—

जहां तक हम लोग इस प्रश्न पर एक मत थे कि माननीय मन्त्री जी अपने इस नवम्बर के बढ़ाये हुए टैरिफ को अवश्य खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसे रिफ्यूज कर दिया जो बिल्कुल जन-विरोधी बात है। इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री फखरे आलम--

जितनी बिजली उतने दाम वाली नीति को माननीय मन्त्री जी ने नहीं माना है जो

प्रदेश की सम्पूर्ण जनता की भावनाओं के विपरीत है, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूँ ।

(श्री फखरे आलम अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

यह बात माननीय मन्त्री जी की बिल्कुल जन-विरोधी है, इसलिए मैं भी अपने दल के साथ सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करता हूँ ।

(श्री विद्या सागर नौटियाल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

और अंत में मान्यवर, विद्युत परिषद् को मेरी चौथी सलाह यह है कि रबी की फसल जब तक कट न जाए तब तक किसानों में सिंचाई-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए बिजली काटी न जाए और जिन माननीय सदस्यों ने जो-जो सुझाव रक्खे हैं, उन सुझावों को मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दूंगा ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति द्वारा जातीयता, भ्रष्टाचार तथा घोटाला सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं से विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य ठप हो जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार, जातीयता तथा घोटाला के सम्बन्ध में अपना विचार पेश करते हुये कुछ बातें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ ।

श्री नियाज हसन खां—

एक व्यवस्था का प्रश्न है अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने आचार्य नरेन्द्र देव यूनीवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ आरोप लगाये हैं । क्या माननीय सदस्य ने ऐसा भी कोई पत्र लिखा है (एक पत्र को दिखाते हुए) जो कि इस किस्म का है ।

श्री अधिष्ठाता—

चर्चा शुरू हो गयी है, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है । जो पत्र आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रतिलिपि हमारे पास नहीं है, इसलिये कृपया यह व्यवस्था का सवाल नहीं है । जब मित्रसेन जी अपनी बात कह लें, जब आप जवाब दें जो उसका उल्लेख करना चाहें तो कहियेगा । आप भी मंत्री रह चुके हैं, जो पत्र आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रतिलिपि यहां पहले आनी चाहिये । यदि नहीं आयेगी तब तक आप उसे नहीं पढ़ सकेंगे । आप इसका सन्दर्भ अपने भाषण में दे सकते हैं ।

श्री फखरे आलम—

इस पत्र की कापी मेरे पास है (पत्र को दिखाते हुए) माननीय मित्रसेन ने हवाला दिया है उसकी प्रति मेरे पास है ।

श्री अधिष्ठाता—

जब आप भाषण करें, तब आप अपनी बात को कहें, आप खुद वकील हैं । माननीय सदस्य को पहले बोलने दें ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति द्वारा जातीयता, भ्रष्टाचार तथा घोटाला सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं से विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा 500(i)

श्री मित्रसेन—

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो कि हमारे क्षेत्र से सम्बन्धित है और हमारे राष्ट्रीय पुरुष आचार्य नरेन्द्र देव के नाम पर खड़ा है और श्रीमती इन्दिरा गांधी के कर-कमलों द्वारा सन् 1974 में जिसका शिलान्यास हुआ, उस विश्वविद्यालय का नामकरण आचार्य नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय रखा गया।

(इस समय 6 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसकी स्थापना से हम लोगों को पूर्वांचल के लोगों को, देश और प्रदेश के लोगों को विश्वास बना कि कृषि के क्षेत्र में सुख-समृद्धि की सृजना का स्रोत इस विश्वविद्यालय के द्वारा बनेगा। इस आशा के साथ हम लोग विश्वविद्यालय के कार्यों में हर समय सहयोग, सहानुभूति, हर तरह के सतत प्रयास करते रहे। कभी भी ऐसी कोई आशंका की बात नहीं व्यक्त की कि शायद यह विश्वविद्यालय आज के दूषित वातावरण का शिकार बने।

इस दृष्टि से माननीय मंत्री जी विश्वविद्यालय के चार प्रकरणों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमन्, इस विश्वविद्यालय में उच्च श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में जो अनियमिततायें हुई हैं उनको प्रमाण सहित माननीय मंत्री जी के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं भी इस बात का हामी हूँ कि हमारे पास अपनी बात की पुष्टि के लिये काफी प्रमाण हैं। सच्चाई पर आधारित बातें हैं और मैं स्वयं उनसे व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूँ और मुझे पूरी जानकारी है। माननीय मंत्री जी हो सकता है, इस सम्बन्ध में आपको पूरी जानकारी न हो क्योंकि यह सरकारी पक्ष का मामला है, आपको मुगालते में रखा गया हो, सही चीजें आपके सामने न आयी हों, आप किसी प्रकार से उन सच्चाइयों से अवगत न हों लेकिन मैं माननीय मंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण को, मेरे द्वारा रखी गयी बातों को, चीजों को आप परीक्षण करा लें। मैं इतना ही निवेदन करूँगा और उस परीक्षण के आधार पर तीन-चार बातों का प्रकरण उच्च श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में, लिपिकों के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में, आर्थिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में, मजदूरों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। इस सन्दर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि डा० एस० एम० ए० रिजवी, डा० अबुल हसन, डा० पी० के० सिंह तथा डा० इकराम उल्लाह खां, ये चारों बाटनी से ही पी-एच० डी० किया है, लेकिन ये चारों व्यक्ति विज्ञापित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते। और उक्त पदों हेतु आये विशेषज्ञ अभ्यर्थी अधिक योग्य और पात्र थे, उनको नहीं रखा गया आप उनकी क्वालीफिकेशन को देख लें।

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

माननीय सदस्य इन चारों नामों को फिर से दुहरा दें।

श्री मित्रसेन--

यह हैं—डा० एस० एम० ए० रिजवी, डा० अबुल हसन, डा० पी० के० सिंह, डा० इकराम उल्लाह खां। यह चारों प्रोफेसर बाटनी में पी-एच० डी० हैं, एन्टोमोलोजी, निमाटोलोजी के विषयों को पढ़ा रहे हैं। इन विषयों में जो अभ्यर्थी आये थे, वह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के थे, परन्तु उनकी नियुक्ति नहीं की गयी है। वह इन व्यक्तियों से जो रखे गये हैं उनसे अधिक योग्यता रखते थे और अनुभव रखते परन्तु उनको नहीं रखा गया है। प्राध्यापक के लिए 10 वर्ष का अनुभव और और सह-अध्यापक के लिए 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिन लोगों की नियुक्ति की गयी

है, उनका इतना अनुभव नहीं है, लेकिन नियुक्ति हो गयी है। आप इस बात का परीक्षण करा लें। इसी प्रकार से डा० आर० बी० सिंह, डा० स्वाजा कैसर हुसैन, डा० एन० सी० गौतम, और डा० ए० वी० आबदी की नियुक्ति की गयी है। इनकी तुलना में अन्य अभ्यर्थी विशेषज्ञ अनुभवी एवं योग्य होने के बावजूद भी उनको सेवा का अवसर नहीं प्रदान किया गया। जो क्वालीफिकेशेन विज्ञापित हुई थीं वह मान्यवर, यह हैं- 1. प्रोफेसर आफ एग्रोनोमी पे स्केल आफ 1500–2500 इसेन्सियल (i) ऐटलीस्ट ए II क्लास बी० एस-सी० (एजी०) डिग्री फ्राम ए रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी, (ii) ऐटलीस्ट ए II क्लास एम० एस-सी० (एजी०) डिग्री इन एग्रोनामी, (iii) पी-एच० डी० इन एग्रोनामी····

श्री यशपाल सिंह--

माननीय सदस्य इनकी नियुक्ति का वर्ष बता दें, कोई दे सकें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जो सेलेक्शन हुआ है वह वाइस चान्सलर ने ही किया है अथवा किसी सेलेक्शन कमेटी ने किया है।

श्री मित्रसेन--

मैं इसी ओर इशारा करने जा रहा था।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात को संक्षेप में कहें।

श्री मित्रसेन--

चयन समिति बनी है। उसके विशेषज्ञ होते हैं। उस कमेटी का चेयरमैन वी० सी० होता है। इसमें जिन लोगों को बुलाना चाहिये था उनको नहीं बुलाया गया है। कमेटी की बैठक हुई या नहीं हुई इसकी जांच माननीय मंत्री जी करा लें और इसका परीक्षण करा लें, जो मुझको नहीं सूचना मिली है उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। श्रीमन्, जो स्क्रीनिंग कमेटी बनायी गई थी उसमें दो व्यक्तिगत विशेषज्ञ बुलाये गये थे उन्होंने सारे विषयों की जाँच की। यह भी एक अनियमितता है। इसी तरीके से कीर्तिसिंह जो अधिष्ठाता कृषि हैं और शंकरलाल जो डाइरेक्टर हैं वे विशेषज्ञ हैं जब कि पूरे पदों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में अलग-अलग विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। लेकिन केवल ये दोनों विशेषज्ञ ही जांच में रखे गये।

दूसरी तरफ क्लर्कों की नियुक्ति का सवाल है। मैं मान्यवर, आपसे निवेदन कर दूँ कि आपके कार्यालय जो यूनिवर्सिटी का है उसके विज्ञापन संख्या 3362 दिनांक 25–2–82 के आधार पर जो विज्ञापित किया गया है उसके अनुसार जो आवश्यक अर्हता है वह कम से कम इन्टरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिये। हिन्दी और अंग्रेजी में क्रमशः 30 और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिये और उनको वरीयता दी जायेगी जो किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्था में लगभग 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त किये हो। इस पद के लिये आपके विश्वविद्यालय में 45 नियुक्तियां हुई हैं। उनमें से 17 आदमी ऐसे नियुक्त किये गये हैं जो विज्ञापित अर्हता के पात्र नहीं थे। केवल 17 आदमी बाहरी है जो अखबार में नहीं विज्ञापित किया गया, उन लोगों को अप्लीकेशन नहीं लेनी चाहिये और यदि ले ली गई तो उसको नियुक्ति नहीं करना चाहिये था क्योंकि यह कार्यालय विज्ञापन था। जो विश्वविद्यालय के परिसर में अभिरत थे वे लोग थे जिनकी जमीन ली गई थी। जो जनवरी 80 से पहले से एडहाक में काम कर रहे थे। आपने लिखा कि जिनको दो वर्षों का अनुभव हो और जब वे दो साल से काम कर ही रहे थे....(व्यवधान) मान्यवर, पूरी बात रख लेने दें।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति द्वारा जातीयता, भ्रष्टाचार 500 (iii)
तथा घोटाला सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं से विश्वविद्यालय के शैक्षिक
एवं प्रशासनिक कार्य ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

यह एक घन्टे की चर्चा है और आपने ही आधा घन्टा ले लिया तो यह कैसे सम्भव हो सकेगा। आप संक्षेप में अपनी बात कहें आखिर में भी आपको मौका मिलेगा।

श्री मित्रसेन—

ठीक है, मान्यवर।

श्री यशपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय नियम 52 के अन्तर्गत यह नोटिस मुझे प्राप्त हुआ तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि क्या वह कृषि विश्वविद्यालय जो कि आचार्य नरेन्द्र देव के नाम से मशहूर है, उस महान आत्मा के नाम से मशहूर है और वह कृषि विश्वविद्यालय जिससे इस प्रदेश की 80 फीसदी जनता का भाग्य जुड़ा हुआ है उसमें अगर यह अनियमिततायें हुई हैं, मान्यवर, मैं भावुकता में नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर हमारा इस पद पर बना रहना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। लेकिन जब मैंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और मैं उसे सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो नियम 52 के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाया है उसमें उन्होंने गुलाम हुसेन साहब की व्यक्तिगत जिन्दगी से सम्बद्ध बहुत से प्रश्न उठाये हैं। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस समय उसको प्रेस नहीं किया। यदि वे प्रेस करते तो मैं डिटेल में उनका जवाब देने का प्रयास करता। मान्यवर, उनकी नियुक्ति महामहिम राज्यपाल ने चांसलर होने की हैसियत से पहली बार मई 1981 को जो यूनिवर्सिटी के ऐक्ट्स और स्टेट्यूट्स में उसकी धारा 11 (1) के अन्तर्गत नियुक्ति की है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि अनियमितता हुई। उसके बाद अगस्त 1981 को उन्होंने वाइस चांसलर की हैसियत से अपना कार्यभार यूनिवर्सिटी में संभाला।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

मैंने उनके लिए यह नहीं कहा।

श्री यशपाल सिंह—

धारा 11 (1) के अन्तर्गत उनकी नियुक्ति हुई। इसके साथ-साथ इलजाम लगाया गया कि सुरा-सुन्दरी का प्रयोग करते....

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जो चीज माननीय मित्रसेन जी ने नहीं कही, अभी वह बोले हैं, उनके मुंह से यह शब्द नहीं निकले हैं तो क्या उनके बारे में माननीय मन्त्री जी जवाब दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वे अपने विवेक से हर प्रकार का जवाब दे सकते हैं।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मेरे पास इन-राइटिंग मौजूद है जो इस सदन की प्रापर्टी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सम्मानित सदस्य ने जिन नियुक्तियों की चर्चा की चाहे वह क्लर्क की हो या उच्च अधिकारी हो, अगर उनकी नियुक्ति अनियमित हुई हों, गलत और पक्षपातपूर्ण हुई हों तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कदम उठाया जायेगा। लेकिन केवल कह देने मात्र से, प्रागदर्शन में सबूत न देते हुए उनको एक्सैप्ट करना मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल

है। जिन नियुक्तियों का सम्मानित सदस्य ने जिक्र किया उनका बाकायदा चयन समिति के थ्रू सलैक्सन हुआ। इतनी बात जरूर है कि वाइस चांसलर होने के नाते वह उसके अध्यक्ष जरूर होते हैं। जिस विषय की वैकेंसी होती हैं उसके स्पेशलिस्ट उसमें होते हैं और इसमें सब यूनैनिमस राय से तय हुआ है, किसी का कोई डिस्सेंटिंग नोट मौजूद नहीं है। इसके अलावा किसी अभ्यर्थी ने उसे चैलेंज नहीं किया, ग्रीवांस्ड परसन जो होता है जो सलैक्सन के लिए आता है उसमें से किसी ने चैलेंज नहीं किया, केवल एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में रिट की लेकिन वह एडमिट नहीं हुई। इसी प्रकार बोर्ड आफ मैनेजमेंट जो है जिसमें इस सदन के सम्मानित सदस्य भी शरीक होते हैं, विधान परिषद् के सम्मानित सदस्य भी उसमें होते हैं। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं की। और सम्मानित सदस्य ने भी कोई डिटेल में ब्यौरा मेरे पास नहीं भेजा जिसको मैं इस दृष्टि से देख सकूँ। तो फिर मेरे पास कौन सी कसौटी है जो मैं सम्मानित सदस्य की बात मान लूँ। मान्यवर, मैने अपने विचार रखे कि अगर इस प्रकार किसी कृषि विश्वविद्यालय में जिनसे हमारी 80 फीसदी जनता का भाग्य जुड़ा हुआ है, जिन पर हमारी टक-टक आँखें लगी हुई हों कि हमें हाई ईल्डिंग वैरायटी देंगे, कृषि संयन्त्र देंगे, ज्ञान और विज्ञान की चीजें देंगे, जिन पर हमारी आशायें बँधी हों उनमें अगर इस प्रकार की अनियमितता हो तो इसको कोई बरदास्त नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूँ और सम्मानित सदस्य का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर महज प्रिजम्सन पर, परसनल आधार पर या दूसरे आधार पर कृषि विश्वविद्यालयों की एक्टीविटीज में इस प्रकार घुसकर हस्तक्षेप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वह विश्वविद्यालय पूरा काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप आज्ञा दें और सम्मानित सदस्य चाहें तो मैं उन तमाम नियुक्ति के बारे में जो गुलाम हुसैन साहब के सामने हुई, वे 1981 में नियुक्त हुए, तो मैं पूरा ब्यौरा उनको दे सकता हूँ कि कौन-कौन सी चयन समिति बैठी थी और उन्होंने उनके सलैक्सन किये थे, श्री गुलाम हुसैन ने सेलेक्शन नहीं किया है। मान्यवर, यदि आप अनुमति दें तो मैं पढ़ सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, 181 नियुक्तियाँ हुई हैं, तो उनको संक्षेप में मैं कैसे कहूँगा।

मान्यवर, डाइरेक्टर ऑफ इक्सटेंशन का एक पद था, 1500–2500 रुपये वेतन क्रम में, चयन समिति बैठी जिसमें गुलाम हुसैन साहेब हेड थे, डा० एच० पी० सिंह, डा० महाराज सिंह, डा० दौलत सिंह सदस्य थे और डा० राम प्रताप सिंह को चुना।

इसी तरह प्रो० आफ एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग के एक पद के लिये उपरोक्त वेतन-क्रम में, चयन समिति बैठी जिसमें श्री गुलाम हुसैन हेड थे, डा० एच० पी० सिंह, डा० यू० सी० उपाध्याय और डा० आर० श्रीवास्तव सदस्य थे और समिति ने डा० यतीन्द्रा सिंह को चुना।

इसी तरह प्रो० आफ इन्टोमोलोजी के एक पद के लिये उपरोक्त वेतन-क्रम में, चयन समिति बैठी जिसमें श्री गुलाम हुसैन हेड, डा० एच० पी० सिंह, प्रो० लल्लन राय सदस्य थे और समिति ने डा० एस० एम० ए० रिजवी का चयन किया।

श्री अध्यक्ष--

सब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति द्वारा जातीयता, भ्रष्टाचार, घोटाला सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं से विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा 500 (v)

*श्री काशी नाथ मिश्र--

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने एक घण्टे की चर्चा इसमें स्वीकार कर लिया है। यह यूनिवर्सिटीज का मामला है, वहाँ कैसे शासन हो रहा है और कैसे नियुक्तियाँ हो रही हैं, यह पूरा मैनेजमेंट से सम्बन्धित बातें हैं, इसलिये यह विषय सदन में बहस का नहीं है। मैं समझता हूँ कि नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में यह यहाँ चर्चा नहीं कर सकते हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रशासन से सम्बन्धित मुद्दा बहस का मुद्दा बना है जो नियमों के प्रतिकूल है। विश्वविद्यालय में हड़ताल, मारपीट नहीं हुई है और न वहां के लॉ एन्ड आर्डर का सवाल है, इसलिये यह विषय यहाँ सदन में चर्चा का विषय नहीं है, इस पर आप व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह आटोनामस बाडी है, इसलिये यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिये। लेकिन यदि वहां कोई अनियमितता हुई है तो उस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, यदि इसको पढ़ा हुआ मान लें तो मैं इसको समाप्त कर दूं।

श्री अध्यक्ष--

इसकी प्रतिलिपि भेज दें और इसको पढ़ा हुआ माना जायेगा।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, जो इल्जाम लगाया गया कि श्री गुलाम हुसैन, वाइस चांसलर ने जो नियुक्तियाँ किया उसमें मुस्लिम को फिरकापरस्ती के आधार पर उनका बाहुल्य उस युनिवर्सिटीज में कर दिया और 50 तक संख्या पहुँच गयी और 100 का लक्ष्य है। मान्यवर, 181 में कुल स्ट्रेन्थ मुस्लिम्स की 25 है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आप लोग बैठिये।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा अव्वल तो...

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

आप साथ ही हरिजन और जनजाति के लोगों की संख्या भी जरा बता दें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, यह इनके ऊपर छोड़ दिया है।

(व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह--

हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई इस प्रकार का नियम नहीं बनाया है कि सर्विसेज में सवर्ण इतने लिए जाएँ, हिन्दू इतने लिए जाएँ, मुसलमान इतने लिए जायं। केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर कोई कायदा है तो वह शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में है। इसमें तमाम मुसलमान आ जाएँ, तो कहां कानूनन आपत्ति है, तमाम हिन्दू आ जाएँ तो कौन सी आफत है। मैं पिछले कुलपति के समय के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ, डा० ए० एस० यादव के काल में 23 शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रखे गये थे, बैकवर्ड के, जिससे मैं भी सम्बन्धित हूँ, 138 उन्होंने रखे हैं। उन्होंने 29 ब्राह्मण रखे, 33 ठाकुर, 14 क्षत्रीय और 10 मुसलमान उन्होंने रखे हैं। मान्यवर, अगर इस तरह से यहाँ पर विचार होने लगा, तो मैं समझता हूँ यह हमारे इन कृषि विश्वविद्यालयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। अब अपनी बात को समाप्त करते हुए जो माननीय सदस्य ने चर्चा उठाया, उसका मैंने उत्तर देने की चेष्टा की।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अभी मंत्री जी ने बताया पिछले कुलपति ने इतनी नियुक्तियाँ कर रखी और मौजूदा ने इतनी नियुक्तियाँ की है। इसमें इसका सवाल नहीं है कि मुसलमान, यादव, ब्राह्मण या कुर्मी कितने-कितने रखे गये। इसमें सवाल केवल इतना है कि इन दोनों कुलपतियों ने नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया है या नहीं। लेकिन मन्त्री जी इसे दूसरी दिशा की तरह ले रहे हैं, (व्यवधान) 50 हजार रुपया मन्त्री जी ने लिया है इसमें जाँच नहीं करना चाहा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं।

श्री नियाज हसन खाँ—

मान्यवर, मैं किसी व्यौरे में नहीं जाना चाहता हूँ।

(श्री श्याम लाल बाजपेयी और श्री गोपीनाथ वर्मा के आपस में बोलते रहने के कारण व्यवधान हुआ, जिससे सुना नहीं जा सका।)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

जहाँ इस आदरणीय सदन की एक गरिमा है, वहाँ इस विश्वविद्यालय की भी एक गरिमा और महिमा है, विश्वविद्यालय के बारे में भी टिप्पणी बरदाश्त नहीं की जानी चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप हाउस को ठीक से चलने दीजिए। जब आपको बोलने का मौका मिले तो आप बोलियेगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मेरा स्पष्ट आरोप है इन मंत्री पर कि मंत्री जी ने 50 हजार रुपया लिया, इसलिए वह इस मामले को दबाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

(समय 7.15)

श्री नियाज हसन खाँ—

अध्यक्ष महोदय, माननीय काशीनाथ मिश्र ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूँ। मैं किसी व्यौरे में नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय सदस्य मित्रसेन जी ने कोई पत्र 4-5-82 को कुलपति के सिलसिले में लिखा है, जो कि यह है :—श्रीमान् जी, मेरा पूर्ण विश्वास है कि गुलाम हुसैन, कुलपति, एन० डी० यू० ए० टी०, फैजाबाद सम्प्रदायवादी नहीं हैं। उनके विरुद्ध सम्प्रदायवादी का कोई आरोप विश्वविद्यालय में नियुक्ति संबंधी कोई अनियमितता हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी चयन समिति की है। अनियमितता की जाँच यदि कोई है, तो कराना निष्पक्षता का ही प्रमाण होगा। अगर इस प्रकार के कोई आरोप हैं, तो इसका निस्तारण होना आवश्यक है। हस्ताक्षर-मित्रसेन यादव, 4-5-82।

(व्यवधान)

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति द्वारा जातीयता, भ्रष्टाचार 500 (vii)
तथा घोटाला सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं से विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं
प्रशासनिक कार्य ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

सिर्फ अध्यक्ष महोदय, यही मैं पढ़ना चाहता था। यह लेटर वाइस चांसलर को लिखा गया।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सवाल यह है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया चतुर्वेदी जी, आप बैठें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय नियाज हसन साहब इस आदरणीय सदन के वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं। मान्यवर, इसका, सदन का संचालन नियमों के अधीन होना चाहिए। मान्यवर, जब माननीय नियाज हसन साहब पढ़ रहे थे, तो माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि उसकी प्रतिलिपि होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

उसकी प्रतिलिपि मेरे पास आ गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रतिलिपि उसकी आपके पास पहुँच गयी। नियमों में भी मान्यवर, यह है कि जिस पत्र को कोट किया जाय, उसकी प्रतिलिपि आपके पास पहुँचनी चाहिए।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह पत्र जो माननीय नियाज हसन साहब कोट कर रहे हैं, वह पत्र किसको सम्बोधित किया गया। मान्यवर, पत्र जो लिखा है माननीय मित्रसेन जी ने यह किसको सम्बोधित किया है, मान्यवर, जब तक यह बात नहीं आती है, तब तक उस पर संदेह किया जा सकता है। मान्यवर, जो पत्र आपके पास अध्यक्ष पीठ पर पहुँचा है, वह पत्र माननीय मित्रसेन ने किसको सम्बोधित किया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह पत्र 4-5-82 को लिखा गया है, इसमें श्रीमान लिखा गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जब तक यह नहीं मालूम है कि पत्र किसको सम्बोधित है, तब तक उस पर संदेह किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसमें श्रीमान्, लिखा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं रूल की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, अगर आपको यह नहीं पता है कि वह पत्र किसको सम्बोधित है, मान्यवर, आप कारण को देख लें, मैं माननीय नियाज हसन साहब से 100 प्रतिशत सहमत हूँ, मान्यवर, पहले आप उसकी विश्वसनीयता की जाँच कर लें कि वह पत्र किसको सम्बोधित है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, आपकी बात को मैंने सुन लिया। यह पत्र जो मेरे पास आया हुआ है, उसमें श्रीमान् जी लिखा हुआ है और मित्रसेन जी ने लिखा है। माननीय मित्रसेन को यह अधिकार होगा बोलते वक्त, वह बता सकेंगे कि उन्होंने पत्र लिखा है कि नहीं, उसमें उनके हस्ताक्षर हैं या नहीं हैं। उनको बोलते वक्त कहने का अधिकार होगा।

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कोई भी माननीय सदस्य इस सदन का जो बावजूद कोशिश के यूनीवर्सिटी में पढ़ने की गरज से जिसने पैर न रखा हो वह क्या इस वाद-विवाद में भाग ले सकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक बात मैं नियाज हसन साहब से जानना चाहता हूँ, क्या अगर वह पत्र मित्रसेन ने वाइस चांसलर को लिखा है तो क्या स्टापेल आपरेशन करके इस सदन की चर्चा को रोक सकेंगे? इस पर व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि जिस विषय पर चर्चा यहाँ हो रही है, यह यूनीवर्सिटी जिस महान व्यक्ति के नाम पर मंसूब है आचार्य नरेन्द्र देव जी के, जिनका तमाम जीवन कुछ उसूलों पर था और उन उसूलों के मातहत उन्होंने कुछ मिसालें कायम कीं। आज मैं देख रहा हूँ कि इस यूनीवर्सिटी के अंदर जो मैनेजिंग कमेटी है या कोर्ट है, श्रीमन् यह विषय एजेंडे पर आ गया है तो चर्चा हो रही है यहाँ पर जो अनियमिततायें की गयीं हैं उनके संबंध में, वरना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, काशीनाथ मिश्र जी ने जो प्वाइंट उठाया है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपकी आज्ञा से यह विषय आ गया तो जो अनियमिततायें की गयी हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करने का हमारा अधिकार हो गया। जो मैनेजिंग कमेटी है या यूनीवर्सिटी का जो कोर्ट है अपने तरीके से पूरा उसको अधिकार होता है। जब मैं देख रहा हूँ कि इस मैनेजिंग कमेटी के मेंबर कौन हैं तो मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि आचार्य नरेन्द्र देव के नाम के ऊपर जो यूनीवर्सिटी बनी है, जिस महान व्यक्ति के नाम पर यूनीवर्सिटी बनी है तो वहाँ पर जो मैनेजिंग कमेटी बनी हैं उससे देखकर ऐसा मालूम होता है कि वहाँ एक दल विशेष का प्रभुत्व हो गया है, जितने भी नान-आफीशियल मेम्बर्स हैं वह सब के सब एक विशेष दल के लोग हैं। जो आफीशियल मेम्बर्स हैं वह तो आफिशियल हैं ही।

बीच में इत्तफाक से विजिटर की हैसियत से गवर्नर साहब ने एक वाइस चांसलर को एप्वाइंट कर दिया और उसका नाम इत्तफाक से गुलाम हुसैन निकल आया। तो उस गुलाम हुसैन की हालत यह हो गयी जैसे 2 स्लाइस के बीच में मक्खन जैसी उनकी हालत हो गयी। वह बीच में दब गये। अगर कोई गुलाम हुसैन को सपोर्ट करे तो फिरकापरस्ती की बात हो गयी, गुलाम हुसैन का विरोध करे कोई तो वह भी फिरकापरस्ती की बात हो गयी। श्रीमन्, यह सारा का सारा काम यह अनियमिततायें गुलाम हुसैन से नहीं बल्कि चयन कमेटी से हुयी हैं। चयन कमेटी ने जितने भी निर्णय लिये हैं चाहे वह इत्तफाक से 4 मुस्लिम लेक्चरर्स प्रोफेसर्स के एप्वाइंट करने के सम्बन्ध में हो या जैसा कि कृषि मन्त्री जी ने बताया जिसमें गैर मुस्लिम प्रोफेसर्स का चयन हुआ है, तो अगर वह कमेटी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, नियम के अनुसार काम नहीं कर रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने दिनों से जो चयन समिति काम कर रही है तो उसकी जांच अब तक क्यों नहीं करायी गयी है? श्रीमन् एक तारीख को बैठकर यह सारा काम कमेटी ने कर नहीं लिया। भिन्न-भिन्न डेट्स पर बैठकर भिन्न-भिन्न प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स का चुनाव किया गया है। अगर कमेटी की नीयत खराब थी तो पहले ही सामने आ जाना चाहिये था कि उन्होंने पक्षपात करके चुनाव किया है।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय अध्यक्ष जी, चयन समिति एक प्रोफेसर या दो प्रोफेसर के सेलेक्शन के लिए अलग-अलग बनती है, यह माननीय मन्त्री जी ने आपको बता भी दिया।

श्री रियासत हुसैन—

मैं भी यही कह रहा हूँ। यह बात जो आपने कही है, तो चयन समिति....

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

रियासत जी, हर विषय के लिए अलग-अलग सेलेक्सन कमेटी बनती है।

श्री रियासत हुसैन—

जो सेलेक्शन कमेटी एक प्रोसीजर, यूनिवर्सिटी के रूल्स स्टेट्यूटस के मुताबिक बनी है, अगर उस समिति को बनाये जाने का तरीका पक्षपातपूर्ण हो गया, तो इस चीज की निगरानी यूनिवर्सिटी की मैनेजिंग कमेटी या कोर्ट को करना चाहिए, यदि सेलेक्शन कमेटी में चयन पक्षपात पूर्ण हुआ और अनियमितताएँ बरती गयीं, तो यह बात उस समय मैनेजिंग कमेटी के सामने आनी चाहिए थी, लेकिन यह उस समय नहीं आयी और दुर्भाग्य की बात है कि इत्तफाक से उसमें किसी मुसलमान प्रोफेसर का चयन हो गया, तो जब यह सवाल सदन में आया, तो

यह कहा गया कि गुलाम हुसैन ने ऐसा कर दिया, मैं उनको नहीं जानता हूँ, उनका नाम डायरियों और डायरेक्टिरियों में जरूर देखा है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि चयन समिति मैनेजिंग कमेटी की जानकारी में बनती है उस चयन समिति में कोई अनियमितता हो गयी तो क्या यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कमेटी, उसका कोर्ट यह कह सकता है कि मुझे यह मालूम नहीं था, जो पहले सेलेक्शन कमेटी बनी और उसमें सेलेक्शन नियमानुसार नहीं हुआ तो इसको एक्जीक्यूटिव काउन्सिल को तुरन्त देखना चाहिए था और दूसरी सेलेक्शन कमेटी में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। मुझे इस बात का अफसोस है कि इस मसले पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए थी और जैसा काशी नाथ मिश्र जी ने कहा मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन चूँकि एजेन्डे में आ गया है इसलिए हमको इस पर चर्चा करने का अधिकार हो जाता है और इस सदन को सारी अनियमितताओं पर चर्चा करने का अधिकार बन जाता है। अन्त में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि वहाँ के कार्यकलापों के बारे में यहां पर चर्चा करने से माननीय सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं, घटती है।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस चर्चा में हिस्सा लेने से पहले सबसे बुनियादी बात यह कहना चाहता हूँ, जिसका जिक्र माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने किया, वह यह है कि जो सेलेक्शन्स हुए....

श्री राम गोविन्द—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर जांच बिठाकर कुलपति को हटाने की कार्यवाही कर सकती है तो कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के भ्रष्टाचार, अनियमितताओं पर चर्चा सदन में हो सकती है, सरकार इस पर कार्यवाही कर सकती है....

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर निर्णय दे चुका हूँ, आपने सुना नहीं, सदन में अनियमितताओं को स्वीकार किया गया है, उस पर चर्चा हो रही है।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

बुनियादी तौर पर ऐसा मालूम होता है माननीय मित्रसेन जी....

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस सम्बन्ध में एक बात कहनी है....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, माननीय जाहिदी जो बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

श्री काशी नाथ मिश्र का उत्तर दे दिया गया है आप बैठें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गौरी भैय्या आप और ओझा दोनों खड़े हैं। मैंने जाहिदी साहब को बुलाया है उनको बोलने दें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

एक बात मैं कहना चाहता हूँ अभी काशीनाथ मिश्र जी ने कही, इलाहाबाद में वाइस-

चान्सलर ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को हटा दिया तो आपने इंक्वायरी सेटअप कर दिया और उसने इस्तीफा दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। यह वित्तीय मामला है और इस आदरणीय सदन को इस पर चर्चा का हक है। काशीनाथ मिश्र का तर्क यहां काम नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उत्तर दे दिया है। आपने सुना नहीं। आप बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। यह सूचना भ्रष्टाचार के बारे में है, जो इस सरकार के लिये कलंक और शर्म की बात है। जाति विशेष के बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निर्णय दे दिया है आप बैठें।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

अगर अनियमितता की बात होती तो इस मामले में हाउस में चर्चा की बात हो सकती थी लेकिन नियुक्ति की बात के आधार पर चर्चा का विषय बनाना, यह बात नामुनासिब है और सदन के परव्यू में नहीं आता है लेकिन चूँकि आ गया और मन्त्री जी ने विस्तार से बताया। मान्यवर, इस पूरे मामले के पीछे जो जेहनियत काम कर रही है उसी की तरफ गौर करने की बात है। मैं यादव या पाण्डे जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे समझ में दोनों ठीक थे। उन्होंने जो कार्य किया वह ठीक है। एकैडमिक कौंसिल एक्सपर्ट भेजती है और गवर्नर सेलेक्शन कमेटी बनाता है फर्स्ट और सेकेण्ड ग्रेड के लिये, थर्ड और फोर्थ के लिये वाइस चान्सलर स्वयं कमेटी बनाता है। मान्यवर, अभी जो कन्वोकेशन हुआ विश्वविद्यालय में उसमें मित्रसेन जी दो सौ आदमियों को सर्विस में रेगुलर कराने के लिये प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि यह वहाँ से भाग खड़े हुये। मान्यवर, हम उस दल के लोग है जो नियुक्तियों में कम्यूनल लाइन से नहीं सोचते हैं। जैसा मन्त्री जी ने बताया 563 लोगों की नियुक्ति हुई और उसमें 49 मुसलमान हैं जो 6 7 प्रतिशत है। मान्यवर, इनके नजरिये के सम्बन्ध में एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ—

"एक चेहरा इसी चेहरे पे लगाये रखिये,
लोग पहचान न ले खुदा को छुपाये रखिये।"

(व्यवधान)

(श्री मित्रसेन को पुकारे जाने पर कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रश्न को समाप्त किया जाये।

(व्यवधान)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

क्या कोई माननीय सदस्य इस आदरणीय सदन के किसी माननीय सदस्य की नीयत पर शक कर सकता है ? यदि नहीं, तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप बैठें। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं नहीं सुनूँगा। आप लोग कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते। देखिये 10 मिनट रह गये हैं, मित्रसेन जी को बोलने दीजिये, उन्होंने इसे रखा है। टाइम समाप्त होने वाला है। ख्वाजा साहब, बैठिये आप। ये बाद में उत्तर देंगे। यादव जी को बुलाया है....

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय गुफरान जाहिदी या और जो माननीय सदस्यों ने कहा है, उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने विश्वविद्यालय के प्रशासन में जो अनियमिततायें हुई हैं, नियुक्तियों में और जो वित्तीय अनियमिततायें हुई हैं, वही मैंने कहीं और यही मैंने पिटीशन में भी लिखी है। कन्वोकेशन जो हुआ है अभी उसमें 4 लाख रुपया खर्च हुआ है, किन-किन मदों में खर्च हुआ, मैंने सारी चीजें प्रमाण सहित लिख कर दी हैं, मैंने यह भी कहा था कि इसकी जाँच करा लीजिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब वह बोल रहे हैं, तो आप क्यों खड़े हैं, बैठिये आप। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री मित्रसेन—

क्लर्कों के सम्बन्ध में जो नियुक्तियां हुई हैं, 45 आदमियों की नियुक्ति की गयी, जिस विज्ञापन के आधार पर ये की गयीं, सेवायोजन कार्यालय से 19 आदमी मांगे गये थे, उसमें से किसी की नियुक्ति नहीं की गयी, 17 आदमी जो, बाहर के लोग थे, भर्ती कर लिये गये, 12 लोगों ने अंग्रेजी से हाई स्कूल पास ही नहीं किया था, उनकी भी नियुक्ति कर ली गयी। जब कि विज्ञापन में हाईस्कूल, इण्टर और अंग्रेजी तथा हिन्दी टंकण का ज्ञान होना चाहिये था। इन्होंने हाई स्कूल में अंग्रेजी ली ही नहीं थी।

मान्यवर, 12 लोगों को एडहाक नियुक्त कर लिया गया। 8 आदमी पहले से एडहाक पर काम कर रहे थे उनको निकाल दिया गया। एक आदमी ने स्वयं लिखकर दिया है कि वह टंकण नहीं जानता फिर भी उसकी नियुक्ति कर ली गयी। हस्ताक्षर युक्त लिखित प्रमाण है। यह भी कृषि मन्त्री जी को दे दूँगा जिसके आधार पर कहा था। लेबर पर काम करने वालों के 80 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 76 से काम करने वाले 70 लेबर निकाल दिये गये। विश्वविद्यालय में जिसकी जमीन चली गयी—हृदयराम तिवारी, तीन साल से काम कर रहा था, जमीन भी चली गयी, उसको निकाल दिया गया।

उसके समर्थन में 29 लेबरों ने धरना दिया जो 76 से काम कर रहे थे, उन्हें निकाला गया। मैंने स्वयं कृषि मन्त्री जी से निवेदन किया था कि चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियां हो रही हैं, उसका मानक क्या है। जो सबसे ज्यादा अनुभवी हो या जिसकी 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत जमीन चली गयी हो किसको करेंगे ?

जवाब नहीं आया। अधिकारी जिसको चाहेंगे उसकी नियुक्ति कर लेंगे। जिसकी जमीनें

गयी उनकी किसी की नियुक्ति हुई हो तो बता दें ? जानकार आदमियों की नियुक्ति हुई हो तो बता दें ? चार हजार एकड़ जमीन चली गयी जिस गांव को उजाड़ दिया गया, उस गांव के किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई हो तो बता दें ? वित्तीय अनियमिततायें ।हुई हैं उनको भी बता देना चाहता हूँ ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, आप देखें....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री मित्रसेन—

श्रीमन्, जो आंकड़े हैं उनको आप देखें । कुलपति के पास चार कारें हैं । यू० आर० बी० 271, यू० पी० एक्स० 4262, यू० पी० एक्स० 9712, यू० आर० बी० 187 । यह चार कारें हैं जो इनको घुमाने, टहलाने के काम आती हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मित्रसेन--

कुलपति के नाम से दो बंगले हैं जिनकी साज-सज्जा में लाखों रुपये खर्च किया जाता है । उनके गदायें के फार्म में कृषि विश्वविद्यालय से सारे साधन उपलब्ध रहते हैं । खेती के नाम पर, सुधार के नाम पर, बागवानी के नाम पर लाखों रुपये खर्च किया जाता है । वेतन पर वित्तीय नियंत्रक ने आपत्ति लगाई है इसके बावजूद भी वह वेतन ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री मित्रसेन--

यह अपने दौरे पर बाम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, पटना हवाई जहाज से जाते हैं । खर्च विश्वविद्यालय से लेते हैं, जाते हैं व्यक्तिगत इलाज के लिये । किसान मेला लगाया जाता है जिसमें लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं । 2 लाख के जानवर खरीदे गये जिनसे 2·09 लीटर दूध प्रति जानवर मिल रहा है । यह वित्तीय अनियमिततायें हैं । इनके सारे प्रमाण-पत्र कृषि मन्त्री जी को दे दूँगा । इतना स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि क्या मेरे प्रमाण देने के बाद भी मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, नियाज हसन जी ने एक पत्र पढ़ा जिसकी कापी आपको दे दी गयी है । पत्र पढ़ा गया तो सदन की प्रापर्टी हो गया, सदन के रिकार्ड में आ गया । कुछ सदस्यों ने शंका जाहिर की कि वह पत्र सही है या नहीं । जिसने पत्र लिखा था वह सदन में मौजूद है । शंका निवारण के लिये माननीय सदस्य यह बता दें कि वह पत्र सही है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

यह जरूरी नहीं है । जिक्र किया गया । उनको बोलने का अधिकार मिला । उन्हें स्वयं स्पष्ट कर देना चाहिये था । नहीं किया ।

यादव जी आपका समय समाप्त हुआ । बैठिये ।

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, जो नियुक्तियां चयन समिति द्वारा हुई हैं उनको हम सही मानते हैं ! लेकिन डॉ० यादव जाने से पहले जो 80 एप्वाइन्टमेंट बगैर किसी सलेक्शन कमेटी के कर गये हैं क्या उन्हें आप समाप्त करने की कोशिश करेंगे तथा उसकी जांच करायेंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, जहां तक इस चर्चा का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में मुझे पहले से ही शंका थी कि इसका परिणाम सम्भवतः कुछ मुनासिब नहीं निकलने वाला है और वही विचार माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर रखे गये । उन सबको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस चर्चा से यहां पर विश्वविद्यालय का ही नहीं बल्कि और दूसरा वातावरण भी काफी गलत हुआ है । मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने एक प्रश्न किया कि डाक्टर यादव ने 80 नियुक्तियां गलत ढंग से की है और माननीय श्री मित्रसेन जी ने शंकाएँ और शिकायतें, इस प्रकार की अनियमित ढंग से हुई नियुक्तियों के बारे में कही और की हैं ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभ्यर्थियों की इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है शिकायत है तो हमारे मेमबरान लोगों को । यही मुझे अफसोस है कि उन अभ्यर्थियों को जिन्हें चयन समिति का मुकाबला करना था उन्होंने तो शिकायत नहीं की, शिकायत की तो हमारे मेमबरान लोगों ने । न ही उन अभ्यर्थियों की कोई शिकायत शासन के पास आयी और न प्रबन्ध समिति के सामने आयी । मान्यवर, इस सम्बन्ध में जांच कराने की आवश्यकता ही नहीं है । आखिरी जाते-जाते माननीय श्री मित्रसेन जी ने कुछ वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कहा और ये भी कहा कि वहां एक मेला हुआ । इस संदर्भ में मैं मान्यवर, आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि 1980-81 में जो किसान मेला वहां पर हुआ था....

(व्यवधान)

मान्यवर, लगता है कि सभी माननीय सदस्य मुझसे सहमत हैं और लगता है कि वे उत्तर से संतुष्ट हैं । अगर किसी विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित कोई भी शिकायत आयेगी तो उसके सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाकर तत्काल जांच करायी जायेगी ।

गोरखपुर के विधायक द्वारा चीनी मिल घुघली के रिसीवर के विरुद्ध अनशन करने की सूचना विषयक दिनांक 25 फरवरी, 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (नत्थी 'क') के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

(श्री गौरी शंकर भैय्या के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

क्या इनमें इनका नाम भी है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

हां ।

गोरखपुर के विधायक द्वारा चीनी मिल घुघली के रिसीवर के विरुद्ध अनशन 500 (xv)
करने की सूचना विषयक दिनांक 25 फरवरी, 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न
संख्या 1 (नत्थी 'क') के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अंतिम आइटम है मुझे उम्मीद है कि सभी माननीय सदस्य आधा घण्टा और बैठेंगे। मान्यवर, यह चीनी मिल घुघली के रिसीवर के विरुद्ध अनशन करने के बारे में माननीय श्री ओझा जी ने जो सवाल किया था उसके प्रतिउत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, लगता है, उससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद हमने आप से निवेदन किया था कि इस पर नियम 49 के अंतर्गत चर्चा करवा दी जाय। आपने कृपापूर्वक इस पर चर्चा करवा दी। मान्यवर, मैं इसे शुरू करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सूचनायें देना चाहता हूँ। मा० अध्यक्ष महोदय, पंजाब शुगर मिल घुघली जिला गोरखपुर, रिसीवरशिप में चलती है। उसमें श्री ब्रज भूषण चतुर्वेदी रिसीवर हैं। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, जातिवाद, स्वेच्छाचारिता, मजदूरों का उत्पीड़न तथा शासकीय धन के दुरुपयोग के आरोप मान्यता प्राप्त यूनियन ने लगाये। 50 आरोप समय-समय पर गन्ना मन्त्री को भेजे गये हैं यह उनकी सूची है। इस सूची को आपके माध्यम से मा० मन्त्री जी को देना चाहता हूँ, देख लें उनके ऊपर क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ? जब सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो श्रमिक संघ ने 25–2–81 को मांग-पत्र दिया उसमें मांग की है कि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम उस पर घेराव करेंगे, अनशन करेंगे और धरना देंगे। जब यह स्थिति पैदा हो गयी तो 5–9–81 को समझौता हुआ, वह श्रम उपायुक्त के माध्यम से हुआ। लेकिन एक भी माँग को पूरा करने का काम उस रिसीवर ने नहीं किया। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, जब लिखा तो जिलाधिकारी ने रिसीवर को निदेश दिया कि मा० विधायक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को देखा जाय। आप देख लें कौन-कौन बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया है। जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो 22–9–82 को मा० ओझा जी ने मिल को नोटिस दी कि अगर उनके द्वारा लगाये गये बिन्दुओं पर कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की जाती है तो मजबूरन अनशन करने का काम करेंगे। हाउस में काम करना चाहिये था लेकिन जब सारी बात उठाकर थक गये तो 2 अक्टूबर को मा० ओझा जी अनशन पर बैठे, 5 दिन अनशन चलता रहा, तब क्लेक्टर, रिसीवर और जनप्रतिनिधियों ने एक समझौते के लिये कमेटी बना दी।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

कोरम के लिये घण्टी बजायी जाय।

(कोरम के लिये घण्टी बजायी गयी)

श्री अध्यक्ष—

अब कोरम पूरा होना सम्भव नहीं है।

जहां तक मा० सदस्य ने कोरम की बात उठायी है, उनको ध्यान देना चाहिये था।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, क्या ध्यान देना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष--

यही कि यह कोरम का समय नहीं है ।

(लगातार 5 मिनट तक घंटी बजते रहने पर भी कोरम पूरा न होने पर ।)

श्री अध्यक्ष- --

5 मिनट हो गये हैं और कोरम पूरा नहीं हो सका है, इसलिये अब हम उठते हैं । कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 59 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
दिनांक 22 मार्च, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—27 का उत्तर पीछे पृष्ठ—373 पर)

अनशनकारियों की मांगों का विवरण

1—प्रभावित परिवार में से एक सदस्य को परियोजना में स्थाई नौकरी दी जाय। मौजूदा समय में राहत के रूप में मस्टर रोल की तहत नियुक्त किया जाय।

2—प्रभावित सदस्य जो परियोजना में मस्टर रोल के अन्तर्गत कार्यरत हैं और 240 दिन पूरा कर चुके हैं उन सभी सदस्यों को अविलम्ब स्थाई किया जाय। तथा सरकारी स्तर से नियुक्त मजदूरी भुगतान की जाय।

3—परियोजना स्तर पर चलाई जा रही कैन्टीन एवं अन्य दूकानों को चलाने हेतु प्रभावित किसानों को प्राथमिकता दी जाय।

4—प्रभावित किसान जो मकान छोड़कर अन्यत्र बसना चाहते हैं उनके मकान का प्रतिकर भुगतान किया जाय और प्रभावित कृषकों को रोजी-रोटी चलाने हेतु परियोजना निर्माण में वर्क आर्डर पर योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाय।

5—परियोजना कार्यरत प्राइवेट कम्पनियों में प्रभावित परिवार को जो कार्य करना चाहते हैं, सदस्यों को योग्यता एवं क्षमतानुसार कार्य पर लगाया जाय तथा उक्त प्रतिबन्ध लिखित रूप से किया जाना चाहिये।

6—प्रभावित परिवार में डिप्लोमा होल्डर सदस्यों को जिनकी भूमि 100 प्रतिशत व 50 प्रतिशत से कम अर्जित की गयी हो उन्हें अविलम्ब प्राथमिकता के अन्तर्गत कार्य पर लगाया जाय तथा जो सदस्य परियोजना कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्रशिक्षण जैसे आई० टी० आई०, पालीटेकनिक एवं अन्य प्रशिक्षण हेतु सीटें आरक्षित की जाय।

7—परियोजना में चलाये जा रहे स्कूलों में प्रभावित सदस्यों को प्राथमिकता पर अध्ययन कार्य हेतु नियुक्त किया जाय तथा बच्चों को शिक्षा ग्रहण हेतु प्रवेश किया जाय।

8—प्रभावित किसान के मकान, कुँआ, एवं भूमि का बकाया प्रतिकर अविलम्ब भुगतान किया जाय तथा प्रभावित ग्राम जिनके आम रास्ता परियोजना निर्माण-कार्य के कारण अवरुद्ध हो चुके हैं उन ग्रामों को मेन रोड पर आने हेतु मार्ग दिया जाय जैसे सलाहपुर रजौर, वाजिदपुर, हाशिमपुर, गोकुला, फतहाबाद आदि।

9—परियोजना निर्माण पश्चात् जनपद फैजाबाद के समस्त किसानों, उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई हेतु कुछ प्रतिशत विद्युत आरक्षित किया जाय।

10-परियोजना में 100 किलोमोटर दूरी के व्यक्तियों को सुरक्षा गार्ड पर नियुक्ति की शर्त समाप्त कर दिया जाय तथा योग्यतानुसार सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति की जाय।

11-प्रभावित किसान के सदस्यों को अपने समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखने एवं आवेदन पत्र देने हेतु परियोजना में प्रवेश हेतु समस्त प्रभावित सदस्यों को गेट पास दिया जाय तथा सम्पूर्ण रिकार्ड सुरक्षित रखा जाय।

12-प्रभावित सदस्यों को अन्यत्र भूमि क्रय हेतु शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की तिथि बढ़ाई जाये। जैसे भूमि रजिस्ट्री आदि।

13-प्रभावित परिवार के सदस्यों को निदान व नौकरी दिलाये जाने हेतु शासन द्वारा गठित कमेटी की बैठक प्रतिमाह की जाये जिसमें प्रभावित किसानों के सामने आने वाली बाधाओं का निराकरण किया जा सके।

14-परियोजना डाक्टर भीम राव अम्बेडकर के नामकरण हेतु शासन द्वारा अविलम्ब घोषणा की जाय।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–125 व 126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 406 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 7वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या–125–126 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सेतु निगम कर्मचारी यूनियन की मुख्य-मुख्य मांगें और उन पर कृत कार्यवाही की सूची :—

मांगे	कार्यवाही
1––सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की जाय ।	सर्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है ।
2––सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान ।	सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित अन्तरिम सहायता तथा उसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को एक अतिरिक्त अन्तरिम सहायता स्वीकृत की जा चुकी है एवं भुगतान भी किया जा चुका है ।
3––सेवा नियम यूनियन की राय से बनाकर अविलम्ब लागू किये जायें ।	सेवा नियमावली शासन के विचाराधीन है ।
4 –प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी तकनीकी/गैरतकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संविलिनीकरण (मर्जर) के मामलों में समानता के आधार पर बिना किसी भेद-भाव के शासनादेशों के अनुरूप उन्हें संविलीन किया जाये अथवा वापस किये जायें ।	सेतु निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के निगम में संविलियन की कार्यवाही की जा रही है ।
5––दैनिक वेतन/कार्यप्रभारित/एडहाक/स्टापगैप/संहत वेतन पर कार्य करने वाले उन कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 1–1–82 को तीन साल पूरे कर लिये हैं, को नियमित किया जाये ।	सेतु निगम के मुख्यालय पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले मेसेन्जर ब्वायज तथा निगम में वर्क चार्ज के ग्रुप 'ए' के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा चुका है । स्टापगैप एवं एडहाक रूप से नियुक्त कर्मचारियों को समय-समय पर नियमित किया जाता रहा है

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-133 का उत्तर पीछे पृष्ठ 410 पर)

सूची (क)

जनपद रामपुर में रामपुर किच्छा मार्ग पर चौड़ी की जाने वाली 20 पुलियों में से 10 पुलियों का विवरण जिन पर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

क्रम सं०	किलोमीटर सं० नं०	पुलिया नं०	वर्तमान दर मी०	क्या चौड़ा करने का कार्य स्वीकृत है	यदि कालम 5 हां हो में है तो प्रगति
1	2	3	4	5	6
1	6	6/1	1 × 4–6	हां	पूर्ण 4/82
2	10	10/2	2 × 2–2	हां	,, 5/82
3	15	15/2	1 × 3–0	हां	,, 3/82
4	26	26/1	1 × 0–90	हां	,, 1/83
5	26	26/2	1 × 4-5	हां	,, 1/82
6	27	27/1	1 × 0–9	हां	,, 10/82
7	29	29/1	1 × 3–0	हां	,, 3/82
8	30	30/1	1 × 1–5	हां	,, 12/82
9	35	35/1	1 × 3–0	हां	,, 3/82
10	38	38/1	1 × 1–2	हां	,, 3/82

विधानसभा उत्तर प्रदेश

सूची (ख)

जनपद रामपुर में रामपुर किच्छा मार्ग पर चौड़ी की जाने वाली 20 पुलियों में से ऐसी 10 पुलियों का विवरण जिन पर कार्य कराया जाना शेष है ।

क्र० सं०	किलोमीटर सं०नं०	पुलिया नं०	वर्तमान दर मी०	क्या चौड़ा करने का कार्य स्वीकृत है ।	यदि कालम 5 हाँ में है में तो प्रगति
1	2	3	4	5	6
1	2	2/1	3 × 1–3	हां	कार्य प्रारम्भ किया जायेगा
2	3	3/1	3 × 1–3	हां	–तदैव–
3	14	14/2	1 × 3–0	हां	–तदैव–
4	36	36/1	1 × 3 0	हां	–तदैव–
5	39	39/1	1 × 1–5	हां	–तदैव–
6	42	42/1	1 × 1–5	हां	–तदैव–
7	43	43/2	1 × 1–5	हां	–तदैव–
8	44	44/1	1 × 0–9	हां	–तदैव–
9	44	44/2	1 × 0–9	हां	–तदैव–
10	44	44/3	1 × 1–6	हां	–तदैव–

उत्तर प्रदेश विधान सभा